राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 3

सोमवार,

13 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, साहब। इधर से।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अब तो, भामड़ा जी, अध्यक्ष बनाइये इनको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, अध्यक्ष बना दो, साहब (व्यवधान) इनको।

एक माननीय सदस्य : यह पदोन्नति तो करवा दें, इसमें विलम्ब क्यों ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 84. श्री रामेश्वर भाटी।

परिचय

मंत्री परिषद् के सदस्यों का परिचय

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न लेने के पहले आपकी आज्ञा से और मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार हमारे जिन नये मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है उनका परिचय सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्य मंत्री जी कराते हैं परिचय।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मुख्य मंत्री जी बीमार हैं उन्होंने मुझे ये निर्देश दिया है कि मैं करवाऊं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हम तो सारे मंत्रियों को जानते हैं, साहब, परिचय की जरूरत ही नहीं है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यदि आप नहीं चाहें तो नहीं करवाऊं। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : करवा दें आप तो, साहब।

एक माननीय सदस्य : ये रामस्वरूप जी जानते हैं सबको (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री परसादीलाल मीणा : भामड़ा जी, मंत्रियों का परिचय कराने के साथ-साथ हमको उपाध्यक्ष बार-बार कहना नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय कहने के लिए भी कुछ करें। (व्यवधान) अध्यक्ष का चुनाव भी आप करायें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अच्छा।

श्री रामस्वरूप मीणा : तुरन्त ही आपको अध्यक्ष बना दिया जाए सर्वसम्मति से।

(2)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : श्री घनश्याम जी तिवाड़ी, केबिनेट मंत्री, ऊर्जा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय तिवाड़ी जी, महकमा बड़ा ही खतरनाक है। मुख्य मंत्री जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भगवान आपकी रक्षा करे। बचाव के लिए कुछ शिक्षा हमारे कौशल साहब से भी ले लेना।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : श्री वी. पी. सिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : बिजली में भी करंट है और मेरे में भी करंट है, ध्यान रखना आप। करंट है मेरे में। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आप में करंट नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : श्री राजपाल सिंह जी, अभी नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : कौशल जी का करंट तो खतम हो गया है (व्यवधान) हो गया ठंडा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कौशल जी का करंट अभी ठंडा नहीं हुआ। 220 से 440 हो गया है, ध्यान रखना आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप लोगों में हो जाएगा करंट। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : भगवान आपकी रक्षा करे, हम यह चाहते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्याम जी, आपकी बिजली में करंट नहीं है, आपमें करंट है।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : 210 और 210 420 हो गये तो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : राजपाल सिंह जी, अभी नहीं हैं।

श्री कालीचरण जी सराफ, विधि एवं उद्योग विभाग राज्य मंत्री। श्री राजेन्द्र गहलोत, सूचना, जनसम्पर्क एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। श्री कन्हैयालाल मीणा, राजकीय उपक्रम विभाग। श्रीमती उजला अरोड़ा, संस्कृत शिक्षा विभाग, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, भाषायी अल्पसंख्यक विभाग, भाषा विभाग। श्री भंवर सिंह डांगावास....

श्री परसादीलाल मीणा : सब गैर हाजिर हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : श्री बाबूलाल वर्मा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग (स्वतंत्र प्रभार), स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास विभाग। श्री सुन्दर लाल, मोटर गैराज विभाग, (स्वतंत्र प्रभार) ऊर्जा विभाग। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विभाग बोलो इनके। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : चलो देर आये दुरुस्त आये, 4 महीनों के लिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मोटर गैरेज विभाग (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा विभाग। श्री

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

अमराराम चौधरी, कृषि विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। श्री दलीचंद, नियोजन विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग। श्री शिवदान सिंह चौहान....

एक माननीय सदस्य : नहीं हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : श्री महावीर भगोरा, मत्स्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सार्वजनिक निर्माण विभाग। श्री रामप्रताप कासनियां, (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : बहुत इंतजार करने के बाद नंबर तो आया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। श्री चुन्नीलाल धाकड़, इंदिरा गांधी नहर। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपका क्या होगा ? (व्यवधान)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 84

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 84–श्री रामेश्वर भाटी। प्रश्न संख्या बोलिये, रामेश्वर जी भाटी साहब।

एक माननीय सदस्य : ये दूसरे भाटी जी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

85. श्री परसादीलाल मीणा।

पंचायत समिति लालसोट में केरोसिन आबंटन

85. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति लालसोट (दौसा) की किन-किन ग्राम पंचायतों को माहवार कितना-कितना केरोसिन नियमित रूप से आबंटित किया जा रहा है ? मार्च, 1998 से अब तक वितरण किये गये केरोसिन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : पंचायत समिति, लालसोट (दौसा) में मार्च, 1998 से 47 ग्राम पंचायतों को माहवार आबंटन एवं वितरण किये केरोसिन की मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह जानकारी दी है कि नियमित आवंटन 140.5 के. एल. हर माह का है। तेल का अतिरिक्त आवंटन होने के बाद इसका आवंटन बढ़ा है। मंत्री जी, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो आपका वितरण पंचायतों में होता है क्या उसकी जानकारी ग्राम पंचायत के सरपंच को भी दी जाती है और क्या ग्राम पंचायत के सरपंच से उसका सत्यापन करवाया जाता है क्योंकि जब हम इलाकों में जाते हैं तब हमें वहां ऐसी शिकायतें मिलती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि केरोसिन रात को

(श्री परसादीलाल मीणा)

माता है और रात को ही गायब हो जाता है तो, मेहरबानी करके गांव में केरोसिन पहुंचे उसकी जानकारी क्या सरपंचों या ग्राम पंचायतों की बैठक में देने का विचार रखते हैं या नहीं ?

डा. रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है कि केरोसिन है डुअल प्राइसिंग है। मार्केट का और पी. डी. एस. के माध्यम से देने वाले के रेट में काफी डिफरेंस है, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत गुंजाइश रहती है इसके पिलफ्रेजेज की, डाइवर्जन की भी रहती है जिसके लिए हमने 70 समितियों का गठन कर रखा है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया, हम यह प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत समिति के माध्यम से सरपंचों को इसकी पहले से सूचना दी जाए और इसमें अगर कमी है तो इसकी पुख्ता तौर से मैं दुबारा निर्देशित करके हर ग्राम पंचायत के सरपंच को इस बात की पूरी सूचना दी जाएगी कि आपके यहां पर इतने राशन कार्ड हैं, इतना केरोसिन आपको उपलब्ध होगा जिससे इसमें पिलफ्रेजेज के चांसेज नहीं रहें। और भी आपके सुझाव होंगे तो मैं निश्चित तौर पर उसको शामिल करने की कोशिश करूंगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि केरोसिन का गांव में जो वितरण का स्थान है....

श्री उपाध्यक्ष : यह केवल लालसोट का है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : लालसोट के लिए ही है। लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र में जो केरोसिन के डीलर वितरण करते हैं उनका स्थान पूर्व सुनिश्चित हो कि इस दिनांक को इस स्थान पर मिलेगा। क्या ऐसी व्यवस्था आप पूर्व घोषणा के द्वारा जिला एवं रसद विभाग के द्वारा कराने की सोच रहे हैं ? क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।

डा. रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, निश्चित तौर पर यह भी उससे ताल्लुक रखे हुए हैं। ऐसे कोई और सुझाव होंगे तो मैं यह पूरा प्रयास करूंगा कि जगह भी सुनिश्चित हो और पूरी पारदर्शिता इसमें रहे, क्योंकि मैं भी आपकी इस चिन्ता से वाकिफ हूं और चिन्तित हूं इस चीज से कि इसका कहीं डाइवर्जन कम्पलीटली तो नहीं रोक सकते कोई भी लेकिन मिनिमाइज किया जाए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : 86. श्री शांतिलाल चोईवाल।

क्रय-विक्रय पंजीयन नीति

86. **श्री शांतिलाल चोईवाल (राजसमंद)** : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 से जून, 1998 तक की अवधि में क्रय-विक्रय पंजीयन से कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

(2) क्या वर्तमान पंजीयन नीति से क्रय-विक्रय पंजीयन कार्य राशि शत-प्रतिशत वसूली नहीं हो पा रही है ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कारगर नीति अपनाने का विचार रखती है, जिससे पंजीयन से प्राप्त होने वाली पूर्ण राशि प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) जयपुर में वर्ष 1993-94 से 1998-99 तक की अवधि में जयपुर क्रय-विक्रय से प्राप्त पंजीयन आय :—

1993–94	7.22 करोड़
1994–95	11.13 करोड़
1995–96	15.18 करोड़
1996–97	25.83 करोड़
1997–98	31.62 करोड़
1998–99	4.03 करोड़
	(मई, 98 तक आय)

(2) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा विभाग को वर्ष 1997-98 हेतु आय लक्ष्य 400 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, जिसको संशोधित करके 350 करोड़ रुपये किया गया था जिसके मुकाबले आय 312.34 करोड़ रुपये अर्जित हुई थी। जो कि लक्ष्य का 89.24 प्रतिशत थी। लक्ष्य कम अर्जित होने का कारण वर्तमान पंजीयन नीति नहीं है। पंजीयन हेतु विक्रय दस्तावेज कम संख्या में प्रस्तुत होना इसका प्रमुख कारण है।

(3) हां, दस्तावेज पंजीयन से शत-प्रतिशत राशि प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों के पंजीयन एवं मुद्रांक कर की विशेष राहत योजना, इसमें मैं संशोधन कर रहा हूं कि लागू कर दी गयी है। सितम्बर तक जो लोग पंजीयन कर पाएंगे उनको 3% ड्यूटी की छूट होगी।

श्री शांतिलाल खोईवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी ने जो दिसम्बर तक पंजीयन करा लेने पर 3 प्रतिशत की छूट दी है, उसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन उन्होंने स्वयं ने प्रश्न के खण्ड दो के जवाब में यह स्वीकार किया है कि लक्ष्य से कम आय प्राप्ति का कारण उन्होंने पंजीयन हेतु विक्रय पंजीयन दस्तावेज कम प्रस्तुत होना बताया है। इसका सीधा-सादा मतलब यह है कि जहां तक 10 प्रतिशत पंजीयन शुल्क का प्रश्न है, वह तो ठीक है लेकिन डी. एल. सी. (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) द्वारा सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण किया जाता है वह राज्य सरकार के इस दबाव के कारण कि आप राजस्व बढ़ाइए, राजस्व बढ़ाइए, राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से और उन लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से वे वहां की सम्पत्ति का मूल्य बढ़ते रहते हैं और वास्तविक स्थिति तो यह है कि जो मूल्य डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी निर्धारित करती है वह वास्तविक क्रय-विक्रय मूल्य से कहीं बहुत ज्यादा होता है। आज यदि कोई व्यक्ति 20 हजार रुपये बीघे में जमीन क्रय करता है, जो एक सामान्य क्रय-विक्रय की प्रक्रिया है, लेकिन पंजीयन शुल्क वहां पर 40 हजार रुपये बीघे का है, तो उसे 20 हजार रुपये बिना पैसे के लेन-देन के अतिरिक्त पंजीयन शुल्क

(6)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

जमा कराना पड़ता है। इससे हालात पैदा यह हो रहे हैं गांवों में, यद्यपि मैंने पूरे राजस्थान के आंकड़े मांगे थे और उप मुख्य मंत्रीजी ने इसमें सिर्फ जयपुर डिस्ट्रिक्ट के दिये हैं। शहरी सम्पत्ति का मूल्य तो वास्तविक पंजीयन शुल्क से कहीं बहुत ज्यादा अधिक होता है लेकिन ग्रामीण स्थिति बिल्कुल विचित्र है। ग्रामों में जो 20 हजार की सम्पत्ति मिलती है पर बीघा वह 40 हजार रुपये पंजीयन शुल्क आप उनसे वसूल करेंगे, तो हालात यह होंगे कि वह उसको पंजीयन कराने के बजाय सामान्य स्टाम्पस पर क्रय-विक्रय का एक दस्तावेज तैयार करा लेते हैं जिससे भूमि उनके नाम पर हस्तांतरित नहीं होती है और भूमि हस्तांतरित नहीं होने के कारण जब कभी भूमि के विवाद पैदा होते हैं, तो वह गरीब और ग्रामीण किसान कोर्ट–कचहरियों के चक्कर काटते रहते हैं जिससे उनको बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि यह राशि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तय करती है लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी राज्य सरकार के इस दबाव के कारण कि वह अपने राजस्व में बढ़ोतरी करे, क्योंकि उनके पास इसका कोई विकल्प नहीं है। हमने तो तय कर रखा है 10 प्रतिशत राशि। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया प्रश्न पूछें, प्रश्न।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप व्याख्या कर रहे हैं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। मेरे ख्याल से This question is very pertinent and relates to almost every constituency. इसलिए मुझे इसको एक्सप्लेन करने देते तो, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा रहता। मेरा निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह आपने जयपुर के आंकड़े दिये, मैंने जयपुर के दिये, मैंने जयपुर के आंकड़े मांगे नहीं हैं फिर भी आपकी लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई है। लक्ष्य पूर्ति केवल 75 प्रतिशत हुई है। क्योंकि चार सौ से आपने साढ़े तीन सौ कर दिये, साढ़े तीन सौ से तीन सौ बारह ही अर्जित हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्रय-विक्रय पंजीयन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से और राज्य सरकार को शत-प्रतिशत दस्तावेज प्रस्तुत हों और उनका पंजीयन हो जिससे ज्यादा इनकम हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि इससे आपको लक्ष्य से भी ज्यादा राजस्व अर्जित हो जायेगा। इसलिए आप डी.एल.सी. के, यह निर्देश दें कि इसके लिये वह सर्वे करे और सर्वे करने के बाद में वास्तविक मूल्य, जो क्रय-विक्रय के लिये प्रचलित हैं उसी के हिसाब से तय करे, तो निश्चित तौर से राज्य सरकार को लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं, माननीय सदस्य। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

जिला स्तर पर रेट बढ़ाने के सम्बन्ध में जब मीटिंग्स होती हैं उस समय जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है ? यदि किया गया है, तो किस-किस जिले से कौन-कौन से जन प्रतिनिधि उनमें हाजिर हुए और उनके सामने जमीन की क्या-क्या रेट्स बढ़ाई गयी ? दूसरा, प्रश्न यह है कि हर गांव में जमीन चार तरह की होती है। एक जमीन लाख रुपये बीघा की है और दूसरी जमीन पांच हजार रुपये बीघा की है। चूंकि इसके अन्दर जमीन का क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है इसलिए जो जमीन पांच हजार रुपये बीघा की है उसके भी पचास हजार रुपये के स्टाम्प लेने पड़ते हैं। या तो गवर्नमैंट यह फैसला करे कि इस जमीन को हम खरीदेगें, तो जो 40 हजार रुपये की कीमत आपकी रेट बताती है आप 30 हजार रुपये में लीजिए। रुपये के बारह आने दीजिए। पर इसका खुलासा तो करिए। हर साल 10 परसेंट बढ़ाकर काश्तकारों की हत्या हो रही है। यह शहरी नियम काश्तकार के विरोधी कानून है। इस कानून में पहले यह तय किया गया था, मैंने 1986 में भी इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था उसके जवाब में बताया गया था कि जन प्रतिनिधि इस कमेटी में रहेंगे, परन्तु जन प्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं है। वे न तो वहां हाजिर रह सकते हैं और कीमत बढ़ाने वाले जमीन की कीमत हर साल नहीं, सिरोही में हर तीन महीने में 10 परसेंट बढ़ायी जा रही है, यह नियम है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस समस्या के कारण अधिकांश जो बहुत ज्यादा पैसों के सौदे हैं उनमें केवल इकरारनामा किया जा रहा है और इकरारनामा करने के बाद एक जनरल पावर ऑफ अटोर्नी उस सम्बन्ध में उसको दे दी जाती है और उस आधार पर सारे सौदे हो रहे हैं। इससे राज्य सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार इस नीति को रेशनलाइज करने के लिये कोई युक्ति-युक्त विधि या तरीका या कोई इस तरह का पैमाना बनाने की कोशिश कर रही है जिससे किसानों को यह दिक्कत हो रही है, आज आप ताज्जुब करेंगे कि जमीन की कीमत बहुत कम है और उससे पैसे ज्यादा ले रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। श्री राधेश्याम जी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि जस्टिस बेरी की जमीन अजमेर में जो पेट्रोल पम्प की है, उन्होंने वह करीब 12 लाख रुपये में बेची है। वहां के जो भाव थे उस भाव के अनुसार बेची है और उसके उपरान्त 13 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी मांग रहे हैं। अब आप बताइए कौन देगा ? इसकी कीमत 12 लाख है और आपके हिसाब से जो आपने नियम बना रखा है उससे 13 लाख रुपये बनते हैं। तो कौन देगा 13 लाख रुपये ? नतीजा यह है कि इवेजन हो रहा है और सरकार को नुकसान हो रहा है। इस संदर्भ में आप गंभीरता से सोचकर कोई नीति बनाइए।

(8)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्व प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसी सन्दर्भ में श्रीगंगानगर जिला चूंकि पंजाब से बिलकुल लगता हुआ है, 1990 में पंजाब के लोग इधर आ गये। वहां की जमीन की कीमत जो चार आने थी....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछें, सवाल। प्रश्न पूछिये, भूमिका मत बांधिये, प्रश्न पूछिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं वह सवाल पूछ रहा हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। निवेदन है कि जो 100 रुपये की चीज थी उसकी कीमत एक हजार रुपये हो गयी थी और जब पंजाब में शांति हो गयी तब उसकी कीमत 75 रुपये हो गयी। पहले जिस जमीन की कीमत एक लाख रुपये थी उस वक्त उसके भाव बढ़कर पांच लाख रुपये हो गये। उसकी हम आज भी कीमत पांच लाख रुपये ही मान रहे हैं जबकि कीमत उसकी हो गयी एक लाख रुपये। हमें रजिस्ट्री में, पूरे हिन्दुस्तान में अगर गंगानगर जैसे जिले हों, गंगानगर के साथ स्पेशल अन्याय हो रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप इण्डैक्स मंगा लीजिए। जयपुर अकेला सिटी है, गंगानगर बार्डर पर है। जयपुर से तीन गुनी, चार गुनी रेट....

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या हुआ ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा प्रश्न यह हुआ कि इस रजिस्ट्री के माध्यम से जैसा माननीय सदस्य ने कहा, गवर्नमेंट को बहुत हानि होने वाली है। लोग सौ रुपये के स्टाम्प पर सौदा कर लेंगे। हमारे गवर्नमेंट के खजाने में कुछ नहीं आएगा। इसलिए इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाकर पूरी तरह से इसका विश्लेषण करके पुनः इसे लागू करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा पाइंटेड प्रश्न है कि यह जो क्रय-विक्रय की पंजीयन की नीति आपने बना रखी है, जिला स्तर पर आपने समितियां बना रखी हैं उसमें जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष है, कलक्टर अध्यक्ष है और सारे एम. एल. एज. उसमें सदस्य हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी यह बता दें कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में यह जो पंजीयन की कमेटी है उस कमेटी की कौनसे जिले में 1993 से अब तक हमारा कार्यकाल खतम होने आया है, सारे जिलों में एक-एक, दो-दो मीटिंग भी हुई है या नहीं हुई है ?

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले से आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, आपका प्रश्न समाप्त हुआ। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री भीमराज भाटी : मैं मुख्य मंत्री जी के जिले से आता हूं। उस जिले में आज तक सिर्फ एक मीटिंग हुई है, वह भी इस असेम्बली क्वेश्चन के बाद।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जिला कमेटियों की मीटिंग के अनुभव के आधार पर, क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी यह बात तय करा सकते हैं कि जहां जन-प्रतिनिधि बैठते हैं, जन प्रतिनिधियों की एक भिन्न राय होती है और सरकारी कर्मचारी जो प्रस्ताव लेकर आते हैं उनकी भिन्न राय होती है, सरकारी कर्मचारी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा 10 प्रतिशत बढ़ाकर वे कहते हैं, तो वहां पर जब अलग-अलग राय हो, जन-प्रतिनिधियों की एक राय हो और सरकारी प्रस्ताव दूसरे हों तो जन-प्रतिनिधियों की राय को प्रिवेल किया जाएगा, उनको वेट दिया जाएगा ? माननीय उपाध्यक्ष जी, होता यह है कि गांव में ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए एक किसी टुकड़े की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ाकर कर दी जाती है और यह जो प्रस्ताव आते हैं उस एक टुकड़े की कीमत के आधार पर बढ़ाकर दिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप इस बात पर भी विचार करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि क्या माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में पंजीकरण शुल्क पर ज्यादा टैरिफ होने के कारण वर्तमान में मोड्स आपरेंडी यह हो गयी है कि सारे लोग जो पंजीकरण करवाना चाहते हैं वह पंजीकरण नहीं कराके एग्रीमेंट-टू-सेल कराना चाहते हैं जिसमें कि पजेशन मिलता नहीं है और वह एविडेंस एक्ट में सुग्राह्य नहीं, बल्कि नॉन एविडेंस एडमिटेबल है। ऐसी स्थिति में यह पांच रुपये का जो नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पर सेल डीड दिया जाता है जिसका एविडेंस वैल्यू लॉ में कुछ भी नहीं है, उसको खतम करने के लिए आप एक समुचित पंजीकरण टैरिफ को घटाकर, उसको डिवैल्यूड करके, लेस वैल्यूएशन करके यह जो चोरी का रास्ता है, पूरे राइट टर्न में पंजीकरण का, जो कि एक विसंगति है कानून की उसको दूर करने के लिए क्या लेश-मात्र भी प्रयास करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट में बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर रियायतें की हैं जो व्यावहारिक नहीं मान रहे थे यानी जिसके कारण से जनता को कष्ट हो रहा था या सरकार को नुकसान हो रहा था। मेरा यह निवेदन है कि आपके इस अव्यावहारिक कर-निर्धारण से सरकार को जो नुकसान हो रहा है और आम आदमी को परेशानी हो रही है क्या इसको दृष्टिगत रखते हुए आप इस पर पुनर्विचार करके इसका निर्धारण करेंगे ? दूसरा मेरा निवेदन है, जैसा माननीय शिवनाथ सिंह जी ने कहा यह बिलकुल सही है कि जो अधिकारी 10 परसेंट इन्क्रीज करके प्रस्ताव लाते हैं वह कुछ बाहर के लोग या कुछ शहरों के लोग जो रोड साइड के ऊपर कुछ टुकड़े जमीनों के ऊंची रेट पर खरीद इसलिए बताते हैं कि उन्हें लोन लेना होता है और अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करना होता है, त

(10)

(श्रीमती कमला)

रोड साइड पर कुछ टुकड़े इस तरह के ऊंची रेट पर खरीदना बताकर बाकी सारे के सारे लैण्ड होल्डर्स या खरीददारों को इस परेशानी में डाल रहे हैं। यह व्यावहारिक चीज है। तीसरा मुद्दा यह है कि जब यह प्रस्ताव आते हैं और हम इनके ऊपर नाइत्तफाकी जाहिर करते हैं और उन्हें व्यावहारिक बनाने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं कि ये तो जो बन कर आ गये, साहब, ये तो ऐसे ही रहेंगे, आपकी कोई राय है तो आप बता दें। फिर क्या राय बताएंगे ? इसलिए मेरा निवेदन है यह एक बहुत अहम् प्रश्न है और बहुत ज्यादा दिक्कत है लोगों को तथा राज्य सरकार को बहुत हानि हो रही है। इसको आप व्यावहारिक बनाने के लिए इस तरह की कोई कमेटी बनाकर, अधिकारियों की भी, जन-प्रतिनिधियों की भी और इसका रास्ता निकालने की चेष्टा करें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 2-3 मीटिंग में जाने का मौका मिला। मीटिंग के अन्दर पहले की यह इंस्ट्रक्शंस दे दिये जाते हैं तहसीलदार को कि साहब, राज्य सरकार का आदेश है कि इसमें 10 परसेंट, 15 परसेंट तो हर साल आपको बढ़ाना ही है। मैं तो सिर्फ माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार ने कोई आदेश दे रखे हैं वहां पर कि जो पंजीयन शुल्क है उसके अन्दर 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत बढ़ाया ही जाए ? साहब, मैं तो यह जानकारी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि इसमें जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और हम जन-प्रतिनिधियों को इसके अन्दर रखा गया है लेकिन आज तक हमको नहीं बुलाया गया। करौली जिले में आज तक इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई और न हमको आज तक बुलाया ही गया है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी जो बातचीत कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह मेरी बात को ध्यान से सुनें, यह माननीय सदस्यों का सवाल है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, माननीय सदस्यों को मीटिंग के अन्दर नहीं बुलाया जाता है जबकि आपने इस प्रकार का प्रावधान बना रखा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो नहीं बुलाते हैं क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ? क्या जन-प्रतिनिधियों को अब दुबारा उनमें बुलाया जाएगा ? क्या इन मीटिंगों का कोई समय निश्चित किया गया है कि कितने दिनों में यह मीटिंग बुलायी जायेगी और यदि नहीं बुलायी जाएगी तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही आप करेंगे ? यह बताएं। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार फैल रहा है। बढ़ाते हुए चले जाते हैं, राय किसी की लेते नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, भाषण नहीं। श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि राज्य सरकार ने कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रखी है जिसमें माननीय सदस्य भी उसमें सदस्य हैं। मनोनीत सदस्य जाते

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं और जाते भी हैं तो उनसे इत्तफाक नहीं कर सकते, क्यों कि राज्य सरकार ने कलेक्टरों को यह आदेश दे रखे हैं कि हर तीन महीने बाद वे 10 परसेंट बढ़ाकर प्रस्ताव लेकर आते हैं। मैं एक मीटिंग में गया था। उनका आग्रह यह था कि वे प्रस्ताव बढ़ाकर भेजेंगे। उस मीटिंग में हमने सहमति नहीं होने दी, हमने उसको टाल दिया, क्योंकि वे हमारी भागीदारी से, हमारा नाम लेकर बढ़ाना चाहते थे जबकि हम बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। क्योंकि बढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। पर यहां के इंस्ट्रक्शंस यह हैं कि कलेक्टरों को, जैसा कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि साहब, तहसीलदारों को, राज्य सरकार के इंस्ट्रक्शन हैं माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन हैं कलेक्टर को कि हर तीन महीने बाद 10 परसेंट बढ़ाकर भेजे। आप हर तीन महीने में बढ़ाते-बढ़ाते इसको कहां ले जाओगे। इसका नतीजा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मोस्टली जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उनमें नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाते हैं और उनके आधार पर सब सैल डीड होती हैं, ट्रांजेक्शंस होते हैं। इससे आपकी आमदनी मारी जा रही है। इसलिए इसक व्यावहारिक बनाइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में कितनी रजिस्ट्रियां कम्पाउण्ड की गयीं ? उप मुख्य मंत्री जी, कम्पाण्ड रजिस्ट्री वह होगी जिसमें 2 परसेंट पंजीयन अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। ऐसी एक भी रजिस्ट्री आपके राजस्थान में नहीं होगी, पंजीयन अधिकारी एक भी ऐसा नहीं होगा जो 2 परसेंट और 3 परसेंट के बिना रजिस्ट्री करेगा। अगर हमने किसी की सिफारिश कर दी तो उसको तुरन्त कम्पाउण्ड कर दिया जायेगा और वह 2-2, 3-3 साल तक चक्कर काटता रहेगा पंजीयन अधिकारी के और आपके आई. जी. के। आप ऐसी व्यवस्था करिये कि आपके हर गांव की जमीन की रेट फिक्स है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी फिक्स है फिर कम्पाउण्ड करने का क्या कारण है ? कितनी रजिस्ट्रियां की गयीं, जो आज इधर से उधर घूम रहे हैं जिन पर कम्पाउण्ड की गयी हों।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुल्कराज थिद। कृपया बिराजें।

श्री मुल्कराज थिद (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीनों की कीमत भी वही रखी जाती है और उनसे रेट भी वही ली जाती है जब कि वास्तव में उनको अगर स्वयं की जमीन की कीमत एक लाख रुपये बीघा है या 50 हजार है, तो उसको चौथा हिस्सा भी नहीं मिलता है। लेकिन जब उसको उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है, तो उसमें उसको वही रेट दिया जाता है। हमने जिला कमेटियां की मीटिंग में कई दफा यह सवाल उठाया, तो उन्होंने यह कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है। मै माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करके क्या उसकी कीमत घटाने के लिए विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल जयपुर में क्रय-विक्रय पंजीयन के प्राप्त राशि के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्यों ने बड़ी कृपापूर्वक ऐसे सवाल उठाये हैं....(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : माननीय, जयपुर का इसमें नाम ही नहीं है । कहां लिखा हुआ है इसमें जयपुर ? नाम ही नहीं है इसमें । आपने जवाब ही गलत दिया है । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : प्रश्न आपने पढ़ा नहीं है, स्टडी आपने करी नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : नाम ही नहीं है इसमें जयपुर । नाम ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें, माननीय सदस्य । (व्यवधान) आप जवाब सुनना चाहते हैं (व्यवधान) आप विराज जाएं । (व्यवधान) आप बैठिये, विराजें (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में जयपुर का कोई उल्लेख नहीं है । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कहीं भी जयपुर का नाम नहीं है इसमें । यह पूरे राजस्थान का मसला है । (व्यवधान) उप मुख्य मंत्री जी कितनी बड़ी असत्य....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसका पूरे राजस्थान पर इम्पेक्ट पड़ता है । पूरे राजस्थान का असर है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुनें ।

श्री भीमराज भाटी : फिर क्यों सदन को गुमराह कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, भाटी साहब । आप विराजिए । वे संशोधन कर लेंगे अपनी बात में ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : समूचे राजस्थान पर एप्लाई करता है यह सवाल । समूचे राजस्थान का है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इस बात के लिए खेद व्यक्त करें कि आपने सदन में असत्य बोला है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में शायद आपके आदेश से संशोधन हुआ है जो इसमें नहीं लिखा है । मूल प्रश्न में निश्चित रूप से जयपुर नहीं था । नहीं था, लेकिन.... (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं ।

श्री भीमराज भाटी : जो हमको मिला है उसमें नहीं हैं, बताइये कहां लिखा है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सुनिये, सुनिये ।

श्री भीमराज भाटी : सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, वे स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने जयपुर का नहीं पूछा है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस बारे में तो विश्वास कैसे करेंगे....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : प्रश्न में कभी संशोधन नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के अन्दर कभी संशोधन नहीं होता है। प्रश्न में संशोधन संशोधनकर्ता करता है। अगर प्रश्न में संशोधन हुआ है, तो .. (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : इसमें नहीं है। आपके पास कौनसा प्रश्न-पत्र है ?

श्री भीमराज भाटी : और आप आपस में एक दूसरे... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अब आप हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं कि इस प्रश्न में संशोधन हुआ है। प्रश्न में कभी संशोधन होता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : संशोधन कहकर हाउस को गुमराह किया जा रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने शुरू में ही कहा कि मैंने यह प्रश्न पूछा ही नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप वह मामला ही खतम करना चाहते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मूल प्रश्न क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल है इसमें क्या है (व्यवधान) वह महत्वपूर्ण है।

श्री भीमराज भाटी : और शुरू में ही जब सम्बन्धित सदस्य ने खड़े होकर कहा कि....(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सवाल की गम्भीरता को डाइल्यूट मत कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल की जो गम्भीरता है समूचे राजस्थान के ऊपर उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन की गम्भीरता को (व्यवधान) सारे के सारे माननीय सदस्य एक साथ बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह हाउस की अवमानना है। (व्यवधान) नहीं तो यह प्रश्न....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : पूरा जवाब सुनिये। पहले माननीय सदस्य, पूरा जवाब सुनिये आप। जवाब तो पूरा करने दें, विराजिये भाटी साहब।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : इस प्रश्न में जयपुर का कोई नाम नहीं है और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी जयपुर का नाम लेकर जवाब दे रहे हैं और आप कह रहे हैं अंकित मत करो। अब हम फिर कहां जाएं।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप दस एक साथ खड़े होकर बोल रहे हों, उसका कोई अर्थ नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जयपुर का नाम नहीं है और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि जयपुर का प्रश्न है। हम अब उस पर एतराज करते हैं तो आप कहते हैं कि अंकित मत करो, तो फिर हम कहां जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जयपुर का नाम नहीं है, विराजिए आप, बैठिये।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर का नहीं है, सारे राजस्थान का है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि जयपुर का है।

श्री उपाध्यक्ष : अब जवाब तो सुनिये आप।

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी, अब आप जवाब सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हुआ, विराजिए अब आप। माननीय मंत्री महोदय।

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार-बार बोलना, बार-बार एक माननीय सदस्य का बोलना भी हाउस की अवमानना है। आप मंत्री महोदय का जवाब सुनिये। आप विराजिये, बैठिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो प्रश्न है और उसके बारे में जो अभी भिन्न-भिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। इसलिए उस मूल प्रश्न को छोड़कर कि यह संशोधन कैसे हुआ इसी को इश्यू बनाना उचित नहीं है। मैं इसकी जांच कराऊंगा कि यह जयपुर कैसे आया। जब मूल प्रश्न में सारा प्रदेश था तो उसकी जांच मैं अलग से कर लूंगा।

मान्यवर, मूल प्रश्न यह था कि 10 परसेंट जो ड्यूटी लगी हुई है वह ज्यादा है और उसके कारण वसूली कम हुई है। यह मुख्य प्रश्न था। चूंकि यह रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत होता है, ट्रांसफर आॅफ प्रोपर्टी एक्ट के अन्दर होता है और उसमें बाजार भाव के आधार पर होता है। उसमें कोई समिति की रेट पर हो, कोई जरूरी नहीं है। यदि बाजार भाव समिति की रेट से ज्यादा होंगे तो ज्यादा होंगे। इसलिए वह अलग प्रश्न है जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है कि समिति रेट तय करती है उसमें माननीय विधायक मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं, वह बिलकुल अलग प्रश्न है।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

इसी तरह से नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्टाम्प ड्यूटी की बात की वह भी अलग प्रश्न है। इस प्रश्न से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन सारे प्रश्नों पर चूंकि अभी आप बजट पर बहस करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं जो सुझाव आपने यहां दिये हैं, इस बहस में आप इस सम्बन्ध में सुझाव दें, तो निश्चित रूप से उस पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

दूसरी बात यह है कि जो दस प्रतिशत की बात कही, देखिये दस प्रतिशत जहां तक मुझे याद है 1997 में लागू किया उसके पहले कम था, तो जब कम था तब 1993-94 में वसूल हुआ है 7.22 करोड़, 1994 95 में वसूल हुआ है 11 13 करोड़, 1995-96 में हुआ है 15.18 करोड़, 1996-97 में हुआ है 25.83 करोड़ और 1997-98 में 31.62 करोड़।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : टार्गेट क्या था? टार्गेट बताइये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पहले जवाब सुनिये, आप जवाब सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में न बोलें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जब दस प्रतिशत लागू करने पर 25 करोड़ और 31 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है, तो यह कहना कि दस प्रतिशत की वजह से इस बार कम वसूली हुई है, ठीक नहीं है। असली बात यह है कि पिछले साल भर से सारे देश में एक पूरा स्लम चल रहा था और इसके कारण से क्रय-विक्रय भी कम हो रहा है और जब भी क्रय-विक्रय कम होगा, स्वाभाविक है कि उसमें ड्यूटी भी कम लगेगी। इसलिये इसका 10 प्रतिशत से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन यदि वे समझते हैं कि दस प्रतिशत, फिर भी हमने, गवर्नमेंट को रेवेन्यू वसूल हो इसके लिये हमने योजना बनायी है कि यदि कोई अब भी इस वजह से कि दस प्रतिशत ज्यादा है, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो हमने उनको सितम्बर तक का टाइम दिया है कि वे रजिस्ट्री करा लें, हम तीन प्रतिशत ड्यूटी कम कर देते हैं, उनका सात प्रतिशत में हो जाएगा। इसका रिजल्ट आने पर मालूम पड़ जाएगा कि यदि वाकई में दस प्रतिशत की वजह से नहीं हुआ है और कुछ लोग रह गये हैं, तो वह सात प्रतिशत में सितम्बर तक करवा लेंगे तो हमारे ध्यान में भी आ जाएगा कि वाकई में दस प्रतिशत ज्यादा है, सात प्रतिशत होता, तो शायद ज्यादा लोग आते।

फिर भी इस विषय पर जो भी आप चर्चा इस बजट के भाषण में करेंगे और चूंकि यह बजट से सम्बन्धित मामला है निश्चित रूप से उस पर गम्भीरता से विचार मैं करूंगा और आपकी राय हुई कि कम करने से यदि ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो सकती है तो उस पर भी विचार किया जाएगा और जहां तक जमीनों की कीमतों का सवाल है। हमेशा जमीन की कीमतें मार्केट से रूल होती हैं। मार्केट में जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसमें किसी का अधिकार नहीं है, कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता। मार्केट में रेट जब बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, जब घटती हैं तो घटती हैं। इसलिये इसमें उसका कोई

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

ताल्लुक नहीं है। जहां तक कम करने का सवाल है, वह अलग से सवाल आएगा, तो उस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद मीणा।

श्री शांतिलाल चोईवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त। इसका समय समाप्त हो गया, माननीय सदस्य, नो, नो, नो।

प्रश्न संख्या 87

श्री जगदीश प्रसाद मीणा। (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 88

श्री रूपाराम। (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री दीपेन्द्रसिंह।

वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण

89. **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अधीन क्या-क्या सम्पत्तियां हैं ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को प्रदेश में वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनका जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिये कहां-कहां पर क्या कार्यवाही की गयी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में वक्फ बोर्ड की किस-किस सम्पत्ति को किस-किसको कितने-कितने किराये पर कब-कब तथा कितनी अवधि के लिये दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) शास्त्री नगर, जयपुर स्थित कब्रिस्तान की कुल कितनी भूमि है जिस पर किस-किसने कब से कितना अतिक्रमण कर रखा है ? उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा जा रही है ?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री नसरू खान) : (1) प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अधीन मस्जिदें, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने, मदरसे, ईदगाह, तकिये, मकबरे, इमामबाड़े तथा इनसे सम्बन्धित अन्य सम्पत्तियां स्थित हैं। सम्पत्तियों की जिलेवार संख्या की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-क)

श्री परसादीलाल मीणा : आपने इस्तीफा क्यों दिया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुन लें। (व्यवधान)

श्री नसरू खां : उत्तर है यह, एक का ही तो मांगा है इन्होंने ।

एक माननीय सदस्य : आपको अधिक जानकारी देनी चाहिए ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पहले तो यह बताइये कि आपने जो इस्तीफा दिया था वह आपने किस कारण से दिया था ? क्या कारण है जो आपने इस्तीफा दिया था ? इस्तीफे देने के कारण बताइये । इस्तीफा क्यों दिया, यह बताइये । उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि आप.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये माननीय वक्फ मंत्री महोदय हैं, बिराजिए ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपका इस्तीफा आया क्या ? (व्यवधान) तो स्पष्ट कर दें कि मंजूर हुआ । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : इन्होंने इस्तीफा दिया है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह पाइण्ट.... (व्यवधान) का सवाल है । एक मंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो इसका मतलब वह उस सरकार से संतुष्ट नहीं है, उसके कार्य-कलाप से संतुष्ट नहीं है और मंत्री अगर संतुष्ट नहीं है तो (व्यवधान) कोई अधिकार नहीं है इसलिए पहले यह स्पष्ट किया जाए कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया ?

श्री परसादीलाल मीणा : इस्तीफा दिया क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री परसादीलालजी, बिराजिए ।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : इस्तीफा देने के बाद मंत्रीजी संतुष्ट हो गये क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बतायें कि आपने.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का जवाब तो आने दीजिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह इस्तीफा दे चुके हैं या मंजूर हो गया है या वापस ले लिया है, यह क्वेश्चन तो बतायें । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब देने से पहले स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या स्थिति है ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : संतुष्ट हो गये, इस्तीफा इन्होंने वापस ले लिया क्या ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री इस्तीफा दे चुके हों और वे जवाब देने के लिये आ जाएं, यह स्वीकार नहीं होगा । किसी और मंत्री से जवाब दिलवा दीजिये । कोई और मंत्रीगण जवाब दे दें । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : परिवहन मंत्री और उनके बीच क्या हुआ (व्यवधान) उन कारणों का क्या हुआ ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस्तीफा वापस ले लिया है तो हमें वह बता दें । अन्य डिसीजन ले लिया है, तो वह बता दें । (व्यवधान) मंजूर हो गया है, तो वह बता दें । (व्यवधान)

(18)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये आपने सरकार को गम्भीर आरोप लगाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सरकार के अन्दर किन्हीं मंत्रियों के ऊपर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : विशेष रूप से यातायात मंत्री के ऊपर गम्भीर आरोप लगाये हैं। यातायात मंत्री के ऊपर आरोप लगाये हैं तो वे भी.... (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (यातायात राज्य मंत्री) : मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : वे अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्टीकरण करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जाएं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अपना स्पष्टीकरण दे दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह स्पष्टीकरण दे दें कि ये मंत्री हैं या नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या स्थिति है ?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सरकार की स्थिति क्या है ? यातायात, मंत्री के विभाग पर जो आरोप लगे हैं, उनका क्या हुआ ? दोनों मंत्रियों के बीच में सम्बन्धों की क्या स्थिति है और सरकार इसके बारे में क्या विचार रखती है ? (व्यवधान)

श्री नसरू खां : उसका भी मैं जवाब दे दूंगा, पहले आप सुन तो लीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : तब यह बात स्पष्ट होगी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, बताइये आप। स्थिति स्पष्ट कर दीजिये। (व्यवधान) आप इन्हें (व्यवधान) आप वक्तव्य दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप खुलासा कीजिये कि आपने इस्तीफा क्यों दिया ? (व्यवधान) आपने जो यातायात मंत्री के ऊपर आरोप लगाये हैं, यातायात मंत्री के विभाग के ऊपर, उन आरोपों का क्या हुआ ? उन आरोपों का सरकार की तरफ से खण्डन नहीं आया है। आपने यातायात मंत्री के विभाग के ऊपर जो आरोप लगाये हैं, उनका (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अभी इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं हुआ है ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यातायात मंत्री ने इण्डिविजुअल कैपेसिटी के अन्दर खण्डन कर दिया है, उसका कोई महत्व नहीं है। या तो उप मुख्य मंत्रीजी स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : टाइम खराब करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी जवाब दीजिये। कृपया, शांत रहे। माननीय सदस्य, आप बिना बात ही मन में आये जब खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हों, क्या तरीका है यह ? (व्यवधान)

श्री नसरू खां : (1) प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अधीन मस्जिदें, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने, मदरसे, ईदगाह, तकिये, मकबरे, इमामबाड़े तथा इनसे सम्बन्धित अन्य सम्पत्तियां स्थित हैं। सम्पत्तियों की जिलेवार संख्या की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-क)

(2) जी, हां। प्राप्त शिकायतें वक्फ बोर्ड को निस्तारण हेतु भिजवाई जाती हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा शिकायतों के औचित्य के आधार पर अतिक्रमियों को बेदखल करने के लिये न्यायालय सम्पदा अधिकारी में वाद दायर किये हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

(3) गत पांच वर्षों में सम्पदा अधिकारी के निर्णयानुसार अतिक्रमियों को बेदखल किया गया था, उनका जिलेवार विवरण संलग्न है।

(4) वक्फ बोर्ड ने जो सीधे तौर पर सम्पत्तियां किराये पर दे रखी हैं, उनसे सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

(5) शास्त्री नगर, जयपुर कब्रिस्तान की कुल भूमि 57 बीघा 12 बिस्वा है। इस कब्रिस्तान पर वर्ष 1983 से कुल 112 नाजायज कब्जे थे। जिनमें मौके पर 38 कब्जे हटा दिये गये हैं एवं 74 नाजायज कब्जाधारियों के विरुद्ध न्यायालय सम्पदा अधिकारी के यहां वाद दायर कर दिये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न का जवाब दिया है, मैंने पूछा है कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अधीन क्या-क्या सम्पत्तियां हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान) सुन लीजिये आप जरा। मंत्री महोदय ने जिलेवार सूची प्रस्तुत कर दी कि जयपुर जिले के अन्दर कुल मामले इतने हैं। चित्तौड़ में इन्होंने बता दिये 565 मामले हैं। भरतपुर-धौलपुर में 2068, अलवर में 2066 हैं, सीकर में इतने हैं, अलग-अलग जिलेवार केवल संख्या दे दी। मैंने यह जानना चाहा था कि जैसे जयपुर में सम्पत्ति कौन-कौनसी कितनी है, जिससे जनता को यह पता लगे कि कितनी सम्पत्ति है और उस पर कितना कब्जा कर रखा है। यह आपका अधूरा जवाब है। इसलिए एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि किस-किस जिले में कौन-कौनसी सम्पत्ति है, यह बता दें, जिससे कि प्रदेश की जनता को यह पता लगे कि आपने कहां-कहां कब्जे करा रखे हैं। (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये। सप्लीमेंट्री के पाइंट आफ व्यू से।

दूसरा, मैंने पूछा है कि प्रदेश की वक्फ बोर्ड की किस-किस सम्पत्ति को कितने किराये पर कब से कितनी अवधि के लिए

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

दिया गया है ? तो उसमें आपने जवाब दिया है, वक्फ बोर्ड ने सीधे तौर पर सम्पत्तियां किराये पर दे रखी हैं, उनसे सम्बन्धित सूची संलग्न है । मैं सीधे तौर की बात नहीं करता । मैं पूछता हूं कि वक्फ बोर्ड की किस-किस सम्पत्ति को, क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, होता इसमें यह है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डायरेक्ट इन्वाल्व नहीं होकर के जो चौकीदार रहता है, उस पर चला देते हैं और एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हैं और पांच हजार की चंदे की रसीद कटा देते हैं, इस तरह की स्थितियां प्रदेश भर में बनी हुई है ।

दूसरा आपने जो जवाब दिया है, अतिक्रमण हटाने के बारे में, आपने मुकदमों की सूची तो दे दी लेकिन मुकदमों के अलावा जो अतिक्रमण हैं, जिनमें मुकदमे नहीं हैं, जिनको हटाया जाना चाहिए और आपका वक्फ बोर्ड उसमें रिश्वत लेकर के हटा नहीं रहा है, उनकी आपने सूची नहीं दी है इसलिए एक तो आप इसको स्पष्ट कर दें । दूसरा, मेरा आपसे यह निवेदन है कि....

श्री कालीचरण सराफ (विधि, राज्य मंत्री) : करा दी ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप कालीचरण जी, मंत्री इस विभाग के नहीं हैं और अब, + + + करिये । इतने नीचे + + + कि इनकी जगह आप जवाब दें ।

दूसरा, आपने यह जवाब दिया है कि इस अवधि में कहां-कहां लोग हैं, उसके लिए केवल जयपुर की सूची दी है या अलवर की सूची दी है, थोड़ी सी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर में जिन लोगों की इन्होंने सूची दी है, मैं एक उदाहरण की बात करता हूं । नवाब कल्लन का बाग जो कि एम. आई. रोड पर दोनों एम. एल. ए. क्वार्टर्स के बीच में है, मुख्य एम. आई. रोड पर है, वह जमीन आज की तारीख में पचास हजार रुपये गज की है, जिसको आपने ग्यारह महीने के लिए, किसी को दो सौ रुपये में, किसी को डेढ़ सौ रुपये में 1970 से आज तक लगातार देते आ रहे हैं । और ग्यारह महीने के लिए दी हुई जमीन, 150 रुपये में दी हुई जमीन आपने आज तक खाली नहीं करवायी, जो पचास हजार रुपये गज की जमीन है इसलिए इसको भी आप स्पष्ट कर दें ।

तीसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपने जो जवाब दिया है, उस जवाब में हमने जो सूचियां मांगी हैं, वे सूचियां अधूरी हैं । लेकिन आप इतना बता दें कि शास्त्री नगर के अन्दर जो आपने लोगों को जमीन दे दी, आप यह कह देंगे कि वक्फ बोर्ड ने शायद डायरेक्ट नहीं दी हो लेकिन वहां पर जो आपका नुमाइन्दा बैठता है, उस व्यक्ति ने लोगों से रिश्वत लेकर के बिना रिकार्ड पर कब्जे करा रखे हैं, वे अभी तक खाली नहीं हुए हैं और वहां पर गोलीकांड हुआ, छह लोग मरे, इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । प्रशासन ने लीपापोती की है इसलिए इस स्थिति को भी कृपया आप स्पष्ट कर दें । पिछले दो साल पहले एक

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

निर्णय हो चुका था कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कोई हाई कोर्ट का रिटायर जज होगा, उसके बावजूद भी दो साल से आपने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, केवल एक जिम्मे, राजनैतिक काम सौंप करके वहां बैठा रखा है, जो गलत तरीके से लोगों से रिश्वत लेकर लूट रहा है और वक्फ बोर्ड की जमीन खरीद-फरोख्त कर रहा है। आपने यदि वह सूची दी होती शहरों की कि कौन-कौन सी जमीन कहां है, तो सारी स्थिति स्पष्ट होती इसलिए इस स्थिति को आप स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, विराजें। कृपया, सुनिये।

श्री नसरू खां : सूची आपको दे दी गई है और फिर भी अगर कोई आपकी नजर में है, आपकी जानकारी में है कि आप कह रहे पैसे देकर के कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : हां, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि जानकारी में क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप पहले सुन लें। आप सुन तो लें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने शास्त्री नगर में कब्जा करा रखा है, आपने एम. आई. रोड पर कब्जा करा रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने राजपूताना होटल के सामने जिस महत्वपूर्ण भूमि पर कब्जा था, आप स्वयं मंत्री नहीं थे, आपने विधायक के रूप में उस मामले को उठाया था और उसी बात को लेकर के आपके वक्फ बोर्ड में जकड़ा गया है, न आपकी चेयरमैन सुनता है, न आप कुछ करने की स्थिति में हो और सारे प्रकरण आप खुद उठा चुके हो। जयपुर का जो प्रकरण राजपूताना होटल के सामने का था, उस प्रकरण को आप स्वयं उठा चुके हो और आपने उसका जवाब नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आप सुन तो लीजिये, फिर बोल लेना आप।

श्री नसरू खां : ऐसी कोई बात नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो कब्जा है, वह कोई आज का नहीं है। वक्फ बोर्ड का कब्जा यह सन् 1970 से चला आ रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आज की तारीख में आप मंत्री नहीं हो, आप कह दो कि मैं कल मंत्री नहीं था। जवाब (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : जब कांग्रेस की सरकार थी (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जवाब सदन में आये हैं तो आपको ही देना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनका सुने तो सही जवाब। (व्यवधान) यह कब्जे कब से हैं, यह सुनें तो सही। यह कब्जे आपने करवाये हैं। (व्यवधान)

(22)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जवाब सदन में आपको ही देना है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : यह कब्जे आपने करवाये हैं। आप अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के सामने (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : एम. एल. ए. क्वाटर के सामने कब्जे कर रखे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्रीजी, आपकी चेयरमैन नहीं सुनते क्या ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : पूरे राजस्थान के अन्दर वक्फ बोर्ड की लाखों-करोड़ों रुपये की जमीन के ऊपर अवैध कब्जे हो रहे हैं और शास्त्री नगर के अन्दर तो आज तक (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : चेयरमैन आपकी नहीं सुनते हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शास्त्रीनगर के अन्दर तो आज तक एक भी कब्जा नहीं हटा है और उसकी परिणति छह मौतें हुई हैं, पुलिस की फायरिंग से। इसी तरह से नवाब कल्लन की जमीन पर जो एम. एल. ए. क्वाटर्स के बीच में है, करोड़ों की जमीन है, उसके ऊपर भी अवैध कब्जे आप लोगों ने करा रखे हैं। करोड़ों की जमीन को हजारों रुपये, लाखों रुपये में बिकवा रखी है। यह वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर के कब्जे सरकार कब तक हटा देगी, कोई समय सीमा निश्चित करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। वक्फ बोर्ड ने (व्यवधान) लाखों-करोड़ों रुपये की जमीन का मामला है (व्यवधान) अवैध कब्जे कर रखे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिकराय के अन्दर कौनसा कब्जा है ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जोधपुर में कब्जा कर रखा है और उस कब्जे में माननीय विधायक का हाथ है....(व्यवधान) आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रोटेक्ट मत करिये गलत लोगों को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विष्णु मोदी। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप कहां से जोधपुर की बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पिछली बार जोधपुर के लोग ऊर्जा मन्त्री महोदय के सामने जोधपुर के लिए धरने पर बैठे हैं और आप यहां बैठे रहे। (व्यवधान) + + + ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं आप ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : कौनसा कब्जा है ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : चोरों को प्रोटेक्ट करते हैं आप ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है जिससे भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है। वक्फ बोर्ड का जो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती कमला)

पैसा वक्फ बोर्ड में जाना चाहिए वह निजी लोग अपने....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी . शास्त्री नगर में जो गोली काण्ड हुआ उसकी जांच (व्यवधान) चार जनों को मरवा दिया। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : क्या मंत्री महोदय चेयरमैन के कार्य से सन्तुष्ट हैं? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : चार जनों को मरवा दिया (व्यवधान) अतिक्रमण के कारण शास्त्री नगर में छह जनों की जानें गयीं (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्रीजी अगर चेयरमैन के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो क्या उनको हटाने का विचार रखते हैं ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष जी, राजेन्द्र जी गहलोत भूल गये हैं कि अब आप मंत्री बन गये हो, अब आप डिटोरियल मत करो, और को करने दो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जे डी ए की अथॉरिटी ने यह कह दिया था कि हम कब्जा दिलवा देंगे शास्त्री नगर में और उसके बाद कब्जा नहीं दिलवाया। दो सम्प्रदायों में लड़ाई हुई और छह आदमी मर गये। जिला प्रशासन की बात है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। भाटी साहब, यह स्थगित हो गया है। यह मैंने स्थगित किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (जन सम्पर्क, राज्य मंत्री) : माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि जोधपुर के अन्दर कब्रिस्तान में किसी एम.एल ए का कब्जा है, यह आरोप बेबुनियाद है। यदि कोई कब्जा करता है तो वह कांग्रेस के लोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : शास्त्री नगर में छह आदमी मर गये जे डी ए की लापरवाही से और पुलिस प्रशासन के द्वारा, हम कब्जा दिलाएंगे और कब्जा नहीं दिया। आप इसे स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान) मंत्रीगण यह सिद्ध करना चाहते हैं कि नसरू खां जी कैपेबल नहीं हैं, इनकाम्पीटेंट हैं। यह कैपेबल हैं जवाब देने के लिए, इसलिए आप कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय चेयरमैन के काम से सन्तुष्ट है, इतना कहला दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, समय देखिए आप। प्रश्न काल का समय खराब हो रहा है। कीमती समय है। आप समय को देखिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : शास्त्री नगर में छह आदमियों की जानें चली गयीं आपके कारण से (व्यवधान) जे. डी. ए. के कारण छह आदमियों की जानें चली गयीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया। आप बिराज जाएं। श्री भीखा भाई। (व्यवधान)

श्री भोमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है.. (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) बड़ा गम्भीर प्रश्न है, जिस पर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या फायदा है ऐसे मंत्रियों का ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं पिछली बार भी यह प्रश्न रखा गया और इस बार भी यह प्रश्न रखा गया। हर बार वक्फ बोर्ड द्वारा प्रयास किया जाता है कि यह किसी तरह टले। पिछली बार यह कहा गया था कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, टाल दिया जाए। अबकी बार यह प्रयास.. (व्यवधान) पिछली बार यह प्रयास किया गया (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आप विराज जाओ। फॉरेन अफेयर्स का मामला नहीं है, आप विराज जाओ। यह विदेश मंत्रालय का मामला नहीं है आप विराज जाओ। यह अमरीका, जर्मनी का मामला नहीं है, आप विराज जाइए। मैं निवेदन कर रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बैठिये। अब आप मंत्री हो गये हो। अब आप अपनी आदत सुधारिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप विधायक हो या मंत्री ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : इम्पोर्टेन्ट मामला है, कृपया वी. पी. सिंह जी बैठिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ये मंत्री जी हैं जो अपने आपको मंत्री नहीं मान रहे हैं। यह अब तक अपने आपको एम.एल.ए. मान रहे हैं। इनको बैठा दो आप... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको वापिस से विधायक बना दो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : वी. पी. सिंह जी, अब आप मंत्री हो गये हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप मंत्री हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपको जानकारी दे दूं कि इस प्रकरण के पीछे क्या हाथ है ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए, सिर्फ एक मिनट (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप मंत्री हो या विधायक हो वी. पी. सिंह जी (व्यवधान) आप विधायक हो या मंत्री ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले साबित करो आप क्या हो ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी आया और इसको टाला गया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण, राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह यह कर रहे हैं कि (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसा क्या है कि सारे मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हो रहे हैं.... (व्यवधान) इनको पता ही नहीं है अपने विभागों का .. (व्यवधान) + + + (व्यवधान) हर कोई जवाब देने लग जाता है (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बार-बार हर मंत्री खड़ा हो जाता है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : (व्यवधान) + + +

श्री मदन दिलावर : जो बोल रहे हैं उनकी (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन का अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं ये लोग ।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) इन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जे करवाकर (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + ... (व्यवधान) + + + हर कोई उसका जवाब दे रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक मिनट मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : "विनाश काले विपरीत बुद्धि" । अब बुद्धि खतम हो गयी इनकी । (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : ववेश्चन पोस्टपोन कर रहे हैं (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है और माननीय सदस्य ने बहुत ही गम्भीर बात इस सदन के अन्दर कही है कि जोधपुर के अंदर एम. एल. ए. ने वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया है । अब मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि यह माननीय सदस्य बताएं कि कौन एम. एल. ए. है । जब इतनी बड़ी बात इन्होंने अपने मुंह से कही है सदन के अन्दर तो यह बताने की कृपा करें, क्योंकि आपने यह कोई मामूली बात नहीं कही है इसलिए कौनसे एम. एल. ए. के ऊपर आरोप लगाया है, वह कौनसे एम. एल ए. हैं, बताइए । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है (व्यवधान) मैंने कहा है कि जोधपुर में लोगों ने कब्जे किये हैं । उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की बात कही है इन्होंने । धरना दिया था जोधपुर के लोगों ने और उनके प्रति हम लोग बोलते हैं, तो यह उन लोगों की वकालत करती हैं, + + + आनी चाहिए इनको । (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, विधान सभा के अन्दर यह बात कहना कोई मामूली बात नहीं है । (व्यवधान) नहीं, कैसे कह दिया इन्होंने (व्यवधान) नहीं, आप बताइये (व्यवधान) यह कह रहे हैं कि जोधपुर के विधायक हैं (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

एक माननीय सदस्य : लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं.... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : यह सही है कि आप लोगों की शह से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा हुआ है....(व्यवधान) यह सत्य है कि आपके सहयोग से, आपकी शह से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा हुआ है इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के सारे एम. एल. ए. जिम्मेदार हैं इसके लिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कब्जे कर रखे हैं .. (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थिति स्पष्ट करने का आदेश फरमाया है। मंत्रीजी को आप आदेश देकर चुप कराएं। मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा फिर उसके बाद बैठ जाऊंगा। (व्यवधान) पिछली बार तीन बार यह प्रश्न आया और यह प्रयास किया गया (व्यवधान) आपने मुझे समय दिया है मेरी सुन लीजिये एक मिनट....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, सूर्यकान्ता जी ने पूछा है कि किस एम.एल.ए. का नाम है, बताइये। (व्यवधान) आप पहले बताइए। आप गलत आरोप नहीं लगा सकते (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वालों ने सारे कब्जे करवाये हैं। (व्यवधान) वक्फ बोर्ड की जमीन है उनके ऊपर ही कब्जे हुए हैं। यह स्पष्टीकरण दे वे लोग कि किस विधायक ने कब्जे किये हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : प्रयास किया (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह सदन में माफी मांगे (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सदन में माफी मंगवाइए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह प्रश्न नहीं आना चाहिए क्योंकि रिकार्ड नहीं है। यह टालना चाहते हैं। बहुत बड़ा घपला है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इस तरह की बात कैसे कही ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह की हल्की स्थितियों से मुसीबतें हल नहीं होने वाली हैं....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : जोधपुर के एक एम. एल. ए. ये कब्जा कर रखा है या तो उसका नाम बताइये....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप रहने दीजिए। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कोई इजाजत नहीं है। (व्यवधान) आपने बरबाद कर दिया। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपकी पार्टी का कार्यकर्ता वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है और आप कब्जे कराते हैं.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : सदन का अमूल्य समय बरबाद कर रहे हो आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा....(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : पूरे राजस्थान में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : खा गए, चाट गए राजस्थान को....(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : लाखों-करोड़ों रुपये . (व्यवधान) इन्होंने खा लिए हैं । भ्रष्टाचार मचा रखा है (व्यवधान) वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जयपुर में भ्रष्टाचार कर दिया । पूरे राजस्थान में पैदा कर दिया । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कालीचरण जी सराफ साहब ने कब्जा करा रखा है उसके ऊपर । कालीचरण जी, आपने कब्जा करा रखा है इसके ऊपर । (व्यवधान) बैठ जाओ । आप मंत्री हो ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपके चेयरमैन महोदय ने.... (व्यवधान) लूट ली राजस्थान की जनता की सम्पत्ति को । (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : हर मंत्री खड़ा हो जाता है । उपाध्यक्ष महोदय,इनको कंट्रोल कीजिए । दिलावर जी को समझाइए । क्या हो रहा है । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : (व्यवधान) अधिकार एक्ट में नहीं है इसके बावजूद इन्होंने दे रखा है । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : + + + (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (सिंचाई,राज्य मंत्री) : + + + तो आप पहले से ही हो ।

श्री परसादीलाल मीणा : मौजूदा वक्फ बोर्ड की मियाद कितनी पहले खतम हो गई (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार की जमीनें बेच-बेचकर खा रहे हो छोड़ेंगे नहीं । उल्टा निकाल लेंगे एक-एक पैसे को । (व्यवधान) छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर ।

श्री रामस्वरूप मीणा : महिला सदन में बलात्कार । महिला सदन में बलात्कार हो रहा है । महिला सदन में बच्चा पैदा हो रहा है । महिलाओं के बच्चे पैदा हो रहे हैं । आपको + + + आनी चाहिए आप बात करते हो यहां पर । महिला सदन में.... (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इतना था... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शास्त्रीनगर में कब्जे कब हुए । माननीय मंत्रीजी जरा जवाब देंगे । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वर्षों से कब्जे हटाने के लिए....(व्यवधान)

(12.00)

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(एक माननीय सदस्य)

वर्षों के कब्जे हटाने के लिए जरूर थोड़ा-बहुत प्रयास हुआ। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी पर आरोप लगाया जाय तो उसके बारे में नोटिस देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आओ, ले जाओ, लूटो....(व्यवधान)....वक्फ की संपत्ति को खा जाओ कोई आपको नहीं पूछेगा, यह चलने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और जो इस सदन का सदस्य नहीं है....(व्यवधान).... उसके बारे में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता।....(व्यवधान)....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : केवल दो महीने की सरकार और चला लो उसके बाद नाकों से निकाला जायेगा।....(व्यवधान).... आपकी नाकों से निकाला जायेगा।.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां पर उच्च परम्पराएं रही हैं। इस प्रकार की उच्च परम्पराएं इस राजस्थान विधान सभा में....(व्यवधान)....

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, आप इसको वैसे ही पोस्ट-पोन....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति
श्री रामदयाल उपाध्याय, पूर्व सदस्य (प्रथम विधान सभा) के निधन पर

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर मुझे खेद है कि इसी सदन के पूर्व विधायक श्री रामदयाल उपाध्याय का निधन 22 मई, 1998 को हो गया।

श्री उपाध्याय जब इस सदन के सदस्य थे तो जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को बहुत जोर-शोर के साथ रखते थे।

उनकी रुचि सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के साथ-साथ संगीत,कविता, स्वाध्याय और कृषि में भी थी।

मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उनके निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के लोगों को धैर्य प्रदान करे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शोकाभिव्यक्ति का जो प्रस्ताव उप मुख्य मत्रीजी ने प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामदयाल उपाध्याय पहली विधान सभा के सदस्य थे। जहाजपुर से निर्वाचित होकर आये थे, भीलवाड़ा जिले से। अपने यहां पर प्रथम विधान सभा के कार्यकाल में जो काश्तकारी कानून बने, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, उनके बिल्स पर यहां पर कई सिटिंग्स हुई थीं, टिनेन्सी एक्ट की तो मैं समझता हूं

(श्री परसराम मदेरणा)

शायद 50 सिटिंग्स हुई थीं, उसमें उनकी विशेष रुचि थी और वे काश्तकारी कानून के अच्छे ज्ञाता थे। ज्ञाता होने के साथ ही साथ बहुत ही सादगी पसंद और गरीबों के हितैषी थे। उस वक्त जो काश्तकार लोग टिनेन्सी राइट्स एक होने के लिए कभी भी उनके पास गये और गरीब आदमी थे तो उन्होंने बिना फीस लिये हुए हमेशा गरीब की मदद की। वे एडवोकेट थे, जहाजपुर के प्रथम एडवोकेट थे।

ऐसा व्यक्ति, गरीबों का हितैषी, काश्तकारी कानून के अन्तर्गत उन्होंने अपनी एक ख्याति प्राप्त की और उनका इस विधान सभा में भी इन कानूनों के निर्माण में योगदान रहा।

मैं दिवंगत आत्मा को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामदयालजी उपाध्याय जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम विधान सभा में निर्दलीय सदस्य थे।

वे उस क्षेत्र के पहले एल.एल.बी. करके आये हुए एडवोकेट, नौजवान, उत्साही कार्यकर्ता थे। उस समय के सारे कार्यकर्ताओं ने मिल कर उस व्यक्ति का जनसेवा में समर्पित होने के लिए आह्वान किया और उसके बाद वे प्रथम विधान सभा में जहाजपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र से 46 99 प्रतिशत वोट प्राप्त करके निर्वाचित हुए थे। निर्वाचन के बाद उन गांवों के क्षेत्रों के विकास की जितनी समस्याएं होती थीं, विशेष तौर से वे राजस्व कानून में हमेशा दिलचस्पी लेते थे। वे ऐसे एडवोकेट थे कि गरीबों के रहनुमा के रूप में पहचाने जाते थे, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा हो वो दे दे तो ले ले, नहीं दे तो नही ले और इस तरह वे गरीबों की हमेशा पैरवी करते रहे।

कुचलवाड़ाकलां, देवली, टौंक और बूंदी की सीमा पर उनका गांव था। एक छोटे-से गांव में एक पोस्टमैन के घर से पैदा होकर उस व्यक्ति ने राजनीतिक क्षेत्र मे, सामाजिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 16 मई को मेरी माता का देहांत हुआ था, 19 मई को वे बैठने आये और घंटे भर तक कई लोगों के साथ चर्चा की और 22 मई को न्यायालय से अपनी पेशियां करके एस.डी.ओ. साहब से मिलकर घर गये। घर जाते ही उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होते ही तत्काल अस्पताल लाया गया और वहीं उनका देहांत हो गया। जब एस. डी ओ. साहब ने पहली सूचना मुझे दी कि आज उनका देहांत हो गया, तो मैं खुद स्तब्ध रह गया कि परसों तो अपने से खूब बात करके गये थे और ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा।

मैं हमारे सब दलों की ओर से, जिस व्यक्ति की हमारे इलाके में इतनी सेवाएं रहीं, अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्वर्गस्थ आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री रामदयाल उपाध्याय के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना व्यक्त की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

पूर्व विधायक श्री रामदयाल उपाध्याय का जन्म 15 जून, 1925 को भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में हुआ। आपने बी. ए., एल. एल. बी. की उपाधि प्राप्त की।

आप प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1952 में जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के साथ-साथ संगीत, कविता, स्वाध्याय और कृषि में रुचि रखने वाले श्री उपाध्याय अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तर सक्रिय रहे। जन-साधारण में चेतना जागृत करने के लिए भी आप सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री रामदयाल उपाध्याय का दिनांक 22 मई, 1998 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री उपाध्याय को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

कच्ची बस्ती संजयनगर (जयपुर) का अन्यत्र स्थानान्तरण

84. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुरानी चुंगी चौकी, अजमेर रोड से 80 फीट रोड ही चित्रकूट योजना का मुख्य मार्ग है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त 80 फीट रोड पर रह रहे संजय नगर कच्ची बस्ती वासियों को अन्यत्र बसाकर इस सड़क को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में भी दो बार जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा उक्त सड़क बनाने के लिए निविदाएं

(श्री रामेश्वर लाल भाटी)

आमंत्रित की गयी थीं ? यदि हां, तो कार्य पूर्ण नहीं करवाये जाने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या सरकार अब उक्त परिवारों को अन्यत्र बसाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। पुरानी चुंगी चौकी, अजमेर रोड से 80 फीट चौड़ी सड़क सैक्टर नं. 2 के नक्शे में प्रस्तावित है, जिसके कुछ भाग में संजय नगर कच्ची बस्ती बसी हुई है। यह सड़क चित्रकूट योजना के 4 मुख्य मार्गों में से एक है।

(2) कच्ची बस्तियों के प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने बाबत इन लोगों से विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।

(3) माह मई, 1992 सड़क का कार्य मैसर्स नेशनल बिल्डर्स से कराये जाने का आदेश क्रमांक 435 दिनांक 16-5-92 द्वारा जारी किया गया था, परन्तु सड़क के काफी हिस्से पर मकानात बने होने के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका।

(4) इस बाबत प्रभावित परिवारों से विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।

तहसील उनियारा में कास्टोडियन एवं सीलिंग भूमि आवंटन प्रकरण

87. श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : क्या सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील उनियारा (टौंक) में कस्टोडियन कितनी भूमि कहां-कहां है एवं उससे कितनी आय किस-किस प्रकार से होती है ?

(2) क्या वह आय तहसील में जमा होती है ?

(3) तहसील उनियारा में सीलिंग भूमि कितनी कहां-कहां पर है ? उक्त तहसील में उपलब्ध उक्त भूमि में से कितनों को भूमि आबंटित कर दी गयी है और कितनी आबंटित की जानी शेष है ?

(4) अब तक उक्त भूमि आबंटित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक उक्त आबंटन कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) तहसील उनियारा के ग्राम सआदत-नगर में कस्टोडियन विभाग के नाम कुल किता-18 रकबा 15.47 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि से किसी प्रकार की आय सरकार को प्राप्त नहीं होती है।

(2) आय होती ही नहीं।

(3) तहसील उनियारा में 35 ग्रामों में सीलिंग कानून के तहत कुल 4837 एकड़ भूमि अवाप्त की गयी है। उक्त अवाप्त सीलिंग भूमि में से 722 व्यक्तियों को 2155 एकड़ भूमि कृषि हेतु तथा 1914 एकड़ भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर, कुल 4069 एकड़ भूमि आबंटित की जा चुकी है। अब 768 एकड़ भूमि आबंटन से शेष है।

(राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास)

(4) आबंटन से शेष कुल 768 एकड़ भूमि में से 373 एकड़ भूमि पर तहसीलदार स्तर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-15 एवं 19 के अन्तर्गत खातेदारी देने, 146 एकड़ भूमि पर राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रियों के आधार पर खातेदारी देने, 25 एकड़ भूमि पर न्यायालय जिला कलक्टर का स्थगन आदेश जारी होने 118 एकड़ भूमि नगरपालिका उनियारा की सीमा में स्थित होने एवं 88 एकड़ भूमि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सीलिंग सिवायचक के स्थान पर सिवायचक दर्ज कर दिये जाने के कारण इस प्रकार कुल 750 एकड़ भूमि आबंटित नहीं की जा सकी है। इस प्रकार शुद्ध 18 एकड़ भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध है, जिसे शीघ्र आबंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

सरगम टाकीज (मकराना) से मनोरंजन कर की वसूली

88. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत जुसरी क्षेत्र में सरगम टाकीज स्थित है ? यदि हां, तो इसका प्रदर्शन कब से चालू है।

(2) उक्त टाकीज के शुरू होने से 1 मार्च, 1998 तक प्रति वर्ष मनोरंजन कर के रूप में कितनी आय प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त टाकीज से 1957 के अधिनियम की धारा 6 (3) ए के तहत मनोरंजन कर लिया जा रहा है, जिससे पंचायत समिति मकराना को प्रति वर्ष घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो कितना ?

(4) क्या सरकार उक्त टाकीज को 1957 के अधिनियम की धारा 6 (3) ए के तहत बनी हुई योजना का लाभ न देकर 1957 के अधिनियम के अन्तर्गत मनोरंजन कर लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सरगम टाकीज का प्रदर्शन 4 मार्च, 1986 से चालू है।

(2) इस टाकीज का प्रदर्शन 4 मार्च, 1986 से प्रारंभ हुआ तथा 1 अप्रेल, 1987 से पंचायत समिति, मकराना ने निम्न अनुसार मनोरंजन कर प्राप्त किया है :—

1-4-87 से 31-3-88	21000/- रु.
1-4-88 से 31-3-89	26000/- ,,
1-4-89 से 31-3-90	31000/- ,,
1-4-90 से 31-3-91	31000/- ,,
1-4-91 से 31-3-92	36500/- ,,
1-4-92 से 31-3-93	45000/- ,,
1-4-93 से 31-3-94	67500/- ,,
1-4-94 से 31-3-95	82350/- ,,
1-4-95 से 31-3-96	95000/- ,,
1-4-96 से 31-3-97	105000/- ,,
1-4-97 से 31-3-98	115000/- ,,
	655350/- रु.

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

(3) राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम के सम्बन्ध में राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ 4 (19) एफ. डी./जी. ग्रार.-4/82-4 दिनांक 1-12-82 के अनुसार प्रथम वर्ष में मनोरंजन कर में शत-प्रतिशत छूट दी गयी है। सरगम टाकीज पंचायत क्षेत्र झुसरी के एरिया में ग्राता है। ग्रत: राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद ग्रधिनियम की धारा 5 खण्ड (1) एवं राज्य सरकार की ग्रधिसूचना जो राजस्थान राज-पत्र भाग 4 दिनांक 3-11-59 के द्वारा धारा 19-क-संशोधन के ग्रनुसार मनोरंजन कर हेतु पंचायत समिति को ग्रधिकार प्रदत्त किये गये हैं, के ग्रनुसरण में पंचायत समिति द्वारा मनोरंजन कर की राशि प्रथम वर्ष कम्पाऊन्ड ग्राधार पर 21000/- रुपये निर्धारित की गयी इसके पश्चात् पंचायत की वित्त कर प्रशासन स्थायी समिति द्वारा समय-समय पर उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के ग्रनुसार बढ़ोतरी की गयी। पंचायत समिति को किसी प्रकार के घाटे की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

(4) चूंकि सिनेमा पंचायत समिति के के ग्रधीन क्षेत्र में है एवं पंचायत समिति एक स्वायत्त शाषी संस्था है, वह धारा 6 (3) ए के तहत निर्णय लेने हेतु सक्षम है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां

114. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरण-सर) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सांख्यिकी विभागीय कर्मचारी संघ द्वारा वित्त ग्रायोग की वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में सरकार को दिनांक 22 मई, 1998 को ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में वर्णित वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी, नहीं। सांख्यिकी विभागीय कर्मचारी सघ की ग्रोर से राज्य सरकार को दिनांक 22-5-1998 को वित्त ग्रायोग की वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुग्रा है।

राजकीय अधिकारियों को वाहन भत्ता प्रकरण

115. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्त विशेषज्ञों की राय के अनुमार सरकार ग्रधिकारियों को देय वाहन सुविधा के स्थान पर वाहन भत्ता दिये जाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त राय सरकार को कब प्राप्त हुई ग्रौर उस पर ग्रब तक क्या कार्यवाही की गयी ? राय की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा यह ग्रांकलन किया गया है, कि वाहन सुविधा के स्थान पर वाहन भत्ता देने से राज्य कोष में बचत होगी ? यदि हां, तो कितनी राशि की ? यदि उक्त आंकलन नहीं करवाया गया तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य के वित्तीय संशाधनों की वृद्धि सम्बन्धी सेमीनार में उपस्थित विशेषज्ञों की राय राज्य सरकार को जून, 1998 में प्राप्त हुई। शासन ने सिद्धान्तः राय के अनुसार स्टाफ कार व्यवस्था में सुधार करने का मानस बनाया है। तदनुसार बजट भाषण में कानून व्यवस्था तथा अन्य ऐसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जहां राजकीय वाहनों का उपयोग आवश्यक है, अन्य क्षेत्रों में राजकीय वाहन आवंटित करने की व्यवस्था को समाप्त कर उसके बदले एक वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने पर विचार करने की घोषणा की गयी है। विशेषज्ञों द्वारा दी गयी तत्सम्बन्धी राय की अंश प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। लगभग 65 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

राज्य पर सार्वजनिक ऋण और देनदारियां

116. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य पर सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां वर्ष 1990 से पूर्व में कितनी थी और 1990 से 1998 तक देनदारियां कितनी हुई हैं ?

(2) उक्त देनदारियों पर प्रतिदित कितनी राशि ब्याज के रूप में देनी होती है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार पर प्रति व्यक्ति और अन्य देनदारियां "नान स्पेशल केटेगिरी स्टेट्स" में सबसे अधिक है ? यदि हां, तो कितनी ? अन्य प्रदेशों सहित तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्त लेखे 1989-90 के अनुसार 31 मार्च, 1990 को राज्य पर 4382.95 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण एवं 1744.16 करोड़ रुपये की अन्य देनदारियां थीं। आय व्ययक अनुमान 1997-98 के अनुसार 31 मार्च, 1998 को राज्य पर कुल सार्वजनिक ऋण 12144.70 करोड़ रुपये एवं अन्य देनदारियां 4265.30 करोड़ रुपये थीं।

(2) उक्त देनदारियों पर आय-व्ययक अनुमान 1997-98 के अनुसार प्रतिदिन 5.11 करोड़ रुपये ब्याज देय होता है।

(3) जी, नहीं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ऑन करेंसी एण्ड फाइनेंन्स 1996-97 के अनुसार राज्य सरकार पर प्रति व्यक्ति देनदारियां 3729.04 रुपये हैं जो "नॉन स्पेशल केटेगिरी स्टेट्स" में सबसे अधिक नहीं है। विवरण सलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

काटली नदी (झुन्झुनूं) क्षेत्र की बजरी का ठेका प्रकरण पर बिक्री कर

117. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शिवनाथ सिंह)

(1) जिला झुन्झुनूं-सीकर होकर बहने वाली काटली नदी क्षेत्र की बजरी पर तथा तहसील उदयपुरवाटी के अन्य क्षेत्रो में से उठाई जाने वाली बजरी पर लगने वाले बिक्री कर का ठेका वर्ष 1998-99 के लिए किसको कितनी राशि का दिया गया है ?

(2) बजरी पर बिक्री कर वसूली की दर क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि एक ट्रक में नौ टन बजरी क्षमता पर ही बिक्री कर लिया जाना न्याय संगत है ?

(4) कानूनन भार क्षमता के आधार पर एक ट्रक पर कितना कर लिया जाना उचित है ?

उत्तर

(1) कोटड़ी नदी क्षेत्र तथा उदरपुर वाटी क्षेत्र से उठाई जाने वाली बजरी वर्ष 1998-99 में ठेका राजस्व जिला सीकर एवं राजस्व जिला झुन्झुनूं पर बजरी व चुनाई पत्थर (विभागीय प्रक्रिया अनुसार एक साथ ठेका आवंटित किया गया) का ठेका रुपये 2,47,01,157/- अधिसूचना क्रमांक प. 29 (6) उपा /एई / सीपी/97/ 646 दिनांक 18-6-98 के द्वारा दिया गया है । यह ठेका श्री किशन सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह मुकाम पो. पूरणपुरा वाया लोसल, सीकर को दिया गया है ।

(2) बजरी पर बिक्री की वसूली दर शर्तों के अनुसार रुपये 10/- प्रति टन रखी गई है ।

(3) बजरी पर बिक्री कर की वसूली 10/- रुपये प्रति टन के हिसाब से है, भराव क्षमता पर नहीं ।

(4) रुपये 10/- प्रति टन बजरी पर बिक्री कर वसूल किया जाता है । ट्रक में जितना माल होगा उसी हिसाब से वसूल होगा । ट्रक की कानूनन भार क्षमता परिवहन विभाग तय करता है ।

पशुपालन तथा आयुर्वेद कर्मियों को संशोधित वेतनमान

118. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मई, 1998 में सरकार द्वारा पशुपालन व आयुर्वेद कर्मियों के वेतनमान पुनः संशोधित किये गये हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इन आदेशों द्वारा उच्चतर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को विशेष वेतन वृद्धि के लाभ को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में चिकित्सा, शिक्षा, विभिन्न अभियांत्रिकी तथा कुछ अन्य विभागों में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मियों को विशेष वेतन वृद्धि का लाभ यथावत् दिया जा रहा है ? यदि हां, तो मात्र पशुपालन व आयुर्वेद कर्मियों को इस लाभ से वंचित किये जाने का क्या औचित्य है ?

(श्री गिर्राजकिशोर सनाढ्य)

(4) क्या सरकार पशुपालन व आयुर्वेद कर्मियों को उच्चतर शैक्षणिक योग्यता होने पर विशेष वेतन वृद्धि का लाभ पुनः स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रतियां सलग्न है।

(2) पशुपालन कर्मियों व आयुर्वेद कर्मियों के वेतनमान उनकी मांग पर केन्द्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप किये गये हैं। केन्द्र सरकार में उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों को कोई विशेष वेतनवृद्धि देय नहीं है। अतः तदनुरूप स्वतः ही विशेष वेतन वृद्धि का लाभ उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार देना सम्भव नहीं है।

(3) पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण इन विभागों के वेतनमान को स्केल टू स्केल संशोधित किया गया है किन्तु पशुपालन एव आयुर्वेद कर्मियों के उच्च वेतनमान बाबत पांचवें आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन विभागों में विशेष वेतन वृद्धि नहीं दी गयी है।

(4) जी, नहीं।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

करौली एवं सवाईमाधोपुर में अधिकृत शराब की दुकानें

119. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) करौली एवं सवाई माधोपुर जिले में मदिरा की अधिकृत कितनी दुकानें सचालित हैं ? अधिकृत दुकानों की सूची गांव व मोहल्ला सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में अवैध शराब की दुकानों के सम्बन्ध में शिकायत किन-किनके द्वारा कब-कब की गयी है और उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) करौली एवं सवाई माधोपुर जिले में अधिकृत दुकानों की सूची परिशिष्ट-"अ" अनुसार सलग्न है।

(2) अवैध शराब की दुकानों बाबत शिकायत श्री मोतीलाल मीणा (पूर्व विधायक) अध्यक्ष, सवाई माधोपुर भूमि विकास बैंक लि. सवाई माधोपुर द्वारा 18-9-98 को की गयी जो वित्त विभाग के पत्र दिनांक 16-10-97 से इस कार्यालय को प्राप्त हुई। इसी प्रकार एक अन्य शिकायत प्रधान. पंचायत समिति खण्डार जिला सवाईमाधोपुर द्वारा क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री की रोकथाम में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के बारे में 24-11-97 को की गयी जो वित्त विभाग के पत्र दिनांक 3-1-98 से इस कार्यालय को प्राप्त हुई। इन दोनों शिकायतों को जिला आबकारी अधिकारी, सवाई माधोपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी जिस पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिकारी धावों का आयोजन कर अवैध शराब बिक्री की रोकथाम की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सवाई माधोपुर द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को पत्र दिनांक 3-5-97 को एक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिसमें सवाई माधोपुर जिले में शराब की अवैध दुकानों के संचालन नहीं होना माना है। दिनांक 7-6-97 से 11-6-97 तक पुलिस की सहायता से विशेष धावे आयोजित किये गये जिसमें 9 अभियोग पंजीकृत हुए एवं 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तथा 29 बोतल नाजायज शराब जब्त की गयी। इसी प्रकार 3-6-98 से 7-6-98 तक पुलिस के सहयोग से आबकारी धावों का आयोजन किया गया जिसमें 9 अभियोग पंजीकृत किये गये एवं 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर 32 बोतल नाजायज शराब जब्त की गयी। अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों एवं प्रहराधिकारियों को नियमित रूप से रेड/गश्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गंगानगर जिले में देशी शराब एवं पोस्त की अवैध बिक्री

120. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मई, 1998 में सरकार द्वारा श्री गंगानगर जिले में अवैध देशी शराब व पोस्त पकड़ने का अभियान चलाया गया था ?

(2) इस अभियान के दौरान कितनी शराब व पोस्त पकड़ी गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान के दौरान कितने मामले सरकार के विचाराधीन है तथा कितने मामलों में चालान पेश कर दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार देशी शराब व पोस्त की बढ़ती तस्करी पर रोकथाम हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नाजायज देशी शराब व पोस्त पकड़ना विभाग का नियमित कार्य है। मई माह में भी नियमित धावे आयोजित किये गये थे।

(2) माह मई में धावों के दौरान निम्न मात्रा में बरामदगी हुई थी :—

1. 1775 अनधिकृत पाउच देशी मदिरा (मात्रा प्रति पाउच 200 ग्राम)
2. 48 बोतल अनधिकृत बीयर
3. 26.5 किलो अनधिकृत पोस्त

(3) श्री गंगानगर जिले में लंबमान अभियोगों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1 मई,98 तक शेष	मई 98 में पंजीकृत	योग	चालान	शेष
251	28	279	46	233

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

(4) विभाग द्वारा देशी शराब व पोस्त बढ़ती तस्करी पर प्रभावी रोकथाम हेतु विभाग की निरोधक दल शाखा द्वारा समय-समय पर आबकारी धावों का आयोजन कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-121

(स्थगित)

नगर परिषद पाली का पट्टा प्रकरण

122. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् पाली ने चक नं. 2 में खसरा न. 1520/1 में पट्टे जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उन पट्टों को बाद में निरस्त कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि पट्टे निरस्त करने के बावजूद भी भूमि का कब्जा वापस कृषक को नहीं सौंपा गया, तथा वहां निरस्त पट्टाधारी व्यक्ति ही काबिज है ? क्या नगर परिषद् इस भूमि का कब्जा काश्तकार को दिलवाने का विचार रखती है ? क्या सरकार इस भूमि को अधिगृहीत कर इस भूमि का मुआवजा काश्तकार को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली के चक नं. 2 के खसरा नं. 1520/1 में पट्टे जारी किये थे। उक्त पट्टों के निरस्तीकरण आदेश तत्कालीन प्रशासन द्वारा जारी किये गये थे जो सक्षम नहीं थे। राज्य सरकार मामले की जांच कर अग्रिम कार्यवाही करेगी।

(2) जारी किये गये पट्टों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही प्रश्न के भाग सं. 2 के सम्बन्ध समुचित कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

नगरपालिका लाडनूं में चुंगी चौकियों पर कार्यरत नाका गार्डों का निलम्ब प्रकरण

123. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिकाओं में चुंगी चौकियों पर कार्यरत नाका गार्डों की नियुक्ति किसके द्वारा किस प्रकार से की जाती है ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने व निलम्बन करने का अधिकार किसको तथा किस नियम के तहत हैं ? नियमों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर में कार्यरत एक गार्ड को दिनांक 17 अप्रेल, 1998 को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किस कारण ? निलम्बन आदेश की प्रति आरोप पत्र की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका में कार्यरत नाकागार्डों की नियुक्ति राजस्थान नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 1964 के नियम 10 के तहत सीधी भर्ती द्वारा चयन प्रक्रिया से बोर्ड के आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा की जाती है। विवरण नियमों की प्रति के साथ संलग्न है।

(2) उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने व निलम्बन करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 1964 के नियम 15 (3) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राजस्थान असैनिक वर्गीकरण एवं अपील, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद्/निगम/पालिका को है। नियमों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। अधिशासी अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 160 दिनांक 17-4-98 के द्वारा चुंगी रसीद जारी नहीं करने के प्रकरण में निलम्बित किया गया था। आरोप पत्र तथा निलम्बन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कचरा बस्ती जयपुर के सर्वधारी व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटन

124. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 में कचरा बस्ती, जयपुर में नगर निगम जयपुर द्वारा पूर्व आवंटन में शेष रहे व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो आवंटित व्यक्तियों के नाम, भू-खण्ड संख्या तथा क्षेत्रफल सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्ड वर्ष 1981 में शेष रहे सर्वधारी उन्हीं व्यक्तियों को ही आवंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कितने व्यक्ति हैं जिन्हें भू-खण्ड आवंटित किया जाना शेष है ? नाम व कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भू-खण्ड संख्या 107 व 108 पूर्व में ही आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो किन-किनको ? आवंटन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बस्ती में भू-खण्ड आवंटन में एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(5) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है, जिन्होंने भू-खण्ड आवंटन में समान प्रकरणों में अलग-अलग मानदण्ड अपनाये हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1997 में कचरा बस्ती, जयपुर में 1981 के शेष रहे सर्वधारियों को भूखण्ड आबंटित किये गये हैं, आबंटियों के नाम, भूखण्ड सख्या एवं क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। अब शेष 54 व्यक्ति हैं, जिन्हें भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। भूखण्ड सं. 107 व 108 क्रमश: श्री जहूर पुत्र अली व श्री रामू पुत्र हरिदेव को आबंटित किये गये हैं, आबंटन पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही सन् 1971 व 1981 के सर्वे के आधार पर कच्ची बस्ती नियमन नियमों के अन्तर्गत किया गया है।

(5) जी, हां। इस मामले की जांच कर समुचित कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्याधर नगर, जयपुर में रोड लाइट्स की व्यवस्था

125. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर जयपुर की सड़कों पर पर्याप्त रोड लाइटें लगी हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विद्याधर नगर के पापड़वाले हनुमानजी से सीकर रोड को जोड़ने वाले अन्तिम सड़क मार्ग पर रोड लाइटें लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर क्षेत्र के विकसित सैक्टर नं. 1 से 10 में मुख्य मार्गों पर सार्वजनिक लाइटें लगी हुई हैं केवल सैक्टर-1 के कुछ भाग चाणक्य मार्ग, कौटिल्य मार्ग एवं विश्वेसरैया मार्ग पर सोडियम लाइटें लगनी शेष हैं। इन मार्गों पर सोडियम लाइटें लगाने का कार्य प्रस्तावित है।

(2) पापड़वाले हनुमानजी के मन्दिर को सीकर रोड तक जोड़ने वाली सड़क पर विद्याधर नगर स्कीम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़क पर ही रोड लाइट मार्च, 1999 तक लगाया जाना प्रस्तावित है। स्कीम क्षेत्र से बाहर रोड लाइट लगाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आगरा रोड पर सोडियम लाइटें

126. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के सभी मुख्य सड़क मार्गों पर सोडियम लाइटें लगी हुई हैं?

(श्री हीरालाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि आगरा रोड पर खानिया से आगे रोड लाइट नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार आगरा रोड पर खानिया से पालड़ी मीणा तक सोडियम लाइट लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। उपलब्ध संशाधनों के अनुरूप प्राधिकरण विकासशील क्षेत्रों में रोड लाइटें लगाने हेतु प्रयासरत है।

(3) प्राधिकरण में आगरा रोड पर खानिया से पालड़ी मीणा तक सोडियम लाइटें लगाने का कार्य प्राधिकरण के उपलब्ध संशाधनों पर निर्भर करता है।

मालवीय नगर जयपुर में भू-खण्डों पर नियम विरुद्ध निर्माण

127. **श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मालवीय नगर जयपुर स्थित प्लाट नं. बी–428 से बी–438 किस-किस व्यक्ति के नाम कब-कब आवंटित/बेचान किया गया था ? इस सम्बन्ध में जारी दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्डों पर निर्माण कार्य हेतु नगर विकास न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र अनुमोदित किये हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस प्लाट के कब-कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्डों पर पास शुदा नक्शों के प्रतिकूल भवन निर्माण कार्य किया गया है एवं सेटबैक भी नहीं छोड़े गये जिससे वहां के आस–पास के मकानों की हवा–रोशनी प्रभावित हो रही है ?

(4) सरकार द्वारा उक्त भू-खण्डों पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अब मालवीय नगर जयपुर स्थित प्लाट न. बी-428 से बी-434 में हुए अवैध निर्माण कार्यों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राधिकरण द्वारा जिन भू-खण्ड स्वामियों को आवंटन पत्र जारी किया है। आवंटित भू-खण्ड स्वामियों के नाम/आवंटन दिनांक/निर्माण स्वीकृति दिनांक एवं मौके की स्थिति का विवरण सूची संलग्न है।

(2) प्राधिकरण द्वारा जिन प्लाटों के मानचित्र स्वीकृत/स्वीकृति पत्र जारी किया है उनका विवरण उपरोक्त सूची में वर्णित है।

(3) जी, हां। भू-खण्ड संख्या बी-430 को छोड़कर सभी भू-स्वामियों द्वारा सैटबैक में निर्माण कर लिया गया है जिसके कारण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

आस-पास के मकानों की हवा रोशनी प्रभावित हुई हैं। भू-खण्ड संख्या बी–430 मौके पर रिक्त है।

(4) अवैध निर्माणकर्त्ताओं को धारा-32 जविप्रा अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस तथा कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(5) प्राधिकरण द्वारा भू-खण्ड सं. बी-428, बी-429, बी-431 से 438 तक के अवैध निर्माणकर्त्ताओं को जविप्रा अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस धारा 32 के दिये जाकर कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ढाणियों हेतु पेयजल

128. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996 से 1998 के दौरान विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौनसी योजना स्वीकृत की गयी तथा कौन-कौनसी कब-कब से विचाराधीन है और इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा ?

(2) ढाणियों में पानी पहुंचाने के लिए वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कौनसी योजना चालू है ? इनसे कौन-कौन से गांवों को जोड़ा गया है ? क्या उक्त योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा ?

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम नागर शेरपुर में टंकी के निर्माण हुए कितने वर्ष हो गये हैं ? क्या इसको अब तक पानी से भरा गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक भर दिया जायेगा ?

(4) क्या सरकार उक्त ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 से 1998 के दौरान विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प योजनाएं स्वीकृत की गयीं। वर्ष 1996-97 में 98 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये व वर्ष 1997-98 में 21 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये। विवरण परिशिष्ट "अ" पर है। वर्तमान में ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना परिशिष्ट "ब" पर है।

(3) ग्राम नांगल शेरपुर की टंकी का निर्माण वर्ष 1992-93 में हुआ है। नांगल शेरपुर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना घाटरा-बरेडी का अन्तिम छोर का ग्राम है। स्रोत में पानी की कमी के कारण टंकी को अब तक नहीं भरा जा सका है। क्षेत्रीय जलयोजना घाटरा-बरेडी (नांगल शेरपुर) के संवर्धन प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया में है शीघ्र स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) उपरोक्त 3 के अनुसार।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम गोपिया (सीकर) हेतु पेयजल व्यवस्था

129. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का-थाना) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व ग्राम गोपिया, तहसील नीमकाथाना (सीकर) में दूषित पानी पीने से हैजे का भयंकर प्रकोप हुआ और सैकड़ों व्यक्ति बीमार हो गए ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की महामारी की रोकथाम हेतु कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलेक्टर, सीकर ने ग्रामवासियों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने हेतु आश्वस्त किया था ? यदि हां, तो अब तक क्या व्यवस्था की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस ग्राम गोपिया में सांसद कोटे से ट्यूब वैल बनवाया गया है ? यदि हां, तो इस ट्यूब वैल से पाइप लाइन डाल कर कब तक पानी की आपूर्ति कर दी जायेगी।

उत्तर

(1) दो वर्ष पूर्व ग्राम गोपिया में दूषित पानी के कारण हैजे के प्रकोप के बारे में कार्यालय रिकार्ड के आधार पर ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) जी, नहीं। यह ग्राम हैण्डपम्प से लाभान्वित है, जहां 12 हैण्डपम्प कार्यरत है।

(3) जी, हां। नलकूप को चालू करने के कार्य से जुड़े पाइप लाइन एवं अन्य प्रावधानों की डी.आर.डी.ए. द्वारा योजना की पूर्ण राशि रुपये 3.34 लाख देने पर तथा ग्राम पंचायत द्वारा जे आर.वाई. संधारण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही नलकूप से पेयजल उपलब्ध करवाना सम्भव हो सकेगा।

तहसील सरदारशहर के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

130. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार-शहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील सरदारशहर के समस्या-ग्रस्त ग्रामों में किस-किस कार्य की क्या-क्या स्थिति है ? उक्त गांवों की समस्याओं के निराकरण हेतु कौन-कौन से कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया था और उनमें से कितने कार्य प्रगति पर है, कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने कार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील सरदारशहर में खुले कुओं में बोरिंग, कुओं की मरम्मत, जी.एल.आर. का निर्माण, पाइप लाइन बिछाना, नये पम्प सैट लगाना, नये नलकूपों का निर्माण, खुले कुओं का निर्माण इत्यादि कार्यों में से कौन से कार्य किस-किस स्थिति में हैं ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील सरदारशहर में जो कार्य शुरू नहीं हुए उन्हें शुरू नहीं कराने के क्या

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कारण रहे एवं इन कार्यों को अब कब तक शुरू करवा कर पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील में 38 कुओं की बोरिंग की स्वीकृति जारी की जा चुकी है ? क्या उक्त कुओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य अब कब तक करा दिये जाएंगे ? बोरिंग शुदा ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) तहसील सरदारशहर में कुओं की मरम्मत एवं कुओं में मोटर व पाइप लगा कर जलापूर्ति कब तक कर दी जाएगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) तहसील सरदारशहर में 168 ग्राम हैं, यह सभी ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हैं । इनमें से 95 ग्रामों में संवर्धन योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं तथा 5 ग्रामों में योजना बनाकर स्वीकृत किया जाना शेष है । स्वीकृत कार्यों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-"अ" पर है । जिन कार्यों की स्वीकृति अभी तक शेष है, उनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट-"ब" पर है ।

(2) विवरण परिशिष्ट-"अ" पर है ।

(3) विवरण परिशिष्ट-"अ" पर है ।

(4) जी, हां । कार्य के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-"स" पर है तथा जिन कुओं में बोरिंग की जा चुकी है उसकी सूची परिशिष्ट-"द" पर है ।

(5) विवरण परिशिष्ट-"अ" पर है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर के गांवों में फ्लोराइड युक्त पेयजल समस्या

131. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर के कितने गांवों में फ्लोराइड के कारण पेयजल की समस्या है ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मकराना में फ्लोराइड जल समस्या हल करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान में 200 ग्रामों में 3 पी.पी.एम. से अधिक फ्लोराइड-युक्त पेयजल वितरित किया जा रहा है । विधान सभा क्षेत्रवार 3 पी. पी. एम. से अधिक फ्लोराइड की समस्या वाले ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर है ।

(2) जी, हां । वर्तमान में मकराना विधान सभा क्षेत्र के 9 ग्रामों में अधिक फ्लोराइड के कारण पेयजल की समस्या है । इन ग्रामों को विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान नलकूप बनाकर पेयजल स्रोत का चयन कर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लिया गया है तथा अब योजना बनाई जा रही है। तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार स्वीकृति सम्भव हो सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

कामां क्षेत्र के ग्रामों की पेयजल योजना

132. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कामां क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जिनकी पेयजल योजना सरकार के विचाराधीन है ? चालू वित्तीय वर्ष में सरकार किन-किन गांवों में पेयजल व्यवस्था कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

कामां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99 में 40 गांवों में पेयजल योजना स्वीकृत की गयी है, उनका विवरण परिशिष्ट-"एक" पर है। इन योजनाओं को वर्ष 98–99 में पूर्ण कर सभी 40 गांवों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

सार्वजनिक वितरण प्रणालो के तहत उपलब्ध उचित मूल्य को वस्तुएं

133. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार द्वारा ग्रामों तथा शहरों में कौन-कौनसी वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ?

उत्तर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण की समान व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नियंत्रित वस्तुओं गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर राशन कार्डधारियों को करवाया जाता है।

भीलवाड़ा में प्रस्तावित नई पंचायत समिति

134. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भीलवाड़ा जिले के ग्राम करेड़ा में नई पंचायत समिति के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम में नई पंचायत समिति की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1991 में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत एवं पंचीयत समिति

(५६)

(राज्य मंत्री, ग्रा. वि एवं पंचायती राज)

के पुर्नगठन के प्रस्ताव मांगे गये थे। किन्तु राज्य सरकार द्वारा पंचायतों का पुर्नगठन किया जाना ही उचित समझा अतः पंचायत समिति के पुर्नगठन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(2) जी, नहीं। उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति टोडारायसिंह (टोंक) में स्वीकृत सुलभ शौचालय

135. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

[redacted]. (1) गत दो वर्षों से पंचायत समिति टोडारायसिंह (टोंक) की कौन-कौनसी पचायतों में कितने-कितने सुलभ शौचालय स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति टोडारायसिंह में स्वीकृत सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाकर भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी राशि का कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सुलभ शौचालय के नाम से कोई योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित नहीं की जा रही है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत गत दो वर्षों में पंचायत समिति, टोडारायसिंह की पंचायतों में निर्मित करवाये गये शौचालयों (टूपिट लेटरीन) का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	निर्मित शौचालयों की संख्या	
		96-96	97-98
1.	पंवालिया	29	—
2.	मन्डियाकलां	1	—
3.	उनियारा खुर्द	1	—
4.	मोर	1	—
5.	हमीरपुर	28	21
6.	बावड़ी	—	4
7.	बोटून्दा	—	3
8.	कबरावास	—	2
	योग	60	30

(2) जी. हां। लाभार्थियों के भुगतान की सूची संलग्न है।

(सूची अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत जैतपुर के सरपंच का निलम्बन प्रकरण

136. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत जैतपुर को सरकार द्वारा दिनांक 20 मई, 1997 को निलम्बित किया गया है?

(श्री भीमसेन चौधरी)

(2) क्या अवर सचिव (जांच) ने राय प्रकट की है, कि उक्त सरपंच ने आरोप पत्र का जवाब नहीं दिया, अतः उसे निलम्बित किया जावे ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच ने अपने विरुद्ध लगाये गये समस्त आरोपों का मदवार प्रत्युत्तर समय पर दिया है, जो पत्रावली में मौजूद है ?

(4) क्या यह सही है कि सरपंच के प्रत्युत्तर से कोई वित्तीय अनियमितता साबित न होते हुए भी उक्त सरपंच को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि सरपंच के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुनः जांच की गई ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा ?

(6) क्या सरकार उस सरपंच को बहाल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, नहीं ।

(3) जी, नहीं ।

(4) जी, नहीं ।

(5) आरोपों को विस्तृत जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीकानेर से आदेश दिनांक 20-9-1997 के द्वारा कराई जा रही है ।

(6) विस्तृत जांच प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

ग्राम दुजाट (नागौर) में प्रस्तावित कन्या प्राथमिक विद्यालय

137. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार नवीन शिक्षा सत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो जिला नागौर में कहां-कहां ?

(2) क्या जिला नागौर में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? पंचायत समितिवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ग्राम दुजाट पंचायत समिति लाडनूं में गत वर्ष प्राथमिक विद्यालय खोलने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इस गांव में पूर्व में उच्च प्राथमिक विद्यालय है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय को कन्या प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित कर खोलने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । निर्धारित मापदण्ड में आने वाले विद्यालय विहीन गांवों/ढाणियों/

(राज्य मंत्री, ग्रा. वि एवं पंचायती राज)

मजरों में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे।

(2) जी, हां। जिला कलेक्टर, नागौर से 145 प्राथमिक विद्यालय खोलने के एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से 127 प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पंचायत समिति-वार गांवों के नामों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–1 व 2)

(3) जी, हां। विभागीय आदेश क्रमांक 1611 दिनांक 18-9-97 के द्वारा पंचायत समिति, लाडनूं के ग्राम दुजाट में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के आदेश जारी किये गये थे। ग्राम दुजाट में सत्र 1988-89 से उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर बालक-बालिका का अन्तर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः ग्राम दुजाट में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय को कन्या विद्यालय में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जयपुर की पंचायत समितियों के अयोग्य घोषित सरपंच

138. **श्री गोपीराम जाट (आमेर)**: क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले में किस-किस पंचायत के सरपंचों को वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक अयोग्य घोषित किया गया है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले की झोटवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पचार और समेल के सरपंचों को किस-किस आदेश से अयोग्य घोषित किया गया ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम पंचायत पचार और समेल के उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय अथवा सरकार के पास किसी प्रकार की अपील विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरपंच पचार और समेल के उप सरपंचों को सरपंच का कार्यभार दिलाने में विकास अधिकारी ने जान-बूझ कर विलम्ब किया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त दोनों सरपंचों के कार्यभार उप-सरपंचों को दिलाये जाने हेतु जिला परिषद को लिखित में दिये जाने पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो शिकायती पत्र एवं की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) अब उक्त दोनों सरपंचों से कार्यभार उप सरपंचों को कब तक दिला दिया जावेगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(राज्य मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज)

(2) आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) ग्राम पंचायत पचार के सरपंच श्री बंशीधर यादव को राज्य सरकार द्वारा अयोग्य घोषित किया गया, जिसके विरुद्ध एक अपील में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है। अपील लम्बित है। एक अन्य प्रकरण में उक्त सरपंच को पद रिक्त घोषित किये जाने के विरुद्ध ए. डी. जे. जयपुर क्रम सं. 8 द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किया गया। प्रकरण न्यायालय में लम्बित है।

सुमेल सरपंच के अयोग्यता के सम्बन्ध में अपील राज्य सरकार एवं न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(4) इस प्रश्न के भाग संख्या 3 में वर्णित कारणों से सरपंच पचार का चार्ज उप सरपंच को नहीं दिया जा सका।

सुमेल सरपंच का पद रिक्त घोषित करने की कार्यवाही रा. प. अधि. की धारा 39 (2) के अन्तर्गत जारी है। तद्उपरान्त चार्ज दिलाने की कार्यवाही की जावेगी।

(5) उक्त दोनों सरपंचों के चार्ज देने हेतु जिला परिषद में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। इन दोनों प्रकरणों में इस प्रश्न के भाग संख्या 3 व 4 में दी गयी कार्यवाही जारी है।

(6) सरपंच पचार के प्रकरणों माननीय न्यायालयों से निर्णय प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सरपंच सुमेल का पद रिक्त घोषित करने का नोटिस रा. प. अधि. 1994 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। शीघ्र ही निर्णयानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मावंड़ा खुर्द (सीकर) के विरुद्ध जांच प्रकरण

139. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मावंड़ा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध वर्ष 1997 में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायत की जांच मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, सीकर द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो कब व जांच के परिणाम क्या रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब व क्या और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक लगभग 25 वर्षों से उक्त विद्यालय में पदस्थापित है एवं जिसे जांच के पश्चात् अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाकर कुछ ही समय पश्चात् पुन: उक्त विद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण मावंड़ा खुर्द से अन्यत्र करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। शिकायत की प्रति संलग्न हैं। (परिशिष्ट–1)

(2) जी, हां। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र दिनांक 15-12-97 के साथ प्रथम जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद्, सीकर के द्वारा की गई जांच पर आधारित था। उस जांच रिपोर्ट में अध्यापक के पदस्थापन से सम्बन्धित पंचायत के सरपंच व मौजाज व्यक्तियों के बयान न लेकर दूसरी पंचायत के व्यक्तियों के बयान लेकर जांच रिपोर्ट तैयार की गयी थी। अत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वे पुन: जांच करें व उस पंचायत के सरपंच व मौजाज व्यक्तियों के भी बयान ले, जहां पर वह पदस्थापित है। इस निर्देश की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 3-2-98 द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट भेजी। प्रथम जांच रिपोर्ट में अध्यापक को दोषी पाया था व दूसरी जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि "शिकायत निराधार है। इनकी पत्नि के चुनाव लड़ने की वजह से यह शिकायत की गयी है।" दोनों जांच प्रतिवेदन संलग्न है (परिशिष्ट–2 व 3)

(3) यद्यपि दूसरी जांच रिपोर्ट में शिकायत निराधार पायी गयी थी, फिर भी चूंकि अध्यापक 25 वर्षों से एक ही गांव में पदस्थापित है, अत: दिनांक 20-6-98 को अध्यापक का स्थानान्तरण मावंड़ा खुर्द से मुदौला कर दिया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–4)

(4) बीच के 6–7 महीनें अन्यत्र पदस्थापित रहने के अलावा अध्यापक पिछले 25 वर्षों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मावंड़ा खुर्द में पदस्थापित रहा। शिकायत लम्बित होने के कारण चुनाव के दौरान मुख्यालय जिला परिषद सीकर कर दिया गया था। चुनाव के पश्चात् उन्हें पुन: मावंड़ा खुर्द के विद्यालय में भेज दिया गया। दिनांक 20-6-98 को इनका स्थानान्तरण मावंड़ा खुर्द से मुदौला कर दिया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट–4)

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला परिषद झुन्झुनू का भुगतान प्रकरण

140. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद द्वारा बैंक से रुपया निकालने हेतु जारी चैकों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा

(श्री शिवनाथ सिंह)

जिला प्रमुख के हस्ताक्षर होना आवश्यक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद झुन्झुनूं द्वारा बैंक से रुपये निकालने हेतु जारी चैकों पर जिला प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है ? यदि हां, तो जिला प्रमुख के स्थान पर किस अधिकारी ने किसके आदेश एवं किस नियम के तहत हस्ताक्षर किये ? इस प्रकार कुल कितनी राशि के चैक किन-किन भुगतानों हेतु कब-कब जारी किये गये ?

उत्तर

(1) 20,000/- की राशि तक के चैक पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सक्षम है। इससे अधिक की राशि के चैकों पर प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी, हां। कुल 36 चैक जिन पर प्रमुख, जिला परिषद, झुन्झुनूं के प्रति हस्ताक्षर अपेक्षित थे, पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है। इन चैकों पर प्रमुख, जिला परिषद के स्थान पर राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 211 (2) के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये हैं।

कुल 36 चैक 66,85,200/- की राशि के थे। इनमें 24 चैक पंचायत समितियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु, 3 चैक नगरपालिकाओं को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के लाभार्थियों को भुगतान हेतु, एक चैक जनता आवास योजना के लिए ऋण के पुर्नभुगतान हेतु हुडको, नई दिल्ली को, एक चैक कोषाधिकारी, झुन्झुनूं को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन भुगतान के समायोजन हेतु एवं सात चैक जिला परिषद झुन्झुनूं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय विविध व्यय हेतु जारी किये गये हैं।

ग्राम नांगल बेला जमवारामगढ़(जयपुर) में विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण

141 श्री मोहनलाल मोदी (नीमका-थाना) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नांगल-बेला जिला जयपुर में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के कमरे बनाने हेतु श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपनी पैतृक आबादी भूमि दान में दी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो किसने ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनधिकृत कब्जे को हटाने हेतु दानदाता ने जिला कलेक्टर सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को शिकायतें भिजवायी हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति मय उस पर की गई कार्यवाही के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अनधिकृत कब्जे को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(52)

उत्तर

(1) ग्राम नांगल बेला तहसील जमवा-रामगढ़ में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के कमरे बनाने हेतु श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपनी कथित पैतृक आवासीय भूमि 21-10-83 को दान में दी थी किन्तु दान की गई भूमि का स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज उसने पेश नहीं किये और नांही दानपत्र पंजीकृत है।

(2) उक्त भूमि पर गत 15 वर्षों से श्री कल्याण, रामनिवास, रामकुमार, पुत्र भींवाराम मीणा काबिज हैं।

(3) जी, नहीं। उक्त अनधिकृत कब्जे को हटाने हेतु दानदाता द्वारा जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) चूंकि भूमि सम्बन्धी विवाद 12 वर्ष से अधिक पुराना है। अतः न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर ही कब्जा हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

तहसील पहाड़ी (भरतपुर) में प्रस्तावित नई पंचायत समिति

142. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला भरतपुर की तहसील पहाड़ी में नई पंचायत समिति खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी, नहीं। जिला भरतपुर की तहसील पहाड़ी में नई पंचायत समिति खोलने बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

सीकर के अग्नि पीड़ितों को सहायता

143. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में सीकर जिले में अग्नि पीड़ितों के कितने आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को प्राप्त हुए ?

(2) अग्नि पीड़ितों को आवेदन करने के उपरांत कितने दिन बाद राजकीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ? सीकर जिले के आवेदन कर्ताओं को कब तक सहायता दी जायेगी ?

(3) क्या सरकार अग्नि पीड़ितों को राजकीय सहायता देने के मापदण्ड महंगाई बढ़ने के हिसाब से बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1 अप्रेल, 1996 से 31 मार्च, 1998 तक 947 अग्नि पीड़ित परिवारों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

(2) अग्नि पीड़ितों के आवेदन पत्र अधीनस्थ तहसीलों से प्राप्त होने पर यथा सम्भव अविलम्ब सहायता राशि का भुगतान प्रभावित परिवार को कर दिया जाता है।

(राज्य मंत्री, सहायता)

वर्तमान में जिला कार्यालय पर कोई अग्नि पीड़ित का आवेदन पत्र शेष नहीं है।

(3) अग्नि पीड़ित परिवारों को प्राकृतिक आपदा कोष के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राजकीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं (जयपुर) में अग्नि पीड़ित को राहत

144. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में कुछ व्यक्तियों के कच्चे मकानों में आग लग गयी थी, जिससे काफी हानि हुई थी ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस चौकी कालाडेरा में सूचना दी गयी थी ?

(3) क्या यह सही है कि उस अग्निकाण्ड में श्री लालचन्द उर्फ लाला पुत्र श्री जोधा मीणा के घर का छप्पर मय सामान के जल गया था ?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त पीड़ित व्यक्ति को राहत राशि स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(5) अब सरकार उक्त सहायता राशि का भुगतान कब तक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 6-2-98 को दो व्यक्तियों के कच्चे मकानों में आग लगने की घटना हुई तथा उसमें लगभग 35 हजार रुपये की हानि का आकलन किया गया।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) प्रभावित व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(5) सहायता राशि स्वीकृत कर दी गयी है।

जिला भरतपुर में मेवों के लम्बित क्लेम

145. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भरतपुर में मेवों के क्लेम बाकी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? गत पांच वर्षों में शेष क्लेमों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, नहीं। जिला भरतपुर में वर्तमान में किसी भी क्लेमेंट (मेव या अन्य) का क्लेम बकाया नहीं है, ना ही क्लेम प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।

(54)

ग्राम काठोती तहसील जायल (नागौर) हेतु बस सुविधा

146. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम काठोती तहसील जायल जिला नागौर में कौन-कौन से आगार की कितनी-कितनी बसें जाती हैं ? उनमें कितनी बसें साधारण व द्रुतगामी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बसों में से कौन-कौन सी बसें इस ग्राम में ठहरती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहां पर बसें नहीं ठहरती है जबकि सभी बसों का यहां पर ठहराव स्थल घोषित है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यहां पर सभी बसें ठहरती हैं ? यदि हां, तो बसें अभी तक क्यों नहीं ठहर रही हैं ? अब बसें ठहरने की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम काठोती (तहसील जायल, जिला नागौर) होकर वर्तमान में निम्न आगारों की वाहनें संचालित है :—

क्र. सं.	नाम आगार	बसों की संख्या साधारण	द्रुतगामी	योग
1.	नागौर	05	12	17
2.	जोधपुर	—	03	03
3.	जयपुर	—	01	01
4.	कोटपूतली	—	01	01
5.	झुन्झुनूं	—	02	02
6.	फलोदी	—	03	03
7.	सरदारशहर	—	01	01
8.	सीकर	—	03	03
9.	खेतड़ी	—	01	01
10.	जालोर	—	01	01
11.	बाड़मेर	—	01	01
				34

(2) इन बसों में से 5 साधारण एवं 29 द्रुतगामी हैं। आगारवार बसों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त बसों में से 18 बसें ग्राम काठोती पर रूककर यात्री लेती/उतारती हैं। रूकने वाली वाहनों की आगारवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। जोधपुर, सरदारशहर, सीकर, खेतड़ी एवं झुन्झुनूं आगार द्वारा इस मार्ग होकर संचालित लम्बी दूरी की द्रुतगामी वाहनों के ग्राम काठोती पर नहीं रोके जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। ग्राम काठोती, नागौर-डीडवाना वाया

(राज्य मंत्री, यातायात)

जायल मार्ग पर, ग्राम जायल (पंचायत-समिति मुख्यालय) से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो नागौर आगार द्वारा संचालित सभी द्रुतगामी एवं साधारण वाहन सेवाओं के लिए ठहरावस्थल घोषित है। इस आगार द्वारा संचाचित सभी द्रुतगामी/साधारण वाहनें ग्राम काठोती पर रूककर यात्री लेती/उतारती है। जोधपुर, सरदार-शहर, सीकर, झुन्झुनूं एवं खेतड़ी आदि आगारों द्वारा इस मार्ग होकर संचालित सभी वाहनें लम्बी दूरी की वाहनें हैं, जिन्हें ग्राम काठोती पर रोका जाना उचित नहीं है। इससे लम्बी दूरी के सीधे यात्रियों को अनावश्यक विलम्ब होगा। निजी बसें जिनका इस गांव में ठहराव घोषित है वह सभी इस ग्राम में रूकती है।

(4) जी, हां। नागौर आगार द्वारा ग्राम काठोती होकर संचालित सभी साधारण/द्रुतगामी बसें इस ग्राम पर रूककर यात्री लेती/उतारती है। अन्य आगारों द्वारा संचालित लम्बी दूरी की द्रुतगामी बसों को ग्राम काठोती पर रोके जाने का कोई विचार नहीं है। इस ग्राम के यात्रियों की सुविधार्थ वर्तमान में 5 साधारण एवं 13 द्रुतगामी बस सेवाएं ग्राम काठोती पर रूक रही हैं।

द्रुतगामी वाहनों को वर्तमान में ग्राम काठोती से 3–4 यात्री प्रति बस औसतन उपलब्ध होते हैं तथा यहां पर द्रुतगामी वाहनों से 2–3 यात्री प्रति बस उतरते हैं। यात्रियों की इस संख्या को देखते हुए अन्य आगारों द्वारा संचालित लम्बी दूरी की द्रुतगामी बसों को रोके जाने का कोई विचार नहीं है। केवल एक मार्ग खाटू श्यामोली निजी बसों के लिए है, जिसकी सभी बसों का ठहराव ग्राम काठोती में होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला करौली में निर्माणाधीन बस स्टेण्ड

147. श्री हंसराम गुर्जर (करौली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली में नये बस स्टेण्ड का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कबसे ? क्या उक्त निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। निर्माण कार्य दिनांक 26-6-97 से कराया जा रहा है। पिछले एक वर्ष से यह कार्य अधूरा नहीं पड़ा है बल्कि इस पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका, करौली द्वारा निजी वाहनों के लिए भी प्राइवेट बस स्टेण्ड बनाया जा रहा है।

(2) जी, हां। निर्माण कार्य प्रगति पर है। बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। नगर पालिका द्वारा बनाये जा रहे बस स्टेण्ड को एक माह में वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालोर की तहसील भीनमाल के ग्राम पूनासा में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खोदे गये नलकूपों के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रघुवीर सिंह मीणा एवं आठ अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले की उनियारा पंचायत समिति के कतिपय सदस्यों का अपहरण किये जाने की घटना पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान में पिछले दिनों आये चक्रवाती तूफान एवं तत्पश्चात् हुई वर्षा से जन-धन की हानि के सम्बन्ध में।

(4) श्री शैलेन्द्र जोशी एवं छह अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले में पानी की मांग को लेकर 03 जून, 1998 को जयपुर में किये गये प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन द्वारा कथित बर्बरतापूर्ण व्यवहार एवं कतिपय विधायकों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाएं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गयी है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(6) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर के विकास अधिकारी द्वारा समानीकरण के सिद्धान्त पर कथित नियम विरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण शिक्षकों के स्थानान्तरण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले में विभिन्न आपराधिक घटनाओं में पुलिस विभाग की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से परिवहन निगम के टोंक आगार में बुकिंग एजेंट के पद पर कार्यरत शिक्षित बेरोजगारों को उचित कमीशन नहीं देने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(3) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले में सरकारी चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय अर्मोरी से अजान तक की अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, चूरू जिले के विधायकों पर.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के विधायकों पर, वहां के कार्यकर्ताओं पर 03 जून को पानी के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पानी मांगने की मांग पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज हुआ। अविलम्बनीय महत्व का है, इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। उपाध्यक्षजी, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे चन्दनमलजी बैद और इन्दरसिंहजी पूनिया पर बेरहमी से स्टेच्यू सर्किल पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया। उनके डेमोक्रेटिक राइट्स और उनके कांस्टीट्यूशनल राइट्स पर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप थोड़ा तसल्ली रखिये। बिराजिये।

श्री पूनमचन्दजी विश्नोई। श्री पूनमचन्दजी को टाइम दिया है मैंने। आप बिराजें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्षजी, यहां पर एक व्यवस्था चल रही है कि दो मिनट या चार मिनट में पढ़कर के अपनी बात कह दें। मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति की कोई समस्या हो या कुछ बात कहनी हो, तो लिखकर पढ़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां जैसी हमारी भाषा है और जैसी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं लेकिन लिखाकर किसी से लावें और उसके विचार यहां पर लिखित रूप में प्रस्तुत करें, ये तो उस व्यक्ति के विचार नहीं हैं, किसी अन्य व्यक्ति के विचार हो सकते हैं इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि किसी विषय पर माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो मौखिक रूप से बोल दें लेकिन लिखा हुआ कोई भी वक्तव्य अथवा कोई भी बात लिखित में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए सिवाय इसके कि कोई एग्रीमेंट हो, ट्रीटी हो। उसको तो पढ़कर सुनाया जा सकता है वरबेटम। लेकिन अपनी बात कहनी है तो वह खुद अपनी ही भाषा में कहे। यही संसदीय लोकतंत्र है, उसका मूल सिद्धान्त है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर विचार कर लिया जायेगा। श्री भीमसेनजी चौधरी।

श्री शैलेन्द्र जोशी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्दनमलजी बैद पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के कार्यकर्ताओं पर, जो वहां के थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया, बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की गयी, हमने उसका नोटिस दिया है 09 तारीख को और आज हो गयी 13 तारीख। इस पर पहले चर्चा करायी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम पूरी घटना पर राज्य सरकार का जवाब चाहेंगे, पूरी घटना पर चर्चा चाहेंगे। आप आज ही इसका समय निश्चित करें नहीं, तो इतने गम्भीर मामले को भी जो विधायकों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार से जवाब मांगा है। कृपया बिराजिये। सरकार से जवाब आने दीजिये। बैठिये आप। अपन विचार कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इससे गम्भीर मामला और कोई नहीं हो सकता, इन पर लाठी चार्ज किया। (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर मामला हाउस में कोई और नहीं हो सकता।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : इस पर दो मिनट नहीं बोलना है। जो दूसरे स्थगन प्रस्ताव थे, उन पर है। इस पर दो मिनट बोलने की बात नहीं कही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : लेकिन इसको प्रायोरिटी पर लिया जाए।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसको प्राथमिकता दी जाए, यह चाह रहे हैं, हम। सरकार को जानकारी है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमने 09 तारीख को नोटिस दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री परसादीलालजी, बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : सीनियर मोस्ट कांग्रेस के कार्यकर्ता थे.... (व्यवधान) रिपोर्ट नहीं आयी है (व्यवधान) क्या कार्यवाही की जायेगी ? पहले इस पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाएं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : हम पर लाठी चार्ज किया गया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : डेट फिक्स कीजिये, डेट फिक्स कीजिये कि इस पर कब चर्चा होगी ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : हम पर लाठी चार्ज किया गया उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराज जाएं। आसन पैरों पर है। एक बार आप सुन लें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : क्यों बैठ जाएं ? लोगों पर निर्मम लाठी चार्ज किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप बैठिये। मैं आपको नाम से पुकारता हूं। माननीय सदस्य, आसन को इस प्रकार से धमकाया नहीं जाता है। यह आसन की अवमानना है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : हम अपने अधिकारों के लिए बोल रहे हैं। हम यहां पर लाठी खाने नहीं आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठिये।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वालों के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। यह नोटिस आपने 09 तारीख को दिया है। मैंने राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा है। जानकारी आने पर व्यवस्था दे दी जाएगी इस पर।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी क्या होगी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। श्री भीमसेन चौधरी। आप बोलना नहीं चाहते हैं क्या ? नहीं; दूसरा नाम–श्री भीमराज भाटी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शांति कायम करवा दीजिये ताकि आपने जो दो मिनट दिये हैं, उसका मैं सदुपयोग कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष : शांति कायम कराने में आप भी सहयोग दीजिये और माननीय सदस्य भी आपको सहयोग देंगे। श्री भीमराज भाटी, बोलिये।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे शहर पाली में जहां पर....

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने 09 तारीख को दिया है....

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष । (व्यवधान) अंकित नहीं हो ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में कोई उपाध्यक्षजी के आदेशों की पालना के लिये तैयार नहीं है, कोई उनकी व्यवस्था मानने के लिये तैयार नहीं है । आखिर यह सदन किस प्रकार चलाना चाहते हैं ? कोई व्यवस्थाओं का, सदन में परम्परा प्रक्रिया नियम और सर्वोच्च आसन को धमकाया जा रहा है । आसन के ऊपर इस प्रकार से एक दबाव डाला जा रहा है । कोई ऐसा विषय है जिस पर चेंम्बर में बात की जा सकती है, उपाध्यक्ष महोदय से बात की जा सकती है, आग्रह किया जा सकता है.... (व्यवधान)... और कोई विषय तय किया जा सकता है लेकिन सदन में बार-बार किसी माननीय सदस्य का प्रस्ताव मंजूर हुआ और उनको उस पर बोलने की अनुमति दी गयी तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और कोई भी खड़े हो गये । (व्यवधान) मैं समझता हूं इसको आप गम्भीरता से लेंगे और अपने माननीय सदस्यों को तीन दिन की जो 10,11,12 की छुट्टी थी (व्यवधान) आप लोग सरकार में बैठे हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते रहे हैं, उनका सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता रहा है और उनमें टाइम भी लगता रहा है (व्यवधान) वह जल्दी भी मंगवाये जा सकते हैं आसन से मिलकर । यदि किसी तरह का विलम्ब हो रहा है तो उसको जल्दी भी मंगवाया जा सकता है लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि यहां पर अचानक खड़े हो गये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) मैं भी इस सदन का सदस्य हूं । यह दादा-गिरी नहीं चल सकती है । यह कोई लालसोट और वो नहीं हैं (व्यवधान) यहां उनियारा पंचायत समिति का मामला उठाया । आपने उस समय आरोप लगाया । यदि आप में दम होता तो तय कराते । यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि यह सदन नियमों से चले और उसकी आप व्यवस्था करें ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) माननीय सदस्य, पाइंट आफ आर्डर है ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री भीमराज भाटी : मेरा क्या होगा साहब। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय व्यवस्था में स्थगन प्रस्ताव की एक अहमियत है। स्थगन प्रस्ताव की मूल भावना है कि यह इतना अहम् है कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसको स्थगित किया जाए और उस पर चर्चा की जाए। यदि अगर एक स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है और आप कहते हैं कि 9 तारीख को दिया और जवाब सरकार से मांगा जा रहा है तो ऐसे अहम् मुद्दे को इस तरीके से टालना, मैं समझता हूं स्थगन प्रस्ताव की मूल भावना के विपरीत है और इस प्रकार की बात पर जब सदस्यगण आपका ध्यान आकर्षित करें, हम आपके हर आदेश की पालना करते हैं, आप कहें कि अंकित नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की मूल भावना को यदि अगर इस तरीके से खतम किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि संसदीय प्रणाली में विश्वास है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। मैं पाइंट आफ आर्डर को रिजेक्ट करता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेरी बात सुनकर रिजेक्ट करेंगे, कितना समय देंगे सरकार को ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। मैंने समझ लिया इसको।

श्री जगदीप धनखड़ : एडजोर्नमेंट मोशन का मतलब एक मिनट भी नहीं चल सकती। 9 तारीख को दिया हुआ मामला है.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अनुसूचित जाति-जनजाति पर अत्याचार करने वालों बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ऐसे विधायकों के ऊपर.... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की मूल भावना को समझते हुए सरकार को बाध्य कीजिये और इस पर तारीख निश्चित कर दीजिये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आप तारीख निश्चित कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं आप बैठिये। कृपया बिराजिये। आसन पैरों पर है। माननीय जोशी जी आपकी बार-बार उठने की आदत बहुत खराब हो गयी है। मैं यह भी मानता हूं कि यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। सरकार से जल्दी से जल्दी मंगाकर के मैं इस पर कोई न कोई व्यवस्था दूंगा। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति के

(श्री भीमसेन चौधरी)

विकास अधिकारी लूणकरणसर ने 26 तारीख को शिक्षा नीति के विपरीत अध्यापकों के ट्रांसफर करके एक ऐसा उदाहरण पेश किया है। उस इलाके में वहां के अध्यापक वर्ग में बड़ा असन्तोष है। मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने नियमों के विपरीत जो स्थानान्तरण किये हैं उन पर फौरन एक्शन लिया जाए और विकास अधिकारी ने जो कार्यवाही की है, अनुचित कार्यवाही की है नियमों के विपरीत, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : यह ट्रांसफर करके ही सरकार जितना चाहती है। सब जगह ही यह हाल है। यह सरकार अब डगमगा रही है। जगह-जगह अध्यापकों के ट्रांसफर कर दिये और लोगों के ट्रांसफर कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। मोदीजी, आप विराजें।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दु:ख के साथ इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मैं मुख्य मंत्री जी के जिले से आता हूं और उस मुख्य मंत्री जी के जिले में आज यह स्थिति बन रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां जोगमाया की एक हजार वर्ष पुरानी मूर्ति थी। विजयनाडी का जबर्दस्त एक मन्दिर है। उस एक हजार वर्ष पुरानी मूर्ति चोरी हो गयी। आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। पाली शहर के बाजु में, सर्किट हाउस के बाजु में ललित जी भाई साहब को पता है। सर्किट हाउस के बाजु में ऊपर एक बांकरी पर जोगमाया का मन्दिर है वहां से आभूषण चोरी हो गये। पाली शहर में एक म्युनिसिपैलिटी मैम्बर की दुकान से 58 हजार रुपये चोरी हो गये। आज तक उनका कुछ पता नहीं लगा। एक साइकिल से दो लाख सात हजार रुपये एक ही मिनट में एक आदमी लेकर उड़ गया। उसका आज दिन तक कोई पता नहीं लगा।

एक लूमाराम सिरवी था, उसकी हत्या हो गयी सुबह पांच बजे, साल डेढ़ साल से ज्यादा समय हो गया। आज तक उसका पता नहीं लगा। अभी रिसेंटली एक डगलाराम सिरवी नाम का मंडिया का एक टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करने वाला आदमी था, उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गयी। इस तरह एक नारायण दास सिंधी की हत्या हो गयी। कलक्टर और एस. पी. के बंगले के पास सौ मीटर की दूरी में ही दिन दहाड़े एक +++ गरीब औरत थी, उसकी हत्या हो गयी। कम से कम इस तरह के दस किस्से हैं। ऐसी हत्याएं पाली शहर में हो गयीं। इतनी बड़ी-बड़ी चोरियां हो गयीं, आज दिन तक कोई पता नहीं लगा।

माननीय गृह मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनसे निवेदन करता हूं वह जो जुड़वां बहनों का हत्याकाण्ड हुआ था वह भी आपने सी.आई.डी., सी.बी. को दिया। आज दिन तक उन नौजवान बच्चियों का, जो पढ़ने-

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भीमराज भाटी)

लिखने होशियार थीं, 17–18 साल की मासूम बच्चियां थीं, उनका आज दिन तक पता नहीं लगा। मुख्य मंत्री जी के जिले में, पाली जिले की अगर यह स्थिति है तो मेरे को समझ में नहीं आता कि पूरे राजस्थान में क्या-क्या हालत बन रही होगी। यहां विधान सभा में बार-बार कह-कह कर हमारा विधान सभा का पांच साल का समय भी खतम हो गया। उस पांच साल के समय के बावजूद भी एक भी हत्या का राज नहीं खुले, एक भी बड़ी चोरी का राज नहीं खुले। मन्दिरों की मूर्तियां जगह-जगह चली गयीं बड़ी-बड़ी जगह की। कोई मेरे पाली जिले की ही नहीं, कई जगहों से मन्दिरों की मूर्तियां चोरी चली गयीं। एक भी मूर्ति की चोरी के किस्से, एक भी बड़ी चोरियों के, इस तरह 9–10 हत्याएं पाली जैसे शहर में हो जाएं और उनका कोई पता ही नहीं लगे, तो क्या कानून की व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। दो मिनट का टाइम हो गया। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री भीमराज भाटी : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। यह मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं और माननीय गृह मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इन हत्याओं का राज खुलाएं। यह जो मूर्तियों की चोरियां हैं उन मूर्तियों की चोरियों का पता वह जल्दी से जल्दी लगाएं। धन्यवाद।

295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर शहर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है। यहां के मेडिकल कालेज से चार चिकित्सालय महात्मा गांधी, मथुरादास माथुर, उम्मेद एवं कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय संलग्न है। इन चार चिकित्सालयों के कार्य भार एवं शहर के अन्य चिकित्सालयों के कार्य भार के अनुरूप विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति नहीं करने से शहर की जनता को इन सुविधाओं का वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है। जोधपुर के मेडिकल कालेज में पैथोलाजी एवं रेडियोलाजी के केवल एक-एक ही प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं। जयपुर मेडिकल कालेज से भी चार चिकित्सालय संलग्न हैं एवं वहां पैथोलाजी के छह व रेडियोलाजी के चार प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं। साथ ही विशेषज्ञ डाक्टर भी कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र हेतु भी जोधपुर का चयन हुआ है। वहीं नेशनल एड्स कण्ट्रोल संगठन द्वारा भी एड्स कण्ट्रोल की विशिष्ट सेवाओं के लिए भी जोधपुर को जोड़ा गया है। जोधपुर मेडिकल कालेज के संलग्न अस्पतालों में भी चार रक्त कोष एवं प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। उसी प्रकार रेडियोलॉजी विभाग के अन्तर्गत एक सी. टी. स्केन मशीन एवं कई सोनोग्राफी, एक्सरे एवं बेरियम टैस्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। परन्तु विशेषज्ञ

64

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

डाक्टरों के अभाव में जनता को इनकी पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहां तक कि उम्मेद अस्पाल में आपात स्थिति में सोनोग्राफी भी नहीं हो सकती जबकि इस महिला एवं शिशु चिकित्सालय में इसकी अत्यन्त ही आवश्यकता रहती है।

इस प्रकार शहर के पावटा सेटेलाइट अस्पताल में पेथोलॉजी का कोई विशेषज्ञ डाक्टर नहीं होने से मरीजों को रक्त परीक्षण आदि की भारी समस्या रहती है। वहीं गरीब तबके के लोग बाहर से महंगे परीक्षण करवा पाने में असमर्थ रहते हैं। इसके अभाव में उन्हें समुचित डाक्टर की राय भी नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही शहर के नवचोकिया स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र पर भी विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति नहीं होने से शहर की जनता इस केन्द्र से सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है।

मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से अनुरोध है कि जोधपुर में मेडिकल कालेज में पेथोलॉजी व रेडियोलॉजी में एक-एक प्रोफेसर व एक-एक रीडर, पावटा सेटेलाइट अस्पताल में एक कनिष्ठ विशेषज्ञ पेथोलॉजी, नवचोकिया मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में दो महिला रोग विशेषज्ञ एवं कनि. विशेषज्ञ पेथोलॉजी के पद तुरन्त प्रभाव से सृजित कर इन पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही शहर के अन्य अस्पतालों में खाली पड़े पद पर भी विशेषज्ञ डाक्टरों को पदस्थापित करने आदेश किए जाएं जिससे आम जनता को सरकार द्वारा प्रदत्त इन सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से एक जवाब दिलवा दें। बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : शून्य काल है या 295 है सर? मैंने शून्यकाल में....

श्री उपाध्यक्ष : 295 है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने 295 में पढ़ा है, स्टेटमेंट पढ़ा है, रीडिंग हुई है। इसका क्या इफैक्ट होगा? गवर्नमेंट क्या इस पर कोई नोटिस देगी?

श्री उपाध्यक्ष : इसका बड़ा भारी असर होगा। बड़ा भारी असर होगा इसका।

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ नोटिस देगी या क्या होगा?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा भारी असर तो जब हो कि पेथोलॉजी की प्रोफेसर्स की और पोस्ट्स क्रीएट की जाएं। बजट में उसका प्रावधान हो। रेडियोलोजिस्ट्स की पोस्ट क्रीएट की जाएं, क्योंकि बड़ा भारी असर तो उनके दिल पर पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : हैल्थ मिनिस्टर ने बड़े ध्यान से सुना है। बड़ी गम्भीरता से सुना है।

श्री परसराम मदेरणा : इनकी मांग स्वीकार होगी कि नहीं होगी, यह एक प्रश्न दूसरा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर की हालत बहुत खस्ता है और अस्पताल तीनों हैं। तीनों के अन्दर अच्छे डाक्टर्स नहीं है, न अच्छे सर्जंस हैं, न यूरोलॉजिस्ट्स हैं, न रेडियोलॉजिस्ट्स हैं, न मालूम आपसे क्या नाराजगी है कि जिसकी वजह से आपने जोधपुर को चूरू समझ रखा है क्या ? जोधपुर जोधपुर है और चूरू चूरू है।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय सदस्य, मैं यह कहना चाहता हूं आपसे कि चूरू की हालत तो उससे भी खस्ता है है। तो आप क्या कह रहे हैं ? पूरे राजस्थान के अस्पतालों की अवस्था खस्ता है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो खस्ता हालत सबसे अधिक माननीय सदस्या की लगी कि पढ़ने के बाद इस हाउस में कोग्निजेंस लेने के बाद आपने आज हमें आदेश दे दिया। हमने सबने सुन लिया। हाउस की एक प्रोपर्टी बन गयी। उसके बाद माननीय सदस्या दयनीयपूर्वक मंत्रीजी से प्रार्थना करती है। यह विधान सभा का, हमारे पूरे सदन का एक अपमान करने का तरीका है। माननीय मंत्री महोदय को उस वक्त ही एक रिएक्शन देना चाहिए था अन्यथा तो आप वह पढ़ा क्यों रहे थे ? जब माननीय सदस्या ने मांग कर ली कि इस पर मंत्री महोदय कुछ कहें तो उन्हें कुछ बोलना चाहिए था। वरना क्या आवश्यकता थी बुलाने की, क्या आवश्यकता थी इतनी एक्सरसाइज करने की ? क्यों इतना सदन का टाइम बरबाद करवाया ? जब माननीय सदस्या ने यह मांग की और वह सत्ता पक्ष की माननीय सदस्या हैं, कोई साधारण नहीं हैं। वह बहुत एक्टिव हैं। पूरी जानकारी है। उसके बाद भी उनकी ऐसी स्थिति बना दी माननीय सदस्या की। यह तो कोई (व्यवधान) तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की रीडिंग करवाने की, एक्सरसाइज कराने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर सरकार उस पर नोटिस नहीं लेती है, एक्शन नहीं लेती है, कोई रिएक्शन नहीं देती है। क्या फायदा है ऐसा करवाने से ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जो सदस्या ने यहां सरकार का ध्यान आकर्षित किया है....(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एक मिनट सुनने दो। एक मिनट सुनने तो दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आवश्यकता है पढ़ने की ? यह सदन में इस प्रकार की परम्परा डाल देते कि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उस पर एक्शन तत्काल हो जाए। यह परम्परा आप डाल देते तो समस्या नाम की कोई चीज नहीं रहती, माननीय रामनारायणजी साहब।

श्री चन्दनमल बैद : उनको तो बोलने दो। (व्यवधान)

66

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी 15–20 मिनट पूर्व जब यहां चूरू में पीने के पानी के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव चल रहा था तब सरकारी चीफ व्हिप खड़े होकर उपदेश दे रहे थे....

श्री चन्दनमल बैद : कि + + + कर रहे हैं ग्राप ।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रौर मुझे खास तौर से सम्बोधित करके । लेकिन मुझे बहुत ग्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा ग्रगर कोई अप्रासंगिक व्यवधान डालते हैं यह गवर्नमेंट चीफ व्हिप हैं । ग्रभी स्वास्थ्य मंत्रीजी स्टेटमेंट दे रहे थे ग्रौर स्वास्थ्य मंत्रीजी के स्टेटमेंट के बीच में किसी माननीय सदस्य की कोई टिप्पणी थी, तो हर टिप्पणी में आप खड़े होकर भाषण शुरू कर देते हैं तो आपको कोई उपदेश देने वाला है या नहीं है ग्रापकी इस सरकार के ग्रन्दर यह कृपा करके....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो आपका ही उपदेश मानता हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, मैं नहीं देता । ग्राप मुझे दे रहे थे । जब मैं कह रहा हूं कि ग्राप बीच में हर वक्त व्यवधान मत डालिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्रापको ऐसे शिष्य की जरूरत नहीं है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रक्रिया के नियम 295 के तहत यहां ध्यान ग्राकर्षित किया है । मैंने एक-एक विषय को ध्यान से सुना है । उपाध्यक्ष महोदय, इसके कुछ नये पदों के सृजन का ग्रापने प्रश्न उठाया है । मैं ग्रापके साथ बैठकर वहां कार्य भार कितना है, निश्चित तौर पर उस पर विचार करूंगा ।

मैं ग्रापके माध्यम से माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र एक टिप्पणी कि सारी व्यवस्था बहुत बिगड गयी, ऐसा कहने से वह लोग बड़े मनोयोग से सेवा कर रहे हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । ग्रभी सम्माननीय बैदजी ने चूरू जिले की बात कही है, उपाध्यक्ष महोदय, चन्दन मलजी मेरे पिताजी के नहीं, मेरे दादाजी के दोस्त हैं । और मुझे कभी यह मार्ग-दर्शन दें तो निश्चित तौर पर मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं । मैं इनसे मिल लूंगा, ग्रगर इनके पास कोई सूचना है, परन्तु चूंकि चूरू जिले का भ्रमण आजकल बन्द कर रखा है, ज्यादा जयपुर विराजते हैं ग्रौर स्वास्थ्य की दृष्टि से रहना भी है । मुझे इनके स्वास्थ्य की चिन्ता भी है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि चन्दन मलजी की चिन्ता, माननीय खेतसिंह जी की चिन्ता ग्रौर माननीय सदस्या की चिन्ता, तीनों पर निश्चित तौर पर विचार करके जो कुछ सुधारात्मक कार्यवाही हो सकती है, वह कार्यवाही की जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ।

+ + + शब्द ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किया था। अब हमारे टोडाभीम में जो थाना है टोडाभीम का, कल वर्षा भयंकर हुई थी जिसके कारण से थाने की बिल्डिंग गिर गयी थी....

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें जो लिखा है उसको पढ़ें पहले।

श्री रामस्वरूप मीणा : दिया था, मैंने आपको लिखकर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़िये, इसी को पढ़ें।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, मैंने आपको लिखकर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : हां, उसी को पढ़ने का कष्ट करें। उसी को पढ़िये।

श्री रामस्वरूप मीणा : शून्य काल की कह रहा हूं साहब। थाने की बिल्डिंग गिर गयी। मुलजिम भग गये वहां से सब। कल थाने की बिल्डिंग नीचे गिर गयी, पानी ने चारों तरफ से थाने को घेर लिया। 1947 से पहले का थाना है आपका, माननीय गृह मंत्रीजी। 1947 से पहले की बिल्डिंग बिलकुल जर्जर हो गयी। कल वह पानी के कारण गिर चुकी है। आपके थाने की हालत बिलकुल खराब है। अशांति फैली हुई है। मुलजिम वगैरह सारे जो बाहर निकले हैं उससे, अगर कोई मुलजिम भग गया तो फिर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : अच्छा 295 बांचता हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया नियमों का तो पालन कर लें।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के टौंक आगार के बुकिंग एजेंट

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं के तहत माननीय यातायात राज्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

टौंक आगार (जिला टौंक) में जिले के सभी बुकिंग एजेंट्स जो विगत 4 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, को माह जून, 98 से विभाग के प्रबन्ध निदेशक के आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/98 दिनांक 10-3-98 के तहत उनको माह जून से कमीशन नहीं देने के कारण इन 20 एजेंटों का भविष्य अंधकार में हो गया है। ये सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं। सभी एजेंट्स ब्याज पर उधार पूंजी निगम में पहले लगाते हैं तथा महीने के अन्त में उनको विभाग द्वारा कमीशन दिया जाता है। लेकिन विभाग में कार्यरत (टौंक आगार में) सहायक लेखाधिकारी श्रीआर.बी. बूसर द्वारा अपने मनमाने तरीके से इन एजेन्टों को मात्र तीन प्रतिशत कमीशन दे रहा है तथा विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। प्रत्येक एजेंट से एक हजार रुपये की मांग करता है, बाण्ड पर खुले रूप से हस्ताक्षर करवा रहा है तथा हस्ताक्षर नहीं करने पर एजेंसी समाप्त करने की धमकियां दे रहा है। माह जुलाई,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

1998 से इन सभी एजेंटों को न तो टिकट दे रहा है और न ही इनका माह जून, 1998 का बकाया कमीशन पूर्व आदेशों के तहत इनको भुगतान कर रहा है। जिसमे माह जुलाई, 1998 से विभाग की आय में बहुत कमी आ रही है तथा निगम को घाटे में पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। बुकिंग एजेंटों को टिकट न देने से विभाग के परिचालक यात्रियों को बिना टिकट यात्राएं करवा रहे हैं जिससे निगम को खुले रूप से नुकसान हो रहा है।

श्री आर. बी. बूसर, सहायक लेखाधिकारी, टोंक आगार प्रबन्ध निदेशक के आदेश दिनांक 10-3-98 की खुले रूप से अवहेलना कर रहे हैं तथा अपने पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं मनमाने तरीके से निगम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे इन बीस शिक्षित बेरोजगारों का जीवन अंधकारमय हो रहा है।

अन्त में इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि श्री बूसर, सहायक लेखाधिकारी, टोंक आगार जो निगम को नुकसान पहुंचाने वालों में से हैं, को वहां से स्थानांतरित किया जाए, इसकी जांच की जाए तथा इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए। सभी बुकिंग एजेंटों को प्रबन्ध निदेशक के आदेश क्रमांक एफ. 4/मु /याता/ लेखा/98 दिनांक 10-3-98 के तहत कमीशन दिया जाए तथा उनको माह जुलाई, 1998 से सभी को टिकट देकर जिले के सभी बुकिंगों को चालू किया जाए।

इस लोक महत्व के विषय में मैं माननीय यातायात राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके लिये सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्रीगंगानगर जिले में सरकारी चिकित्सा सुविधाओं की दयनीय स्थिति

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर जिले में सरकारी चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति दयनीय है। इसलिए सभी कस्बों में प्राइवेट नर्सिंग होम खुलते जा रहे हैं। लोगों को उनमें मजबूरन महंगा इलाज करवाने को विवश होना पड़ रहा है। यहां के लोगों ने स्वयं के पैसों से बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण करवाया है। किन्तु सरकार यहां पूरा स्टाफ तथा आवश्यक उपकरण तक उपलब्ध नहीं करवा सकी है। जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सकों के 8 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर सरकार तुरन्त नियुक्ति करे ताकि लोगों को इलाज करवाने के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े।

जिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था का अभाव है। शौचालय की निरन्तर सफाई नहीं होती है तथा जिला अस्पताल में बदबू का माहौल बना रहता है। विद्युत व्यवस्था भी चिकित्सालय में ठीक नहीं है। कार्यरत स्टाफ रोगियों व उनके परिजनों के साथ गलत व्यवहार करता है जिससे आम जनमानस में भयंकर आक्रोश है। जिला

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

चिकित्सालय में वातानुकूलित यंत्र तथा कूलर बंद पड़े हैं, परन्तु प्रशासन द्वारा उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में उत्पन्न समस्याओं का समाधान कर जनता को राहत पहुंचाई जाए।

पुराने चिकित्सालय में जच्चा-बच्चा अस्पताल तथा सिटी डिस्पेंसरी खोलने की मांग यहां की जनता ने की थी, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि यहां अर्बन-टू-डिस्पेंसरी खोलकर जनता के साथ मजाक किया है। जनता की मांग है कि इस डिस्पेंसरी को ग्रामीण क्षेत्र में खोला जाए और यहां जनाना हास्पिटल तथा सिटी डिस्पेंसरी खोली जाए।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला चिकित्सालय में उत्पन्न स्थितियों की ओर ध्यान देकर समस्याओं का निदान किया जाए तथा अरबन-टू-डिस्पेंसरी को ग्रामीण क्षेत्र में तथा पुराने चिकित्सालय की जगह जनाना अस्पताल व सिटी डिस्पेंसरी खोली जाए। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य (अनुपस्थित)। श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित)।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री घनश्याम तिवाड़ी ऊर्जा मंत्री राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक अनुमान 1998-99 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक अनुमान 1998-99

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक अनुमान 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा, यातायात राज्य मंत्री राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर, पर्यटन राज्य मंत्री, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे, 1996-97 सदन की मेज पर रखेंगी।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि., का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1996–97

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के तहत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे, 1996-97 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी, कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री उपाध्यक्ष : अधिसूचनाएं। श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री वित्त विभाग की 18 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 18 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 2 (24) वित्त/कर/97 दिनांक 19-3-98 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निष्पादित बन्धक विलेख पर उद्ग्रहणीय रजिस्ट्रेशन फीस 1 प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत की गयी है;

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (11) एफडी/टैक्स/डिबी/97 दिनांक 21-3-98 जिसके द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 के अधीन सीमा शुल्क को घटाकर न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 25 हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए 0.25 प्रतिशत किया गया है तथा प्रतिभूति बन्ध पत्र या बंधक विलेख पर शुल्क घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया है;

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (11) एफडी/टैक्स डिबी/97 दिनांक 21-3-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 2 (3)/ एफडी/टैक्स/डिबी/93, दिनांक 25-3-97 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (2) एफडी/टैक्स डिबी/98 दिनांक 16-4-98 जिसके द्वारा राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर नियम, 1994 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (26) एफडी/टैक्स डिबी/97-3 दिनांक 20-4-98

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (26) एफडी/टैक्स/डिबी/97-15 दिनांक 1-9-97 में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (24) एफडी/टैक्स डिबी/90-4 दिनांक 22-4-98 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पट्टाकर्ता पट्टा वित्त कम्पनी और वित्तीय कम्पनी या वित्तीय संस्था को 1-4-96 और 31-3-98 के बीच संयंत्र मशीनरी और उपस्कर के विक्रय को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन कर से छूट प्रदान की गयी है;

(7) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (68) एफडी/टैक्स डिबी/95 दिनांक 1-5-98 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 में संशोधन किया गया है;

(8) अधिसूचना क्रमांक एफ. 2 (18) एफडी/टैक्स डिबी/97 दिनांक 7-5-98 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सीमा शुल्क बन्धक पत्र पर प्रभारी शुल्क घटाकर 0.10 प्रतिशत कर दी गई है, जिसका न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये होगा;

(9) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (90) एफडी/टैक्स डिबी/82-पार्ट दिनांक 14-5-98 जिसके द्वारा तिलम संघ द्वारा निर्मित माल के विक्रय को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत उसके कर दायित्व को 75 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गयी है;

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (90) एफडी/टैक्स डिबी/82 पार्ट-11 दिनांक 14-5-98 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलम संघ को निर्मित माल के विक्रयों के संबंध मे 75 प्रतिशत कर की छूट प्रदान की गयी है;

(11) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (26) एफडी/टैक्स डिबी/97 दिनांक 18-5-98 जिसके द्वारा अधिसूचना सं. एफ. 4 (26) एफडी/टैक्स डिबी/97-151 दिनांक 1-9-97 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(12) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (3) टैक्स डिबी/90 दिनांक 20-5-98 जिसके द्वारा अधिसूचना सं. एफ. 4 (31) एफडी/टैक्स डिबी/90-158, दिनांक 12-12-97 में संशोधन किया गया है;

(13) अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (11) वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 27-5-98 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक भूमि एवं भवनों के बाजार मूल्य पर कर की दरें 1-4-98 से निर्धारित की हैं;

(14) अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (74) एफडी/टैक्स डिबी/96-12 दिनांक 29-5-98 जिसके द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मीटर किराये पर प्रभारित कर में छूट प्रदान की गयी है;

(72)

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

(15) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (8) एफडी/टैक्स डिवी/97-13 दिनांक 29-5-98 जिसके द्वारा कतिपय वैक्सीन के विक्रय को कर में छूट प्रदान की गयी है;

(16) अधिसूचना क्रमांक एफ. 8 (14) एफडी/कर-अनु/91 दिनांक 9-6-98 जिसके द्वारा राजकीय विमान पत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डा कोटा के लिये भूमि एवं भवन कर के 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किये हैं;

(17) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (78) एफडी/टैक्स डिवी/96-14 दिनांक 18-6-98 जिसके द्वारा मै. मोटर कम्पनी द्वारा खरीदे गये कच्चे माल और उनके द्वारा बेचे जाने वाले विक्रय को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर से मुक्त किया गया है;

(18) अधिसूचना क्रमांक एफ. 2 (1) एफडी/टैक्स डिवी/94 दिनांक 24-6-98 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किये गये बन्धक पत्र पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्व विभाग

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्र. प. 5 (3) राज-6/86/राज/6/24 दिनांक 27 जून, 1998 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं; एवं

(2) अधिसूचना क्र प. 6 (38) राज-4/86/राज-6/19 दिनांक 29 मई, 1998 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टों के स्थापन के लिये कृषि भूमि का आवंटन और संपरिवर्तन) नियम, 1987 को संशोधित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुजान सिंह यादव, सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सहकारिता विभाग

श्री सुजान सिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रं. प. 4 (5) कृषि-4/सह/91 दिनांक 29 जनवरी, 1998 जिसके द्वारा सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 250/– रुपये के स्थान पर 2500/– रुपये किया गया है सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की दो अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : उपाध्यक्ष

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्र. एफ. 4 (10) आर. डी. पी. आर./लीगल/95/1967 दिनांक 7 मई, 1998; एवं

(2) अधिसूचना क्र. एफ. 4 (3) एल एण्ड जे/आर. डी. पी. आर/91/2238 दिनांक 19 जून, 1998 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा, परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

परिवहन विभाग

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 6 (125) परि/कर/मुक्त/मु/97 दिनांक 25 मार्च, 1998 जिसके द्वारा शैक्षणिक भ्रमण हेतु बस को कर में छूट दी गयी है;

(2) अधिसूचना क्र. एफ. 6 (172) परि/कर/मुक्त/मु/97 दिनांक 18 मई, 1998 जिसके द्वारा कतिपय वाहनों को कर में छूट दी गयी है; एवं

(3) अधिसूचना सं. एफ. 7 (3) परि/रूल्स/एच. क्यू./95 दिनांक 25 मार्च, 1998 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 1998 विरचित किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप, खाद्य एवं नागरिक रसद राज्य मंत्री, खाद्य विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

डा. रामप्रताप (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक रसद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार खाद्य विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना सं. एफ. 17 (7) खा. वि/विधि/97 दिनांक 11 मार्च, 1998 जिसके द्वारा राजस्थान राइस प्रोक्योरमैंट (लेवी) आदेश, 1985 में संशोधन किये गये हैं;

(2) आर्डर सं. 17 (7) खा. वि/विधि/97, दिनांक 11 मार्च, 1998 जिसके द्वारा राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आदेश, 1980 में संशोधन किये गये हैं; एवं

(3) आर्डर सं. 17 (93) खा. वि/विधि/77-पार्ट-III दिनांक 13 अप्रेल, 1998 जिसके द्वारा राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स (लाइसेंसिंग एण्ड कण्ट्रोल) आदेश, 1980 में संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी, कृषि राज्य मंत्री, कृषि विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

कृषि विभाग

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्र. पं. 6 (12) कृषि/ग्रुप-2/95 दिनांक 3-4-98 जिसके द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. पं. 6 (12) कृषि/ग्रुप-2/95 दिनांक 26-7-95 अधिसूचना क्र. प. 6 (12) कृषि/ग्रुप-2/95 दिनांक 14-11-96 एवं संशोधन क्र. पं. 6 (12) कृषि/ग्रुप-2/95, दिनांक 12-12-96 द्वारा दी गयी छूट को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृरित किया गया है;

(2) अधिसूचना क्र. प. 10 (14) कृषि/ग्रुप-2/98 दिनांक 28-3-98 जिसके द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. प. 10 (14) कृषि/ग्रुप-2/बी/88, दिनांक 1-12-88 को प्रत्याहृत किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना क्र. पं. 4 (40) कृषि/ग्रुप-2/97 दिनांक 30-4-98 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मंडी नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष–1997

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक);

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष–1997

(2) भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-2 (राजस्व प्राप्तियां); एवं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1997

(3) भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-3 (सिविल) एवं विनियोग व वित्त लेखे 1996–97 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भामड़ा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या-8) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या-8) को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1998, (1998 का विधेयक संख्या-9) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक,1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1998, (1998 का विधेयक संख्या-9) को पुरःस्थापित करता हूं ।

शासकीय वक्तव्य

श्री गंगानगर नगर परिषद के पार्षद् श्री लक्ष्मण खींची द्वारा आत्मदाह

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य । श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री, श्रीगंगानगर

(76)

(श्री उपाध्यक्ष)

नगरपरिषद् के पार्षद श्री लक्ष्मण खींची द्वारा आत्मदाह किये जाने की घटना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर में नगर परिषद् के पार्षद श्री लक्ष्मण खींची द्वारा आत्मदाह करने की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य ।

श्री गंगानगर शहर के वार्ड नम्बर 33 में नाला निर्माण एवं मीरा चौक से एस.एस.पी. रोड तक सड़क निर्माण नगर परिषद् द्वारा प्रारम्भ करवाया जाना था । उसमें 46 दुकानें निर्माणाधीन स्थान के बीच में आती थीं । इन दुकानों की भूमि चक 3 की छोटी के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 21 व 22 तथा मुरब्बा नम्बर 7 व 8 के किला नम्बर 23, 24 और 25 के राजस्व अभिलेख के अनुसार कृषि भूमि अंकित है । इन दुकानों का निर्माण उक्त भूमिधारियों को छोटे-छोटे टुकड़े खरीदकर दुकानदारों द्वारा गत 15 वर्षों में अलग-अलग समय पर करवाया गया था । नाला निर्माण के लिए आयुक्त नगर परिषद् द्वारा माह मार्च,1998 में 4,23,090 रुपये सहभागी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये तथा नगर विकास न्यास द्वारा सड़क निर्माण हेतु दिनांक 6-3-98 को 3,09,780 रुपये स्वीकृत किये गये ।

यह निर्माण प्रारम्भ होने के बाद 12 दुकानदारों द्वारा मुंसिफ कोर्ट श्री गंगानगर से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया जिससे निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया गया । अवैध रूप से निर्मित दुकानों को तोड़ कर कब्जा हटाने, वहां पर गंदे पानी की निकासी हेतु नाला बनाये जाने हेतु तथा सड़क निर्माण की मांग को लेकर वार्ड नम्बर 33 के लोगों ने श्री लक्ष्मण खींची, पार्षद के नेतृत्व में मोहल्ला सुधार समिति का गठन किया । मोहल्ला सुधार समिति, मीरा विहार के कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 1-6-98 को मीरा चौक पर सांकेतिक धरना दिया गया । उसके पश्चात् उक्त मांगों को लेकर धरने, आमरण अनशन एवं प्रदर्शन इत्यादि के रूप में आंदोलन चलाते रहे थे । दिनांक 22-6-98 को श्री लक्ष्मण खींची एवं गोविन्द टांटिया द्वारा घोषणा की गयी कि यदि 26-6-98 तक मांगें नहीं मानी गयी तो आत्मदाह किया जाएगा । दिनांक 24-6-98 को सायंकाल संघर्ष समिति के सदस्यों ने निर्णय लेकर आत्मदाह करने वालों के नाम मोगा, लक्ष्मण खींची, अजय गुप्ता, सुभाष कुनियानी तथा बृजमोहन मित्तल घोषित किये । दिनांक 27-6-98 को आत्मदाह करने वाले उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन्सदादी कार्यवाही करने हेतु उनकी भरसक पत्तारसी की गयी तथा उनके संभावित ठिकानों पर तलाशी, परन्तु उनका पता नहीं चल सका । दिनांक 26 व 27-6-98 की रात्रि के समय कलेक्ट्रेट परिसर में गश्त की व्यवस्था की गयी जिससे कि उक्त व्यक्ति रात में ही कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं छुप सके ।

दिनांक 27-6-98 को प्रातः कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री गंगानगर, वृत्ताधिकारी (ग्रामीण) पुलिस एवं एस पी., ए.डी.एम. (सिटी) के निर्देशन में लगभग 220 पुलिस अधिकारियों,

(श्री कैलाश मेघवाल)

कर्मचारियों, मय महिला कांस्टेबल, पुलिस बल को कलेक्ट्रेट परिसर के अन्दर, बाउण्ड्री के बाहर एवं कलेक्ट्रेट की छत पर तैनात किया गया। आग बुझाने के लिए कम्बल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी थी।

मीरा चौक के आस-पास के लोग 5-5, 10-10 के छोटे-छोटे गुटों में अलग-अलग समय पर कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे। इस प्रकार औरतें भी अलग-अलग गुटों में कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचीं। कलेक्ट्री के मुख्य दरवाजों पर पर्याप्त संख्या में जाब्ता तैनात किया गया था। लगभग 11.30 बजे अजय गुप्ता खाकी वर्दी पहनकर अचानक कलेक्ट्रेट परिसर के उत्तर-पूर्वी द्वार की ओर से दौड़ता हुआ आया और गति से वह कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने का प्रयास करते हुए अपने कपड़ों पर लाइटर से आग लगाने की चेष्टा की। वह ज्वलनशील पदार्थ पहले से ही अपने शरीर व कपड़ों पर डालकर आया था। गति से दौड़ता हुआ आने के कारण वह परिसर के मुख्य द्वार में, कलेक्ट्रेट परिसर में प्रविष्ट होने में सफल हो गया, किन्तु द्वार पर तैनात पुलिस जाब्ते ने त्वरित गति से हरकत करते हुए उसे पकड़ लिया एवं उससे लाइटर छीन लिया। पुलिस की सक्रियता से वह आत्मदाह करने में असफल रहा। इसी बीच श्री लक्ष्मण खींची पार्षद भी खाकी वर्दी पहने हुए आग की लपटों में जलते हुए सी. जे. एम. न्यायालय परिसर की ओर से दौड़ते हुए आये और कलेक्ट्री परिसर के उत्तरी द्वार से परिसर में घुसने का प्रयास करने लगे। अजय गुप्ता और लक्ष्मण खींची के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति श्री शिवदयाल, जिसका नाम आत्मदाह के लिए शुरू में घोषित नहीं किया गया था, भी ज्वलनशील पदार्थ से भीगा हुआ कलेक्ट्रेट परिसर के उत्तरी पूर्वी द्वार की तरफ आये। लक्ष्मण खींची के शरीर के स्पर्श से श्री शिवदयाल के वस्त्रों में आग लग गयी। मौके पर मौजूदा पुलिस कर्मियों व अन्य लोगों ने आत्मदाह का प्रयास करने वाले की आग बुझाने के लिए हर तरह से पूरे प्रयास किए व आग पर काबू पा लिया।

पुलिस आग से झुलसे हुए आन्दोलनकारियों को अस्पताल ले जाना चाहती थी, परन्तु अन्य आंदोलनकारी लक्ष्मण खींची को कलेक्ट्रेट परिसर में ले जाकर लोगों की भावना भड़का कर आंदोलन को और गति देना चाहते थे। आंदोलनकारी नेताओं ने भीड़ को उकसाया, परिणामस्वरूप उग्र भीड़ पुलिस पर पथराव करने लगी। पुलिस के लिए पार्षद लक्ष्मण खींची को आंदोलनकारियों के कब्जे से छुड़ाकर उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय ले जाना नितांत आवश्यक था, किन्तु आंदोलनकारी लक्ष्मण खींची को पुलिस को नहीं देना चाहते थे। अतः पुलिस को बल प्रयोग कर आंदोलनकारियों को हटाना पड़ा ताकि वह लक्ष्मण खींची व शिवदयाल को राजकीय चिकित्सालय ले जाकर उनका समय पर उपचार करवा सके। उन्हें पुलिस वाहन में राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया व उन्हें उपचार हेतु भर्ती करवाया। इसी कार्यवाही के दौरान आत्मदाह की चेष्टा करने वाले अजय गुप्ता व आंदोलनकारियों को भड़का गोविन्द टांटिया को पुलिस द्वारा 151 जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तार किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

लक्ष्मण खींची वगैरह के आत्मदाह प्रयास का समाचार आंदोलन के मुख्य केन्द्र मीरा चौक में पहुंचा, जहां पर उग्र भीड़ इकट्ठी होती गयी तथा मीरा चौक के घटनास्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट तथा झगड़ा किया तथा उन्हें जिन्दा जलाने की धमकी दी। मीरा चौक पर तैनात अनेक पुलिसकर्मियों के चोटें आयीं। यह सूचना मिलने पर वृत्ताधिकारी पुलिस (ग्रामीण), श्री गंगानगर पुलिस, जाब्ते को साथ लेकर तुरन्त मौके पर मीरा चौक पहुंचे। परन्तु उग्र भीड़ ने उनकी सरकारी जिप्सी को पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया व उसे उलट कर आग लगा दी। आग बुझाने के लिए भेजे गये फायर ब्रिगेड को भी आग लगा दी गयी व क्षतिग्रस्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर पुलिस जाब्ते के साथ कलेक्ट्रेट से घटनास्थल मीरा चौक पहुंचे। मीरा चौक चौराहे के तीन रास्तों से उग्र भीड़ द्वारा भारी पथराव किया जा रहा था। आगजनी, पथराव, हिंसा, तोड़-फोड़ पर आमादा उग्र भीड़ को तुरन्त तितर-बितर किया जाना आवश्यक था। हिंसा पर व आगजनी पर आमादा इस उग्र भीड़ द्वारा आसपास के निवासियों, विशेष रूप से विवादित दुकानों के मालिकों व उनके परिवारजनों के जानमाल की हानि पहुंचाने की पूर्ण सम्भावना थी। अतः जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार भीड़ को तितर-बितर करने की विधिवत चेतावनी दी गयी। भीड़ के तितर-बितर नहीं होने पर अत्यधिक संयम बरतते हुए पहले अश्रु गैस तथा बाद में रबड़ बैलेट्स का उपयोग किया गया जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई।

इन घटनाओं के सम्बन्ध में 6 अभियोग दर्ज किये गये जो गैर अनुसंधान है। श्री श्री लक्ष्मण खींची को ईलाज हेतु हैलीकाप्टर से जयपुर लाकर एस. एम. एस. अस्पताल में भर्ती करवाया गया तथा अच्छा से अच्छा ईलाज करवाया गया परन्तु भरसक प्रयासों के बावजूद उनको नहीं बचाया जा सका तथा दिनांक 5-7-98 को उनकी मृत्यु हो गयी। मृतक का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। दिनांक 6-7-98 को प्रातः सवा आठ बजे पार्थिव शरीर का श्रीगंगानगर में दाह-संस्कार किया गया। घटना की

(13.00)

सूचना मिलते ही पुलिस उप महानिरीक्षक एवं संभागीय आयुक्त, बीकानेर गंगानगर पहुंचे। पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) को जयपुर से गंगानगर भेजा गया। इस घटना के दौरान गंगानगर में पदस्थापित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप अधीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा गंगानगर में दिनांक 27-6-98 को श्री लक्ष्मण खींची द्वारा किये गये आत्मदाह के पश्चात् उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्पूर्ण घटनाक्रम की जांच एवं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने की सिफारिशों के सम्बन्ध में राजस्व बोर्ड के न्यायिक सदस्य द्वारा कराये जाने के आदेश धारा 3, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, 1958 के अन्तर्गत दिये गये हैं। स्वर्गीय लक्ष्मण खींची के बड़े पुत्र को फायरमैन के पद पर नियुक्ति देने हेतु प्रस्ताव नगरपरिषद् गंगानगर में विचाराधीन है। राज्य सरकार

(श्री कैलाश मेघवाल)

द्वारा श्री लक्ष्मण खींची के परिजनों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है जो चुकायी जाएगी।

श्री जगदीप धनखड़ : स्टेटमेंट सकुंलेट तो कर दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके बारे में अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, इस विषय में कुछ कह सकते हैं, क्योंकि इनकी व्यवस्था थी।

श्री हीरालाल इन्दोरा : जो अव्यवस्था रही, राज्य सरकार का जो निकम्मापन रहा उसको कहीं नहीं पढ़ा गया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारी स्थिति से आपको अवगत कराता हूं। आपके सामने हमारे सम्मानीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है उसमें बहुत सी कमियां हैं। उनको जैसा मिला वैसा पढ़ दिया। वास्तव में जो सही चीजें हैं वे मैं आपको, हाउस को बताना चाहता हूं ताकि उनकी जानकारी करें और फिर वक्तव्य दें। उनका यह वक्तव्य अधूरा है।

मीरा विहार, मोहल्ला सुधार समिति, एस. पी. रोड पर नाला व सड़क निर्माण की मांग काफी लम्बे अर्से से करती आ रही है। मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत के गंगानगर से चुनाव लड़ने के समय भी लोगों ने इस स्थान की (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप कोई.... (व्यवधान).....

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, इनको वक्तव्य देने के लिए किसने अधिकृत किया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कृपया बिराजें।

एक माननीय सदस्य : लक्ष्मण खींची की मौत के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : आग में घी डालने का काम किया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ये बिन्दु हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन को बाईपास न करें। माननीय सदस्य, आप सुन तो लें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं अर्ज करता हूं, इससे पूर्व भी खींची ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था। खींची ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर नगर परिषद की मीटिंग में, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसमें फाइनल क्यों लगायी ? ये जो कहते हैं कि 15 साल पहले दुकानें बनी हुई थीं तो क्या 15 साल पहले दुकानें बनी हुई थी ? यह सही फरमाया है। लेकिन वह नाला तो निर्माणाधीन नाला हो गया। दुकानों को मोड़ देकर नाला बना दिया गया। फिर नाले के लिए 21 तारीख को किसी प्रभावशाली व्यक्ति का टेलीफोन गया और 21 तारीख को वह नाला वहीं बंद हो गया और सड़क भी वहां बंद हो गयी। इसके उपरांत उन्होंने इस बात की वार्निंग दी कि अगर हमारा कार्य शुरू नहीं हुआ,

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

22 तारीख के सारे अखबार हैं, यह पंजाब केसरी है, राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, सीमा संदेश है, प्रताप केसरी है, इनमें सब चीजें हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको अनुमति दे दी ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : अनुमति दी है। डिटेल में ये चीजें हैं। मैं आपके ध्यान में कुछ बिन्दु लाना चाहता हूं। आखिर यह क्यों हुआ ? बी. जे. पी. का एक पार्षद, नगर परिषद का पार्षद इस प्रकार विवश क्यों हुआ कि उसको विकास कार्य के लिए आत्मदाह करना पड़ा। यह गम्भीरता की बात है।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 5 आदमियों ने लिखकर दिया और आपके आदेश से दो मंत्री चिकित्सा मंत्री और भंवरलाल जी शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री गंगानगर पधारे थे। एक-एक गली को देखा था। पत्रकार भी थे, अधिकारी भी थे। क्या हालात थी ? मैं बड़ा चिल्लाता रहा। चार साल से चिल्ला रहा हूं, नालों के अन्दर 14 लड़के छोटे-छोटे, चार-चार, पांच-पांच साल के गटर में गिरकर मर गये। उनके केस दर्ज हैं, पशु मर रहे हैं, वह केस दर्ज हैं। सारी कार्यवाही आपके दोनों मंत्रियों ने वहां देखी। जनता इनसे मिली, इनसे मीरा विहार के लोग मिले। आप वहां पधारे, इन्होंने वहां की हालत देखकर यह स्टेटमैंट दिया और यह कहा कि वाकई गंगानगर शहर की हालत बहुत दयनीय है और हम तुरन्त इसके लिए कुछ करेंगे।

दूसरे सेशन में मैंने प्रार्थना की, यहां बराबर फिर बोला। मैंने कहा सारा शहर नर्क बन रहा है। उस वक्त मैंने दो करोड़ की मांग की। हमारे मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं और हाउस की प्रोसिडिंग है....

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्यामजी, माननीय सदस्य....

श्री राधेश्याम गंगानगर : दो करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत क्यों उत्पन्न हुई ? आज प्रदेश के अन्दर.... (व्यवधान) अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो भविष्य में ऐसी कई घटनाएं घटेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। आप नियमों का पालन करें। सुनना चाहता हूं, अवश्य सुनूंगा, लेकिन आप नियमों की पालना करके अपनी बात कहें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदेश दीजिए, मैं तो नियमों से ही बोल रहा हूं। मैं आपकी बिना इजाजत नहीं बोल रहा हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : किस तरह के नियम हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार-बार खड़े न होएं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह बात छुपायी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

गयी है। जब उसी खींची ने चार माह पूर्व नगर परिषद की भरी मीटिंग में अपने ऊपर तेल छिड़क लिया और वह मर रहा था, आग लगा रहा था तो लोगों ने पकड़ा और पुलिस ने पकड़ लिया तथा कोतवाली में उसके खिलाफ केस हुआ है। आप बताएं, यह बात सत्य है या नहीं ? नगर परिषद की मीटिंग में जैसा यहां विधान सभा की कार्यवाही चल रही है, यहां कोई घटना हो, अगर यह सत्य है तो यह बिन्दु आपसे क्यों छिपाया गया और 164 के बयान उस व्यक्ति से क्यों नहीं कराये गये ?

श्री गुरजंट सिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई) : नगरपरिषद तो कांग्रेस की है। आपने उस मामले को दबाया है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उसके लिए कोन दोषी है ? ये श्रीमान जी जो बोल रहे हैं मन्त्री महोदय, इन्होंने चार महीने पहले, जब वे भूख हड़ताल पर बैठे थे तब उनको यह आश्वासन देकर उठाया कि तुम्हारा नाला और सड़क बन जाएगी। उसके बाद पांच महीने गुजर जाने के बाद मजबूर होकर वे लोग पुनः इस कार्य में शामिल हुए और सारे मोहल्ले के लोग, औरतें, यह घटना एक दिन की नहीं है, पूरे आठ महीने यह घटना चलती रही, रोज औरतें भी धरना देती रहीं, भूख हड़ताल करती रहीं, आग लगाने की चेतावनी देती रहीं, लेकिन प्रशासन व गवर्नमेंट ने कोई कार्यवाही नहीं की। मंत्री महोदय और चीफ मिनस्टर महोदय को फैक्स दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत, सिंहों में सिंह, सबसे बड़ा सिंह भैरोंसिंह, उस सिंह को... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बिलकुल फेल है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आसन आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसलिए इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्याम जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं यह आसन आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है अपनी आंखों से ? आसन खड़ा है। आपने काफी सवाल पूछ लिए। अब आप उत्तर भी सुन लें। सारी बात हो गयी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अगर आप नहीं सुनेंगे तो यही घटना जोधपुर में होने जा रही है। जोधपुर की एक महिला ने वार्निंग दे रखी है 24 तारीख को, अगर जोधपुर में उसके वार्ड का कार्य नहीं हुआ तो वह आत्मदाह करेगी।

श्री गुरजंट सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस मामले की मुझे जानकारी है। मुझे इजाजत दीजिए। आज राधेश्याम जी जो बता रहे हैं उसकी सारी जानकारी दे देंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मिनी चीफ मिनिस्टर हैं, इनको इजाजत दीजिए ये क्या कहना चाहते हैं। इनको सुनेंगे और इनके बाद बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्याम जी, एक मिनट। आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी प्रार्थना है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्यामजी एक मिनट आप विराजें। आप सुनिये। आप मुंह खुला रखा है तो कान भी खुला रखिये (व्यवधान) मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं उसको पहले सुन लीजिये। उसमें कहां दिक्कत है ?

श्री जगतार सिंह कंग (श्रीकरणपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी अगर सारे हालात में आज नहीं जाएंगे तो यह जोधपुर में भी ऐसा होगा। (व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई) : यह बात सच है कि मोहल्ला सुधार समिति ने भूख हड़ताल की और 15 दिन तक दो आदमियों ने अनशन रखा। 15 दिन बाद में उनका अनशन यह कहकर, वाद करके तुड़ाया कि नाला बनेगा, दुकानें नहीं ढहेंगी, थड़े ढहेंगे। उसके बाद काम चालू करवा दिया गया, रोड का मैटेरियल वहां पहुंच गया। उपाध्यक्ष महोदय, सवा दो सौ फीट वह नाला बना, दुकानों के नजदीक आया तो फिर कुछ लोगों ने उनको हवा दी कि आप भूख हड़ताल करो, पूरी दुकानें हटवाओ। नाला बन्द करने के बाद फिर भी उन्होंने इस बात की धमकी देकर यह काम चालू करवा दिया। मैं कह सकता हूं कि उसमें वहां एक समिति बनायी गयी जिसमें आत्मदाह की धमकी दी गयी। उसमें कांग्रेस का एक पदाधिकारी जिसका नाम बनवारी लाल बिश्नोई है, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद फिर उसका काम चलता रहा। चलते हुए काम को जब उसकी वह तारीख आयी तो उन आदमियों को, वह चार आदमी जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्होंने खींची को वहां से ले लिया उठाकर। उसको जब कचहरी में लाया गया तो पिछले दरवाजे से लाया गया जो हमारे रेलवे फाटक पर है। चार आदमी जो मैं फरमा रहा हूं और उस कमेटी का संयोजक बनवारी लाल उसको उठाकर उधर से लाये और वहां उसने आत्मदाह किया। आत्मदाह करने के बाद बात खतम नहीं हुई। (व्यवधान) आत्मदाह करने के बाद फिर क्या हुआ, आप मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री गुरजंट सिंह : आत्मदाह करने के बाद क्या हुआ कि लाठी चार्ज... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। यह माननीय मंत्री महोदय क्या स्टेटमैंट दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह : जो राधेश्यामजी दे रहे हैं, वह समझौते में मैंने पढ़ा वह दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : बैठिये, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है....

श्री हीरालाल इन्दोरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक स्टेटमैंट में यह बात आयी नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सुनिये। विरोधी दल के नेता महोदय बोल रहे हैं, सुनें। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में अभी मंत्रीजी जो कुछ कह रहे हैं वह उसमें कुछ बातें एड कर रहे हैं, वह दूसरा वक्तव्य है। गृह मंत्रीजी ने जो यह कह रहे हैं कि उनको छुपा दिया गया और उसमें कांग्रेस वाले थे, यह जो मनगढ़न्त बात यहां पर कही जा रही है जिसका उल्लेख गृह मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में नहीं किया। जब गृह मंत्रीजी ने फैक्चुअल वक्तव्य दिया है उसमें उल्लेख नहीं और दूसरे मंत्री खड़े होकर नयी बातें एड कर रहे हैं। यह एक्सप्लेनेशन किस बात का दे रहे हैं ? यह मंत्री हैं, यह वक्तव्य दे रहे हैं। इसमें वक्तव्य सिर्फ गृह मंत्रीजी दे सकते हैं, उस चीज का स्पष्टीकरण कर सकते हैं लेकिन अन्य मंत्रियों को आप बोलने के लिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यह क्या कर रहे हैं। इनको परमीशन किसने दी ? (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय राधेश्यामजी ने माननीय मंत्रीजी का नाम लिया है कि समझौते में गये हैं उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : एक्सेस मैटर को उसमें इन्क्लूड करना.... (व्यवधान).... इनको अनुमति नहीं दी जाए। (व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह : मैं उस फैसले में था। वहां पर राधेश्यामजी कहते हैं कि मैंने मरवाया है। मैं उस फैसले में था इसलिए कह रहा हूं। उसके बाद में.... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री मंत्री से स्पष्टीकरण मांग रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्री महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि गुरजंट सिंह ने मरवाया है। (व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा है। (व्यवधान) 29 नवम्बर को परिषद् की बैठक में मिट्टी का तेल छिड़क कर जब वह मरने लगा, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ तो उसमें एफ. आर. क्यों लगी ? मैंने मंत्री के लिए यह नहीं कहा कि इन्होंने मरवाया है। इन्होंने समझौता करवाया। (व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह : .... आपने अखबार में छपाया है पंजाब केसरी में।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इन्होंने समझौता करवाया और उसके 6 महीने बाद तक वह कार्य नहीं हुआ, मेरा यह इल्जाम है। इन्होंने समझौता किस कैपेसिटी में करवाया ? (व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह : बाद में जब झगड़ा हुआ.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 30 नवम्बर को आप धरने पर गये, आपने समझौता कराया, आपने लोगों को एश्योर किया कि नाला बनेगा, सड़क भी बनेगी। उसके बाद आत्मदाह कैसे हुआ ?

श्री गुरजंट सिंह : आप लोगों ने करने भी नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : हमारा इनवाल्वमैंट कुछ नहीं था। (व्यवधान)

(84)

श्री गुरजंट सिंह : मैं दावे के साथ कह सकता हूं नहीं तो इसकी इन्क्वायरी करवाई जाए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दोरा : आत्मदाह के दिन श्मशान भूमि में राधेश्यामजी और हम बैठे हुए थे। (व्यवधान) हम बाद में हास्पिटल में गये वहां बी. जे. पी. का कोई कार्यकर्ता, नेता नहीं था। हमने गवर्नमेंट से बात की, प्रशासन से बात की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : चीफ व्हिप महोदय बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने एक वक्तव्य दिया उस पर सवाल पूछने का हमारा हक है। हम इनसे दो-तीन सवाल फिर पूछ रहे हैं। एक सवाल यह पूछ रहा हूं कि जब वह जल गये, हास्पिटल में उनको ले गये तब उनको पूरा होश-हवाश था तो आपने 164 के बयान क्यों नहीं करवाये ? यह बहुत मुद्दे की बात है। आपने जान-बूझकर के बयान नहीं लिये। बयान लेते तो सारी की सारी पोल खुल जाती आपकी कि उन्होंने आत्मदाह क्यों किया, उसके पीछे किसका हाथ था, उसमें क्या रीजन थे। हरेक केस में आप 164 के बयान लेते हैं तो फिर इस केस में स्पेशलिटी क्यों ? उसके बाद 6–7 दिन तक जिन्दा रहने के बाद उनकी डेथ हुई है और वह गंगानगर के हास्पिटल में पूरे होश में थे। उनके पास पुलिस भी थी, हमारे एम.एल.ए. भी वहां मौजूद थे फिर भी बयान नहीं करवाएं। इसके क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अन्तर्गत जो इंक्वायरी कांस्टीट्यूट की गयी है उसकी क्या एम्बीट रखी गई है, क्या जुरिस्डिक्शन रखा गया है ? राज्य सरकार ने किन-किन पहलुओं पर जांच करने के लिए उस कमेटी को डेलिगेट किया है ? वह पहलु बताये जाएं जिन पर जांच होनी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछता हूं कि श्री लक्ष्मण खींची ने नगर परिषद में 29 नवम्बर को एक दफे आत्मदाह करने का प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई। उस रिपोर्ट में एफ. आर. दे दी गयी। यह बात सही है कि उन्होंने केरोसिन डाला था, वह भीग गये थे और भीगने के बाद में म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों और दूसरे लोगों ने बीच में पड़कर उनको रोक दिया था। तो उस वक्त आपने एफ. आर. कैसे दी ? उसमें आप कोई न कोई कार्यवाही करते तो निश्चित तौर पर उनको एक सबक मिलता और वह दूसरी दफे अटेम्प्ट नहीं करते।

दूसरी बात, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 22 तारीख को उन्होंने

(श्री परसराम मदेरणा)

आत्मदाह करने की बात कही उसमें चार लोग और थे। पांचों ही लोग 27 तारीख तक ऐसे गायब हो गये कि पुलिस उनका पता भी नहीं लगा सकी और 27 तारीख को उन्होंने कहा था कि 11 बजे आत्मदाह करेंगे। जब आत्मदाह का उन्होंने ऐलान कर दिया उसके बाद में चार दिन तक आपको पता भी नहीं लगा तो क्या वह प्रशासन की नैग्लीजेंस नहीं है? जब प्रशासन की नैग्लीजेंस है, अब आपने उसकी रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से जांच कराने की घोषणा की है लेकिन पांच अधिकारियों को जो उस वक्त मौजूद थे। उसमें कलेक्टर भी है, एस. पी. भी है, एडिशनल एस. पी. भी है एडिशनल कलेक्टर भी है और डीवाई. एस. पी. भी है। इनका आपने वहां से स्थानान्तरण किया है, इसका मतलब यह है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, उसका नेग्लीजेंट रहा है और इसकी वजह से आपने सभी का वहां से होलसेल ट्रांसफर किया है। इसलिए गृह मंत्रीजी, आप यह स्पष्टीकरण दें कि जब आपको इस बात की जानकारी थी कि 27 तारीख को आत्मदाह कर रहा है और आपका वहां बड़ा अमला खड़ा था। वहां पर फायर ब्रिगेड भी थी, पुलिस भी चारों तरफ थी, माउंटेड पुलिस भी थी और एक व्यक्ति कहीं से आ गया, पुलिस की ड्रेस पहन ली और वह कलेक्ट्रेट के सामने गया है। उस समय, जब आपको यह मालूम था कि यह घटना होने वाली है और वहां पर इतना बड़ा अमला, फोर्स लगा रखी थी, तो इमिजिएटली उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? वह खुद ही तीली लगाता है, आग लगती है, पास में ही मोटर साइकिलें हैं, कुछ लोग वहां पर आये हुए थे क्लाइंट्स, उनको मोटर साइकिलों पर भी आग लगी है, तो आपका प्रशासन इस मामले में बहुत नेग्लीजेंट रहा है और उसी की वजह से इस आदमी ने आत्मदाह किया। आत्मदाह के बाद में, आप कह रहे हैं कि जब उसको हास्पिटल ले जाने के लिए लोग बीच में आ गये, यह जो आपने बुलैट्स वगैरह चलाये हैं या मार-पीट की है या वह तो मीरा विहार चौक के अन्दर की है और जब मीरा विहार चौक के अन्दर यह घटना हुई है, तो वहां पर कौन बीच में आबट्रेक्शंस डाल रहा था। आपने कहा कि आन्दोलनकारी बीच में आ गये थे, वे उनकी बोडी को उठाने नहीं दे रहे थे और हमको बल प्रयोग करना पड़ा। उस समय आपने बल प्रयोग नहीं किया है, आपने बल प्रयोग किया है तो मोहल्ले के लोगों पर इसलिए कि कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया न हो और मोहल्ले के अन्दर जाकर लोग, कोई इस तरह से घटना नहीं हो। आपने पहले डीवाई. एस.पी को भेजा और उसके बाद में जब लोगों को इसकी सूचना मिली तो वे कुछ उत्तेजित भी हुए, उसके बाद में फोर्स भेजी और फोर्स भेजकर उस चौक के अन्दर लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए आपने बहुत बुरी तरह से उन लोगों की पिटाई की और पिटाई करने के बाद में उन लोगों पर मुकदमा चलाया। आपने हास्पिटल के अन्दर, जब वह जिन्दा था, यहां पर भी वह बोल रहा था, आपने 164 के अन्दर उसका स्टेटमेंट कलमबन्द क्यों नहीं करवाये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति से ऐसा मालूम होता है कि जब उसने आग लगाई

86

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है तो कम से 400–500 आदमी वहां मौजूद थे, जनता के भी थे और पुलिस बल भी था तो क्या एक आदमी आग लगाये, उक्त व्यक्त कोई बैर-भाव वगैरह किसी में कुछ नहीं रहता है, प्रवृति यह रहती है कि इसको बुझाया कैसे जाए? क्या इतने लोग पहले प्रयत्न करते तो उसको बचा नहीं सकते थे, पुलिस भी थी। सुनने में बात यह आती है कि यह काफी सक्रिय व्यक्ति था और इससे पुलिस तंग आई हुई थी, यह कोई मरना नहीं चाहता था। सुना है कि उन्होंने 4–5 कपड़े पहन रखे थे कि मुझे कोई न कोई बचा लेगे, मेरी मांग पूरी हो जाएगी। पुलिस वाले शायद यह सोचते हैं, ऐसी अफवाह चलती है कि इससे पीछा छूटे इसलिए उसी की पिटाई की। आग बुझाने के बजाय पिटाई की। नजदीक लोग बचाने के लिए आने लगे तो उनकी पिटाई की गई और जहां तक 164 में आपने, 90 प्रतिशत आप मानते हैं कि जल गया है, 60 प्रतिशत के बाद में वह हाइली डेंजर जोन में आ जाता है, 60 प्रतिशत बर्न्स के बाद में, तो आपने 164 में बयान क्यों नहीं लिये?

श्री खेतसिंह राठोड़ : आपकी पार्टी का पार्षद और विकास के काम लेकर एजिटेशन कर रहा था। विकास के नाम नहीं हुए, आपकी सरकार, आपके मंत्री, उसके बावजूद वह परेशान होकर, विकास के काम नहीं होने के कारण आत्मदाह करते हैं, तो इससे शर्मनाक बात आपके लिए और क्या हो सकती है। यह जो रिजाइन....(व्यवधान) अगर आप में + + + है तो अभी यह छोड़ जाओ।

श्री परसादीलाल मीणा : + + + निकल गई सारी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जब कृषि भूमि पर दुकानों का निर्माण हुआ और नाला, जो दुकानें बनी हुई थीं वहां आकर के उसको छोड़ दिया गया। क्योंकि वहां दुकानें बनी हुई थीं, उन लोगों ने कोई स्टे-आर्डर भी लिया बताया तो जब स्टे-आर्डर वहां पर मिल गया तो पहले दुकानें बनी हैं और अनअथोराइज कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जब आपकी वहां पर यू. आई. टी. थी, नगर परिषद थी तो इन लोगों ने अपने क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड होते हुए भी, वह खेत है वह नगर परिषद क्षेत्र में और यू. आई. टी. का उसमें जुरिस्डिक्शन है, आपने यह कंस्ट्रक्शन क्यों होने दिया? अगर आपने कंस्ट्रक्शन होने दिया और उसके बाद में स्टे मिल गया और आपने चार तारीख को इन दुकानों को तोड़ा है, तो वह चार तारीख को स्टे-आर्डर था या बिना स्टे-आर्डर के तोड़ा है या आपने स्टे-आर्डर को वेकेट कराया था? जहां तक मेरी जानकारी है, आपने स्टे-आर्डर को वेकेट नहीं कराया और उन दुकानों को आपने ध्वस्त किया तो पहले अगर उस वक्त यह एक्शन ले सकते थे, इस आत्मदाह के बाद में तो यह प्री-कॉशनरी मेजर कंस्ट्रक्शन आपने इल्लीगल अतिक्रमण क्यों होने दिया? वहां पर कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर लैंड में जो आप मुरब्बा बता रहे हैं, उस जमीन में आपने क्यों अलाउ किया (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : 4 तारीख को दुकानदारों ने खुद ने तोड़ा है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच में नहीं बोलें। उसके बाद में आपने इन दुकानों से वहां से हटाया है, यह हटाने की कार्यवाही आप पहले कर लेते तो शायद यह हादसा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट यहां क्या-क्या सवाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : जनता ने कह दिया कि दिल्ली की तरफ देखो ही मत। अब आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, 1-2 सप्लीमेंट्री करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जाएं। गृह मंत्री महोदय इस बहस का जवाब दे रहे हैं पहले बैठिये आप। पहले आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पहले मेरी बात भी सुन लीजिये, फिर जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया। जितना सुना उसका जवाब तो लीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं जी, बहुत मुद्दे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कुछ भी नहीं दिया है, जवाब क्या दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब लेना ही नहीं चाहते हैं इसका मतलब (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप पहले का दिलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह सात महीने की हिस्ट्री है, इन्होंने तो दो दिन की हिस्ट्री लिखी है।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : 29 नवम्बर को जब आत्मदाह करने की कोशिश की लक्ष्मण खींची ने नगर परिषद में, उसके बाद में 12 जून को मीरा विहार चौक में चार लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की और उसके बाद में 27 तारीख को आत्मदाह हो गया, तब आपकी कहां गई थी सरकार ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाल तो आ चुके हैं। यह तो आ चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल इन्दौरा : तीन-तीन बार यह घटना हुई है। नवम्बर में हुई है, जून में हुई है, उसके बाद में अब हुई है तो तो सरकार ने क्या किया ? सरकार की क्या हमदर्दी रही ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह आत्मदाह की घटना चार बार हुई है और चार बार पुलिस पकड़ कर ले गई थी लोगों को, यह एक लक्ष्मण खींची नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये। 2-2 माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप बिराज जाएं। श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से दो प्रश्न पूछना

(श्री जगदीप धनखड़)

चाहता हूं। आपके स्टेटमेंट से जाहिर है कि जिला प्रशासनिक ढांचे के कई अधिकारियों का आपने तबादला कर दिया और तबादले का आधार यह है कि उनको आपने दोषी माना, तो क्या इस सम्बन्ध में आपके पास कोई जांच रिपोर्ट है? जरूर कोई जांच कराई गयी होगी, जरूर कहीं कोई संकेत मिला होगा या मात्र किसी के कहने से कर दिया या उनका कोई धणी-धोरी नहीं था ?

दूसरा, प्रश्न मेरा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, 1994 में इसी विधान सभा में कोटा केरोसिन कांड पर चर्चा हुई। माननीय चतुर्वेदी जी के क्षेत्र में कई लोग मारे गये और मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से इंक्वायरी करा लेते हैं। क्या हुआ उसका ? उसको पूरी तरह से अबोड कर दिया गया। प्रशासनिक लेप्स थे वहां।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से सवाल है, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं, यहां भी यही होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस सदन में जितनी घोषणाएं चाहे ब्यावर पेयजल की हो 1995 की चाहे कोटा केरोसिन कांड की हो, जहां लोग मर गये, जहां आपने कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी निश्चित कर दी, उसके बाद बिना हाउस को कोन्फिडेंस में लिये बगैर उसको खतम कर दिया। यदि जिम्मेदारी तय होती निश्चित रूप से जो प्रशासनिक लापरवाही श्रीगंगानगर में हुई है, वह नहीं होती, तो आप यह बतायें कि तुरन्त ही बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर से जांच कराने के अलावा सक्रियता से जो जांच हो सकती है, वह क्यों नहीं करा रहे हैं ? क्या कोई यह लीपातोती का मामला है ?

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी। कृपया बिराजिये। अब नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : केवल दो मिनट के लिए। केवल एक मिनट के लिए। सिर्फ एक मिनट, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। केवल एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सदन का बहुत समय ले लिया है। सवाल आपके कई ठोस आये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : केवल एक मिनट, मेरा निवेदन यह है कि क्या सरकार जिन दुकानों को तोड़ा है उनको मुआवजा देने की घोषणा करेगी ? यह मुद्दा है। दूसरे लोग जो उजड़ गये, उनको बसाने की उनकी कोई मंशा है या नहीं है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाएं। सवाल वह समझ गये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सवाल और है। सवाल और है।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : राधेश्यामजी के सामने तो दुकानों का मुद्दा है, खींची का मुद्दा नहीं है, इनके सामने दुकानों का मुद्दा है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये जब चेयरमैन थे तब ही तो बनाई थी ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह एक बहुत ही गम्भीर हृदय विदारक घटना पर मुझे यहां बोलना पड़ा है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों से और विशेष तौर से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य से और दूसरे माननीय सदस्यों से कि मैंने अपने वक्तव्य में जितने तथ्य थे, वे सारे रख दिये जिस तरीके के विस्तारपूर्वक वक्तव्य की मेरे से अपेक्षा थी तो वह बहुत लम्बा इसलिए बनता कि मैं इसमें राजनीति भी नहीं लाना चाहता था....

श्री हीरालाल इन्दौरा : राजनीति इसमें है ही नहीं । (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : राजनीति क्या है, वह नगर परिषद पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि मैं इन सवालों पर यहां पर प्रकाश डालूं कि नगर परिषद किसके वर्चस्व की है, यह स्टे लेने में कौन-कौन ने मदद की, जो लोग काबिज थे वह किस-किस राजनीतिक विश्वास के थे, यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है । यहां पर दो प्रश्न है । एक प्रश्न यह है कि नाले का निर्माण लम्बे समय तक क्यों नहीं हुआ, यह है सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित । एक दूसरा सवाल, और दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण खींची आत्मदाह करने में सफल कैसे हो गया, उसके दूसरे साथी भी कैसे हो गये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि 3-7-98 को कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के अन्तर्गत श्री एस. पी. पाठक, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस, जो मेम्बर आफ रेवेन्यू बोर्ड है, उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है और उन्हें तीन महीने के अन्दर-अन्दर अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दे दिये गये हैं । इसलिए आपकी यह आशंका कि इस मामले में भी कोई इधर-उधर हो जायेगा, ऐसी बिलकुल गलत है और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मुझे यहां यह स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है ।

प्रतिपक्ष के नेता ने एक सवाल उठाया है । प्रतिपक्ष के नेता, 22 तारीख को यह घोषणा की गई थी कि हम 27 तारीख को आत्मदाह करेंगे, उस समय नामों की घोषणा नहीं की गयी थी और 26 तारीख को उन्होंने नामों की घोषणा की कि कल 11 बजे हम कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करेंगे । यही एक बिन्दु है, मैं इसको स्वीकार करता हूं यहां कि 26 तारीख को पांच नामों की घोषणा हो जाने के बाद और जिस तरह से लक्ष्मण खींची आत्मदाह करने में सफल हो गये, अपने आपको जलाने में । मैं आपको यह भी निवेदन कर दूं कि अजय गुप्ता जो पहला व्यक्ति आया था, वह दौड़ कर घुस गया अन्दर और वहां जाकर लाइटर जलाने की कोशिश की अपने कपड़ों को, उसके ऊपर

(90)

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसने केरोसिन और यह तो पहले डाल रखा था लेकिन वहां लाइटर और वहां तुरन्त उसको पकड़ लिया गया, उसके लाइटर को भी नहीं जलने दिया गया, उसको बचा लिया गया, ले लिया गया और इस दृश्य को देखकर इनकी योजना के हिसाब से अलग से, तो यह जो है लक्ष्मण खींची, ना मालूम कहां इसने अपने आप को जलाया लेकिन जब आया यह कलेक्ट्रेट परिसर के सामने, उस समय जलता हुआ आया था, दौड़ता हुआ और वहां पर उसको बुझा भी दिया गया, सब किया लेकिन तब तक यह नाइंटी परसेंट जल चुका था। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यहां कहां से योजना बनाकर, 26 तारीख को यह रात को गायब हो गये। अब यही एक बिन्दु है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसके कारण मैं इसको स्वीकार करता हूं, कि कलेक्टर, एस.पी., एडिशनल एस.पी., हमारा प्रशासन, उसको इतना जागरूक होना चाहिए था कि जब 26 तारीख की रात को ही ये नाम घोषित हो गये, तो उन्होंने क्या प्रिकाशन लिये और इनके ऊपर कैसे वाच रखी कि ये लोग गायब हो गये। इसीलिए एडिशनल एस.पी. भी, एस. पी. भी, कलेक्टर भी, एडिशनल कलेक्टर भी, इनको तुरन्त वहां से हटा दिया गया, इसका कारण है कि आखिर जनता भी यह सवाल पूछती है और सरकार के सामने भी यह सवाल विचारणीय था कि 26 तारीख को नाम घोषित हो गये और 27 को आदमी आत्मदाह करने की स्थिति में आ गया तो यह एक स्थिति थी इसलिए उस सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचे को हमने तुरन्त बदल दिया। इसका कारण यह भी है कि इस पक्ष की जो यह न्यायिक जांच है, जांच निष्पक्षतापूर्वक हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय राधेश्याम जी और वहां के सारे, उसमें सब, सर्वदलीय मांग वहां उठी थी कि यह जो प्रशासन है यह असफल रहा है, यह नहीं रोक सका। उस सर्वदलीय मांग के अनुरूप ही हमने यह कार्यवाही की।

उपाध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को आत्मदाह का प्रयत्न अन्दर किया था, यह मैं मानता हूं और इसमें एफ. आर. भी दी गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम राजनीति में जो लोग काम करते हैं....

श्री हीरालाल इन्दौरा : 22 तारीख को जो वहां हुआ, मीरा चौक में चार लोगों ने....

श्री कैलाश मेघवाल : कहां ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : आत्मदाह करने की कोशिश की चार लोगों ने और वह अरेस्ट हुए....

श्री कैलाश मेघवाल : 22 तारीख को किसी ने नहीं की।

श्री हीरालाल इन्दौरा : है, रिकार्ड में है। क्यों नहीं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आपके अखबार में होगा, मेरे सामने यह तथ्य नहीं आया, न किसी ने की। 12 तारीख को की है, दो व्यक्तियों ने घोषणा की थी और वे गायब हो गये। वह विक्की और एक कोई नाम और है, वह 12 तारीख को की और गायब हो गये, वह मिले ही नहीं, पुलिस वाले ढूंढ़ते

(श्री कैलाश मेघवाल)

ही रह गये । यह 10 तारीख को घोषणा की थी कि 12 तारीख को हम आत्मदाह करेंगे, दो व्यक्ति थे । इसलिए मैंने कहा कि विस्तार से मैं जाता, एक तारीख से जब आंदोलन का मुद्दा खड़ा हुआ, तो शायद 10 पेज का मेरा वक्तव्य हो जाता, क्योंकि रोज आन्दोलन हो रहे थे, बंद भी हो रहे थे, यातायात भी अवरुद्ध हो रहा था, और स्थितियां भी पैदा की जा रही थी, तो अगर मैं विस्तार में जाता तो आप स्वयं मुझे पढ़ते-पढ़ते ही टोक देते कि अच्छा-अच्छा, हो गया, अच्छा-अच्छा, हो गया, इसीलिए मैंने बिलकुल जिस्ट रखा है । 29 तारीख को जो आत्मदाह का प्रयत्न किया गया है उस प्रयत्न में एफ. आर. दी गयी, यह मैं स्वीकार करता हूं, यह तथ्य मेरे सामने आ गया था । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि आत्मदाह का प्रयत्न किस सीमा तक उसने किया, कैसे लोग बीच में पड़े, नगर परिषद आयुक्त भी थे, दूसरे पार्षद भी थे और सबने मिल मिलाकर आवेश में ऐसा कर दिया गया होगा, इस पृष्ठभूमि में एफ. आर. दी गई है, यह मैं स्वीकार करता हूं । इसलिए हमारे प्रशासन और ज्यादा जागरूक, यह अति भावुक व्यक्तित्व है, यह ध्यान रखना चाहिए था । यह प्रशासन की गफलत का एक कारण बहुत बड़ा है और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें एफ. आर. दी गयी है । 164 के बयान इसमें किस बात के लेते । आत्मदाह का प्रयत्न किया है, सबके सामने है, घोषणा करके किया है, कोई दूसरे ने, अब रहा सवाल, मैं उन बिन्दुओं पर नहीं जाना चाहता, मैं इसीलिए बचना चाहता था जो माननीय मंत्री गुरजंट सिंहजी ने एक स्थिति पैदा की कि कौन-कौन उकसाने वाले थे, किस-किस ने उनको उकसाया, यह भी अपराध है, लेकिन 6 प्रकरण उसमें दर्ज हुए हैं । मैं नहीं चाहता कि यहां पर उस बारे में अपनी बात कह करके, गृह मंत्री के रूप में, और उन सारे अनुसंधानों को प्रभावित करूं....

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं-नहीं, सूरतगढ़ में जो स्टेटमेंट लिया गया था उसका क्या हुआ, एस.डी.एम. के सामने ?

श्री कैलाश मेघवाल : स्वतंत्र रूप से उन 6 मुकदमों में जिसमें चार मुकदमे आत्मदाह के लिए उकसाने वालों के खिलाफ भी है और वह मुकदमे-प्रकरण अनुसंधानाधीन है, उनका अनुसंधान स्वतंत्र रूप से चले । मैं चाहता हूं आप जिस स्तर के अधिकारी से चाहते हैं, क्योंकि दो बातें हुई हैं । पहला जो यह आत्मदाह करके गिर गया और इसकी अग्नि बुझा ली गयी, यह है कलेक्ट्रेट के बाहर के परिसर की, यहां भी लोग इसको नहीं ले जाना चाहते थे । एक लाठी-चार्ज तो यहां हुआ है और यहां से सूचना जब वहां मीरा चौक पर पहुंची कि आत्मदाह तीन ने कर दिया, तीन ने कर दिया, इस सूचना पर वहां पर जो गड़बड़ हुई तो वहां पर भी दूसरी बार उनको हटाया गया, जो पैलेट्स हुआ, वह मीरा चौक पर, पैलेट्स यहां पर नहीं चलाये गये, वह मीरा चौक पर । लेकिन यहां पर भी लाठीचार्ज करके उनको हटा करके उसके बाद इसको अपने कब्जे में ले लिया, जब तुरंत सूचना जयपुर आई तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तुरंत उसी समय कहा कि हेलीकॉप्टर लेकर

(श्री कैलाश मेघवाल)

जाया जाए और लक्ष्मण खींची के आत्मदाह करने से जो 90 प्रतिशत जल गये हैं, यहां सबसे ज्यादा चिकित्सा कराई, चिकित्सा के बारे में आपको सारा मालूम है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह सारी चीजें जो आई हैं, यह आपके सामने है और इस विषय को हम बिलकुल स्वतंत्र इंक्वायरी का विषय होने दें, अनुसंधान स्वतंत्र रूप से हो और इसमें अगर इंक्वायरी में प्रशासनिक अधिकारियों की गलती पाई गयी तो नियमानुसार उनके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा, मैं यह सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। उसके शरीर पर कितने कपड़े थे पहनने के ? शरीर पर कितने कपड़े थे, बनियान होगी, उस पर कमीज होगी....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण। (व्यवधान) कृपया विराजें, बार-बार खड़े होते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप इसका जवाब दीजिये, कितने कपड़े। वह चार-पांच कपड़ों में लिपटा हुआ था....

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पूछने का हमारा राइट है। प्लीज, एक मिनट।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : और यह अफसोस की बात है कि पांच सौ आदमियों के सामने एक आदमी जल जाए, पुलिस भी खड़ी है और उसको बुझा नहीं सके।

श्री कैलाश मेघवाल : जलते हुए आया। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सब उसी वक्त, सब तहमद पहनने के, आप भी तहमद पहने हुए हो, वहां सभी तहमद वाले थे, तहमदें डालते तो भी बुझ जाती। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पूनमचन्दजी बिश्नोई ने जो बिन्दु सामने रखा है, यह भी जांच में ले लिया जाएगा कि वह कहां से जलते हुए आये, कैसे आये ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताने का....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

घोषणा

आय-व्ययक 1998-99 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1998-99 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 12 घंटे उपलब्ध हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न दलों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :—

भारतीय जनता पार्टी	6 घंटे 20 मिनट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	4 घंटे
जनता दल	20 मिनट
सी. पी. एम.	5 मिनट
निर्दलीय	1 घंटे 15 मिनट

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1998-99 प्रथम अवस्था सामान्य वाद-विवाद।

राज्य के परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1998-99 पर सामान्य वाद-विवाद-श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो घंटे के समय तक हमने एक कथा सुनी। मुझे बड़ा अफसोस है कि उसमें फाइनेंस की बातें कम थीं और ये बात ज्यादा थी कि कांग्रेस शासन ने क्या नहीं किया और 8 साल में हमने क्या कर दिया। मेरी राय में यह एक पलायनवादी सरकार का बजट है। जैसे कोई आदमी भागते हुए कि मैं तो जा रहा हूं और इस वास्ते मैं यह बजट आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब कोई सेना आगे बढ़ती थी, तो उस देश के लोग अपने सारे इंस्टालेशंस को जला देते थे, पुल जला देते थे, सड़कें जला देते थे, बिल्डिंग्स जला देते थे जिससे कि शत्रु सैनिक उनकी उन चीजों का उपयोग नहीं कर सकें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप विदेशी थोड़े ही हैं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह बी. जे. पी. सरकार यही काम कर रही है कि जाते-जाते किसी तरीके से राजस्थान को बरबाद करके चली जाए। जो आने वाले लोग हैं....

श्री मदन दिलावर : ये मुंगेरीलाल के सपने हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह आपने इस तरह किया है, आप जाते-जाते कर गये थे ऐसा।

श्री चन्दनमल बैद : उनको ऐसा बरबाद हुआ राजस्थान मिले कि उसको सुधारने में ही इनकी सारी ताकत लग जाए। मैं अपने आंकड़ों से यह साबित करूंगा। मैं कोई बात इस बात से नहीं कहूंगा कि आपकी पुस्तकों से ये बात साबित करूंगा वह मैं सब लाया हूं। मैं जबानी कोई बातचीत नहीं करूंगा। मैं मेरे भाषण में सारे आंकड़े आपकी पुस्तकों, आपके प्रकाशनों से लूंगा। अगर कहीं मैं गलती से सन्दर्भ देना भूल जाऊं तो कोई भी माननीय सदस्य मुझसे पूछ सकता है कि ये आंकड़े आप कहां से लाये हैं मैं उसका जवाब दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने 86 लाख रुपये की बचत का एक बजट

(९५)

(श्री चन्दनमल बैद)

रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह बचत कहां से आई ? घाटा आपका है 1332 करोड़ का। राजस्व घाटा 1332 करोड़

(13.43)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पीठासीन)

का है, उसमें आपने 1560 करोड़ रुपये पूंजी खाते के डालकर के उसको मुनाफे में बदल दिया 228 करोड़ रुपये और 227 करोड़ का तो पिछले साल का घाटा था उसको घटाकर 86 लाख रुपये का बचत का बजट पेश कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो बड़े आंकड़ों का एक जाल है इसको आप कैसे ही कर सकते हैं। कर्जा ले लिया। कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। कैपिटल अकाउंट में खर्चा आपने किया नहीं और जो कैपिटल अकाउंट का पैसा बचा वह रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया और रेवेन्यू अकाउंट के घाटे को आपने बचत में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि 280 करोड़ रुपये की जो चुंगी समाप्त की है उसके लिए आपने अपने बजट में लिखा है कि "चुंगी समाप्ति से होने वाली आय की कमी की राशि के पुनर्भरण का दायित्व सरकार लेती है।" यह 280 करोड़ का आपने कहां प्राविजन किया है। दायित्व आपका है। 1 अगस्त को चुंगी समाप्त हो जाएगी। दायित्व आपने अपने ऊपर ले लिया इसका प्राविजन कहां है, यह मुझे बताइये। मैंने बहुत ढूंढा है आपकी किताब में मुझे तो इसका प्राविजन कहीं मिला नहीं कि 280 करोड़ रुपये आप कहां से लाएगे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आगे और लिखा हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : आगे लिखा हुआ है वही तो कह रहा हूं। अगर 1 अगस्त के पहले वह काम आप नहीं कर सके, जो काम आप साढ़े चार साल तक नहीं कर सके तो 20 दिन में कैसे कर देंगे ? वह 280 करोड़ रुपये का प्राविजन कहां है, बजट में प्राविजन नहीं है। कंटेंजेंसी फंड आपने जीरो रखा है, तो कंटेंजेंसी फंड भी नहीं है और बजट में प्राविजन भी नहीं है, तो ये पैसा कहां से लाएंगे आप ?

दूसरा आपने 50 करोड़ रुपये के टैक्स माफ किये हैं, 30 करोड़ रुपये की लाटरी माफ की है। ये 80 करोड़ का आपने चुनावी भार सौंप दिया है और उसके बदले में 10 करोड़ के टैक्स लगाये हैं। अब आप यह कह रहे हैं कि 70 करोड़ रुपया आपके शब्दों में कह रहा हूं बेहतर कर प्रबंधन के द्वारा की जाएगी। ये 270 करोड़ रुपया आप बेहतर कर प्रबंधन के द्वारा वसूल करेंगे। अब आपका ट्रेक रिकार्ड क्या है। पिछले साल भी आप ही वित्त मंत्री थे। पिछले साल का आपका रिकार्ड क्या है जरा मुझे बता लेने दीजिये। कर राजस्व से पिछले साल बजट एस्टिमेट 3928.48 करोड़ था और रिवाइज्ड एस्टिमेट में वह आप कह रहे हैं अब हमारा 3768.78 करोड़ ही होगा। यानी आपके कर राजस्व में 159.70 करोड़ कम वसूल होंगे। पिछले साल आपके कम वसूल होंगे कर में और अकर राजस्व में, नान टैक्स रेवेन्यू में भी बजट एस्टिमेट है 1495.79 करोड़ का। अब आप रिवाइज्ड एस्टिमेट में यह कह रहे हैं कि यह वसूल होगा 1434.99 करोड़ यानी अकर राजस्व में भी 57.80 करोड़ रुपये कम वसूल होंगे। राजस्व खर्च देखिये

(श्री चन्दनमल बैद)

आपका। राजस्व खर्च में आपने लिखा है कि बजट एस्टिमेट 9146.94 करोड़ रुपये और खर्च होगा बजट रिवाइज्ड अनुसार एस्टिमेट के 9209.72 करोड़ रुपये यानी खर्च भी 62.79 करोड़ बढ़ जाएगा। इस वास्ते पिछले साल के आपके सारे आंकड़ों में 280 करोड़ का घाटा हो जाएगा। इस साल कहते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के सहारे हम ये 70 करोड़ का घाटा पूरा कर लेंगे। पिछले साल तक आपने 280 करोड़ की कमी कर दी और इस साल आप इतने तेज हो गये, इतने होशियार हो गये, आपका इतना अनुभव बढ़ गया कि आप 70 करोड़ रुपये उसके पूरा कर लेंगे। आप बार-बार इस बात को कहते हैं, खासकर के मुख्य मंत्री जी कि हमारे वित्त प्रबंधन की बड़ी तारीफ हो रही है। कभी प्लानिंग कमीशन का नाम ले लेते हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम ले लेते हैं। अब प्लानिंग कमीशन तो आपके स्टेटमैंट का विरोध करने यहां आएगा नहीं और न वित्त मंत्री कभी आपके स्टेटमैंट का विरोध करने आएंगे।

माननीय वित्त मन्त्री जी, मैं पूछना चाहता हूं उस आदमी का नाम जो आपके कुशल वित्तीय प्रबन्धन की तारीफ कर रहा है। मैं दिल्ली जाकर उस आदमी से मिलना चाहता हूं, क्योंकि आप बार-बार यह बात कहते हैं कि हमारा वित्तीय प्रबन्धन बड़ा कुशल है। यही कुशलता है आपके वित्तीय प्रबन्धन की ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : रिजर्व बैंक से मिल लीजिये। रिजर्व बैंक की रिपोर्टस पढ़ लीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : जो ब

बनाते हैं आप रिवाइज्ड एस्टिमेट

280 करोड़ का घाटा हो जाता है। आ

70 करोड़ का घाटा आप खुला छोड़ रहे हैं। 280 करोड़ रुपये का आक्ट्राय का कोई प्राविजन नहीं है। आप बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से इसको पूरा कर देंगे पिछला रिकार्ड तो आपका यह कहता है कि आप उलटा घाटा बढ़ा देते हैं। अगर वी. डी. आई. एस. का पैसा नहीं मिलता (वालेण्टरी डिस्क्लोजर आफ इनकम स्कीम) का पैसा नहीं मिलता तो आपका घाटा और भी ज्यादा होता। जो पैसा बढ़ा है आपका सैंट्रल गवर्नमैंट से जो एड मिलती है उससे सैंट्रल गवर्नमैंट से जो एड मिली है और सहायता मिली है वह बढ़ी है और बाकी सारी चीजें घटी हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं आपको किताबें कह रही हैं जो मैं अपने साथ लाया हूं और आपके पास नहीं हो तो मेहरबानी करके मुझसे लेकर के देख लीजिये आपकी सब चीजें घटोतरी हुई है केवल भारत सरकार से सहायतार्थ जो अनुदान आपको मिला है, करों का हिस्सा जो मिला है वह बढ़ा है बाकी सारी चीजें, खर्चा आपका बढ़ा है और सारी आमदनी घटी है। इससे यह साबित होता है कि आपका वित्तीय प्रबन्धन कुशल नहीं है।

आपने डेढ़ घंटे तक हमको अपने प्रबन्धनों का, आपने जो बड़े-बड़े काम किये हैं आठ साल में उसका वर्णन किया और हमको उसका भाषण सुनाते रहे। मैं भी थोड़ा-सा जो आपने बड़े-बड़े काम किये हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि आपके पास दो घंटे थे, ताकत भी आपके पास ज्यादा है, क्योंकि

(श्री चन्दनमल बैद)

आपको आदत है उसकी, दो-दो घंटे तक कथा बांचने की। मेरे पास तो यह आदत है नहीं। मैं तो जल्दी थक जाता हूं, बीमार भी हूं। इसलिए थोड़े समय में ही मैं आपके कुशल वित्तीय प्रबन्धन की ओर आठ साल में बड़े भारी काम किये हैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम तो आपने, इससे पहले कि मैं वह शुरू करूं मैं एक निवेदन करता चाहता हूं कि राजस्व अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को मेनिप्यूलेट किया जा सकता है। कैपिटल अकाउंट में उधार ले लीजिए। कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। खर्चा मत कीजिए, पैसा बच गया। उस पैसे को रेवेन्यू अकाउंट में ले जाइए और रेवेन्यू अकाउंट में जो घाटा है वह मुनाफे में बदल जाएगा। लेकिन राजकोषीय घाटे में यह नहीं हो सकता और आपका स्टेटमेंट क्या रहा अखबारों में कि स्टेट्स के लिये राजकोषीय घाटा अप्रासंगिक है। उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है रेलेवेंस ? दूसरी बार यह कहते हैं कि स्टेट्स का और सेंट्रल का राजकोषीय घाटा निकालने के नियम अलग हैं। कैसे अलग हैं ? जितने हैड्स हैं वह कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया तय करता है न स्टेट गवर्नमेंट तय करती है न सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। उन हैड्स के अनुसार आपको अपना हिसाब रखना पड़ता है। उन हैड्स के हिसाब से आपको रेवेन्यू घाटा या मुनाफा निकालना पड़ता है। उन हैड्स के हिसाब से आपके कैपिटल मुनाफा या घाटा निकालना पड़ता है और उसी हैड्स के हिसाब से आपको राजकोषीय घाटा या सारा पाइंट निकालना पड़ता है। प्रासंगिक है, क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट आप मेनिप्यूलेट कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट आप मेनिप्यूलेट कर सकते हैं, राजकोषीय घाटा आप मेनिप्यूलेट नहीं कर सकते हैं। मैंने केलकुलेट किया है कि इस साल आपका राजकोषीय घाटा 5456.18 करोड़ है और उसका जो तरीका है वह सेंट्रल बजट की मैं कापी लाया हूं, उस तरीके से आप, जैसे उन्होंने अपना घाटा केलकुलेट किया है उसी तरीके से आप भी अपना घाटा केलकुलेट कर लीजिए। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अभी जो पेश हुआ है "बजट एट ए ग्लांस", जैसे आपका "बजट एट ए ग्लांस है," उनका भी "बजट एट ए ग्लांस है।" उन्होंने राजकोषीय घाटे को जो तरीका दिया है 1+5+6=60। आप भी अपने 1+5+6 में जो आपके हैड्स हैं, जिस तरीके के हैड्स आपने इसमें दिये, जो हैड 1, 5 और 6 में है, उन हैड्स को आप जोड़ लीजिए और 16 मीन का जो हैड है उस हैड को इसमें से घटा दीजिए, आपका राजकोषीय घाटा निकल जाता है और मेरे हिसाब से वह राजकोषीय घाटा आपका निकलता है 5456.18 करोड़। यह होता है आपकी सकल घरेलू उत्पाद का 10.4 पर्सेंट। पिछले साल तो आप मुझसे बड़ी बहस करते रहे टी.वी. पर कि हमारा राजकोषीय घाटा 4 पर्सेंट है और हम आपको समझा देंगे और इस साल राजकोषीय घाटे के बारे में चुप हो गये। कहते हैं यह तो इर्रेलेवेंट है। हमारा राजकोषीय घाटा निकालने का तरीका अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा निकालने का तरीका अलग है। यह कैसे हो सकता है ? आपका राजकोषीय घाटा जो तीन या चार परसेंट होना चाहिये वह 10.4

...। आपका बजट का ...ल अकाउंट का मुनाफा ...वेंट है, रेलेवेंट यह राजकोषीय जो स्टेट की सही फाइनेंशिल ...र बताता है और पिक्चर बड़ी शोचनीय ...र दयनीय है।

अब आपने जो उपलब्धियां बतायीं हैं उनके बारे में अगर आप मुझे थोड़ी-सी इजाजत दें तो मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। 1989-90 में कांग्रेस सरकार 35 साल तक राज करने के बाद हटी। सभापति महोदय, प्रजातंत्र का नियम है कभी यह पार्टी राज में आती है, कभी वह पार्टी राज में आती है। केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में जनता दल की सरकार आयी और अब बी. जे. पी. की सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार आ गयी। कल क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। प्रजातंत्र में तो यह होता रहता है। हमने 35 साल तक इस स्टेट में राज किया। उसके बाद आपकी सरकार आई। हमने 35 साल में 6026 करोड़ रुपये का कर्जा लिया। वह इस तरह से पब्लिक डेट था हमारा 4349 करोड़ रुपया। यह आपकी किताबों से ले रहा हूं सारी बातें और आपको विश्वास नहीं हो तो 1989-90 के बजट के फिगर्स नीचे लाइब्रेरी में मौजूद हैं। मैं देखकर आया हूं, आप भी देख लीजिए। पब्लिक अकाउंट था 1677 करोड़, कुल 6026 करोड़ का घाटा हम आपको छोड़ कर गये थे और उस समय इस कर्ज के अगेंस्ट में 1989-90 में हमने 499 करोड़ रुपया ब्याज चुकाया और अब आपने 8 साल में क्या किया ? माननीय सभापति महोदय, अब कर्जा हो गया 23,361 करोड़ रुपये का, 4 गुना कर्जा कर दिया आपने 8 साल में। हमने 35 साल में 6 हजार करोड़ कर्जा किया और आपने उस 6 हजार को बढ़ाकर 8 साल में 23,361 करोड़ रु. कर दिया, वह भी आपकी किताब से ही है। जो आपका वोल्यूम थ्री बी है उसके पेज नम्बर 3 और 183 पर देख लीजिए। आप कहेंगे चन्दनमलजी आपको पेज कैसे याद रह जाते हैं ? यह तो मैं फाइनेंस का कीड़ा हूं, मुझे फाइनेंस की बात याद रह जाती है और आपको दूसरी चीजें याद रहती हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, आपको कैसे याद रह जाता है यह बात, आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान थे....

श्री चन्दनमल बैद : वह किस्सा आप कह चुके।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सब को सुना दूं। (व्यवधान) वे जब भाषण देते तो अपनी बात के समर्थन के लिए वेद कासमुल्लास और उसकी युक्ति बताते। किसी आदमी ने उनसे पूछा कि आपको कैसे याद रहा ? तो वह कहते-पहली बात तो यह है कि किसी और को यह पता ही नहीं है और दूसरा अगर किसी और को पता हो, तो बहुत-सी किताबें हैं, भिन्न-भिन्न प्रकाशकों की है। मैं कहूंगा कि तुम जो ला रहे हो वह गलत है मेरे प्रकाशक वाली नहीं है। इसलिए इसका तो पता जरूर ही नहीं चलेगा कि आपको कैसे याद है।

श्री चन्दनमल बैद : 1998-99 की आपने जो पुस्तक हमें दी है थ्री बी, उसमें

(श्री चन्दनमल बैद)

अगर यह नहीं मिल जाये तो मैं इस विधान सभा इस्तीफा दे दूंगा या आप मुझसे माफी मांग लीजिएगा। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हैं आप। मैं आपकी तरह से फाइनेंस का कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। पेज 3 और 183 पर, पेज 3 पर 14857 और पेज 183 पर 8464 करोड़ पब्लिक अकाउंट का अगर नहीं मिल जाए, तो मैं इस विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। आप किताब मंगा कर देख लीजिए। अगर आपके पीछे कोई फाइनेंस का आदमी बैठा हो, तो उससे मंगा लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस बुढ़ापे में इतना गुस्सा ठीक नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : 1998-99 का बजट है यह। 8 साल में कर्जा 4 गुना हो गया और ब्याज कितना देंगे आप, आपकी इसी किताब में लिखा हुआ है। बजट एट ए ग्लांस....

(14.00)

2217.25 करोड़ रुपये, है या नहीं, किताब आपकी है या मेरी है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : सही है जितना कर्जा ज्यादा होगा, उतना ब्याज ज्यादा होगा।

श्री चन्दनमल बैद : तो कर्जा बढ़ा दिया 8 साल में 4 गुना, ब्याज बढ़ा दिया $4\frac{1}{2}$ गुना और सुनिये, इस बात को, तारीफ की क्या बात है। आपकी सैल्स टैक्स की रेवेन्यू है 2300 करोड़ रुपये। यह भी इसी किताब में लिखा हुआ है और आप ब्याज 2217 करोड़ रुपये। सैल्स टैक्स क की सारी आमदनी ब्याज के चुकारे मे गयी। आपकी टैक्स रेवेन्यू है 4440 करोड़, यानि 50 परसेंट ब्याज के चु में चला गया। असल तो गया जहन्नुम यह ब्याज के चुकारे में चला गया। टोटल रेवेन्यू रिसिट जिसमें भारत सरकार से जो आपको मिलता है, भारत सरकार से जो एड मिलती है वह सारी जो आपकी आमदनी है उसका 22 परसेंट आप ब्याज चुकाने में लगा रहे हैं। यह तो आपकी स्थिति है और आप बड़े घमण्ड से कहते हैं कि कुशल वित्तीय प्रबन्धन। भाई, कौन है वह आदमी जो कुशल वित्तीय प्रबन्धन बता रहा है आपको। राजस्थान में आज एक आदमी पर 5 हजार रुपये का कर्जा है। जितना कर्जा 15 बड़ी-बड़ी स्टेट्स में से किसी भी स्टेट में नहीं है और फिर आप कहते हैं हम तो 6 नम्बर पर आ गये। अजी, आप तो एक नम्बर पर हैं। कौन कहता है कि आप 6 नम्बर पर हैं। आप तो माननीय वित्त मंत्रीजी, एक नम्बर पर हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 1995-96 में भारत सरकार का जो कर्जा था वह प्रति व्यक्ति 3272 रुपये था और आपका 5 हजार का था। आपने तो यह बड़े-बड़े प्लांस लाकर इस प्रदेश को डुबो दिया। मैं अभी बताऊंगा, आपने उपलब्धियों के साथ-साथ यह भी बताया है कि हम परिसम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, हम कर्जा लेकर परिसम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी आपकी परिसम्पत्तियों के बारे में, आप फिर कह देंगे कि आप तो कथावाचक हैं। कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ

(श्री चन्दमल बैद)

इण्डिया की एक पुस्तक है, मार्च, 1996 की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है–फार द इयर एण्डेड 31 मार्च, 1996। यह भी आप कह दीजिये कि यह मैं कहीं ओर से ले आया। इसमें पेज 12 पर लाइबिलिटीज और असेट्स का वर्णन है। उस लाइबिलिटीज और असेट्स के वर्णन में यह लिखा हुआ है :—

1991-92 में आपकी लाइबिलिटीज थी 7648.79 करोड़, उसके अगेंस्ट में असेट्स थी आपकी 7283.76 करोड़, यह 1992-93 में बढ़कर आपकी लाइबिलिटीज हो गयी 8656.18 करोड़, आपके असेट्स रहे उसके बदले में 8181.65 करोड़ फिर 1993-94 में आपकी लाइबिलिटीज बढ़कर हो गयी 10040.79 करोड़ रुपये, आपकी असेट्स हो गयी 9268 60 करोड़, 1994-95 में आपकी लाइबिलिटीज हो गयी 11,868.34 करोड़ और आपके असेट्स हो गयी हैं 10,671.36 करोड़ और उसके बाद में 1995-96 तक की रिपोर्ट है, 1997 की रिपोर्ट तो आज आपने पेश की है जब मिलेगी तब देखूंगा कि क्या निकलता है, अप्रोप्रिएशन पर जब मौका मिलेगा तब आपको बता दूंगा। आपकी 1995-96 में लाइबिलिटीज हो गयी 14,138 83 करोड़ रुपये और आपके असेट्स हो गये 12,239.98।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले साल 1991-92 में आपकी लाइबिलिटीज और असेट्स में 365 करोड़ का डिफरेंस है, 1992-93 में आपकी लाइबिलिटीज और असेट्स में 374 करोड़ रु. का डिफरेंस आ गया, 1993-94 में 782 करोड़ रुपये का डिफरेंस आ गया, लाइबिलिटीज 782 करोड़ बढ़ गयी आपकी, 1994-95 में यह 1196 करोड़ का डिफरेंस आ गया और 1995-96 में यह 1898.85 करोड़ रुपये का डिफरेंस आपकी लाइबिलिटीज और असेट्स के बीच में आ गया। तो आप जो यह दावा कर रहे कि हम इतना बड़ा कर्जा लेकर परिसम्पत्तियां बना रहे हैं, असेट्स बना रहे हैं, यह बिलकुल गलत है। आपकी असेट्स घट रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। इस बात से यहां भी आपका कुशल वित्तीय प्रबन्धन फेल है।

अब आप एक बात और कहते हैं जिसको भी थोड़ा-सा एक्जामिन कर लिया जाए, माननीय चैयरमैन साहब, कि हम विकास कर रहे हैं। पहली बात तो यह कहते हैं कि हम परिसम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। भाई, विकास भी देख लें। आपने क्या लिखा। आप ही की किताबों से, मेरा कुछ नहीं है, यह आप ही की किताबें हैं, आप कहें तो मैं आपका निकालकर दे दूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपके पास क्या रहेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : कोई बात नहीं है, दूसरी ले आऊंगा। यह नाइंथ फाइव इयर प्लान का वोल्यूम वन है, यह नाइंथ फाइव इयर प्लान का वोल्यूम टू है, यह एट्थ फाइव इयर प्लान का 1992-97 का असेसमेंट है। यह सारा मेरे पास है, आपने नहीं दिया है एम. एल. एज. को, आप एम. एल. एज. को नहीं देते हैं यह, लेकिन हमको

(श्री चन्दनमल बैद)

मिल गयी कहीं से। मैं इन किताबों के आधार पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एड्थ फाइव इयर प्लान में एग्रीकल्चर तथा उसकी एलाइड सर्विसेज के लिए आपने सारे प्लान का, जो प्लान आपका था, 11500 का, जो पूरा हुआ 11,865 पर उस प्लान के एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज के लिए आपने 11.19 परसेंट हिस्सा रखा। पूरा कितना हुआ, एचीवमेंट क्या हुआ उसका परसेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 9.47। एग्रीकल्चर में 11.19 रखा और खर्चा किया आपने 9.47 परसेंट का, मतलब एग्रीकल्चर में शार्ट फाल कर दिया और नवें प्लान मे आपकी योजना है 27443 करोड़ की और आपने एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज के लिए 6.86 परसेंट का हिस्सा रखा है, एड्थ प्लान में हिस्सा रखा था 11 19 का, पूरा किया 9.47 और अब नवें प्लान में रखा है 6.86, रूरल डवलपमेंट में आपने आठवें प्लान में रखा था सारे प्लान का 8.86 परसेंट, पूरा किया आपने 7.35 और अब रखा आपने नवें प्लान में 7.21, क्यों नोट कर रहे हैं ? यह सारा किताबों में लिखा हुआ है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ताकि आपका जवाब दे सकूं।

श्री चन्दनमल बैद : स्पेशल एरिया प्रोग्राम में आपने एड्थ प्लान में रखा ·73 परसेंट खर्चा पूरा किया ·33 और अब रखा है ·51, मतलब एड्थ प्लान में 7.3 रखा था, अब रखा है 5.1, इरिगेशन और फ्लड में आपने रखा 16.70 परसेंट और खर्चा किया 15.51 परसेंट तथा अब रखा है आपने 10.48 परसेंट। पावर में आपने रखा था 28.21 परसेंट, खर्च किया आपने 26.12 परसेंट और अब रखा है 23.82 परसेंट। मेरा यह चार्ज है कि वह बी जे.पी. की सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों से सम्बन्धित जितने काम हैं उनके लिए जितने पैसे रखती है वह खर्च नहीं करती है और नवें प्लान में उसने और कम खर्च रखा है। हम जो बार-बार कहते हैं, परसरामजी मदेरणा, अशोकजी गहलोत और हमारे इधर बैठे हुए जो लोग कहते हैं कि बी. जे. पी. की सरकार किसान विरोधी है, यह भी आपके आंकड़ों से साबित होता है। यह आपके आंकड़े साबित करते हैं कि आप किसान विरोधी हैं।

आपने एक बात और कही कि इण्डस्ट्रीज और मिनरल में आठवें प्लान में आपने रखा 4.66 परसेंट का, खर्चा क्या किया, 5.48 परसेंट, मतलब ज्यादा किया, रखा उससे ज्यादा किया। और अब कितना रखा है, 7.75 परसेंट। यह साबित करता है कि आप किसान विरोधी हैं और व्यापारियों के हितों की सरकार है और दूसरी सरकार नहीं है। यह आपके आंकड़े साबित कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यह आपके आंकड़े कह रहे हैं। यदि आंकड़ों के बारे में कोई सन्देह हो, तो नवीं नाइंथ प्लान के वोल्यूम 1 की 2.10 टेबल और 3.6 टेबल को देख लीजिये। उससे मैंने ये फिगर लिये हैं। फिर आप कह देंगे कि कथावाचक ने कथा बांच दी। कथावाचक मैं हूं या कोई और है, यह तो पता चल जायेगा।

(श्री चन्दनमल बैद)

अब एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह तो हुई खर्चे की बात। अब अचीवमैंट की बात सुन लीजिए आप। यह भी इसी किताब में है, एट्थ फाइव इयर प्लान में ही है लिखा हुआ है। सेवंथ प्लान हमारा तीन हजार करोड़ का था जिसको पूरा किया हमने तीन हजार एक सौ कुछ करोड़ पर। हमारा पावर जनरेशन का था कि हम 385 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे सेवंथ प्लान के अन्दर, हमने जनरेट किया 569 मेगावाट। तीन हजार करोड़ के प्लान में विकास दर थी राजस्थान की 7.06 और आपके 12 हजार करोड़ के प्लान में विकास दर हो गयी 7 परसेंट यह भी आपके किताब से ले रहा हूं मैं। यह जो आपकी किताब है, इकोनोमिक सर्वे, इसी से ले रहा हूं सारी बात। मैं किताब इस वजह से लेकर आया हूं कि एक बार मैं दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट लेकर नहीं आया था। आपने मुझे वह किस्सा सुना दिया। किताब होती तो मैं उसी समय यहां पटक देता। अब आप बोल जाएंगे तो सब दिखा दूंगा। मेरे पास सब नोट है, पेज भी नोट है और पैरा भी नोट है।

माननीय चेयरमैन साहब, प्रति व्यक्ति आय भारत की 1991–92 में है 2175 रुपये और राजस्थान की थी 1761 रुपये। राजस्थान की और भारत की प्रति व्यक्ति आय में 414 रुपये का फर्क था। वर्ष 1996–97 में भारत की प्रति व्यक्ति आय हो गयी 2761 रुपये और राजस्थान की हो गयी 2215 रुपये। मतलब, दोनों में पहले फर्क था 414 रुपये का और अब हो गया 554 रुपये का। यह आपके 12 हजार के प्लान के बाद की हालत है। आप कह रहे हैं कि हम गैप को ब्रिज कर रहे हैं, हम पांचवें स्थान पर पहुंच रहे हैं। कौनसे स्थान पर पहुंच गये हैं? अपने मुंह मियां मिट्ठू, हमारा बड़ा कुशल वित्तीय प्रबन्धन है। उसने तारीफ कर दी, उसने तारीफ कर दी, किसने तारीफ कर दी? नाम बताइये उसका, जरा, जिस आदमी का नाम सुनें उसके पास जाएं और पूछें, भैया, आपने क्या तारीफ कही थी, बताओ तो सही हमको।

अब आप जरा अपने अचीवमैंट की बात सुन लें। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपने 11800 व कुछ करोड़ खर्च किये। आपने खाद्यान्न का लक्ष्य रखा 116 लाख टन और उपलब्धि कितनी हुई, 113.29 लाख टन की। इसमें शॉर्ट-फाल हो गया। तिलहन में आपने लक्ष्य रखा 39 लाख टन का, उपलब्धि आपकी हुई 32.23 लाख टन, इसमें भी शोर्ट-फॉल हो गया। यह 12 हजार करोड़ रुपये कहां गये? सिंचाई में आपने लक्ष्य रखा कि 429.30 लाख हैक्टेयर में सिंचाई बढ़ाएंगे और सिंचाई बढ़ायी आपने 306.49 लाख हैक्टेयर में। सिंचाई में भी शोर्ट फाल हो गया। विद्युत में आपने कहा था कि 540.19 मेगावाट हम बिजली पैदा करेंगे, आपने पैदा की 258.65 मेगावाट। हमने ढाई सौ मेगावाट कहा और पांच सौ मेगावाट कर दी और आपने 500 मेगावाट कही और ढाई सौ कर दी। बात तो उल्टी हो गयी न। और आपने बड़ी उपलब्धियां कर दीं, हमने 35 साल में तो डूबो दिया और आपने तिरा दिया, यह तिराने के आपके फिगर्स हैं। आपकी कहानी आपकी जुबानी।

(श्री चन्दनमल बैद)

अस्पतालों के लिए आपने कहा था कि हम 222 अस्पताल खोलेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपने खोले 219। एक साल मनाया था आपने, स्वास्थ्य को समर्पित किया था बजट। डिस्पेंसरी आपको खोलनी थी 301, उसके अगेंस्ट में खोली आपने 278, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आपको खोलने थे 371, आपने खोले 261, आपको मरीज शैय्या बढ़ानी थी 39,985, उसके अगेंस्ट में 36,982 मरीज शैय्या हुई। आपको 2,37,301 आवास बनाने थे, डवेलिंग हाउसेज, गृह, उसके अगेंस्ट में आपने 1,11,619 बनाये। इन सारी चीजों में शोर्ट कॉल है, तो ये 12 हजार करोड़ रुपये कहां गये, वित्त मंत्रीजी ? यह बड़ी भारी खोज की बात होगी कि 3 हजार करोड़ रुपये में इतना बड़ा काम हो गया और उससे चौगुने बजट, 12 हजार करोड़ रुपये में इतने बड़े शोर्ट फॉल हो गये। ये खोज का विषय होगा, पता लगाना पड़ेगा कि यह कहां चला गया यह पैसा।

अब सुनिये ग्रामीण विकास की बात। आप किसान विरोधी तो हैं ही, ग्रामीण विकास में आपने क्या घपला किया। सुन लीजिए, वह पैसा तो आपका नहीं आता है, भारत सरकार से आता है। ग्रामीण विकास में आपको, आई आर. डी. पी. में 6.92 लाख परिवारों को लाभान्वित करना था। उसके अगेंस्ट में आपने 4.89 लाख परिवारों को लाभान्वित किया। वह शोर्ट फॉल क्यों हुआ ? जवाहर रोजगार योजना में आपको 34.09 करोड़ मानव दिवस सृजित करने थे, इतने मैनडेज होंगे, उसके अगेंस्ट में आपके 18.13 करोड़ मैनडेज हुए। मैनडेज। हां, कहां चले गये पैसे ? 34 करोड़ मैनडेज के अगेंस्ट में 18 करोड़ मैनडेज आपने किये। कहां चले गये ये ? ग्रामीण पेयजल योजना, जिसके लिये मुझे दोष दिया जाता है कि चन्दनमलजी ने आन्दोलन राजनीतिक कर दिया। अब भाई, मैं तो राजनीतिक करता हूं। राजनीति का ही आदमी हूं। 60 वर्ष हो गये राजनीति करते। अब क्या राजनीति छोड़ दूंगा ? (व्यवधान) हां, राजनीति करूंगा। व्यापार नहीं करूंगा। दुकान पर नहीं बैठूंगा। ग्रामीण पेयजल योजना में आपको 4428 ग्रामों में पेयजल पहुंचाना था, आठवीं योजना में। आपने पहुंचाया 2736 गांवों में। यह भी शार्ट फाल। यह पूछने का हमारा हक बन जाता है कि यह सारे पैसे गये कहां ? आप न तो परिसम्पत्तियां बना रहे हैं, न विकास का काम कर रहे हैं और कर्जा धड़ाधड़ बढ़ाते चले जा रहे हैं। चार गुणा कर्जा बढ़ गया, साढ़े चार गुणा ब्याज हो गया और कुशल वित्तीय प्रबन्धन की दुहाई दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : यह आंकड़े भी कागजी आंकड़े हैं। वास्तविक आंकड़े नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : 1997–98 में आपकी ग्रोथ रेट कितनी बढ़ी ? आपकी किताब कह रही है, यह 10.56 परसेंट, यह ग्रोथ रेट है आपकी और बन गये, कितने नम्बर पर आ गये, पांच नम्बर पर आ गये। अजी, एक नम्बर पर आ गये कर्जे में आप। उद्योग मंत्रीजी, औद्योगिक उत्पादन भी घटे

(श्री चन्दनमल बैद)

हैं आपके। इसके भी आंकड़े दे दूं, तो आप कहेंगे कि यह तो यूं ही असत्य बोल रहा है। (व्यवधान) नहीं कहेंगे न ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो पढ़ दें।

श्री चन्दनमल बैद : यह किताबें क्यों पढ़ दें, किताबें तो मैं पढ़ रहा हूं न। मुझे टाइम मिलता है। मेरे मित्र कहते हैं कि चन्दनमलजी को तो चूरू जिले में जाने का टाइम ही नहीं मिलता। चूरू जिले में अप्रेल–मई....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिश्ता खराब मत करिये। मित्र नहीं साहब। वह दादा-पोते का रिश्ता।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे मित्र के पोते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह कहो साहब, यह कहो।

श्री चन्दनमल बैद : अप्रेल-मई में मैं कम से कम तीस दिन चूरू जिले में रहा हूं। आप कहेंगे तो मेरी इटिनरेरी भेज दूंगा आपको। समझे आप। राठौड़ साहब वहां पर बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि चन्दनमलजी बीमार हैं, तारानगर से मैं चुनाव लड़ूंगा। स्वागत है, आपका। स्वागत है। (व्यवधान) चुनाव की बात यह करते हैं, मैं क्या करु ? वहां जाकर के करते हैं तो मैं क्या करु ?

चीनी का उत्पादन 1996 में था 30417 टन, 1997 में हो गया 26373 टन, घट गया, 13 परसेंट से ज्यादा घट गया। वेजिटेबल घी का उत्पादन 1996 में था 29545 टन घटकर 1997 में हो गया 24985 टन, यह भी 15 परसेंट घट गया। यूरिया थी 399 हजार मैट्रिक टन, वह पैदावार 398 हजार मैट्रिक टन, उसमें भी घट गया। सुपर फास्फेट 35 हजार टन, वह हो गया 27 हजार टन। सीमेंट होनी चाहिये थी, 1996 में हुई 6535 हजार टन, वह हो गयी 6495 हजार टन, वह भी घट गया। माइका भी 10035 इंस्यूलेटिंग ब्रिक्स होनी चाहिये थी, माइका की दस हजार....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई नहीं समझता, बोल दो।

श्री चन्दनमल बैद : क्या ? 10035 हजार टन, वह हो गयी 472 हजार टन। जिंक फिटनोटस होने चाहिये थे 92 हजार टन, वह हो गये 90 हजार टन। केरियम फिनिशड होना चाहिये था 159 टन वह हो गया 149 टन, 1997 में और बाल-बियरिंग होने चाहिये थे 233 लाख, वह हो गये 228 लाख, 1997 में 1 वाटर मीटर होने चाहिये थे 41820, वह हो गये 40776, पालिशड एण्ड री पालिशड स्टोन, स्क्वायर मीटर के हिसाब से होने चाहिये थे 237 हजार, हुए 167 हजार, रेडियेटर होने चाहिये थे 4549, हुए 4186। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका कृषि उत्पादन में शार्टफाल हुआ ही, लेकिन माननीय वित्त मन्त्रीजी, आप इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, आपके डिपार्टमेंट में भी यह शार्टफाल हुआ। आप कहें तो मैं और पढ़ दूं, सारी इन चीजों में शार्टफाल ही शार्टफाल है। इलैक्ट्रिक मीटर्स में आपका शार्टफाल है। 6, 32,966 होने चाहिये थे,

(श्री चन्दनमल बैद)

उसकी जगह हुए हैं, 4,80,010 नायलान यार्न, होना चाहिये था 3892 टन, हुआ है 2121 टन, पोलिएस्टर यार्न होना चाहिये था 11,578 टन, हुआ है 4472 टन, 61 परसेंट कम हुआ है। (व्यवधान) बढ़ा तो कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं ? किताब आपको दे दूं, आप सुना देना। हां, बढ़ी है तो मन्त्री परिषद है, वह सुना दूं। कैल्शियम कारबाइड, कास्टिक सोडा, पी. वी. सी., पी. वी सी. कम्पाउण्ड, सल्फिरिक एसिड, सारी चीजों में शार्टफाल। एग्रीकल्चर में शार्टफाल, इण्डस्ट्रीज में शार्टफाल। दो काम किये, प्लान बड़ा ले आये, कर्जा बढ़ा दिया। प्लान बड़ा लाकर के पैसे कहां चले गये ? कर्जा बढ़ाकर के क्या किया ? परिसम्पत्तियां बनायीं ? न विकास किया, न परिसम्पत्तियां बनायीं। मैंने शुरू में ही कहा था कि आठ साल में आपने राजस्थान को बरबाद कर दिया। मैंने एक टी वी. इन्टरव्यू में कहा था कि आगे आने वाला चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सिर पर हाथ रखकर रोएगा। इतना बरबाद करके जाएंगे आप, इतना बरबाद करके जाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मौका आपको नहीं देंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह सिरदर्द आपको नहीं देंगे। अपन ही भुगत लेंगे। हमारा सिर-दर्द हम ही भोग लेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप यह समझते हैं कि पीने का पानी मांगने वालों की हड्डियां और पसलियां तोड़ें और जनता आपको वोट दे, इस गुमान में मत रहना।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : शांति से जुलूस निकालें। पीने का पानी मांगें उनकी हड्डियां और पसलियां आप तोड़ें और फिर जनता आपको वोट दे, इस गलतफहमी में आप मत रहना। कुशाभाऊ ठाकरे खुद मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पचास सीट आएंगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह भी बजट में लिखा हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय चेयरमैन साहब, बिजली की बात नहीं करूं तो सारी बातें ही अधूरी रह जाती हैं। वह तो चिमनी मंत्री थे, वे तो बी. जे. पी. के प्रांतीय अध्यक्ष होकर के वहां बैठे हैं। अब जो नये बिजली मंत्री बने हैं, उनको क्या कहूं, कैंडल मंत्री कहूं या दीया मंत्री कहूं ? क्योंकि हमको जितनी बिजली चाहिये उसकी पचास परसेंट तो हम बाहर से खरीद रहे हैं। यह आपके फीगर है, मेरे फीगर नहीं है। इस किताब में यह है, इकॉनोमिक रिव्यू में। पचास परसेंट हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं और बिजली का उत्पादन कितना किया आपने ? आठ साल में दो इंस्टालेशन शुरू हुए हैं। कोटा की पांचवीं यूनिट जो हमने शुरू की थी, उसको आपने पूरा किया। शाबाश। सूरतगढ़ हमने शुरू की थी। मुख्य मंत्रीजी बड़े जोर-शोर से कहते थे यहां पर, आठवीं योजना के अन्त में हमारी आ जाएगी। मैं कहता था आपकी

(श्री चन्दनमल बैद)

कार्य क्षमता और आपकी योग्यता देखते हुए यह आपकी पंचवर्षीय योजना में नहीं आये। नवीं पंचवर्षीय योजना का एक साल बीत गया और आधा साल और बीत गया अब वह आ रहा है। यह दोनों योजनाएं हमने शुरू की थीं। बिजली मंत्रीजी, पहले जो बिजली मंत्री थे उनको मैंने चिमनी मंत्री की उपाधि दी थी। वह तो बन गये आपकी प्रान्तीय अध्यक्ष। अब आपको कौनसा मंत्री बनाऊं कैंडल मंत्री बनाऊं या दीया मंत्री बनाऊ ?

श्रीमती कमला : तेल भी महंगा हो रहा है, अब दीया मन्त्री भी नहीं बना सकते।

श्री चन्दनमल बैद : बरसिंहसर, जालप्पा और कपूरड़ी, तीनों डांवाडोल। बरसिंहसर में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन को दिया था, आपके कैंडीडेट आर पी. मोदी को। भारत सरकार से पास कराने गए थे। तीन सौ करोड़ रुपये काट लिए। अब वह कहते हैं मैं तो नहीं लगाऊं, हो गयी। जालप्पा पहले से ही गड़बड़ है और कपूरड़ी गड़बड़ है ही। यह तीनों तो लिग्नाइट बेस्ड यूनिट्स थीं, वह तो गड़बड़ हैं आपकी। वह तो आनी नहीं। धौलपुर डांवाडोल चल रही है। इस साल शुरू हो जाएगी। बहुत बातें आपसे सुनी हैं हमने। इस साल शुरू हो जाएगी। इस साल शुरू हो जाएगी, नहीं हुई।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पांच हजार मेगावाट पैदा कर रहे थे।

श्री चन्दनमल बैद : सौर ऊर्जा, दस हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने अभिभाषण में दिया था सारे हिन्दुस्तान को बिजली सप्लाई करेंगे। एक भी मेगावाट पैदा नहीं हुई।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके हाथ लाल हो गये तालियां बजाते-बजाते।

श्री चन्दनमल बैद : टेबलें टूट गयीं उधर की। दो हजार मेगावाट के चौदह छोटे-छोटे विनिश्चय आपने करार किये थे और कुछ तो 1995-96 में आने वाले थे। बी. जे पी. के माननीय अध्यक्ष मुझे बराबर कहते थे 1995-96 में आ जाएंगे, चन्दनमल जी आप यूं ही रोला करते हैं। अब 1998-99 आ गया। एक भी नहीं आएगी सुन लेना मेरे से। और खुद गये वहां और + + + तिवाड़ी जी को फंसा गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : + + + तो नहीं हूं मैं।

श्री चन्दनमल बैद : चेयरमैन साहब, यह हमारी बिजली की हालत है। अब मैं क्या कहूं ? मैं यही कहना चाहता हूं ला एण्ड आर्डर की तो यह हालत है कि जिस प्रदेश में पन्ना धाय और मीरा बाई हुई उस प्रदेश में हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत दिन-दहाड़े लूटी जाती है और हम उन मुल्जिमों को पकड़ नहीं सकते। बल्कि एफ. आई. आर. से उनका.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अजमेर ब्लैक मेल कांड भी हुआ, कौन है उसमें ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री चन्दनमल बैद : और पीने का पानी मांगने वालों पर निष्ठुरता से, बेरहमी से लाठी चार्ज करके उनकी हड्डियां और पसलियां तोड़ दीं। यह तो आपका ला एण्ड आर्डर है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठें आप। प्लीज सिट डाउन। कृपया बैठें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : स्कूलों की यह हालत है ...

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : उस समय आपको हाथों-हाथ पानी पिलाया था। हाथों-हाथ पानी पिलाया आपको बौछार करके कि आपको कमी न रहे पानी की। माननीय चन्दनमल जी साहब हमने तो बीस बार लाठी खायी हैं। एक बार में ही झपट्टे में आ गये जिसमें घबरा गये। सारी चीज यही उतार लो।

श्री सभापति : The House may come to order please. माननीय मंत्री जी आप बैठें।

श्री अनंग कुमार जैन : हमने कई बार लाठियां खायीं, तभी नहीं चिल्लाए। एक बार झपट्टे में आए जिसमें घबरा गये बुरी तरह से। 19 महीने जब हम जेलों में रहे तब आपको पता नहीं चला? आपने किया क्या?

श्री मोहन लाल मोदी : आप तो गांव-गांव में दारू पिला रहे हो।

श्री अनंग कुमार जैन : यह तो बिजली मंत्री और राजस्थान में आप जाने जाते थे दारू मंत्री के नाम से.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठें आप। माननीय मंत्रीजी बैठें आप। Behave like a minister, please.

श्री अनंग कुमार जैन : पूरे राजस्थान की जनता को समाज का सदस्य होने के बाद भी दारू पिलाने का काम किया और दारू पीने के बाद वह लाइट और बल्ब चिमनी और दीया ही नजर आते हैं। माननीय खेतसिंहजी से पूछ लो आप। अभी खेतसिंहजी बता देंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, प्लीज सिट डाउन।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : जैन साहब को यह क्या बीमारी हो गयी?

श्री अनंग कुमार जैन : बीमारी क्या हो गयी, एक बार झपट्टे में आ गये, उसमें घबरा गये।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी कांस्टीट्यूएंसी तारानगर में डाक्टर नहीं लगा सके और जो डाक्टर लगाए हैं वह महीने में एक दिन में आकर दस्तखत करते हैं।

श्री मदन दिलावर : इनकी तो एक बार में ही घोड़ी बन गयी नीचे।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी बैठें। Behave like a minister.

श्री चन्दनमल बैद : सड़कों की यह हालत है कि नेशनल हाई-वे को छोड़कर

(श्री चन्दनमल बैद)

बाकी सड़क पर ग्राप चलें तो भगवान ही मालिक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर गया। इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर गया। सड़कों की यह हालत, स्कूलों की यह हालत, ग्रस्पताल की यह हालत कि डाक्टर नहीं है, रूई नहीं है, बेण्डेज नहीं है, सीरिज नहीं है ग्रौर घाव को सीने वाली सूई नहीं है। एस. एम. एस. की बात कर रहा हूं ग्रौर किसी दूसरे अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री समापति : क्या बात है ? What is happening ?

श्री चन्दनमल बैद : यह हालत आपने स्टेट की कर दी ग्रौर कुशल वित्तीय प्रबन्धन इस प्रदेश को बरबाद करके ग्राप जाना चाहते हो....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जाने मत दो।

श्री चन्दनमल बैद : इस तरह की पॉलिसी अपना कर, ग्राप यह याद रखना इस बात को कि ग्रापके यह ग्राठ साल राजस्थान के इतिहास में बैक पीरियड के नाम से जाना जाएगा। जनता आपको बख्शेगी नहीं। चेयरमैन साहब, ग्रापने मुझे कृपा करके टाइम दिया इसके लिए मैं ग्रापका बहुत-बहुत ग्राभारी हूं।

श्री समापति : माननीय श्री रघुवीर सिंहजी कौशल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपसे यह उम्मीद नहीं थी।

श्री समापति : माननीय मुख्य सचेतकजी, प्लीज।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : माननीय समापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ग्रभी हमारे उप मुख्य मंत्रीजी के लिए कह रहे थे कि कथा बांचने का ग्रभ्यास ग्रापको है इसलिए आपने दो घटे तक बजट भाषण पढ़ा। मैं भी यही कह रहा हूं कि चन्दनमलजी को खातों में हेरा-फेरी करने का अभ्यास ज्यादा है इसलिए ग्रांकड़ों की हेरा-फेरी करके उन्होंने हमको बता दी।

श्री चन्दनमल बैद : कोई भी ग्रांकड़ा ग्रगर गलत साबित कर दें तो मैं इस विधान सभा में बैठने नहीं ग्राऊंगा। कोई भी ग्रांकड़ा गलत साबित कर दें। सारे ग्रांकड़े ग्रापकी किताबों से लिये हैं। यह रही ग्रापकी किताबें। यह देखो, यह सारी किताबें ग्रापकी हैं। मेरी एक भी नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं, किताबों को मत फेंको।

श्री चन्दनमल बैद : यह हेरा-फेरी है क्या ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं अभी आपकी बातों का जवाब देता हूं। थोड़ा तसल्ली से सुन लो।

श्री चन्दनमल बैद : भाषण दे रहे हैं क्या ग्राप ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हां।

श्री चन्दनमल बैद : अच्छा तब ठीक है। मैं माफी चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं था कि आप भाषण दे रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट 1998-99 का प्रस्तुत किया, उसकी सर्वत्र प्रशंसा है। चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे मजदूर हों, केवल इधर बैठे हुए प्रतिपक्ष के कुछ लोगों को इस बात की चिन्ता है कि इस बजट की, जो राजस्थान भर में इतना लोकप्रिय हुआ है, सब लोगों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है उस बात पर आपत्ति है कि यह इनके लिए राजनीतिक दृष्टि से घातक बजट आया है और उसको यह सहन नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, हमारी विशाल पंचवर्षीय योजना थी। उसमें कुछ कमी रह गयी होगी। कुछ उन्होंने शार्ट फॉल बताए हैं। मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है शार्ट फॉल जरूर रहे होंगे। लेकिन यह शार्ट फॉल इसी स्थिति में हैं कि एक आदमी के सामने श्रेष्ठ भोजन रख दिया जाये और पूछा जाये कि भोजन कैसा है, तो उसे अच्छाई कुछ नहीं दिखती, कहता है आलू के साग में नमक कम है। एक भी अच्छाई नहीं दिखी केवल एक बुराई दिखी। शार्ट फॉल उन्होंने बताए किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि इस आठवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां क्या हैं ? उसने सरकार को विकास की गति कैसे दी है, यह बात माननीय चन्दनमल जी बता भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके मुंह से कोई अच्छी बात मैंने तो कभी सुनी नहीं। अभी बता रहे थे सड़क....

श्री चन्दनमल बैद : चार महीने बाद सुन लेना।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपको यह कष्ट नहीं देंगे। इस उम्र में आपको यह कष्ट नहीं देंगे यह कष्ट हम ही सहन करेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : उम्र का मापदंड रख लिया क्या ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : भाग गये, भाग गये। आप चिन्ता मत करो।

यह बजट बता रहे हैं कि भागने वाले, ऐसा पलायनवादी बजट है। इस बजट को हमको ही पेश करना है इसमें आपको कतई कष्ट नहीं देंगे। यह कष्ट हम स्वयं अपने ऊपर ले लेंगे आपको सुखी रखेंगे, आपको वहीं बैठा रहने देंगे। आप चिन्ता मत कीजिए।

मान्यवर सभापति महोदय, पंचवर्षीय योजना की आलोचना माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य कर रहे थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ की थी। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी। लोकतंत्र में हर सरकार कल्याणकारी सरकार कहलाती है....

श्री जगदीप धनखड़ : भाजपा सरकार नहीं थी 1990 में। आप जरा सही बोलिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप सही कर दो।

श्री जगदीप धनखड़ : जनता दल के साथ साझा सरकार थी। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय धनखड़जी, आपका तो अदालत में बहस

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

करने का अभ्यास है, चोर करा ले या साहूकार करा ले।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, तब मैं जनता दल में था, हम साथ थे और अब अचानक कहते हैं कि हमारी अकेले की सरकार थी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इसका मतलब आप भी हमारे साथ थे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अपनी सरकार थी, अपनी।

माननीय सभापति महोदय, हर कल्याणकारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह गांव और गरीब की चिन्ता करे, प्रदेश का विकास करे, लोगों को सुख दे और इसके लिए यह आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास किया जाए। उसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। राजस्थान में सातवी पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ की थी। जब योजना इतनी छोटी हो, तो उसके शार्ट फॉल भी छोटे होंगे। किया क्या था ? मैं पूछता हूं कि क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने एक भी कालेज खोला था ? एक कालेज आप नहीं खोल सके। किस विकास की आप डींग हांक रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : पांच यूनिवर्सिटीज खोलीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सातवीं पंचवर्षीय योजना में ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : छठी में। वह उससे भी छोटी थी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आपने कुछ नहीं किया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : 800 हाई स्कूल। क्या बात कर रहे हो आप ? आप तो दो भी नहीं खोल पाये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितने साल में ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप भौतिक उपलब्धियों का मिलान करिये। भौतिक उपलब्धियां आपकी ज्यादा थीं या हमारी ज्यादा थीं। मनी डिवोल्यूशन हो गया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बिना बजट के स्कूल खोले गये। बजट में प्रोविजन नहीं है भागते भागते स्कूल खोले गये।

सभापति महोदय, इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना हमने 12 हजार करोड़ की बनायी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना से चार गुनी थी संसाधनों की कमी थी। संसाधनों के लिए जिस कुशल वित्तीय प्रबन्धन की बात तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। कुशल वित्तीय प्रबन्धन का ही यह नतीजा था कि हमने बाहर से बाह्य सहायता ली। अल्प बचत से हमने अधिक कर्जा लिया, जो कार्पोरेशन घाटे में जा रहे थे उनको प्रोफिट में लाये। उससे अंशदान, लाभांश ज्यादा बढ़ा। हमने यह व्यवस्था भी की कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो निजी संस्थाओं से पैसा लिया जाए। हमने संस्थागत वित्त से पैसा लिया, हमने बी.ओ.टी. से, निजी फर्मों

(110)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

से सड़कें बनायीं। यह कुशल वित्तीय प्रबन्धन का ही कारण था कि पैसे का अभाव होते हुए भी पैसे की व्यवस्था की और 12 हजार करोड़ की योजना के लक्ष्य को पूरा किया। देश में केवल चार राज्य हैं कि जिन्होंने अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा किया है, राजस्थान उनमें से एक है। यदि इस योजना का लाभ नहीं हुआ, जैसा तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे तो मैं योजना के बाद जो विकास की स्थिति है वह बताना चाहता हूं। स्तर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1716 रुपये थे जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2247 हो गये। प्रति व्यक्ति विनियोजन सातवीं पंचवर्षीय योजना में 876 रुपये था जो आठवीं पचवर्षीय योजना में 2613 रुपये हो गया। खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन सातवीं योजना में 77 लाख था जो 103 लाख टन हो गया। तिलहन का औसत वार्षिक उत्पादन 13 लाख टन था जो 30 लाख टन हो गया। कपास की गांठों का औसत वार्षिक उत्पादन 6 लाख गांठें थीं वह 11 लाख गांठें हो गयीं। रासायनिक खाद की खपत 28 लाख टन थी जो 61 लाख टन हो गयी। कुओं का विद्युतीकरण, बिजली की कमी की बात कर रहे थे, मैं अभी बिजली का जवाब दूंगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 80 हजार कुए विद्युतीकृत हुए थे और आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख बाइस हजार कुए विद्युतीकृत हुए हैं। उपभोक्ताओं को बिजली की उपलब्धता जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में 30 मिलियन यूनिट थी वहां आठवीं पंचवर्षीय योजना में 61 मिलियन यूनिट हुई।

यह मैंने कुछ आंकड़े बताये हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का विकास पर क्या प्रभाव हुआ है, राजस्थान में उससे क्या लाभ हुआ है और यह इच्छा-शक्ति पर है।

धनखड़जी आप हंस रहे हो, क्योंकि आप....

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल गलत बात कर रहे हैं, मैं यहां बैठ कर न तो किसी पर हंसता हूं। इनको कोई और सदस्य दिख गया होगा। मैं बड़ी गम्भीरता से आपकी बात सुन रहा हूं और मैं व्यक्तिगत आपका सम्मान करता हूं। सभापति महोदय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि संजीदगी वाले सदस्य अचानक किसी ओर को देख कर मेरी शक्ल, आप ऐसा कीजिये अपने चश्मे का नम्बर बदल लीजिये।

श्री सभापति : नाउ इनफ। प्लीज इनफ।

श्री जगदीप धनखड़ : स्वास्थ्य मंत्रीजी के यहां तो मदद मत लीजिये किसी प्राइवेट डाक्टर से चैक कराइये।

श्री सभापति : माननीय धनखड़जी, नाउ प्लीज सिट डाउन।

एक माननीय सदस्य : श्री धनखड़जी, आप तो वैसे ही मुस्कराते रहते हो फिर क्या बात हो गयी ?

श्री सभापति : बैठिये आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के दो रूप हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं इसलिए बुद्धिमान हैं, दूसरे कांग्रेसी हैं तो बुद्धि के नेता वे स्वीकार कर रहे हैं लेकिन प्रतिपक्ष के नाते उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। यही दुविधा मैं उनके चेहरे पर देख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो विकास के आंकड़े हैं इसके पीछे एक सरकार की इच्छा शक्ति होती है। 12 हजार करोड़ की योजना बनायी, अपना लक्ष्य पूरा किया। उससे विकास हुआ। कर्जा हुआ है लेकिन कर्जा यदि विकास के लिए होता है तो बुरा नहीं है। बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना में जैसा मुझे बताया है, रिकार्ड में 80 किलोमीटर सड़क बनी है। यह भी रिकार्ड में है, मौके पर है कि नहीं यह पता नहीं है। लेकिन राजस्थान में मैं इस विषय में आपको केवल दो विभागों की स्थिति बताना चाहता हूं कि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो सरकार क्या कर सकती है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि वहां शिक्षा हो। दुर्भाग्य से राजस्थान में निरक्षरता है। बहुत पुरुष और महिलाएं अंगूठा टेक मिल जाएंगे। राजस्थान सरकार ने संकल्प लिया कि राजस्थान में कोई निरक्षर न रहे। इसके लिए कई योजनाएं चलायीं साक्षरता योजना, उत्तर साक्षरता योजना, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी और अभी एक योजना और आ रही है चार सौ करोड़ की और उसके पीछे भाव यह है कि चाहे जितना पैसा लगे किन्तु राजस्थान के सिर से यह कलंक मिटे कि राजस्थान में कोई निरक्षर है। अब केवल साक्षरता तो शिक्षा नहीं होती, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। प्राइमरी स्कूल खोले एक योजनाबद्ध ढंग से। ऐसा नहीं किया कि जैसा आते-जाते स्कूल खोले गये, ऐसी जगह सैकण्डरी स्कूल खोले गये जिसमें पूरी स्कूल में 15 बच्चे। एक किलोमीटर पर एक सैकण्डरी, दूसरे किलोमीटर दूसरा सैकण्डरी और तीसरे किलोमीटर पर तीसरा सैकण्डरी।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार का पैसा जनता का पैसा है। हम इसके मालिक नहीं हैं, इसके ट्रस्टी हैं। एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। और इसी-लिए सरकार ने यह विचार किया कि योजनाबद्ध ढंग से नीति निर्धारित कर इस पैसे को खर्च किया जाए जो कि हम उसके ट्रस्टी हैं मालिक नहीं हैं इसीलिए एक शिक्षा नीति बनी और शिक्षा नीति के अन्तर्गत सबसे पहले बात आयी कि प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक होता है। यदि वह चार दिन तक छुट्टी चला गया तो चार दिन तक स्कूल बन्द। पांचवीं क्लास तक एक अध्यापक पढ़ाता था। सरकार ने कम्पलसरी कर दिया कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में दो अध्यापक होंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं हैं अभी तो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपने भगा दिया होगा उसको।

एक निर्णय लिया कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में दो अध्यापक हों। एक नीति बनायी। कोई 250 की आबादी का गांव न रहेगा जहां प्राइमरी स्कूल न हो। रेगिस्तानी एरिया में 150 की आबादी का गांव न रहेगा कि जहां प्राइमरी स्कूल न हो। कोई ग्राम पंचायत ऐसी न होगी जिसमें उच्च

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

प्राथमिक विद्यालय न हो। कोई पंचायत समिति ऐसी न होगी जिसमें सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी स्कूल न हो। एक यह योजना बनायी और उसके अन्तर्गत शिक्षा का काम चला।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने सोचा कि अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिसका रिजल्ट अच्छा रहता है उसको मनचाहा पोस्टिंग। अच्छा रिजल्ट रखने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। धन की कमी है, स्कूल बनाने हैं, भामाशाह योजना चलायी। करोड़ों रुपये....

श्री परसादी लाल मीणा : मिडिल स्कूलों का रिजल्ट....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री परसादी लाल मीणा :....यह आपकी एजुकेशन है ?

श्री सभापति : परसादी लालजी, आप बैठें प्लीज।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपके गांव का तो ऐसा ही रहेगा।

श्री परसादी लाल मीणा : आपके गांव का भी ऐसा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं राजस्थान भर के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। प्रति वर्ष पास होने का परसेंटेज बढ़ रहा है, मैरिट परसेंटेज बढ़ रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और स्कूलों की बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब, माननीय सभापति महोदय, माननीय परसादी लालजी की तो यह स्थिति है, कि एक व्यक्ति घर पर आकर अपनी पत्नी से बोला कि मैं आज सौ-सौ रुपये की शर्त लगा आया हूं। वह बोली कि किस बात की ? उसने कहा कि वह आदमी कहता था कि दो और दो चार होते हैं और मैं कह रहा था कि दो और दो तीन होते हैं। पत्नी बोली कि आप तो हारोगे, क्योंकि दो और दो तो चार ही होते हैं। वह कहने लगा कि मैं हारूंगा तो तब, जब मैं मानूंगा। मैं मानूंगा ही नहीं। वो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। दो और दो तीन ही होंगे, मुझे इस विषय में ज्यादा कुछ कहना नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : आप तो अपनी हार का पश्चाताप करो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं हारा हूं और मैंने हार ईमानदारी से स्वीकार की है।

श्री परसादी लाल मीणा : अगर आप अध्यक्ष नहीं होते तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की यह हालत नहीं होती। यह आप+ + +क्यों कर रहे हैं। आप तो पार्टी अध्यक्ष हैं आप तो ईमानदारी से.... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : परसादी लालजी, लालसोट के अलावा जातिवाद को

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

छोड़कर दूसरी जगह से खड़े हो जाओ, जमानत जब्त होगी।

श्री परसादी लाल मीणा : आपके सामने कहीं से भी खड़ा कर दो। अगर जमानत जब्त नहीं होगी तो क्या होगा ? मैं बारां में भी आ सकता हूं जमानत जब्त नहीं हुई तो ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : लालसोट से ही जीत लेना पहले। बाद में देखना दूसरी जगह।

श्री सभापति : माननीय कौशलजी।

श्री परसादी लाल मीणा : सप्लाई मिनिस्टर को भेजा था। अब कोई और हो तो अब भेज देना।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर्स, हर जिले में तीन-तीन इंस्पेक्टर्स की व्यवस्था की। उनका एक लक्ष्य निर्धारित किया कि कितने इंस्पेक्शन प्रत्येक अधिकारी को करने पड़ेंगे जिसमे स्कूलों में शिक्षक जाने लगे। सरकार ने यह भी तय किया कि प्रारम्भिक शिक्षा का बोर्ड बनेगा और उसमें परीक्षा होगी बोर्ड से। यह भी तय किया कि डायरेक्ट्रेट प्राइमरी और माध्यमिक की अलग-अलग होगी। यह जो कुछ हुआ, जो मैं बता रहा हूं कि यह इच्छा शक्ति का परिणाम है कि शिक्षा में इस प्रकार का एक सोच विकसित हुआ....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पाइंट आफ आर्डर सर। मैं एक निवेदन कर रहा हूं। सॉरी फार इन्ट्रप्शन। ऐसा है कि हमने तो बहुत कम खर्चा किया लेकिन भाखड़ा बनाया, चम्बल बनाया, बीसलपुर बनाया, माही सागर बनाया और राजस्थान कैनाल बनायी, अनाप-शनाप बनाये। आपने 500 एकड़ के कोई बांध का निर्माण पूरा करके शिलान्यास किया हो तो वह अर्ज कर देना।

बिजली, जब कांग्रेस का शासन बना, केवल शहरों में थी। बाहर कहीं भी नहीं थी। गांव-गांव तक हमने जाल बिछा दिया। आपने कितना किया और हमने कितना किया।

सड़क, अलवर से लगाकर बांसवाड़ा और गुजरात के बार्डर तक....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज बीस हजार गांव हैं। दस हजार गांव थे आज बीस हजार हो गये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : और सड़कें कन्नौज जो रहीमयार खान इण्डर्स रिवर्स से 27 मील पड़ता है वहां से भरतपुर तक। बाकी सब जाने दो।

और विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज एक भी नहीं था....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्षमा करेंगे तीन थे और चार साल में छह हो गये, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

(114)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह हमने बनाये। आपने क्या बनाये इतना खर्चा करके बताओ न ? (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज सुनिये।

श्री परसादीलाल मीणा : (व्यवधान) आपके कारण ही ...

श्री सभापति : परसादीलालजी, बैठिये आप। I will not allow like this. Parsadilalji, please sit down. आप आपस में वाद-विवाद नहीं करें। अपनी बात कहें। (व्यवधान) नहीं सर, ये एक दूसरे को सम्बोधित करके बात कर रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, महिला शिक्षा की आवश्यकता थी। 1952 से लेकर 1990 तक सात महिला विद्यालय थे। सरकार ने इनकी संख्या 26 कर दी और हर जिले में एक-एक विद्यालय, कन्या विद्यालय की योजना बनायी। हर जिले में एक-एक महिला छात्रावास की योजना बन गयी। काफी बन चुके और काफी बन रहे हैं। महिलाओं के लिए विशेष रियायतें दी गयीं हैं। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते। पांचवीं क्लास तक के बच्चों की किताबें मुफ्त और आठवीं क्लास तक की लड़कियों के लिए पुस्तकें मुफ्त। तो यह एक योजना गरीब का बच्चा नहीं पढ़े। ठेठ कालेज तक उसकी एक व्यवस्था बनी।

तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से प्रत्येक संभाग में एक इंजीनियरिंग कालेज हो जाए। यह एक योजनाबद्ध ढंग से साक्षरता से लेकर प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, माध्यमिक, कालेज, महिला कालेज और इंजीनियरिंग कालेज बनाकर उसको क्रियान्वित किया गया और उसके कारण शिक्षा की दृष्टि से अन्य लोग राजस्थान की तारीफ करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी कृषि की बात आ रही थी। यह सरकार किसान विरोधी है। मैं इस विषय में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। यह सरकार यदि किसान विरोधी है तो असिंचित जमीन का लगान किसने माफ किया। यदि यह सरकार किसान विरोधी है तो श्रीगंगानगर में आपको कलेक्टर से परमीशन लेनी पड़ती थी। कोई भी ट्रांजिक्शन होगा जमीन का तो कलेक्टर से परमीशन लेनी पड़ती थी और उसमें भ्रष्टाचार होता था, पांच-पांच वर्ष परमीशन लेने में लग जाते थे और तब तक जमीन के भाव बढ़ जाते थे, बेईमानी होती थी, झगड़े होते थे। सरकार ने कलेक्टर से परमीशन लेने का आदेश रद्द कर दिया। 15 (ए ए ए) में सुधार किया। फ्रेगमेंटेशन में किसान इतना परेशान हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन का नियम रद्द कर दिया किसानों के लिए और जिन खाले और कैचमैंट का कर्जा जिसके लिये राजस्थान भर में आन्दोन हुआ और पांच लोग मारे गये। तीन भादरा में और दो शायद हनुमानगढ़ में। पांच लोगों को गोलियों से भून दिया। परन्तु जिसके लिये कांग्रेस सरकार कर्जा माफ नहीं कर सकी, राजस्थान सरकार ने, वर्तमान सरकार ने खुशहाली टैक्स माफ कर दिया। खाले और कैचमैंट का कर्जा माफ कर दिया।

धनिये का आज दिन तक, जब धनिये का भाव डाउन आता है, दो साल बढ़ता है दो साल डाउन रहता है। आज तक किसी

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सरकार ने यदि धनिये की खरीद की हो, तो हमको बता दे। यह राजस्थान सरकार है जब धनिये का भाव 800 चला गया तो राजस्थान सरकार ने 1200 रुपये में धनिये की खरीद की। यह पहला उदाहरण है राजस्थान में जब किसान के हित में सरकार आगे आयी।

यह 100 करोड़ का कर्जा खाले और कैचमैंट का माफ किया। यह किसान विरोधी सरकार है? किसान के लिये जो कुछ किया जा सकता है, यह पांचवी क्लास तक की किताबें मुफ्त हुई हैं, तो क्या यह किसान के लिये नहीं है, गरीब के लिये नहीं है? फिर कहा जाए कि सरकार किसान विरोधी सरकार है यह समझ में नहीं आता। इसको न तो कोई मानने वाला है न जनता मानने वाली है। आप कहकर स्वयं प्रसन्न हो जाइये।

सभापति महोदय, अभी कुछ बातें और हैं आगे की। कह रहे थे कि इस राज्य में बहिनों की इज्जत लूटी। दो-तीन उदाहरण देकर मैं बताना चाहता हूं कि बहनों की इज्जत कब-कब लूटी और कैसे-कैसे लूटी। नागौर में एक कांड हुआ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उसका काम्पीटीशन करना चाहते हैं?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं चाहते हैं लेकिन जघन्य कांड आपके राज में हुए हैं और इस समय जो आप कांड बता रहे हैं वह पोलिटिकल कांड हैं.... (व्यवधान).... उस काम्पीटीशन में नहीं लेकिन आप जो बहनों की इज्जत की बात करते हैं तो कितने उदाहरण बताऊं कि जहां बेटे को मां के साथ सोने के लिये मजबूर किया गया। यह आपके राज में हुआ। अभी एक भंवरी बाई का केस, बड़ा पोलिटिकल स्टंट रचा, सैशन कोर्ट ने फैसला दे दिया, एक 78 साल का एक 80 साल का। एक तो मर गया, उन पर केस चल रहे हैं। जे. सी. बोस कांड का क्या हुआ? जिन लोगों ने न केवल सरकार को बदनाम किया राजस्थान का सिर शर्म से नीचा कर दिया, वह गलत बात निकली और आज मोहिनी गिरी, जो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं उन्होंने क्या कहा है कि एक राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने के लिये यह षड्यन्त्र रचा गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप सही नहीं कह रहे हैं बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जिन लोगों ने आन्दोलन किया क्या उनमें यह नैतिक साहस है कि वह सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगेंगे। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आपके नगर में एक ब्लैकमेल कांड हुआ। आपको पता है, शायद ऐसा उदाहरण आज तक नहीं होगा। आठ लोगों को आजीवन कारावास हुआ। वह लोग कौन हैं और जो नौ लोग फरार हैं वह कौन हैं? कोई ब्लाक कांग्रेस का अध्यक्ष था, कोई जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। जिनको सजा हुई है वह सारे कांग्रेस के लोग थे और जो फरार हैं वह भी। एक तो एक्स एम. एल. ए. है। यह कांड करके आप हमको सबक सिखा रहे हो बहनों की इज्जत का कि उसमें कौन-कौन शामिल हैं और कौन-कौन

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

नहीं है। झूठे कांड बनाकर राजनीतिक लाभ लेने के लिये जघन्य अपराधों को आप बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय कौशल जी, अब आपने अजमेर की बात की (व्यवधान) अब आपने बहुत सारी बातें कह दीं। आप फैक्ट्स से अलग हट जाते हैं और एक्स एम. एल. ए. कौन ? कौन एक्स एम. एल. ए., नाम बोलो ?

श्री परसादी लाल मीणा : एक्स एम. एल. ए. का नाम बताओ।

श्री सभापति : कोई भी स्टेटमेंट दो तो संजीदगी के साथ दो और सही तथ्यों के साथ दो। कोई एक्स एम. एल. ए. नहीं है। कोई कांग्रेस का प्रेसीडेंट नहीं है उसमें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक्स प्रेसीडेंट नोट प्रजेन्ट। यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : एक्स एम एल. ए. का नाम बताओ आप पहले। एक्स एम. एल. कौन हैं। नाम बताओ पहले उनका। ऐसे ही भाषण ठोक रहे हो। नाम बताओ पहले .. (व्यवधान)....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक्स एम. एल. ए. नहीं होगा, एक्स प्रेसीडेंट होगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी पार्टी के लोगों को इस तरह बदनाम करने का कोई हक नहीं है, माननीय सभापति महोदय। आप नाम बतायें कि अमुक पूर्व विधायक ने यह किया उस पर आप लांछन आरोपित करना चाहते हैं। Atleast you should mention the name of the culprit.

श्री सभापति : House may come to order please. प्लीज बैठें आप। आर्डर प्लीज।

श्री उगमराज मेहता : माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड, इस अजमेर कांड में मैं यह भी जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि वह लड़की दो दिन तक किस-किस मंत्री के यहां रही है ? वह भी आप यहां स्टेटमैंट दें कल। वह दो लड़कियां कहां-कहां रही हैं वह भी कांग्रेस के मंत्रियों के यहां। कल स्टेटमैंट दें इसका।

श्री सभापति : अब कोई भी इस विषय पर कोई बात न करें। कौशल जी, आप अनर्गल बात न करें।

श्री परसादी लाल मीणा : शालिनी शर्मा किन-किन मंत्रियों के यहां रही है.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नीलू प्रकरण में कौनसे मंत्री कार्यकर्ता हैं उनका भी बता दीजिये; नीलू राणा प्रकरण का भी बता दीजिये कोटा का.... (व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : आप संरक्षण देने वाले लोग हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कोटा का नीलू राणा प्रकरण बताइये।

श्री परसादी लाल मीणा : आधे से ज्यादा मंत्रिमण्डल के सदस्य शालिनी शर्मा कांड में....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी, बैठें आप ।

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्रिमण्डल के सदस्य शामिल हैं । कहो तो नाम बताऊं सिफारिश करने वालों का ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इस आठवीं पंचवर्षीय योजना के जो (व्यवधान) ...

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्रिमण्डल के सदस्यों का नाम बताऊं । आप आरोप लगा रहे हैं । शालिनी शर्मा को मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने उसको घर पर रखा है.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा आप बात करिये ।

श्री परसादी लाल मीणा : उसको अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की है । आप कहो तो उन सारों के नाम बता दूं ।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन । परसादी लाल जी; प्लीज सिट डाउन ।

श्री परसादी लाल मीणा : पूरा मंत्रिमण्डल शामिल है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, परसादी लाल जी । प्लीज, परसादी लाल जी ।

श्री परसादी लाल मीणा : कौशल साहब, शालिनी शर्मा किस पार्टी की मैम्बर थी, किस-किस पार्टी की पदाधिकारी थी शालिनी शर्मा ।

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा आप कहिये । प्लीज सिट डाउन नाउ ।

श्री परसादी लाल मीणा : शालिनी शर्मा किस पार्टी की मैम्बर है ? शालिनी शर्मा आपके घर भी रही है (व्यवधान)

श्री सभापति : It is not the time to speak like this. आर्डर प्लीज । अंकित नहीं होगा ।

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री सभापति : आसन पैरों पर है I will name you. परसादी लाल जी, बैठें आप । आर्डर प्लीज । परसादी लाल जी प्लीज सिट डाउन । मैं निवेदन कर रहा हूं किसी प्रकरण पर इतनी उत्तेजना ठीक नहीं है । आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा । मैं कौशल जी से भी निवेदन करूंगा कि आपसे इतनी छोटी बात एक्सपेक्टेड नहीं थी । आप इसको थोड़ा संजीदगी के साथ कहते तो अच्छा होता ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हारे हुए सांसद हैं ।

श्री सभापति : The House may come to order. बैठें आप । प्लीज सिट डाउन ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

118

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उस विषय को छोड़कर मैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के जो कार्य हुए हैं उनके सम्बन्ध में मैं थोड़ी-सी चर्चा कर रहा हूं। आठवीं योजनागत विनियोजन प्रति व्यक्ति 2,613 रुपये थी जो अन्य पन्द्रह बड़े राज्यों में 1998 से सबसे अधिक थी। देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति विनियोजन राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 राज्यों में से राजस्थान एक है। विद्युतीकरण के क्षेत्र में 1990 में देश में नवां स्थान था जबकि आज पांचवा है। आधारभूत सुविधाओं और विकास के क्षेत्र में जो काम किये हैं उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा योजना आयोग एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं ने की है। योजना के आकार की दृष्टि से 1990-91 में 11 वां स्थान था जो अब 5 वां स्थान हो गया है। लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने वाले प्रदेशों में आठवीं योजना में चार राज्यों में से एक है। कृषि प्रवृत्तियों में गत चार वर्षों में छह राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान ही एक मात्र प्रदेश है। 1990-91 में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक लाभ में थे, अब 26 बैंक लाभ में हैं। 464 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष राजस्थान में लगे हैं। केवल कर्नाटक और राजस्थान दो ही प्रदेश हैं कि जहां निरन्तर 1991 से वृक्ष आच्छादित क्षेत्र बढ़ रहा है। वानिकी विकास योजना में सातवीं योजना से आठवीं योजना में छह गुना वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, सड़कों की बात आ रही है। 1990 तक राजस्थान में दस हजार गांव सड़कों से जुड़े थे, जो अब बीस हजार गांव जुड़ गये हैं इन आठ सालों में। यह उपलब्धि पी. डब्ल्यू. डी. की है। धन की कमी होते हुए भी बी. ओ. टी. और अन्य योजनाओं से विकास का काम राजस्थान का चल रहा है और मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा उत्कृष्ट बजट यहां प्रस्तुत किया है कि जो सारे राजस्थान में सराहा जा रहा है। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी। माननीय शैलेन्द्र जी।

श्री रामप्रताप कासनियां : अब तो विरोध नहीं होना चाहिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब आदत तो बदलो, अब तो आप मंत्री हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। प्लीज-प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस साल का यह बजट पेश करते वक्त कुछ पुराने आंकड़ों से नये आंकड़ों की तुलना की है। स्वाभाविक है कि पहले की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आज हम क्या करना चाहते हैं यह पेश करना जरूरी भी है लेकिन बार-बार उस बात के ढोल पीटते रहना मेरे ख्याल से आवश्यक नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सालों में क्या हुआ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में क्या प्रगति हुई, यह कोई अलग

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं है। पूरे देश में एक वातावरण बना, विकास के काम हुए। उसी अनुपात में राजस्थान में भी विकास के काम हुए इसलिये इस बात को कोई इन्कार नहीं कर सकता और यह धीरे-धीरे एक परसेन्टेज से बढ़ता रहता है। इस साल के बजट में इन्होंने दर्शाया, कुछ आंकड़े दिये हैं और यह इस एक साल में क्या करना चाहते हैं इसका दिग्दर्शन उन्होंने किया।

माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं क्या उनकी पूर्ति वह कर पाएंगे ? अलग-अलग विषयों पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तविक उपलब्धियां जो हैं वही काउन्ट की जाती हैं। आंकड़े देना, प्रोविजन करना, यह कोई अपने आप में महत्व नहीं है। उस रकम से हमने भौतिक लक्ष्य क्या प्राप्त किये, यह महत्वपूर्ण है।

पिछले सालों में कभी कोई बजट शिक्षा को समर्पित हुआ, कभी कोई बजट स्वास्थ्य को समर्पित हुआ और कभी कोई बजट पेयजल समस्या के लिये समर्पित हुआ। लेकिन उन सालों के यदि हम भौतिक लक्ष्य देखें तो एक बड़ी दयनीय स्थिति हमारे सामने आती है। जो रकम खर्च की गयी उसके अनुपात में हमने न तो कोई परिसम्पत्तियां बनायी हैं और न ही जनता को उस रूप में राहत मिली है। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो भी राजस्थान की गाढ़ी कमाई का रुपया है उसको खर्च करते वक्त सरकार ध्यान दे और जितना रुपया खर्च हो उसे अनुपात में जनता को राहत मिले।

माननीय सभापतिजी, मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, सदन का दिलाना चाहूंगा। यह सरकार, अभी हमारे बी. जे. पी. के अध्यक्ष कह रहे थे किसान विरोधी नहीं है, गांव के विकास की ओर ध्यान देना चाहती है। जो सत्यानाश गांवों का इस भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है वैसा कभी राजस्थान में नहीं, कहीं भी नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र की इतनी उपेक्षा की गयी। शिक्षा के मामले में देख लीजिये। स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिये। अब की बार इस सरकार ने और मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आठवीं कक्षा के परिणाम, एक बोर्ड के रूप में इन्होंने परीक्षा ली उसके जो परिणाम सामने आये हैं वह चौंकाने वाले हैं। कहीं तीन परसेंट, कहीं पांच परसेण्ट। दस परसेंट से अधिक छात्र आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए जबकि शहरों के वह अनुपात 97, 95 और 90 से ऊपर है। वह किसके साथ खिलवाड़ है ? शिक्षा की नीति ऐसी बने जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी अपने शहरी क्षेत्र के भाइयों के साथ में कम्पीट कर सकें। यह नहीं हो पाने से आज ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यार्थी है, युवक है, वह सरकारी सेवाओं में, अन्य सेवाओं में अपनी भागीदारी नहीं निभा रहा है और यह सबसे बड़ा अन्याय इस सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के साथ में किया गया है।

माननीय सभापतिजी, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात मैं आपसे निवेदन करना

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहूंगा । डी. आर. डी. ए. राजस्थान के हर जिले में है और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये वही एक संस्था है जो विकास के कार्य करती है । आज उसकी हालत क्या है ? सदन का एक भी माननीय सदस्य यह कह दे कि डी. आर. डी. ए. ने गवर्निंग काउन्सिल में और उसकी बात की मान्यता होती है क्या ? वहां चेयरमैन और परियोजना अधिकारी जो पी. डी. कहलाता है, यह दोनों अपनी मर्जी से चाहे जो स्वीकृतियां निकालते हैं, चाहे जो काम करते हैं और स्वीकृतियां वह निकलती हैं जिनमें अधिक कमीशन की गुंजाइश होती है । और तो और, माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा विधायक कोष से दस लाख रुपये हरेक विधायक को प्रस्ताव देने के लिये दिये गये हैं । हमारे यहां झुन्झुनूं जिले में ही नहीं बहुत से जिलों में वह रकम लैप्स कर दी जाती है । कलेक्टर उस विधायक के प्रस्तावों की मन्जूरी नहीं निकालते हैं और रुपया लैप्स हो जाता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और यह ध्यान दे कि जो पांच लाख रुपये पेयजल के लिये, बत्तीस जिला बत्तीस काम के लिये, पांच लाख रुपये निर्बन्ध योजना के लिये है उसमें भी कलेक्टर को क्या अधिकार है कि उन प्रस्तावों को पास नहीं करे । पिछले साल हमारे जिले में सारी रकम लैप्स कर दी गयी और यह बहाना बनाकर कर दी गयी हमारी सड़क नीति में नहीं आता है । हमारी पेयजल नीति में नहीं आता है । माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह राशि उन विभागों के क्राइटेरिया में नहीं है । छोटे-छोटे काम, जब हम गांव में जाते हैं और देखते हैं गांव की आवश्यकता के अनुसार यह काम हैं, उन कामों की स्वीकृतियों के लिये हम प्रस्ताव देते हैं उसमें भी अड़चन पैदा की जाती है, यह देखने की बात है ।

माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा दो साल पहले सामाजिक अंकेक्षण का काम किया गया । सरकार ने बहुत ढिंढोरा पीटा कि सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि पिछले सालों में जो धन व्यय हुआ है उसकी आज स्थिति क्या है ? हर जिले में सामाजिक अंकेक्षण का काम हुआ । हमारे जिले में भी हुआ । मैंने पिछली बार भी यहां प्रश्न किया था । अबकी बार भी कर रहा हूं और आपके माध्यम से इस सदन को, माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा उस सामाजिक अंकेक्षण का क्या नतीजा निकला ? क्योंकि उसमें सरकारी अधिकारी इनवाल्व होते थे । सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से वह काम उस समय के हैं जब गांव में पंचायतें नहीं थीं । ग्राम सेवक उस पंचायत का सर्वेसर्वा होता था । विकास अधिकारी सर्वेसर्वा होता है । उस काल में जो काम किये गये उनका अंकेक्षण हुआ और सामने तसवीर यह आई कि उनमें बहुत बड़ा गबन है, घोटाला है, रुपये खर्च नहीं हुए हैं और सरकार ने उस सामाजिक अंकेक्षण के कार्य को बिलकुल बन्द कर दिया, कोई कार्यवाही उसमें नहीं हुई ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यही

(श्री शिवनाथ सिंह)

हाल पी. एच. ई. डी. का है। किसी भी तरह से राजीव मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटी ढाणियां हैं, मौहल्ले हैं, मजरे हैं. उनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए कार्यक्रम है। कहीं हैण्डपम्प की है, कहीं छोटे कामों की है। राजस्थान के अन्दर उस रुपये का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और भारत सरकार जो रुपया देती है उसमें से अधिकांश रुपया लैप्स होता है। यह सिर्फ इसलिए कि वह सरकार की गलत नीति है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं देकर ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों की बात कही। सड़कों के बारे में बड़ी अजीब स्थिति है। किसी भी सड़क पर जो जिला लेवल की है, ग्रामीण क्षेत्र की है उस पर कोई चल नहीं सकता, कोई वाहन नहीं चल सकता और लोगों ने साइड से रास्ते बना रखे हैं। उनके लिए माननीय वित्त मंत्रीजी ने अबकी बार प्रावधान करने की चेष्टा की है। आपने कहा है कि हम 1998-99 में 3400 किलोमीटर सड़कें नई बनाएंगे, 80 किलोमीटर सड़क इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में बनाएंगे, 1050 गांवों को जोड़ेंगे। माननीय सार्वजनिक निर्माण मत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम के लिए आपको कितना समय चाहिए ? सिर्फ दो महीने आपके पास काम करने के लिए हैं। दो महीने के बाद में आचार संहिता लागू हो जाएगी और आचार संहिता लागू होने के बाद में आप कोई भी नया काम नहीं ले पाएंगे यह काम का सिर्फ दिखावा है और यह इसलिए दिखावा है कि आपने घोषणा कर दी. कागजों में बना दिया परन्तु साल के अन्त मे नतीजा यह आएगा कि इसकी चोथाई सड़कें भी नहीं बन पाएंगी। यह सारा दिखाने के लिए भ्रमजाल फैलाया गया है।

माननीय सभापति जी, पंचायती राज संस्थाओं की हालत मैं निवेदन करना चाहूंगा। बजट में, बजट प्रस्ताव पेश करते वक्त माननीय वित्त मंत्रीजी ने बहुत बड़ी बात कही कि हम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं। आज तीन संस्थाएं हैं- जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तीनों की स्थिति यह है कि जिला परिषद् का अध्यक्ष जिला प्रमुख, पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच अपने हिसाब से कोई भी कार्य नहीं कर पाता। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जिला परिषद् में सी. ई. ओ. बैठा दिये हैं, आदेश दे दिये कि जिला प्रमुख के हिसाब से कोई कार्य नहीं हो।

मैं झुन्झुनूं जिले के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। झुन्झुनूं जिले में जिला प्रमुख है, पंचायत समिति के प्रधान हैं और नियमों के अनुसार किसी भी रकम का पेमेंट होता है उस चैक के ऊपर जिला परिषद के खर्चे के लिए जिला प्रमुख के दस्तखत होने चाहिए और पंचायत समिति में खर्चे के लिए प्रधान के दस्तखत होने चाहिए। पता नहीं, राजकीय सेवाएं इतनी उछृंखल हो गयी हैं कि कहीं भी जिला प्रमुख को मान्यता नहीं है। जिला प्रमुख

(श्री शिवनाथ सिंह)

की जगह कलेक्टर साइन कर देता है, प्रधान की जगह सी. ई. श्रो. साइन कर देता है। कौन से प्रावधान हैं श्रौर क्या इस रूप में श्राप पंचायतों को, पंचायत समितियों को श्रौर जिला परिषदों को पेश करना चाहते हैं ?

माननीय सभापति जी, समय कम है मैं पासिंग रेफरेंस देना चाहता हूं। जिला आयोजना समितियां बनीं, कानून में प्रावधान किये गये हैं। बहुत जोर से हमने यहां पैरवी की, बड़ाई की, श्राज तक एक भी आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति की मीटिंग नहीं हुई श्रौर जिस किसी में मीटिंग हो गयी तो जिले की कोई भी योजना उसमें नहीं बनी। इस प्रकार का जो व्यवहार है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस सरकार का रहा है, श्रागे भी रहेगा यह हम सोचकर चलते हैं।

माननीय सभापति जी, विशिष्ट योजनाओं के सम्बन्ध में मैंने बतलाया। आज डी. श्रार. डी. ए. में जो घपले हैं श्रौर जो इस प्रकार की श्रनियमितताएं हैं उनके सम्बन्ध में भी एट रेंडम किसी भी जिला परिषद को, डी. श्रार. डी. ए. को श्राप ले लीजिए, उसकी जांच करवा लीजिए तो जांच के श्रन्दर चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। वह काम जो आवश्यक नहीं है, जिनकी श्रावश्यकता नहीं है वह सैंक्शन होते हैं श्रौर जिनकी आवश्यकता है वह काम सैंक्शन नहीं हो पाते हैं। माननीय सभापति जी, गांवों में श्राजकल एक कहावत बन गयी है, गबन भयंकर हो रहे हैं। श्राई. श्रार. डी. पी. एक योजना है, गांव वाले कहते हैं कि श्राई. श्रार. डी. पी. का मतलब है–"आई रकम डकार जाओ प्रोग्राम" डी. पी. ए. पी. यह एक प्रोग्राम है, गांव वाले कहते हैं "डी. पी. ए. पी. यानि दारू पीश्रो श्रौर पिलाश्रो।" यह श्राज आपकी योजनाश्रों के प्रति गांव के लोगों का, समाज का श्रौर देहाती क्षेत्र का दृष्टिकोण हो गया है। माननीय सभापति जी, इस प्रकार की जब व्यवस्था हो जाती है तो भगवान ही इसका मालिक है।

माननीय सभापति जी, वित्त मंत्रीजी ने सेल्स टैक्स में कुछ श्रमेंडमेंट किये हैं। हमारे यहां सीकर श्रौर झुन्झुनूं जिले में सेल्स टैक्स वसूली के ठेके दिये गये हैं। 20 जून से वह प्रभाव में आये हैं, सेल्स टैक्स के ठेके बजरी श्रौर चिनाई के पत्थरों का दिया है। जिसमें 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से वसूली करने का ठेकेदार को अधिकार दिया गया है। इस वसूली पर जो बजरी, चिनाई का पत्थर है उस पर सेल्स टैक्स के ऊपर 12 प्रतिशत है आपने 10 रुपये टन के हिसाब उसको लूटने का श्रधिकार दे दिया है। यह इतनी विसंगतियां हैं, श्रापके एक्ट के प्रावधान हैं, रूल्स में प्रावधान हैं उनके विपरीत आपने यह प्रावधान कर दिया श्रौर इस तरह 40 से 50 प्रतिशत के बीच में पत्थर की कीमत पर सेल्स टैक्स की वसूली श्राज के दिन हो रही है। यह इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी है। सब खदानें बंद हो गयी हैं। चेजे के सब काम बंद हो गये श्रौर चेजे के काम बंद होने से मजदूर बेकार हो गये। हमारे दोनों जिलों में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। इस बात को सरकार को देखना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की लूट की छूट

(श्री शिवनाथ सिंह)

दी गयी है ? कहा जा रहा है कि बड़े आदमियों की साझेदारी इस ठेके में है इसलिए यह ठेके इस रूप में दिये गये हैं।

माननीय सभापति जी, कोई हमारी....

श्री रामनारायण चौधरी : बड़े आदमी कौन हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : जिसकी साझेदारी है वह बड़ा ही है हमारे लिए तो।....बता दूंगा कोई पूछेगा तो।

माननीय सभापति जी, हमारे पूर्व विद्युत मंत्रीजी अभी भाषण दे रहे थे। बिजली के बारे में बहुत-सी बातें कह रहे थे। आज मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बिजली के उत्पादन में बड़ी बाधाएं हैं और किसी भी एक ऊर्जा मंत्री के बस में यह नहीं है कि वह पूरी कमियों की पूर्ति कर पाएं लेकिन फिर भी प्रयत्न होने चाहिए। और पिछले सालों में बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में वह प्रयत्न नहीं किये गये जो होने चाहिए और इसी का नतीजा है कि आज डिमांड और सप्लाई के अन्दर बहुत बड़ा गैप है। हर साल बढ़ता जाता है। हमारे वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि बेहतर वित्त प्रबन्ध, कुशल वित्त प्रबन्ध। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आज बिजली के मामले में सप्लाई बढ़ाना तो आपके हाथ में नहीं है, चेष्टा आपको करनी चाहिए लेकिन उसके प्रबन्धन तो आप कर सकते हैं। यह अखबार में आया है और उसी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 50 उद्योगों पर बिजली की 124 करोड़ रुपये की बकाया है। क्या हम इसको कुशल वित्त प्रबन्ध कहें ? यह क्यों बकाया है ? आप जवाब देंगे कि किसी ने दावे कर दिये, किसी ने अदालत से स्टे ले लिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते आपने क्यों नहीं किया ?

एक बार की बात मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, यहां श्री शिवचरण जी माथुर विद्युत मंत्री थे और इसी प्रकार की समस्या आयी थी। बहुत से उद्योग अदालत में जाना चाहते थे। शिवचरण जी ने एक निर्णय लिया कि जो उद्योग अपने अन्दर बकाया मानते हैं, कहीं डिस्प्यूट हो सकता है कि बकाया ज्यादा है कम है। जो उद्योग अपनी तरफ बकाया मानते हैं उतना तो वह जमा कराये बाद की बात हम देखेंगे। यदि यह प्रक्रिया कहीं अपनाई जाती तो 124 करोड़ रुपये, जिसका लाभ सीधा किसान को मिलता, किसान के कुओं को मिलता, वह उससे वंचित नहीं रह पाता लेकिन कुशल वित्त प्रबन्धन नहीं है।

बिजली के मामले में, बिजली की चोरी होना, लाइन लोसेज होना, इस प्रकार से कई बातें हैं जिनको विस्तार से कभी समय आएगा तब मैं निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक-दो काम वित्त मंत्रीजी ने ठीक किए हैं, उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। पारिवारिक बंटवारा, जमीन काश्तकार की एक बहुत बड़ी समस्या थी और पारिवारिक बंटवारे के लिए कहीं रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी, डीड पेश करनी पड़ती थी, उसमें आपने राहत दी है, स्वागत योग्य कदम है। इसी प्रकार से आपने स्वतंत्रता सेनानी

(श्री शिवनाथ सिंह)

पेंशन बढ़ाई है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है। आजादी के पचासवें वर्ष में आपने उनका सम्मान किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति जी, विशेष चर्चा में नहीं पड़ते हुए, आज राजस्थान की जो स्थिति बनी है, वह क्यों ऐसी बनी है ? उसकी तरफ एक संकेत मात्र करना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार में और पार्टी में द्वन्द्व मचा हुआ है। पार्टी के अन्दर अन्तर्कलह है और वह अन्तर्कलह, मैं चिन्ता उसकी नहीं करूंगा लेकिन, इसलिए करनी पड़ रही है कि उस पार्टी के अन्तर्कलह का असर हमारे प्रशासनिक ढांचे पर पड़ रहा है। हमारा प्रशासन उस अंतर्कलह की वजह से काम नहीं कर पा रहा है जो एक प्रशासन के जिम्मे हैं। आज स्थिति यह बन गयी है, सभापति जी, कि भामड़ा साहब को यह कहना पड़ता है कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं मानते, बड़ी पिटिएबल कंडीशन है। आज आपने सार्वजनिक बयान दिये हैं कि अधिकारी लोग हमारे मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं। माननीय सभापति जी, अभी हमारे बी. जे. पी. के अध्यक्षजी कह रहे थे, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, उनका अंतर्द्वंद्व उनकी आपसी लड़ाई, कुर्सी के लिए है और कुर्सी की तरफ बहुतों का ध्यान है लेकिन वह उनकी पार्टी का मामला है, अन्दर करें, उसको यहां जगजाहिर नहीं करें।

अभी मंत्रिमण्डल का विस्तार किया गया। जिन भाइयों को मंत्रिमण्डल में जगह नहीं मिली....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सुनें, प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : उन सबका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं और इस समय माननीय कौशल साहब की व्यथा को भी जो उन्होंने प्रकट की है, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

(15.34)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उन्होंने कहा कि जब यह मंत्रिमण्डल बना उस वक्त लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुयीं। कौशल साहब ने कहा "देर आए दुरस्त आए" यह जो एक वाक्य है, वह उनके अन्तर्मन की पीड़ा को जाहिर करता है। इस प्रकार का फर्क, इनके और मुख्य मंत्रीजी के बीच है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में खतम कर दूंगा। आज के हमारे सत्ता पक्ष के नेता, सदन के नेता, मुख्य मंत्रीजी, इधर बैठा करते थे और एक समय, आप भी उसके साक्षी है, सुखाड़िया जी ने अपना मंत्रिमण्डल बढ़ाया, संख्या काफी थी उसमें और आपने, आज के सदन के नेता महोदय ने कहा था कि "अली बाबा और चालीस चोर", मैं उस वाक्य को अच्छा नहीं मानता। लेकिन आज जो प्रतिक्रिया अखबारों में हुई है "अलीबाबा सहित चालीस चोर" अब तो बढ़ गये हैं, और भी ज्यादा बढ़ गये हैं और यह जो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं, यह सब इंगित करने का मेरा इतना ही मानस है कि इन सब बातों से प्रशासन पर असर पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारी जिनको आपने जिलों में बैठा रखा है, वह आपके

(श्री शिवनाथ सिंह)

आदेश को नहीं मानते हैं। एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि हम अगस्त के महीने में 20 अगस्त से समस्या समाधान शिविरों का आयोजन करेंगे, पहले 15 जून से था, किन्हीं कारणों से सरकार ने उनको स्थगित किया। हमारे जिले में स्थगित होना चाहिए लेकिन हमारा कलेक्टर इस प्रकार के आदेश को नहीं मानता है। वह कहता है, सरकार क्या होती है, जिले का मालिक मैं हूं और मैं तो 15 जून से ये कैम्प करूंगा, उन्होंने किया। हमारे एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर, हमारी पचायत समिति, हमारी तहसील, सब दफ्तरों में ताले लग गये, एक महीने तक, आज भी मारे-मारे फिर रहे हैं बच्चे, कहीं उनको सर्टिफिकेट लेना होता है बोनाफाइड का, आमदनी का, यह सब सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलते हैं। वे जगह-जगह मारे फिरते हैं और वह 15 जुलाई, तक इस अभियान को चलायेगा और उसके बाद 20 अगस्त से फिर वही अभियान चालू हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह + + + को तो आप बद कीजिए, कम से कम इस बात की तो आप व्यवस्था कीजिये कि सरकार का जो आदेश होता है एक व्यवस्था के लिए, वह दूसरा है और यह सब, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हो क्यों रहा है ? आज का शासन बूढ़ा हो गया है, आज का शासन बूढ़ा हो गया है और आज का प्रशासन उच्छृंखल हो गया है। शासन के आदेश को प्रशासन नहीं मानता है इसलिए हमारी यह दुर्गती हो गयी और भगवान करे यह जल्दी से शासन बदले और हमारे प्रशासन पर अंकुश लगे ताकि इस देश का, इस प्रांत का आगे का भविष्य उज्ज्वल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : हसीन सपना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने 1998-99 का बजट प्रस्तुत किया, ऐसा बजट जिसकी प्रशंसा हो रही है। हर वर्ग में, चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सभी एकमत से कह रहे हैं कि इस प्रकार का बजट आज दिन तक पेश नहीं किया गया। मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन जिस प्रकार से अभी यहां चर्चा की गयी राजस्थान की, और राजस्थान के बारे में जिस प्रकार प्रतिपक्ष के वक्ता बार-बार अपने भाषण में यह दोहराते हैं कि राजस्थान की सिचुएशन खराब है, लॉ-एण्ड-आर्डर की पोजीशन ठीक नहीं है, इसका मैसेज सारे हिन्दुस्तान में क्या जाता है ? पिछली सरकारों के आप आंकड़े देखिये कि इस राजस्थान की किस प्रकार से लॉ-एण्ड-आर्डर की पोजीशन थी।

जो मामले उठाये जा रहे हैं वे तथ्यहीन हैं और इस प्रकार से उछाले जा रहे हैं,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(126)

(श्री उगमराज मेहता)

अभी दो दिन पहले या चार दिन पहले, एक माननीय विधायक के नाम से उछाला गया कि उनको घेरा गया, उनकी पिटाई की गयी, परन्तु उस तथ्य के अन्दर जाएं कि गांव में जहां पर वह खुद गये, वहां उनकी जमीन नहीं और हमलावर, हमला किसके ऊपर, उस विधायक के आदमियों ने किया, एस. सी. और एस. टी. के लोगों पर हमला किया और वहां पर केस-मुकदमा दायर किया, एस.सी. और एस.टी. के उस विधायक के ऊपर, माननीय सदस्य, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं और मैं तो गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एस.सी.–एस.टी. के लोगों के ऊपर जिस प्रकार से उन्होने कार्यवाही की है, तुरत उस पर कार्यवाही की जाए और माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाए। यह एस. सी. और एस. टी. पर अत्याचार पर यहां पर बोले, समझ में नहीं आता। अभी एक ब्लैकमेल का मामला आया, अजमेर का तो कहने लगे पर मैं यह दावे से कह सकता हूं कि उस काण्ड में एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री का भी नाम शामिल है। उसके यहां जाने की क्या जरूरत थी इस पूर्व केन्द्रीय मंत्री को ? एस. पी. के यहां जाकर घण्टा-डेढ़ घण्टा बैठे। उस केस को रफा-दफा करने के लिए एस. पी. के घर गये। मैं नाम नहीं बताना चाहता, उनको जानते होंगे कांग्रेसी लोग। वे उस काण्ड में शामिल हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने डी.आर.डी.ए. की बात कही। डी.आर.डी.ए. की बैठक में माननीय सदस्य भी बैठते हैं, कलेक्टर चेयरमैन होते हैं, पी. डी. उसके डायरेक्टर होते हैं, माननीय सदस्य भी उसमें अपने विचार रखते हैं और सभी जगह पांच लाख रुपया, जो हम कहते हैं उसी योजना में खर्च होते हैं। अगर सब मिलकर कहते हैं कि सड़क के ऊपर या सब मिलकर कहते हैं पानी के ऊपर और उसके प्रस्ताव हम भेज देते हैं तो वे सारे प्रस्ताव पास हो जाते हैं। जब पांच लाख रुपये अनटाइड फण्ड के हैं, हमारी मर्जी पर चाहे सड़क के लिए दें या किसी भवन के लिए दें, सारे पास होते हैं और सारे पास हो रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में जितना गांवों में विकास हुआ है उतना 40 साल में कभी नहीं हुआ होगा। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। पांच साल पूरे होने आए 50 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां खड़ी हैं आप जाकर देखिये, गांव-गांव में सड़कें बन रही है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कह रहे हैं कि पहले गांवों में बिजली पहुंची थी। कहां पहुची थी ? मेरे क्षेत्र में 10–12 गांव थे और आज ढाणी-ढाणी में बिजली पहुंच रही है। अभी 2 करोड़ 26 लाख का काम चालू है और शहरों में 7 करोड़ 60 लाख रुपये की योजना चालू होगी और वह काम चालू है। यह भारतीय जनता पार्टी के राज में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बजट के पैरा 137 के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : ब्यावर जिले का क्या हुआ ?

श्री उगमराज मेहता : गत वर्ष बजट के समय माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि आने वाले बजट सत्र में ब्यावर को जिला बना दिया जाएगा। उसका क्या हुआ ? इसी वर्ष अभी कुछ दिन पूर्व कार्यकर्ताओं के साथ में माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मिले, उप मुख्य मंत्रीजी से भी मिले। उन्होंने कहा हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हम भरोसा रख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाले दिनों में जब वे जवाब देंगे ....(व्यवधान)

एक बात निवेदन करना चाहूंगा। पैरा 137, जो इस बजट भाषण में है, एक आयोग बना दिया गया है। उसमें किसी का नाम नहीं है। आयोग बनाने की जरूरत नहीं है। राजस्व मण्डल की रिपोर्ट, मनोत समिति की रिपोर्ट में, उसकी पूरी रिपोर्ट है और राजस्व मण्डल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार हुई, उसमें "माननीय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने करौली, ब्यावर और प्रतापगढ़ को जिला बनाने की सिफारिश की है। करौली बना दिया गया और अभी ब्यावर व प्रतापगढ़ को नहीं बनाया है। मैं तो उप मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इतनी छूट दी है बजट में तो दो जिले बनाने की घोषणा इसी सत्र में करिये ताकि और आपकी सारी जगह जय-जयकार होगी। इसमें जो तहसील है....

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : इतनी छूट से जिला बनाते तो बालोतरा भी बना दीजिए।

श्री उगमराज मेहता : अजमेर जिले में 12 तहसीलें हैं। चार-चार तहसीलों का जिला बनाइए। मैं कह रहा हूं ब्यावर, मसूदा, पीसांगन, बदनौर को ले लीजिए। बदनौर वाले तो मंत्री बन गए, पहले तो मेरा साथ दिया था, बदनौर वाले माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं वे भी मन से कह रहे हैं, मिलने के लिए तैयार है, ब्यावर को जिला बनाने के लिए सारे उत्सुक हैं। मैं उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर जिस समय जवाब दें उस समय ब्यावर को जिला घोषित करें। यही मेरी मांग है, जय भारत।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : ब्यावर को जिला बनाने में रायपुर का एतराज है। हम पाली में रहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आखिरी भाषण है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तहजीब से उपाध्यक्ष महोदय को संबोधित कीजिए। आखिरी भाषण है, यह तो विधान सभा का परिणाम बताएगा कि आपका आखिरी है या मेरा आखिरी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने 27,650 करोड़ रु. का यह राज्य की नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो बजट पेश किया है यह बजट एक ऐसा बजट है जो एक भगोड़ी सरकार द्वारा पेश किया गया है। ऐसी सरकार जिसको मालूम है कि जनमानस ने एक तरह से मैंडेट

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इनके खिलाफ कर दिया है और ऐसी स्थिति में मैं केवल बजट पर आधारित ही अपनी अभिव्यक्ति करूंगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीतिक लाभ कमाने की पूरी कुचेष्टा की है और उस कुचेष्टा को बजट पेश करने से पहले तीन स्तर पर कायम किया गया है। पहला स्तर 58 साल से 60 साल तक उम्र का सेवाकाल बढ़ा दिया गया है जिससे 19 लाख बेरोजगारों का रोजगार का अवसर दो साल के लिये धकेल दिया है।

दूसरा, चुंगी को हटा दिया गया, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं सुझाया गया। तीसरा मेरा निवेदन है कि टेल एण्ड पर, अन्तिम छोर पर जहां चुनाव होने जा रहे हैं उस समय मंत्रिमण्डल में विस्तार करना इन चौदह मंत्रियों के हारने गारण्टी दिला दी है।

मेरा निवेदन करना यह है कि सबसे पहले इस बजट में यह प्रावधान किया गया है 280 करोड़ रुपये की समाप्ति कर दी गयी है जो चुंगी के द्वारा आय आती थी। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान सरकार ने पूर्णतया धोखा किया है। चुंगी बिलकुल नहीं हटी है। चुंगी तब हटती जब आप चुंगी के बदले राजस्थान के उपभोक्ताओं से कोई टैक्स वसूली नहीं करते। जो आठ प्रतिशत उपभोक्ता किसी भी नगर के या किसी भी नगर निगम क्षेत्र के, किसी नगरपालिका क्षेत्र के चुंगी देते हैं उनसे अब यह चुंगी बिक्रीकर के रूप में होगी। इस चुंगी का हैड बदल दिया गया, किन्तु बिक्रीकर का जो हैड आया है उससे 80 प्रतिशत उपभोक्ता प्रभावित होंगे। आज यदि कोई होटल में खाना खाने जाएगा तो उसको चुंगी की जगह बिक्रीकर देना पड़ेगा। अगर कोई आम आदमी एक किलो मिठाई मंगायेगा तो भी उसको बिक्री कर देना पड़ेगा। इस तरह से 80 प्रतिशत राजस्थान के उपभोक्ताओं पर एक इंपोजिशन कर दिया गया है। इसके विपरीत राजस्थान विधान सभा में जो बजट पेश हुआ है उसमें यह कहा गया है कि हम नगरपालिकाओं से यह वैकल्पिक आय क्या होगी इसका विकल्प ढूंढ़ने के लिए उनके सुझाव मंगाएंगे। मेरा निवेदन यह है कि सुझाव तो आप बाद में मांगेंगे और 280 करोड़ का पहले एक्जेम्पशन कर दिया। ऐसी स्थिति में अगस्त के बाद सितम्बर, अक्टूबर में उनका वेतन देने की अव्यवस्था होगी। चुंगी इकट्ठा करने का आज इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, कम से कम डेढ़ लाख एम्प्लोई चुंगी इकट्ठा करते हैं उनको कौनसे विभाग में खपाएंगे। बगैर कोई रूपरेखा बनाये आपने केवल एक राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया है। किन्तु ये जो नगर निगम और स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं जो कि रोड, बिजली, सफाई की व्यवस्था करती है उनके लिए कोई फण्डिंग की व्यवस्था नहीं की गयी। आप किसी टैक्स को हटा रहे हैं तो आप अल्टरनेटिवली सजेस्टेवली कोई विकल्प तो बताइए कि फण्डिंग कहां से करेंगे। बगैर फण्डिंग के वाहवाही लूटने की जो कोशिश की है यह धोखा है। इससे 8 परसेंट की जगह 80 परसेंट जनता चपेट में आ गयी है। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन करना है कि इस तरह से आने वाले समय में स्वायत्त शासन संस्थाएं एक तरह से पंगु हो जाएंगी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, न्याय नीति के बारे में बजट में यह कहा गया है कि 30 करोड़ रुपये का न्यायाधीशों के आवास हेतु प्रावधान रखा गया है और 30 न्यायालय खोलने का प्रावधान रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रावधान तो रखा गया है लेकिन राजस्थान हाई-कोर्ट की ऐसी स्थिति है जो भारत के किसी भी स्टेट के हाई-कोर्ट से बदतर है। मैं आपको न्यूमेरिकल फीगर बताते हुए निवेदन करूंगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 32 हाई-कोर्ट के जज हैं और इस बी. जे. पी. की सरकार ने अभी तक तीन साल में 9 हाई-कोर्ट के जजों के जो पद रिक्त हुए हैं उनमें से किसी की रिकमंडेशन नहीं की जिसका नतीजा यह निकला कि 32 हाई-कोर्ट के जज में से मात्र 21 या 22 काम कर रहे हैं और 9 रिक्त पड़े होने से मुकदमे हैं वह सालों साल दूर हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि राजस्थान के बाहर के हाई-कोर्ट जज संख्या में 10 हैं जो हर फ्राइडे की इवनिंग को जयपुर से राज्य की सीमा के बाहर चले जाते हैं और फिर मडे को देर तक आते हैं। इस तरह सविधान में जो उनको सटरडे की छुट्टी करके फैसले का एक दिन दिया है उसकी बजाय फैसला नहीं लिखते हैं। उनकी भी प्राब्लम है। उनकी प्राब्लम यह है कि उनका घर किसी का मध्य प्रदेश मे है, कोई दिल्ली रहते है, कोई यू. पी. के रहते है। वह जाते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान की उच्च न्यायपालिका में कोई भी डिस्पोजल नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाई-कोर्ट जजेज के बारे मे आप कह रहे हैं, जिम्मेदारी बरतें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सब नेताओं को जेल भेज दिया है, इतने पवित्र नहीं हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं वह ऑन ओथ कह रहा हूं। मेरा प्रिविलेज है हाई-कोर्ट के जजेज हैं, सुप्रिमेसी ऑफ लेजिस्लेचर है, ओवर जुडिशियरी, ओवर एग्जीक्यूटिव हमारी बॉडी सुप्रीम है। मैं एडवोकेट हूं इसलिए मैं जानता हूं कि अवमानना की बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं लेकिन राजस्थान की जनता को न्याय दिलाने के लिए कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हर सदन और हर संस्था अपने आपको सर्वोच्च मानती है लेकिन हम नियमों में बंधे हुए हैं और नियमों से सदन चले। अपना सर्वोपरि हाउस है इसलिए हम नियमों की प्रक्रिया से अलग जाकर, अपनी प्रक्रिया में यह प्रतिबन्ध है कि हाई-कोर्ट के किसी भी डिसिजन पर या उसके कार्य पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता (टोंक) : यह गलत कह रहे हैं महावीर जी। यह इनका प्रीविलेज है। (व्यवधान) Yes, you are right. You can speak.

श्री परसादीलाल मीणा : आप एलएल. बी. नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनमचन्द जी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यहां नियमों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। यदि कोई मामला वहां विचाराधीन हो उस सम्बन्ध में माननीय जजों के बारे में कोई टीका-टिप्पणी करें वह वर्जित है लेकिन जनरल जो वर्किंग है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बारे में चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय चीफ ह्वीप महोदय ने ध्यानपूर्वक माननीय सदस्य का भाषण नहीं सुना। माननीय सदस्य ने इंगित किया है इस तरफ कि मुकदमों का आकार बढ़ता जा रहा है, संख्या पैंण्डिंग बहुत है और जजों की संख्या कम है। सरकार को समय रहते जजेज के जो रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति करनी चाहिए। इसमें कहां कोई बात आ गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : यह थोड़े ही कहेंगे कि बहुत अच्छा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, हाई-कोर्ट के जजेज कोई सुपर ह्यूमन नहीं हैं। आज जिस प्रकार के आचरण वहां हो रहे हैं, जिस प्रकार के कार्यकलाप हो रहे हैं, उनकी जो वर्किंग है, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी सीमा में रह रहा हूं, उसको देखते हुए हाई-कोर्ट की जनरल वर्किंग पर हमें चर्चा करने का अधिकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हाई-कोर्ट के जज अपने आपमें क्या हैं, एक जज एक फैसला देता है, दूसरा जज दूसरा फैसला देता है। एक हाई-कोर्ट का जज चीफ जस्टिस के खिलाफ अवमानना का मामला पेश करता है। यह जो गिरावट आ रही है इस गिरावट की तरफ यदि यह सदन, पार्लियामेंट और असेम्बलीज ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो इस समाज का, इस जुडिशियरी का क्या होगा। इसलिए जुडिशियरी के हित में यह हमारे लिए वांछित है, आवश्यक है कि जुडिशियरी सिस्टम को ठीक करने के लिए जो वहां गलती हो रही है उस पर हम चर्चा करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आया और उपाध्यक्ष महोदय ने टोका कि जुडिशियरी के मामले में आप चर्चा नहीं करें। यह बात बिलकुल सही है कि शैलेन्द्र जी ने हाई-कोर्ट के मामले में कोई छुट्टी पर गया, नहीं गया, क्या बोल रहे थे इसमें नहीं है, पर मुझे जो कहना था मैंने यही कहा है कि हाई-कोर्ट के किसी निर्णय पर या वहां पर कोई विचाराधीन मामला है उस पर हम नहीं बोल सकते। यही मैंने कहा है। आप बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आपकी आपत्ति कौनसे नियम की ओर है ? माननीय सदस्य ऐसी समस्या की ओर संकेत दे रहे हैं जिससे पूरे राजस्थान की जनता पीड़ित है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिससे आप पीड़ित हो।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं पीड़ित हूं या नहीं हूं यह जानकारी आपके पास हो सकती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए बोल रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार का वायलेशन नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ग्रौसियां) : उपाध्यक्षजी, ग्रपनी इस ग्रसेम्बली ग्रौर सभी ग्रसेम्बलीज की कमजोरी है कि जैसे ही हाई-कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का एक शब्द भी लिया जाए तो ग्रपन उठकर कह देते हैं कि सबजुडिस मैटर है या हाई-कोर्ट पर ग्राप टिप्पणी नहीं कर सकते । जिस कदर हाई-कोर्टों ने ग्रौर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रापके स्पीकर्स की फजीती की है और जिस हिसाब से स्पीकर्स को डायरेक्शन दिये गये हैं ग्रौर ग्रापकी ग्रसेम्बली की रूलिंग को चैलेंज किया है, तो अब समय आ गया है, उपाध्यक्षजी, कि अपन भी अपनी स्ट्रेंथ बताएं । अपनी जो इंटेलीजेंस है, ग्रपनी क्रेडिबिलिटी है ग्रगर हर समय ग्रपन दबते ही रहेंगे, तो यह काम चलने वाला नहीं है । ग्रापके चीफ ह्वीप साहब ने उठते ही कह दिया कि हाई-कोर्ट का है । थोड़ा गम्भीरता से इस पर विचार करें जैन सहाब ग्रौर साथ के साथ मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हाई-कोर्ट की ग्रवहेलना यह करते हैं, उनका ग्रार्डर यह नहीं मानते । यू. पी. के कल्याण सिंहजी ने हाई-कोर्ट का ग्रार्डर नहीं माना, उनके खिलाफ कटेम्प्ट की पीटिशन हुई है । तो आप उसका भी ध्यान रखें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि लोग जेल में पड़े हुए हैं, उनकी अपील पैंडिंग है ग्रौर उनकी बहस सुन ली गयी लेकिन फैसला नहीं हुग्रा । मैं दावे के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह कहता हूं कि राजस्थान हाई-कोर्ट में करीब 200 मुकदमे ऐसे हैं जिनकी बहस सुन ली गयी है ग्रौर 6 महीने हो गये, फैसला ग्राज तक नहीं लिखाया गया । ऐसी न्याय व्यवस्था है । हाई-कोर्ट की तो मैं कहता हूं कि हमारे राज्य की जनता को कोई लाभकारी न्याय नहीं मिलता है । ग्राज हमारे फण्ड मे, जो केन्द्रीय निधि का फण्ड है उससे लाखों रुपये मिलते हैं । ग्राज जनता को न्याय मिलना चाहिए लेकिन ग्राज यह मामला हाइऐस्ट इंटेलेक्चुग्रल्स क्लास ग्रॉफ सोसाइटी का है ग्रौर हर ग्रादमी सोचता है कि एम. एल. ए. को लेगा तो 440 का करण्ट ग्रा जाएगा, ग्रवमानना हो जाएगी । अवमानना से डरेगा तो शैलेन्द्र जोशी डरेगा ग्रापको डरने की क्या जरूरत है । मैं जानता हूं कि मेरी एम्बीट क्या है, मैं जानता हूं कि मैं किस विषय पर बोल रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दुखान्तिका की ग्रोर ध्यान दिला रहा हूं कि यह एक ऐसी विचित्र स्थिति ग्रा गयी है कि आने वाले 10 साल में सिवाय एक व्यक्ति के कोई भी राजस्थान हाई-कोर्ट में राजस्थान का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता है । हमारे हाई-कोर्ट में 10 साल में मेरा दावा है कि राजस्थान के बाहर के लोग चीफ जस्टिस बनेंगे । हमारे यहां का एक भी नहीं बनेगा क्योंकि 9 पद रिक्त हैं । हम हमारे पदों को भरते नहीं हैं ग्रौर हमारे जो जजेज थे वे गुजरात चले गये, महाराष्ट्र चले गये । जो बाहर के जजेज हैं वे फ्राइडे इवनिंग को शताब्दी से जाते हैं ग्रौर मंडे को देर से ग्राते हैं । यह बात बिलकुल सही है, मैं शपथ पर कह रहा हूं ।

132

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इसके अलावा मेरा निवेदन यह भी है कि बी. जे. पी. शासित पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों का जयपुर में सम्मेलन हुआ। उसमें यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता सेनानियों को देय सम्मान राशि में बढ़ोतरी करेंगे। बहुत खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जाते ही 2500 कर दिये, मध्य प्रदेश ने 3300 कर दिये। राजस्थान सरकार ने, जिन्होंने कि चार मुख्य मन्त्रियों को यहां बुलाया था, वहां के मुख्य मन्त्री ने सवा साल तक चुप्पी साधे रखी और अब मात्र 1000 रुपये किये हैं। एक हजार रुपये मंथली एक स्वतंत्र सेनानी को।

(16.00)

एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपने बच्चे खोये, मां-बाप सब खोया और आज जिन्दगी के 70–80–85 साल की उम्र में है, उसको 1000/– रुपये देकर आप क्या तुच्छ भेंट देना चाहते हैं। यह असम्मान है। मेरा निवेदन है कि बजट में जो 1000 रुपये का प्रावधान है, उसको एनाउंस करके कम से कम उनको उनके बराबर ला दीजिए कि जिन मुख्य मंत्रियों ने आपकी राय मानी। आज मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री, आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, हमारे चारों तरफ के मुख्य मन्त्री हैं, उन्होंने उनको एक सम्मानजनक राशि दी है जिससे कि वे सम्मानजनक स्थिति में जीवन यापन कर ले। ऐसा मखौल कराने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को नहीं कुर्बान किया था, खुद को सूली पर इसलिए नहीं चढ़ाया था कि हमारे वारिसान को 1000 रुपये दें। 1000 रुपये आज फोर्थ क्लास को नहीं मिलते। आप 42 रुपये रोज मिनिमम वेजेज एक अनस्किल्ड लेबर को देते हैं। 45 × 30 करें तो स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन से ज्यादा तो एक अनस्किल्ड लेबर को देते हैं, यह आप मखौल मत कीजिए।

मेरा निवेदन यह है कि 58 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र करने के कारण क्या हुआ? 19 लाख बेरोजगारो के रोजगार के अवसर खतम हो गये। अब उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, एक तरफ राजस्थान में रोजगार पंजीकरण कार्यालयों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ बजट में एक भी शिक्षित, अर्द्ध शिक्षित, आंशिक शिक्षित, किसी भी युवक को रोजगार का कोई अवसर नहीं दिया गया है। यह रोजगार के अवसर नहीं दिये जाने से 18 साल से 35 साल की आयु के युवक-युवतियों के हितों पर कुठाराघात है और 58 साल का व्यक्ति जिसके बेटे-पोते कमाने लग गये, जो कि आज भी रिटायर बेनीफिट ले तो भी उसको 5000 रुपये की पेंशन मिलेगी, उसको 60 साल कर दिया, क्यों कर दिया, इसके पीछे बदमंशा है। यदि उन्हें इसी साल रिटायर कर देते तो आपको आने वाले दो वर्षों में लगभग तीन लाख कर्मचारी रिटायर होते जिनके लिए करोड़ों रुपये आपको रिटायर बेनेफिट के रूप में देने पड़ते, आपकी आर्थिक स्थिति का दिवाला निकल जाता। आपने रिटायरमैंट बेनीफिट नहीं देकर, आने वाली सरकार जो जैसी स्थिति में फसे, फंसे। आपने आपकी आफत निपटाई, नही तो आप 58 से 60 भी नहीं करने वाले थे। ऐसी स्थिति में मेरा यह कहना है कि इस बजट में एक अंधता है, एक ब्लाइंडनेस है, राजस्थान के शिक्षित और प्रशिक्षित युवक

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

युवतियों को कोई भी डोर ओपन नहीं है रोजगार के लिए, इस तरह यह बजट युवकों के लिए घोर निराशाजनक है।

इसके अलावा मेरा निवेदन यह भी है कि जो यह बात की जाती है बिजली की, उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ में सिक्रोनाइज कर दिया 9 मई को, इसके अलावा रामगढ़ गैस विद्युत गृह में, धौलपुर में 702 मेगावाट बनाएंगे। अब बनाएंगे, बनाएंगे, अभी आस्ट्रेलिया, अमरीका, दुनिया भर से आपने सोलर एनर्जी का भी कांट्रेक्ट किया था, वह तो हाइपरटेंशन में चला गया, वह तो शीतकालीन हो गया लेकिन मेरा निवेदन करना यह कि 9 साल में आपने 10 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यदि नहीं की, तो जनता परिणाम को देखती है, जनता तुगलकी योजनाओं को नहीं देखती है। दौसा और बारां, अब क्या करेंगे, चार माह बाद आप रहेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में जो बैक-लाग रहा है, आपको मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना है कि 1986 के उपभोक्ता टुकर-टुकर कर देख रहा है, इसका नाम नहीं आ रहा है। नर्सरी योजना, वन पोल-टू पोल। एक पोल के 9000, दूसरा पोल 500 का, 10 एच. पी. की मोटर लगाओ तो 25,000 सिक्योरिटी के चाहिए। यह हालत है। बिजली बेच दी, किनको, पैसे वालों को। जो लाख दे, वह सैकण्डरी स्कूल ले जाये। जो एक लाख दे वह मिडल ले जाए। जो चार लाख दे वह सीनियर सैकण्डरी ले जाए। जो पांच लाख दे वह कालेज ले जाए। शैक्षणिक संस्थानों की बिक्री, आपके अलावा किसी ने भी नहीं की। इस तरह की स्थिति है और बजट में जो मेंशन है, आज इसका मतलब यह है।

मैं सीकर जिले की बात करूं। मैं सीकर जिले के जो माननीय सदस्य हैं, उनका सम्मान करता हूं। सीकर जिले के लोग बहुत कुशाग्र हैं, धनाढ्य हैं। वे लोग जाते हैं कलकत्ता, मद्रास, बोम्बे, उनके पास पैसा है, चार लाख दे सकते हैं, दो लाख दे सकते हैं। हमारा दौसा जिला, हमारा जयपुर जिला और राजस्थान के बीसों जिले हैं वहां पर कोई 20,000 देने को कोई तैयार नहीं है। तो हम तो रोएंगे, भा. ज. पा. का राज रहेगा तब तक रोएंगे, हमारे यहां कोई भामाशाह पैदा नहीं हुआ। (व्यवधान) ऐसी स्थिति में जनता ने आपको 18 और 5 का रेशो देकर समझा दिया है कि आने वाला टाइम क्या होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आज स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है। इसके अलावा स्कूलें बेच दीं। बी. एड. पास छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा में नये-नये अनुभव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा ऐसी होगी। आपको मालूम है शिक्षा मंत्री महोदय कि आठवीं का परीक्षाकरण समान किया है। उसमें आठवीं का, मिडल स्कूल का क्या परीक्षा परिणाम रहा है राजस्थान में? 9 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं आठवीं में। यह हालत है। मेरे यहां 3 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 11 प्रतिशत। ऐसा तो बोर्ड में भी नहीं होता है। यह शिक्षा का स्तर है।

(134)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों में बात कर रहा हूं । मेरा निवेदन करना यह भी है कि पेयजल की बात कही गयी है कि 352 करोड़ 20 लाख रुपये पेयजल पर खर्च किये गये हैं । यह तो ठीक है लेकिन यह बताएं कि राजीव गांधी टैक्नीकल मिशन के द्वारा, हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्रीजी के द्वारा जो योजना बनायी गयी है, उसके जो चिह्नित गांव थे, जो आया कि 100 व्यक्तियों से ज्यादा कोई जगह है तो हैण्डपम्प लगाएंगे । वहां पर राजस्थान सरकार जान-बूझकर हैण्ड पम्प नहीं लगा रही है, यह इसका फेल्योर है । इसके अलावा आपने, माननीय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय, आपने बजट में प्रावधान किया था, आप याद रखिये कि राजस्थान में 2000 से ज्यादा जहां भी कहीं राजस्व ग्राम की आबादी है, आप पी एण्ड टी. स्कीम चलाएंगे और फिर हुआ क्या ? मेरे यहां 9 गांव थे । आपने कहा कि एक जगह बनाएंगे, बाकी डी. आर. डी. ए. को भेज दिया । डी.आर. डी. ए. कहता है कि हमारे पास फण्ड ही नहीं है । जब फण्ड ही नहीं है तो आप घोषणाएं क्यों करते हो ? घोषणा क्या शहद की तरह चाटने के लिए करते हो ? आपको मालूम है विदेशों में यदि कोई मंत्री बगैर फंडिंग के घोषणा कर दे तो यह एक अपराध होता है लेकिन यहां पर वाहवाही लूटने का एक साधन है । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति पेयजल के लिए है, एक उदाहरण दूं । हमारे चूरू के माननीय चन्दन मलजी बैद और इन्द्रसिंह जी पूनिया को, मैं केवल आधा मिनट में यह बात कहना चाहूंगा, जब वे आये तो उनका क्या मिला? पानी नहीं, पानी की धार से उनके शरीर में छेद करने के लिए, पैनी धार, उनको लाठी-डंडे पड़े । यह है भा. ज. पा. की गंगा बहाने की योजना, पानी के लिए विधायकों को मारा जा रहा है ।

आज कानून व्यवस्था की बात होती है । हमारे माननीय सदस्य नरेन्द्रसिंह जी भाटी, उनके 15 टांके आये हैं और इस समय यहां विराजे हुए हैं । राजस्थान सरकार के आपके माननीय गृह मंत्री महोदय यह कहें, आपने खींची साहब के आत्मदाह के बारे ये वक्तव्य दिया, बहुत अच्छी बात है, दिया जाना चाहिए था । स्टेट की रेस्पोंसिबिलिटी थी । ठीक है, हेलीकोप्टर से उनको लाया गया, बहुत अच्छी बात है । काश, आप हमारे विपक्ष के माननीय विधायक, माननीय भाटी साहब के बारे में भी कुछ कहते, सही कहते या गलत कहते, कुछ बोलते अपने श्रीमुख से, कुछ अभिवचन की अभिव्यक्ति तो सारगर्भित होती । किन्तु नहीं, आप हरेक चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, आप हर चीज का भाजपाकरण करना चाहते हैं, यह गलत बात है ।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि लॉ-एण्ड-आर्डर की बात कही गई है, उसके बारे में आप यह बताएं शिवानी जडेजा कांड हुआ, आज तक उसका मेडिकली रिएम्बर्समेंट नहीं किया गया । सरकार ने घोषणा की है इस सदन में हम सारा खर्च देंगे । इसके अलावा मैं माननीय पी. डब्लू. डी. मंत्रीजी जो कि अभी नहीं हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि कोटा में जो नीलू राणा प्रकरण हुआ उसको शुरू-शुरू में, क्यों कि वह एक राजनीतिक पार्टी का मुख्य

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कार्यकर्ता था और एक मंत्री के समकक्ष था, रिश्तेदार था, इसलिए ऐसी स्थिति में उसको प्रोटेक्शन दिया गया और इनिशियल स्टेज पर जांच अधिकारी के द्वारा, इन्वेस्टिग ग्राफिसर के द्वारा उसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया। उसके बाद जब प्रेशर बढ़ा, कांग्रेस के लोगों ने आपत्ति की तो फिर उसको मर्डर का रूप दिया गया। यह भा. ज. पा. का लॉ-एण्ड-आर्डर का हश्र है। इसके अलावा करौली के माननीय सदस्य पर जो आरोप लगाया, उसके बारे में न तो स्पष्टीकरण आया है और आज वह बलात्कार का मामला वहां का वहां पड़ा हुआ है।

इसके अलावा अलवर की रचना गुप्ता के साथ शालिनी शर्मा के द्वारा जो कांड हुआ, वह जीता-जागता नमूना है। इसके अलावा आपके नगर के पार्षद, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, कामकाजी महिला छात्रावास में आपके नगर के दो पार्षदों ने मुंह काला किया। वहां पर गये, रात को महिलाओं के साथ बदतमीजी का व्यवहार किया और आप क्या न्याय देंगे। आपके निदेशक, जन-स्वास्थ्य एवं निदेशक, लोकल बोडी श्री अजयसिंह चित्तौड़ा के द्वारा जांच करवायी गयी। चित्तौड़ाजी ने उनको दोषी माना, उसके बाद भी मुझे कहते हुए शर्म आती है कि उस जांच को आपने डस्टबिन में डाल दिया और फिर आपने उन पार्षदों को बहाल किया। यह है आपकी न्यायप्रियता का नमूना, मैं आपको स्पष्टतया बिलकुल दो टूक बात कह रहा हूं और आपको इंगित करके कह रहा हूं और आपको शब्दशः कह रहा हूं इसमें मैं हेर-फेर का बहाना नहीं कर रहा हूं। आप इनका उत्तर दें समय आने पर, क्योंकि वह मैंने जांच रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : यह रिपोर्ट है क्या आपके पास ? आपके पास रिपोर्ट है क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप ना कर दें कि अजयसिंह चित्तौड़ा ने जिनको अपराधी माना। आप कहें कि अपराधी कौन है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बोल रहे हैं तो आपके पास रिपोर्ट है क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरे पास तो है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, वह है रिपोर्ट आपके पास ?

श्री जगदीप धनखड़ : उनके पास रिपोर्ट है।

श्री भंवरलाल शर्मा : बोल तो वे रहे हैं ना, बोल वह रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरे पास है।

श्री भंवरलाल शर्मा : बेस तो आप बना रहे हैं उस रिपोर्ट को, ऐसी + + + बात नहीं करनी चाहिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है, आज, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की क्या स्थिति है। आप आपने कहा कि जो भी राजस्थान में सड़कों का जाल बना है वह सड़कों का जाल वर्ल्ड बैंक फाइनेंस से, स्टेट एग्रो मार्केटिंग बोर्ड से बना है जिस पर राजस्थान की बी. जे. पी. सरकार की कोई दुहाई नहीं है, न कोई वाहवाही है। अगर यह कोई कहता है तो वह गलत है। और वह कांग्रेस के राज में ही हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी के काल में वह सारा हुआ था। मेरा निवेदन करना यह है, आज कृषि मंडी, राजस्थान की जो सडकें बनती हैं उनकी रिपेयरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, आज पेच वर्क की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क आई, बारिश आई और बी. जे. पी. की सरकार की सड़कों में गड्ढे पड़ गये। माननीय पी. डब्लू डी मिनिस्टर ने कहा था कि यदि सड़कों में गड्ढा पड़ेगा तो मैं ऐसा मानूंगा कि मेरे फफोले पड़ेंगे। तो उन सड़कों की रिपेयर की कोई व्यवस्था नहीं है और उनका संधारण नहीं हो रहा है।

इसी तरह मेरा यह भी निवेदन है कि आज खनिज की क्या स्थिति है। आज राजस्थान में कोई आदमी अपना मकान नहीं बना सकता, उसको पत्थर नहीं मिल रहा। क्यों ? उसमें रिजर्व फोरेस्ट, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट है और जो रुपये दे जाए फोरेस्टर को, रेंजर को, उसके लिए कोई फोरेस्ट नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का नंगा सबूत है, न्यूड ट्रूथ है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वनों की कटाई की जा रही है। और तो और, आपकी औद्योगिक नीति खराब है उसके कारण मार्बल कटर बंद पड़े हैं, मार्बल की कटिंग नहीं हो रही है जिससे सैंकड़ों-हजारों मजदूर बेकार पड़े हैं।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन करना है कि यह जो भ्रष्टाचार है वह चरम सीमा पर पहुंच गया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपका गला बैठ गया उसमें भी बी. जे. पी. का हाथ है क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी सरकार इस तरह की यह जो बात कह रही है। श्रीमन्, कि यह जो राजस्थान की कानून व्यवस्था है उसके बारे में मेरा निवेदन करना यह है कि जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, एक माननीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि जे. सी बोस कांड में जो हुआ उससे हमारा सर सम्मान से झुकता है। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि उन्होंने यह जो कहा, यह बिलकुल गलत कहा। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि जो जे. सी. कांड की पीड़ित है, क्या उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, क्या दैहिक शोषण उसका नहीं हुआ ? वह क्या कहना चाहते हैं ? आपको किसी को बचाना है, तो आप बचाइये लेकिन आप यह कहकर नहीं बचा सकते कि उसके साथ उत्पीड़न नहीं हुआ। उसका शारीरिक दोहन किया गया, एक नहीं, अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया गया, एक बार नहीं किया गया, अनेक बार किया गया और उसके बाद बी. जे. पी. के अध्यक्ष के द्वारा सदन में यह कहना गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री श्री किशन सोनगरा (राज्य मंत्री, कारागार) : उन्होंने तो महिला आयोग के अध्यक्ष का हवाला दिया था।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब स्वास्थ्य के बारे में यह बता रहा हूं कि स्वास्थ्य के बारे में यह कहा गया है कि 10 प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनेंगे। राजस्थान में 200 विधान सभा क्षेत्र और 10 प्राइमरी हैल्थ सेन्टर और ए. एन. एम. के सेन्टर कितने ? 67 उप स्वास्थ्य केन्द्र। आप देखिये, आपका बजट है, कितना इम्प्रपोर्शनेट है। अब समान रूप से विकास कैसे होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में जितना क्षेत्रीय जितना संभागीय असंतुलन बना है उतना कभी नहीं बना। सारे जो प्रोजेक्ट हैं वह केवल और ही जिलों में हैं जहां कि बड़े-बड़े मंत्री हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि कम से कम और भी नहीं तो आधे तो, 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, 100 तो पी. एच. सी. खोले जाएं।

श्री परसादीलाल मीणा : 200–100 में तो वह ही ले जाएगे, अपना क्या है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की कि जहां-जहां उप जिला है, जहां-जहां सब-डिवीजन हैड क्वार्टर है वहां पर 50 बेडेड हास्पिटल होगा। मेरा बांदीकुई एक एम. डी. ओ. हैडक्वार्टर है वहां पर 50 बेडेड हास्पिटल नहीं है, वहां पर केवल 20 बेड हैं और चार डाक्टर हैं। आपको तो मालूम है। आप तो वहां के पास की भौगोलिक स्थिति से अवगत हैं। ऐसी स्थिति में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो सरकार की घोषित नीति है कि उपखण्ड स्तर पर 50 बेडेड हास्पिटल होना चाहिए, कम से कम वह तो करवायें। नारागढ़ में करवायें। ऐसी स्थिति में....(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : अभी तो चार्ज लगाये, अब निवेदन पर आ गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : चार्ज होगा बुराई के लिए, निवेदन होगा अच्छाई के लिए।

अब मेरा यह भी निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, मैं आपकी अनुशंसा करता हूं, मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने गई 10 तारीख को जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी आई उस दिन आपने न केवल हम विधायकों की, न केवल राजस्थान की पूरी जनता की बल्कि जन-मानस की भावनाओं की कद्र की, विधान सभा का अवकाश रखा उसके लिए मैं आपको ढेर सारा धन्यवाद देता हूं। बोलिये, क्या कहना है ? (व्यवधान) जो धन्यवाद की बात होगी उसके लिए दिया जाएगा। लेकिन आपको धन्यवाद किस लिए दूं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह है बी. जे. पी.।

एक माननीय सदस्य : यह बी. जे. पी. वालों का दिल है, बड़ा दिल।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बी. जे. पी. का मतलब है, बी. से....

(138)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : जोशीजी, बांदीकुई में सब-डिवीजन खोला, मंडी....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके तो दिल ही नहीं है, बड़े-छोटे का कहां से प्रश्न आ गया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं, मैं अन्तिम बात कह रहा हूं साहब। मेरी अन्तिम बात यह है, माननीय उपाध्यक्षजी, आज यह दुहाई दी जाती है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, यदि कोई इसकी परवाह करता है तो वह बी. जे. पी. पार्टी है। मेरा यह निवेदन है कि 38 साल के कांग्रेस के राज में जितनी हिन्दुओं के भगवान की मूर्तियों की चोरी हुई उसके मुकाबले दस गुना ज्यादा आठ साल के बी. जे. पी. के राज में हिन्दुओं के मन्दिरों में से मूर्तियों की चोरियां हुई, यह चोरियां जान-बूझकर एक षड्यंत्र के द्वारा हुई हैं और आज तक सरकार ने हिन्दुओं के भगवानों की मूर्तियों की चोरी की कोई बरामदगी नहीं करवाई। यह क्या रक्षा करेंगे, आप क्या रक्षा करेंगे हिन्दुओं की मूर्तियों की? ऐसी स्थिति में जो हमारे भगवानों की रक्षा नहीं कर सके.... (व्यवधान)

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो लाइन यह पढ़ता हूं, केवल दो लाइन, उसके बाद आप बोलियेगा, कि आज जो बी. जे. पी. के हालात हैं इस बजट के बाद, उसके कारण बी. जे. पी. का मतलब पूरी जनता, बी. से भ्रष्टाचार, जे. से जननी, पी. से पार्टी, बी. से मागो, जे. जनता, नहीं तो पकड़ेगी। यह हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट 1998-99 पर सामान्य बहस चल रही है। मैं उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री माननीय भाभड़ा साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान के विकास का जो लक्ष्य लेकर 1990 में हम चले, उसको इस बजट के माध्यम से और आगे बढ़ाया है। कुशल वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो कदम आगे बढ़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी राज्य का या देश का बजट वहां की जनता को प्रभावित करे, उनकी खुशहाली हो, उनका विकास हो, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े, उस राज्य की आर्थिक स्थिति बढ़े, उस ओर परिलक्षित हो, तो निश्चित रूप से वह बहुत बढ़िया बजट और सर्वमान्य बजट कहलायेगा। यह जो इस साल का बजट है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण, जलपूर्ति, सिंचाई, कृषि, ऊर्जा और सड़क, सभी प्रकार की जो सामान्यतः आम जनता, आम नागरिक की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में इस बजट को प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि हमारी पार्टी का जो एजेण्डा था, उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो करना बहुत आवश्यक थीं, जिसमें मुख्य बात थी चुंगी। चुंगी हटाकर जो हमने वायदा किया था आम जनता से, उसकी आज पूर्ति की, उसके लिए बहुत-बहुत

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

धन्यवाद। जिस प्रकार चुंगी हटाने के लिए आपने साहस दिखाया उसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। चुंगी हटाने से म्युनिसिपलिटी या सरकार को आर्थिक नुकसान है उसका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व आम जनता व्यापारियों, उद्योगपतियों को इसके सिस्टम से जो परेशानियां हो रही थी, इसकी वसूली की जो परेशानी होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट कम्पनीज को, ट्रकों को, व्यापारियों को, उसमें जो राहत मिली उसके लिए इस राजस्थान का प्रत्येक नागरिक आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगा। यह बात सही है 280 करोड़ रुपये का इसमें वित्तीय भार है। उसकी व्यवस्था के लिए आपने इस विधान सभा की सामान्य बहस पर छोड़ दिया। मेरा इसमें एक सुझाव है। आपने बजट में बताया कि आम सदस्यों की, जो विधान सभा के माननीय सदस्यगण हैं, उनकी राय से जो भी सिस्टम तय होगा, जो भी सुझाव आयेंगे उन पर अमल किया जाएगा। मेरा इसमें यह सुझाव है कि 280 करोड़ रुपये बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाए, यह राज्य सरकार ही वहन करे। जिस प्रकार पांचवें वेतन आयोग से 1950 करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार पर पड़ा है उसको भी वहन किया है, तो 280 करोड़ रुपये की कोई विशेष बात नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसको स्वय राज्य सरकार वहन करे और किसी प्रकार के जनता पर अन्य टैक्स नहीं लगाए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको चुनावी बजट कहा, तीन महीने बाद चुनाव होने वाले हैं तो जनता को लाभ देने के लिए जिस प्रकार से टैक्स कम किये हैं। पिछले 8 साल के बजट की आप तुलना कीजिए राज्य सरकार के वित्त मंत्री ने हर साल बजट में कर राहत दी है। राजस्थान के एडजाइनिंग आस-पास के जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनके जितने टैक्स हैं और राजस्थान सरकार के जो टैक्स हैं अगर ज्यादा टैक्स हैं और उनकी वजह से बिजनेस और अन्य बातों मे जो फर्क पड़ रहा था, प्रतिवर्ष उसको घटाते हुए जो बाकी के राज्य हैं उनसे उनको कम किया। यह एक कहावत है कि अगर टैक्स कम होंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, कानून कम होगा तो अपराध कम होगा, इसी लक्ष्य को, इसी बात को ध्यान में रखकर पिछले 8 साल से लगातार टैक्स कम किये और टैक्स कम करने से हमारी रेवेन्यू बढ़ी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस पॉलिसी को आप आगे बढ़ायें। राज्य की जनता इसे स्वीकार कर रही हैं। जिस प्रकार विपक्ष के बंधु कह रहे हैं कि यह बजट ऐसा है कि जिसमें सरकार भाग जाने वाली है, आने वाली सरकार क्या करेगी, वे किसी गलतफहमी में नहीं रहें सरकार जाएगी नहीं। राज यही चलेगा, क्योंकि आम जनता इस राज से जुड़ गयी है। उनको जो सुविधायें और सुरक्षा मिली है, जो व्यवस्थायें हैं उसमें इस राज को ही राज करना है इसलिए इस बारे में कहीं गलतफहमी नहीं रखें।

श्री परसादीलाल मीणा : लोक सभा चुनावों को भूल गये क्या ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से आंकड़ों के द्वारा यह बताया कि इस राज में विकास के बजाय जो योजनायें बनी हैं, उन योजनाओं का पैसा विकास में नहीं लगकर भ्रष्टाचार या अन्य कहीं लगा है। मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको दर्शित करूंगा कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जहां 3000 करोड़ रुपये की थी, वहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना 12000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की है। उसके जो परिणाम है वह आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रति व्यक्ति आय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1710 रुपये व 8वीं पंचवर्षीय योजना में 2247 रुपये। ये इस बात का द्योतक है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति विनियोजन जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 876 रुपये था वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में 2613 रुपये हो गया इसका मतलब तिगुना व्यक्तिगत विनियोजन हुआ, निश्चित रूप से यह विकास का द्योतक है। यह जो पंचवर्षीय योजनाओं का आकार बढ़ा है वह भी विकास को दर्शाता है। इसी प्रकार खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन जहां 7वीं पंचवर्षीय योजना में 77 लाख टन था, वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में 103 लाख टन हुआ तो यह भी एक प्रकार से वृद्धि का द्योतक है। तिलहन का वार्षिक उत्पादन 13 लाख टन था वह बढ़कर 8वीं पंचवर्षीय योजना में 30 लाख टन हुआ। कपास की गांठों का उत्पादन जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 6 लाख गांठों का था वह 11 लाख गांठें बनीं हैं, यह भी करीब डबल के आस-पास उत्पादन हुआ। इसके साथ-साथ रासायनिक खाद का उत्पादन जहां 7वीं पंचवर्षीय योजना में 28 लाख टन था वह 8वीं पंचवर्षीय योजना मे 61 लाख टन के लगभग खपत बढ़ी है, यह भी इस बात का द्योतक है कि कृषि उत्पादन में तीव्र विकास हुआ है और कृषि उत्पादन राजस्थान में बढ़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं पानी की बचत कर और अधिक बुवाई करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने फव्वारा योजना बनाई और सब्सिडी दी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में फव्वारों के द्वारा सिंचाई के जहां 3100 सैट थे वे 8वीं पंचवर्षीय योजना में 74 हजार सैट का अनुदान दिया गया है। इसका यह मतलब है कि काश्तकारों ने इसके उपयोग को समझा है और ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेने लगा है और पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं कुओं को जो बिजली देने की योजना है वह 7वीं पंचवर्षीय योजना में केवल 79838 कुओं को बिजली दी गयी जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1,22,000 कुओं को बिजली के कनेक्शंस दिये गये। इसी प्रकार उपभोक्ताओं को भी बिजली जहां 7वीं पंचवर्षीय योजना में 30 बिलियन यूनिट थी वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में 61 बिलियन यूनिट उपभोग में आई तो यह इस बात का द्योतक है कि जो आंकड़े तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये और ये जो वास्तव मे सामने नजर आ रहे हैं, फिल्ड में जो उत्पादन हुआ है या विकास हुआ है वह आपके सामने हैं और यह इस बात का द्योतक है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो 12 हजार करोड़

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

रुपये खर्च हुए वह वास्तव में राजस्थान के बहुंमुखी विकास के लिए खर्च हुए हैं और इसका परिणाम भी आया है।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां 1991-92 में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, सफाई, कृषि, सिंचाई और ऊर्जा एवं सड़क पर कुल मिलाकर 2513 करोड़ 36 लाख रुपये की तुलना में 1998-99 में 6905 करोड़ 66 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया। यह इस बात का द्योतक है कि हमारे मन में जिस प्रकार विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ये सरकार जाने वाली है और तीन महीने के लिए बजट है। पर यह इस बात का द्योतक है कि इस राज्य के विकास में विकास की गंगा बहाने का कार्य 1990 से राज्य सरकार ने हाथ में लिया वह आगे निरन्तर बढ़ता रहेगा मैं इसको डिटेल्स में बताऊं शिक्षा में जहां 1990-91 में 99459 लाख रुपये थे वह 1998-99 में 2992.49 करोड़ रुपये रखे गये। यह इस बात का द्योतक है कि यह एक साल में तो बढ़ नहीं सकता है। यह लगातार हर साल बढ़ते हुए यह बजट बढ़ा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में जहां 300.36 करोड़ रुपये का प्रावधान 1991-92 में था वह 1998-99 में 973.35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। जलापूर्ति और सफाई में 329 54 करोड़ रुपये के मुकाबले 1998-99 में 973.35 करोड़ रुपये रखे गये हैं। कृषि में 72.84 करोड़ रुपये का प्रावधान 1991-92 में रखा गया था और 1998 99 में 287.91 करोड़ रुपये। सिंचाई में 381.81 करोड़ रुपये 1991-92 में प्रोविजन था वह बढ़कर 1998-99 में 1054.36 करोड़ रुपये रखा। ऊर्जा में जहां 1991-92 में 372.16 करोड़ रुपये थे वहां 1998-99 में 433.42 करोड़ रुपये रखे गये और सड़क पर 1991-92 में 162 06 करोड़ रुपये थे वहां 1998-99 में 416.7 करोड़ रुपये रखे गये। मैं ये आंकड़ इस बात के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यगण एक बात कह रहे हैं कि यह सरकार जाने वाली है और यह उस हिसाब से ही कार्य कर रही है, ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह राज यही रहेगा। हम योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के लिये आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में यही राज रहेगा और इसकी जो प्लानिंग है वही आगे बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां आठवीं पंचवर्षीय योजना 12 हजार करोड़ रुपये की रही वहां नवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में पिछले वर्ष के बजट में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 25 हजार करोड़ रुपये की होगी लेकिन केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने 27650 करोड़ रुपये की योजना स्वीकार की जो आठवीं पंचवर्षीय योजना से ढाई गुना और सातवीं पंचवर्षीय योजना से नौ गुना अधिक है। यह इस बात का द्योतक है कि केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार को विकास के लिये धन और योजना का आकार बढ़ाकर इसको अन्य पिछड़े राज्यों से विकसित राज्यों में भी नम्बर वन में लाने के लिये सतत् प्रयत्नशील हैं उसका भी सोच है।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

उपाध्यक्ष महोदय, नवीं पंच वर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को दी गयी है जिसके लिये 7519.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट में जो व्यवस्थाएं की गयी, जो बजट प्रावधान किया गया उसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि संसाधनों को सुरक्षित रखने या उनकी देख-भाल करना। 1947 जब देश स्वतन्त्र हुआ और राजस्थान राज्य बना, राज्य सरकार ने अपनी परिसम्पत्तियों को बढ़ाया है और भवन और अन्य जितने भी निर्माण कार्य राज्य सरकार की परिसम्पत्ति के हुए हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं होने की वजह से उन सम्पत्तियों की जहां कीमतें कम हुईं, अच्छे मौकों पर या बड़े-बड़े शहरों में परिसम्पत्तियां हैं, लेकिन उनकी स्थिति जर्जर होने से या व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने से उनकी कीमत और उनका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ओर ध्यान दिया और इसके लिये 325.19 करोड़ रुपये रखे।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा के लिये इस बजट में जो प्रावधान रखे हैं वह 1991-92 की तुलना में तीन गुना अधिक व्यय की व्यवस्था की है और जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में 270.88 करोड़ रुपये का व्यय हुआ वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1040.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1900 प्राथमिक शालाएं थीं वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 5911 प्राथमिक शालाएं हो गयीं। उच्च प्राथमिक शालाएं जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1591 थीं वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2627 हो गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, 1951 से शिक्षा की तुलना करूंगा। किसी राज्य का विकास शिक्षा पर निर्भर है। अगर शिक्षित राज्य होगा तो निश्चित रूप से वहां विकास होगा। जहां 1951 में प्राथमिक शालाएं राजस्थान में...., उपाध्यक्ष महोदय, जहां पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 में प्राथमिक विद्यालय 4336 थे वहां 1991 में यह बढ़कर 28419 हुए और वर्ष....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : राजस्थान जब बना पूरे राज्य का बजट केवल 16 करोड़ रुपये का था। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : उस टाइम 16 करोड़ की वकत थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह 16 करोड़ रुपये भी आपसे खर्च नहीं हुए। आपसे वह 16 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हुए। 1951 में बजट में जितना प्रावधान था वह भी आपसे खर्च नहीं हुए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमने तो एक ही सवाल इनसे पूछ लिया कि हमने तो बड़े-बड़े बांध बनाये आपने 500 एकड़ का सिंचाई का बांध बनाया हो, तो इतने सदस्य बिराजे हुए हो, मुझे जवाब दे दो। 500 एकड़ का नींव देकर बना दिया हो, एक ही बता दो। हमने तो राजस्थान केनाल बना दी, चम्बल बना दी, इसका जवाब दे दो न एक ही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दे रहा हूं। जब आप अध्यक्ष थे उस समय मैं एस्टिमेट कमेटी का मैम्बर था और उस समय हमने सारी योजनाओं का परीक्षण किया। कोई योजना आपने पूरी नहीं की और सारी योजनाओं में, जिस इन्दिरा गांधी नहर की केवल 65 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी आज उसमें 1200 करोड़ रुपये खर्च करके हमने पूरी की (व्यवधान) सारी योजनाएं हमने पूरी कीं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : राजस्थान केनाल का बजट 100 करोड़ का क्यों रखा, 5 करोड़ रखते ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जितनी सिंचाई की योजनाएं थीं वह सारी हमने पूरी कीं, जितनी सड़कें थीं वह हमने पूरी कीं। बीसलपुर की योजना खटाई में डाल दी। उसके बाद उसको हमने पूरी की और आपको पता है....

श्री किशन मोटवानी : आपने डाली है खटाई में.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और आपको पता है, आप अजमेर से आते हैं आप पानी के लिये चिल्लाते रहे लेकिन पानी अजमेर में हमने भेजा....

श्री किशन मोटवानी : बिलकुल गलत बोल रहे हैं आप (व्यवधान) + + + आनी चाहिये आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह केवल हमारी सरकार है जिसने ये योजनाएं पूरी कीं (व्यवधान) आप तो केवल उसमें से दूध निकालते थे और आपने सड़कें केवल कागजों पर बनायी हैं। कागजों पर सड़कें बनायी हैं उसका भंडाफोड़ हुआ... (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : 7 साल तक अजमेर की जनता को आपने पानी के लिये तरसाया। अभी भी पूरा नहीं दे रहे हैं। अभी भी नहीं दे रहे हैं आप.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने सदन में कहा था कि अजमेर में पानी नहीं जाएगा लेकिन हमने यह कहा कि इस सत्र में जाएगा।

श्री किशन मोटवानी : + + + बोल रहे हैं आप। आप + + + बोल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, + + + असंसदीय है, इसको निकालिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं और यह + + + शब्द का इस्तेमाल करके असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : चलिये आपको अच्छा लगता है तो असत्य बोल रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कुछ नहीं बढ़ा है इनके राज में। बढ़ा हैं तो भ्रष्टाचार और बलात्कार बढ़े हैं, सबसे ज्यादा। (व्यवधान) सारा बजट आपका इसी में चला जाता है। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

एक माननीय सदस्य : यह सारी की सारी पम्पिंग स्टेशंस पाइप लाइन बी.जे.पी. के शासन में हुई हैं ... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कृपया एक तुच्छ सवाल का जवाब दे दीजिए। 1991 में जब आपका राज आया जब से लगाकर आज तक राजस्थान केनाल पर आपने कितना खर्च किया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजस्थान केनाल में पहले कितना उत्पादन होता था और अब कितना उत्पादन होता है। राजस्थान केनाल पर जितना निर्माण हमने करवाया उसकी क्रियान्विति उससे आज बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में अन्न के भण्डार भर दिये हैं। आज वहां मूंगफली की फसल होती है जो बीकानेर में नमकीन बनाने के लिये पहले बाहर से मंगायी जाती थी। आज वहां पर इसका उत्पादन होता है। यह केवल हमारी सरकार ने किया है। आपने केवल कागजों में योजनाएं बनायी और हमने उनकी क्रियान्विति की। पानी को पहुंचाया, वह केवल हमने पहुंचाया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 500 एकड़ का एक बता दो न, सब बिराजे हुए हैं। 12 साल के राज में 500 एकड़ के सिंचाई का एक भी बता दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : श्री पूनमचन्द जी साहब, अतिरिक्त सिंचाई की जितनी व्यवस्था आठ साल में हुई आपने 40 वर्ष में नहीं की। 500 एकड़ की क्या बात करते हो आप 5000 एकड़ की बात करो.... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बना दिया होगा, एक नाला यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। मैंने पांच सवाल पूछे हैं। 12 मेगावाट बिजली पैदा होती थी जब राजस्थान बना.... (व्यवधान) अब 3300 मेगावाट का खर्चा है यह आपने किया है क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोयला और सीमेंट बेचा है वहां पर। राजस्थान नहर में जिस प्रकार के घोटाले यहां पर उजागर हुए, आप तो अध्यक्ष की सीट पर विराजमान थे, राजस्थान नहर में कोई काम पूरा किया नहीं और भ्रष्टाचार का इस प्रकार का बोलबाला रहा कि कोई योजना पूरी कैसे होती।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 100 मेगावाट का खर्चा है तो क्या यह आपने किया है ? आपको कुछ मालूम तो है नहीं। वह एक शंख था, एक थोड़ा छोटा-सा था और एक इतना बड़ा शंख था, उसका नाम यहां नहीं देना चाहता, वह बात कह रहे हो आप तो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक जी ने फरमाया कि आपने 16 करोड़ रुपये भी नहीं खर्च किये 1952 में। आपके इसमें उप मुख्य मंत्रीजी भी बन गये फाइनेंशिल विजर्ड आज आपने और आपके मुख्य (व्यवधान) आप कहो तो मैं बैठ जाता हूं और जब आप एस्टिमेट कमेटी की बात फरमा रहे थे, उस समय जब पूनमचन्द जी साहब इस सीट पर विराजमान थे। आपको यह भी याद होना चाहिए था कि यहां से भैरोंसिंह जी साहब कहते थे कि मेरे अगर सजेशन यह

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कांग्रेस पार्टी मान ले, भले ही माथुर साहब चीफ मिनिस्टर हों और जोशी जी हों, तो 15 हजार करोड़ रुपये जुटवा दूं और आज क्या हालत है, आज राजस्थान पर 21 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पाइंट आफ आर्डर है क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर मैंने कहा ही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने जिस प्रकार सारी योजनाएं अधूरी रखीं उसके लिए हमें कर्जा लेकर उत्पादन बढ़ाना पड़ा। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप राजस्थान के बारे में बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमको तो यह भी पता है कि जोधपुर हाउस में क्या हाल हुआ, उसका भी पता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : श्रीमन्, आपको यही पता नहीं है यह सुल्ताना कहां है ? (व्यवधान) राजस्थान की पैरवी कर रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा हो रही थी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक सैकण्ड। ऐसा है कि खाद कितना खर्च होता है और स्कूटर कितने हैं। पहले मेरे देखने में थे ही नहीं। वही गिना दो कि पांच लाख स्कूटर हैं राजस्थान में। आपके दिये हुए हैं क्या, यह विज्ञान टैक्नोलोजी की देन हैं, लोग समझते हैं और खर्च करते हैं, उसमें क्या बात है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के समय में 40 साल में कई योजनाएं पूरी नहीं हो पायीं और जिस प्रकार से अभी विपक्ष के सदस्यगण यह चार्ज लगा रहे थे कि ऋण ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, यह कुशल वित्तीय प्रबन्धन का ही परिणाम है कि सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता हो तो ऋण लिया। आपने ऋण इसलिए नहीं लिया कि आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुईं, काम ही नहीं करना चाहे तो फिर ऋण किस बात का और फिर ऋण मिलता भी नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मुझे तो 500 एकड़ वाला जवाब दे दो एक ही आपने किया हो नींव लेकर 500 एकड़ का कोई छोटा तालाब ही बनाया हो, तो जवाब दे दो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं आपको कह रहा हूं ऋण उसी को मिलता है जो साहूकार होता है। अगर परिसम्पत्तियां बढ़ी है, तो.... (व्यवधान) ऋण मिलेंगे और मिलेंगे।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जनवरी से लगाकर 31 मार्च तक कोई काम नहीं हुआ, सब काम बंद कर दिये गये और इस बात के महकमे से उनको निर्देश थे कि सब काम विकास के बंद कर दिये जाएं। अब पैसा होता तो पैसा लगाते वहां पर।

146

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, ऋण अगर विकास के लिए और परिसम्पत्तियां बनाने के लिए लिया तो उसमें कोई गुनाह नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अगर आपका कुशल वित्तीय प्रबन्धन होता तो ऋण मिलता आपको। स्थिति यह है कि आप खर्च नही करो और कुशल वित्तीय प्रबन्धन मान लो उसको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बनवारी लालजी, आप मंत्री रहे हैं और आप सांसद रहे हैं। आपको उस समय तो याद ही नहीं आया विकास क्या होता है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : खर्च ही नहीं करो तो कुशल प्रबन्धन होगा वह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको तो याद ही नहीं आया, कभी देखा तक नहीं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आपकी जानकारी में है जनवरी से लगाकर मार्च तक सब काम बंद कर दिये गये जिले में? है या नहीं? बोलिये, मुख्य सचेतक जी। आपको इनके जिले की बात कह रहा हूं, सर। मानते हो यह बात ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी राज्य का विकास केवल कृषि उत्पादन या व्यापार, व्यवसाय, उद्योग से ही नहीं होता है, बल्कि उस क्षेत्र की शिक्षा, उस राज्य की शिक्षा पर निर्भर करता है कि वहां की कितनी जनता शिक्षित है, कितनी पढ़ी-लिखी है। अगर वहां 100 परसेंट शिक्षा है तो निश्चित रूप से वह स्टेट संवेदनशील, विकसित और सब तरह से वैभवशाली होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 40 साल में कांग्रेस के राज में इस ओर ध्यान नही दिया गया इसलिए आज यह स्थिति राजस्थान की हुई है। पिछले 8 साल से शिक्षा पर जो जोर दिया गया उसका परिणाम मैं आपको बताना चाहता हूं।

पहली पंचवर्षीय योजना में जहां 1951 में केवल राजस्थान में 4,336 प्राथमिक शालाएं थी वहां 1991 में 28419 और 1997 में आते-आते 33,649 प्राथमिक शालाएं हो गयी। आज स्थिति यह है कि वर्ष 1997 के अन्त में राजस्थान में कोई ऐसा रेवेन्यू विलेज नहीं है जहां प्राथमिक शाला नही हो या ढाई सौ की आबादी वाला गांव जो किसी न किसी शिक्षा योजना से, चाहे शिक्षा कर्मी हो, लोक जुम्बिश हो, चाहे राजकीय प्राथमिक शालाएं हों उससे नही जुड़ा हो। इसका मतलब शिक्षा के प्रति इस राज्य का लगाव है और विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा ...

श्री पूनम चन्द विश्नोई : उसके लिए एक योजना है न बूढ़ों को पढ़ाने की। एक आदमी बूढ़ों को, साथ चलते हैं अपन संगारसिंहजी की उम्र वाले को किताब पढ़ा कर बता दो कि साहब यह साल भर पहले अनपढ़ था और अब वह कैसे धड़ाधड़ पढ़ रहा है, तो मैं यह जगह खाली कर दूंगा। क्यों पैसा खर्च कर रहे हो ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : वातावरण तो बनाया है। उनको शिक्षा का महत्व तो पता लगा है और कोशिश तो की है अपने दस्तखत कर सकें।

श्री खंगारसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जब अपन पहले तीसरी में पढ़ते थे तब इंगलिश चलती थी और आज हमारी पांचवी मे पढ़ने वाले बच्चों को छठी में जाकर पढ़ने को मिलती है जिसको अपने बाप का और खुद का नाम लिखना नहीं आता है। साहब, यह + + + आप क्यों झूंठी तारीफ कर रहे हैं ? राजस्थान का रिजल्ट रहा है ? परसेंट।

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां 1951 में 732 पूरे राजस्थान में थे, 1991 में वह बढ़कर 8,695 हुए और 1997 में 13,115 हो गये। माध्यमिक विद्यालय जहां 1951 में 175 पूरे राजस्थान में थे, वहां 1991 में 3115 और 1997 में बढ़कर 3,675 हो गये। उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां 1971 में 986 विद्यालय थे वहां 1997 में 1572 हो गये। यही नहीं, महाविद्यालय, हायर एजुकेशन जहां जहां 1951 में केवल 15 कालेज थे वह 1991 में बढ़कर 165 महाविद्यालय और 1997 में 237 हो गये। यह इस बात का द्योतक है कि यह राज, जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया तब शिक्षा पर विशेष जोर दिया और उसी का परिणाम है कि आज शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है। यही नहीं इस वर्ष बजट में सौ प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लिए घोषणा की गयी है और 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक और 50 माध्यमिक विद्यालयों को, उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह बहुत कम है। जिस प्रकार साक्षरता का विकास और शिक्षा के प्रति रुचि, गांव-गांव में जिस गांव में जाएं वहां लोग कहें कि हमारी स्कूल क्रमोन्नत की जाए तो इनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ानी चाहिए। इस संख्या को 50 के बजाय 400 करना चाहिए। इसके साथ-साथ इस वर्ष के बजट में जहां कोटा और बीकानेर में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा की गयी है उसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी नीति के अनुसार अब हर डिवीजन पर, हर सम्भाग में एक विश्वविद्यालय हो जाएगा इस प्रकार से जो हमारी मांग थी उसकी पूर्ति हुई है।

मान्यवर, बच्चों के लिए करौली, नाथद्वारा और जैसलमेर में महाविद्यालय खोले उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय की जो हमारी मांग थी उसकी अब पूर्ति हुई है, इसका ध्यान रखा उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अलवर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा में महिला छात्रावास की जो स्थापना की उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे यह जाहिर होता है कि राज्य सरकार महिला शिक्षा पर विशेष जोर दे रही है और उसी के लिए सुविधाएं

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

148

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

दी हैं। पांच नये आई. टी. आई संस्थाएं खोले, उसके लिए भी बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, वह कृषि पर निर्भर करती है और कृषि मे अगर उपज और विस्तार हो तो निश्चित रूप से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उससे काश्तकारों और यहां के व्यापार और उद्योग-धन्धों का विकास होगा और निश्चित रूप से देश में राजस्थान जो एक विकासशील राज्य है, वह आगे बढ़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1991-92 की तुलना में 1998-99 में ढाई गुना बजट में वृद्धि कृषि क्षेत्र में हुई। जहां 1998-99 में 120 लाख टन खाद्यान एवं 35 लाख टन तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और 750 कृषि उत्पादन वितरण केन्द्रों की स्थापना से काश्तकारों के लिए एक बहुत अच्छा लक्ष्य है इससे उनको सुविधाएं मिलेंगी और काश्तकार अपनी खेती की जो उपज है उसको ठीक ढंग से बेच पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में काश्त को, किसानों को जो राहत दी, वह बहुत सराहनीय है। डीजल इंजन, पानी के निकालने के डीजल इंजन के जो भी पार्ट्स आते हैं उनको टैक्स-फ्री किया, काश्तकारों की तरफ से, किसानों की तरफ से माननीय वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके कारण गांवों में काश्तकार इंजन खरीदता है, वह सस्ता पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लगाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई में 1998-99 के लिये 361.14 करोड़ का प्रावधान रखा गया जो पिछले वर्ष से 46 प्रतिशत ज्यादा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कृषि उत्पादन में सिंचाई का विशेष महत्व है और सिंचाई के ऊपर जो बजट प्रावधान रखा गया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इस वर्ष 21200 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई का जो प्रावधान रखा गया है अगर हमने उसको प्राप्त कर लिया और उसका बजट प्रावधान भी रखा तो निश्चित रूप से हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। 25 लघु सिंचाई योजनाओं को जो अधूरी पड़ी हैं उनको पूर्ण करने के लिये भी प्रावधान रखा उसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा एक ही निवेदन है कि राजस्थान में जितनी बारिश होती है, केवल 30 प्रतिशत ही उस पानी का उपयोग होता है, 70 प्रतिशत बहकर चला जाता है। अगर इस 30 प्रतिशत का और उपयोग बढ़ाकर किया जाए और जगह-जगह एनीकट, बांध, छोटे तालाब वगैरह बांधे जाएं, तो निश्चित रूप से पीने के पानी की समस्या भी ठीक होगी और काश्तकारों के लिये, सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। इसके लिये इस बजट में प्रावधान रखा है। इस बजट भाषण में कहा गया है कि एनीकट, खरन्जा आदि के सम्बन्ध में जो भी प्रस्ताव आएंगे, वह निश्चित रूप से स्वीकार करके उनके निर्माण की स्वीकृति होगी। इसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे अजमेर जिले की जो कुछ घोषणाएं इस बजट में अपेक्षित थीं, वह नहीं हो पायीं। अजमेर में हवाई अड्डा बनाने की

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

मांग है। इस साल 786वां उर्स फेयर है। हम यह चाह रहे थे कि यहां हवाई अड्डा बने, पर हवाई अड्डा बनाने के लिये जो प्रावधान होना चाहिए था उसके लिये इस बजट में घोषणा नहीं की। यह बात सही है कि वहां जमीन की प्राब्लम आ रही है। सरकारी जमीन सरकार दे सकती है लेकिन जो निजी जमीन है उसको खरीदने के लिये कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बी ओ. टी. के माध्यम से सड़कें या बाई-पास बनाये जा रहे हैं। अगर यह जमीन उनसे खरीद करके, उससे टैक्स लगा करे ताकि जब हवाई-अड्डा बन जाए तो उसकी पूर्ति कर सकें, इतना साहस वित्त मंत्रीजी दिखाएं तो निश्चित रूप से हमारे वहां हवाई अड्डा बन सकता है।

इसके साथ-साथ ब्यावर जिला बनाने की मांग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर को जिला बनाने के लिये एक बहुत पुरानी मांग चली आ रही है और वह डिजर्व भी कर रही है। जब दौसा जिला बना था, जब हनुमानगढ़ जिला बना था, तब ब्यावर की चर्चा उठी थी कि ब्यावर जिला बनने वाला है, अब बनेगा। लेकिन इस बजट में इसकी घोषणा होने वाली थी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोगटा साहब, ब्यावर को जिला बनाकर क्या करोगे। दौसा बनाया तब चार सीटें कांग्रेस को मिल गयीं अब ब्यावर बनाओगे तो एक भी नहीं मिलेगी बी. जे पी. को।

श्री किशन गोपाल कोगटा : कोई बात नहीं। लेकिन जनता का हित होगा, जनता का हित होगा।

तो इसमें ब्यावर तहसील, मसूदा तहसील, रायपुर तहसील, जैतारण तहसील, भीम और आसींद तहसील वगैरह को मिलाकर जो जिला बनाने की मांग थी, इसका भी सर्वे किया है।

श्री सुखलाल सेंणचा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि रायपुर मारवाड़ को पाली जिले में ही रहने दो। हम ब्यावर के अन्दर रहना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो आप जनमत करा लो। रायपुर और जैतारण दोनों का ही किसान उधर आना नहीं चाहता है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुरानी मांग थी और वह डिजर्व करती है। रेवेन्यू की दृष्टि से भी राजस्थान में ब्यावर का विशेष स्थान है। राज्य सरकार की रेवेन्यू भी नम्बर वन पर ब्यावर से होती है मैं चाहूंगा कि अगर कुशल प्रशासन हो, जनता को राहत मिले और जनता को सुविधाएं मिलें, इसके लिये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की जाए। इसके साथ-साथ अजमेर जिले में सात तहसीलें हैं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। वे

150

(श्री. उपाध्यक्ष)

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के वेश्म में दिनांक 13 जुलाई, 1998 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे हुई। समिति दिनांक 14 जुलाई, 1998 से 29 जुलाई, 1998 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :—

मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 1998	वर्ष 1998-99 के लिए परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण
बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 1998	(आय-व्ययक) पर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 1998	अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस, एवं मांग संख्या-17 कारागार पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 1998	अनुदान की मांग संख्या-14 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 18 जुलाई, 1998 रविवार, दिनांक 19 जुलाई, 1998	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 1998	अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि, मांग संख्या-39 पशुपालन एवं मांग संख्या-36 सहकारिता पर विचार एवं पारण।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 1998	अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल पर विचार एवं पारण ।
बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 1998	अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास एवं मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार पर विचार एवं पारण ।
गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 1998	अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई, (इंदिरा गांधी नहर सहित), एवं मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर विचार एवं पारण ।
शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 1998	अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण एवं मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर विचार एवं पारण ।
शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 1998	अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल पर विचार एवं पारण ।

(परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 25 जुलाई, 1998 को सदन द्वारा पारित की जाएगी)

रविवार, दिनांक 26 जुलाई, 1998	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 1998 मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 1998	राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1998 पर विचार एवं पारण ।
बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 1998	राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 पर विचार एवं पारण ।

(152)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 1998 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.58 बजे मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 85 का विवरण)

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	नियमित आबंटन	वितरण कराए गए केरोसीन की मात्रा (के एल.) मार्च, 98	अप्रेल, 98	मई, 98	जून, 98
1	2	3	4	5	6	7
1.	नयावास	2	2	2	2	2
2.	डोब	3	3	3	3	3
3.	सन्तेमपुरा	3	3	3	3	3
4.	डिगो	2	2	2	2	3
5.	खटूम्बर	3	2	3	3	3
6.	श्रीमा	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
7.	शिवसिंहपुरा	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
						जी. एस एस.
8.	तलाबगांव	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
9.	होढ़ापली	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.	दौलतपुरा	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.	देवली	2.5	2.5	3.5	2.5	2.5
12.	राजोली	3.0	3.0	4.1	3.0	4.0
13.	बिच्छा	3.0	—	3.0	3.0	2.0
						जी. एस. एस.
14.	गांग्ल्यावास	3.0	3.0	4.0	4.5	3.0
15.	बिदरखां	2.5	2.5	3.45	4.5	2.5
16.	सोनड़	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0
17.	हेमल्यावाला	2.5	3.5	4.0	4.0	4.0
18.	मिर्जापुर	2.0	1.5	3.0	3 0	3.0
19.	निर्भरना	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5
20.	सूरतपुरा	3.0	4.0	5.0	4.5	5.0
21.	मण्डावरी	6.5	6.5	8.5	11.5	12.0
22.	रामगढ़ पचवारा	4.5	5.5	6.5	6.5	6.5
23.	डीडवाना	6.5	7.0	8.0	8.0	9.4
24.	पालून्दा	2.5	2.5	3.5	4.0	2.5

(154)

1	2	3	4	5	6	7
25.	राहुवास	2 5	3.0	2.5	2.5	2.5
26.	कोलीबाड़ा	2.5	2.5	2.5	4.0	2.5
27.	कल्लावास	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5
28.	कालूवास	3.0	3.0	1.5	3.0	1.5
29.	डूंगरपुर	3.5	3.5	6.5	3.5	5.0
30.	निजामपुरा	5.0	4.75	5.35	2.75	4.75
31.	टोड़ाठेकला	3.5	4.5	3.5	5.0	6.0
32.	पट्टी किशोरपुरा	2.5	3.5	4.0	2.5	4.0
33.	चांदसेन	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0
34.	खेड़ला खुर्द	3.0	3.0	4.0	5.0	4.0
35.	किशोरपुरा	2.0	2.0	5.5	3.5	2.0
36.	महारिया	2.0	2.0	5 0	3.5	3.5
37.	बिलौना खुर्द	1.5	1.5	1.5	1.5	3.0
38.	बगड़ी	3.0	4.0	4.5	4.5	5 0
39.	कांकरिया	2.5	3.5	2.5	4.0	2.5
40.	लालपुरा	4.0	4.0	5.5	5 5	5.5
41.	बिलोना कलां	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0
42.	खटवा	2.5	2.5	4 5	4.0	4.0
43.	चूडियावास	4.0	4 0	7	7	5.5
44.	श्यामपुरा कलां	3.5	4.5	4.0	3 5	5.0
45.	झांपद	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0
46.	सवांसा	2.0	2.0	3.0	5.5	3 0
47.	अमराबाद	3.0	4.0	4.5	4 5	4.5
		140.5	152.0	192.1	186.0	185.4

माह अप्रेल, मई, जून, 1998 में खाद्य विभाग से 276 के. एल. अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें से 60 के. एल. तहसील लालसोट को आवंटित हुआ तथा उसका उप आवंटन तहसीदार द्वारा क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता सरपंचों की मांग, राशन कार्ड संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

परिशिष्ट – 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 90

(स्थगित)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता

91. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुओं की कालाबाजारी और मिलावट किये जाने के सम्बन्ध में कितने प्रकरण दर्ज किये गये।

(2) दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरण जांच उपरांत सही पाये गये तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर जिले में अप्रेल, 1995 से जून, 1998 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली वस्तुओं की कालाबाजारी के सम्बन्ध में 331 प्रकरण दर्ज किये गये।

(2) उक्त 331 प्रकरणों में से 257 प्रकरण निस्तारित किये गये हैं, जिनमें प्राधिकार पत्र निलम्बन, निरस्तीकरण, प्रतिभूति राशि जब्त, एफ. आई आर. आदि की कार्यवाही की गयी है। शेष 74 प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं।

भरतपुर स्थित सरकारी गोदाम (शराब) का स्थानान्तरण

92. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर में रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय के नजदीक शराब का गोदाम है, जहां से शराब की बिक्री ठेकेदारों को की जाती है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त गोदाम का सरकार अन्यत्र स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर शहर में रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय के नजदीक सरकार का शराब का वर्तमान में कोई गोदाम नहीं है। अतः शराब बिक्री का कोई प्रश्न नहीं है।

(2) भरतपुर शहर में रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय के निकट राज्य सरकार का जो गोदाम था उसको दिनांक 1-4-96 से पुराना औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर में स्थानांतरित किया जा चुका है।

गुजरात में चक्रवाती तूफान से राज्य के व्यक्तियों की मृत्यु

93. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भीखा भाई)

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान ने हाल ही में कांडला बन्दरगाह गांधीधाम एवं अन्य स्थानों का दौरा किया है ? यदि हां, दौरे की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य मंत्री ने गुजरात परिभ्रमण के दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों के गुजरात राज्य में चक्रवात तूफान में हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या का पता लगाया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। गुजरात राज्य के दौरे के समय माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा कच्छ, कांडला, बन्दरगाह क्षेत्र, श्रमिक बस्ती एवं जामनगर क्षेत्रों का दौरा किया गया एवं झम्मालिया, कल्याणपुर कस्बों का हवाई सर्वे किया।

गुजरात राज्य के उद्योग, स्वास्थ्य मंत्रियों सहित जिलाधिकारियों, कांडला बन्दरगाह के अधिकारियों तथा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। राजस्थान के श्रमिकों एवं उनके प्रतिनिधियों से भी बात की गयी।

(2) विभिन्न जिलों के चक्रवाती तूफान में गुजरात में मृतक 64 व्यक्तियों में से 27 व्यक्तियों के शवों की पहचान हो चुकी है तथा 37 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है, परन्तु शव बरामद नहीं हुए। 96 व्यक्ति लापता हैं विवरण सदन के पटल पर रख दिया है। (परिशिष्ट-1)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला प्रमुख सवाईमाधोपुर एवं करौली का चुनाव

94. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद सवाईमाधोपुर को विभाजित कर एक अन्य जिला परिषद करौली का गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला परिषद सवाई-माधोपुर व करौली के जिला प्रमुख का चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश/अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। जिला परिषद सवाई-माधोपुर व करौली के जिला प्रमुख के चुनाव हेतु प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष निर्णयाधीन है।

Regd. No. RJ. 2777/93

राजस्थान राज–पत्र
RAJASTHAN GAZETTE
विशेषांक
Extraordinary
साधिकार प्रकाशित
Published by Authority
आषाढ़ 26, गुरुवार, शाके 1919 — जुलाई 17, 1997
Ashadha 26, Thursday, Saka 1919—Julp 17, 1997
भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, जुलाई 17, 1997

एस. ओ. 129 :—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए करौली जिले में निम्नलिखित खण्ड होंगे और वे नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ (4) में परिभाषित सीमाओं सहित स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट नाम से जाने जायेंगे :—

अनुसूची

क्र.सं.	खण्ड का नाम	तहसील का नाम	खण्ड की सीमाएं
1.	करौली	करौली	करौली की सम्पूर्ण तहसील।
2.	नादौती	नादौती	नादौती की सम्पूर्ण तहसील।
3.	हिण्डौन	हिण्डौन	हिण्डौन की सम्पूर्ण तहसील।
4.	सपोटरा	सपोटरा	सपोटरा की सम्पूर्ण तहसील।
5.	टोडाभीम	टोडाभीम	टोडाभीम की सम्पूर्ण तहसील।

यह आदेश दिनांक 19-7-97 से प्रभावित होंगे।

[संख्या एफ. 4 (29) प्राविप/विधि/97/4170]

जयपुर, जुलाई 17, 1997

एस. ओ. 130 : – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिला सवाई माधोपुर में निम्नलिखित खण्ड होंगे, और नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ (4) में परिभाषित सीमाओं सहित स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट नाम से जाने जाएंगे :—

अनुसूची

क्र.सं.	खण्ड का नाम	तहसील का नाम	खण्ड की सीमायें
1.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर की सम्पूर्ण तहसील ।
2.	गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी की सम्पूर्ण तहसील ।
3.	बामनवास	बामनवास	बामनवास की सम्पूर्ण तहसील ।
4.	बौली	बौली	बौली की सम्पूर्ण तहसील ।
5.	खण्डार	खण्डार	खण्डार की सम्पूर्ण तहसील ।

यह आदेश दिनांक 19-7-97 से प्रभावित होंगे ।

[संख्या एफ. 4 (29) प्राविप/विधि/97/4171]

जयपुर, जुलाई 17, 1997

एस. ओ. 131 : –राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि :—

(1) नवगठित करौली जिले के लिए एक नई जिला परिषद् गठित की जायेगी, जिसका मुख्यालय करौली में होगा ।

(2) करौली की जिला परिषद् में करौली, नादौती, हिण्डौन, सपोटरा और टोडाभीम पंचायत समितियां समाविष्ट होंगी ।

(3) सवाई माधोपुर, की विद्यमान जिला परिषद् में इसके पश्चात् सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बामनवास, बौली और खण्डार की पंचायत समितियां समाविष्ट होंगी ।

यह आदेश दिनांक 19-7-97 से प्रवृत्त होंगे ।

[संख्या एफ. 4 (29) प्राविप/विधि/97/4172]

राज्यपाल के आदेश से,

मनोहर कान्त,

विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक,

राजस्थान, जयपुर ।

Regd. No. RJ. 2777/93

राजस्थान राज–पत्र

RAJASTHAN GAZETTE

विशेषांक

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 26, गुरुवार, शाके 1919 – जुलाई 17, 1997

Asadha 26, Thrusday, Saka 1919—July 17, 1997

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

गृह (ग्रुप–6) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 17, 1997

एस. ओ. 132 :– पुलिस अधिनियम, 1861 (सन् 1861 का अधिनियम), जैसा राजस्थान राज्य में लागू है, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद् द्वारा कथित अधिनियमों के अन्तर्गत जिला पुलिस अधीक्षक की समस्त शक्तियां (1) पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर (2) पुलिस अधीक्षक, जिला करौली की क्रमश: अधोलिखित विवरण वाले क्षेत्र के लिए प्रदान करने की घोषणा करती है :—

(1) पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर	(2) पुलिस अधीक्षक, जिला करौली
पुलिस थाने	पुलिस थाने
1. कोतवाली सवाई माधोपुर	1. करौली
2. मानटाऊन सवाई माधोपुर	2. मासलपुर

(160)

3. खाजना डूंगर
4. बौंली
5. चौथ का बरवाड़ा
6. खण्डार
7. बहरावण्डा कलां
8. मलारना डूंगर
9. गंगापुर सिटी
10. बामनवास
11. वजीरपुर

3. मण्डरायल
4. कैलादेवी
5. सपोटरा
6. कुड़गांव
7. करणपुर
8. हिण्डौन सिटी
9. टोडाभीम
10. सूरोठ
11. श्री महावीर जी
12. नादौती
13. गढ़मोरा

पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला करौली में क्रमशः जिला दण्डनायक सवाई माधोपुर एवं करौली के प्रसामान्य निर्देशन एवं नियंत्रण में पुलिस प्रशासन की समस्त शक्तियां उनके संबद्ध कार्य क्षेत्र में निहित होगी ।

[संख्या प. 10 (13) गृह–6/97]

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
बी. एल. गुप्ता
उप शासन सचिव,
गृह (पुलिस) विभाग
राजस्थान, जयपुर

पाली में कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण

95. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली शहर में सोजत रोड़ स्थित बापूनगर के पास कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब ? प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कब्रिस्तान में प्याऊ एवं रास्ते का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा कब्रिस्तान की सीमा पर चारदीवारी हेतु पट्टियां गाड़े जाने की इजाजत दी गई और फिर उस इजाजत को निरस्त कर दिया गया ? यदि हां तो क्यों ? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कब्रिस्तान की रक्षा एवं शान्ति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए अस्थाई रूप से पुलिस चौकी स्थापित की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या अब उक्त पुलिस चौकी को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(6) उक्त कब्रिस्तान की सुरक्षा हेतु तथा अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री अजीज दर्द, सैक्रेटरी, मुस्लिम वक्फ कमेटी, पाली द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांक 25-6-96 जिला पुलिस अधीक्षक, पाली एवं 22-6-98 को कलेक्टर पाली को प्राप्त हुई है। परिशिष्ट "क" एवं "ख" संलग्न है।

(2) उक्त भूमि में रोड साइड पर एक 10 × 12 फीट की सीजनल अस्थायी प्याऊ बांस व खजूर की चटाई से वर्ष 1996 में बापूनगर निवासियों द्वारा बनाया जाना बताया गया है। इस भूमि में किसी रास्ते का निर्माण नहीं किया गया है।

(3) जी, नहीं। जिला प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान पर चारदीवारी हेतु पट्टियां गाड़ने की कोई इजाजत नहीं दी गयी।

(4) जी, नहीं। कब्रिस्तान की रक्षा हेतु कोई पुलिस चौकी स्थापित नहीं की गयी थी।

(5) चूंकि पुलिस चौकी स्थापित ही नहीं की गई थी, अतः हटाने का प्रश्न ही नहीं है।

(6) राज्य सरकार द्वारा कब्रिस्तान भूमियों से अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित कलेक्टर्स की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर कमेटी के निर्णयानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। गठित कमेटी के निर्णयानुसार शीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(162)

Muslim Waqaf Commettee Shehar Pali

Muslim Musafir Khana, Bus Stand, Pali (Raj) 306401

Ref 17/96 Dated 25-6-96

सेवामें,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला पाली–मारवाड़ (राज.)।

विषय :- बापू नगर वाले कब्रिस्तान के अन्दर से प्याऊ हटाने बाबत।

मान्यवर जी,

निवेदन है कि किसी अज्ञात व्यक्तियों ने बापू नगर कब्रिस्तान में झोपड़ी बनाकर प्याऊ बना ली है, जो खुले आम कब्रिस्तान में अतिक्रमण करना चाहते हैं जिससे कभी भी कोई भी तनाव पैदा हो सकता है।

अतः आप मेहरबानी करके तत्काल प्याऊ हटाने का आदेश प्रदान कर मुस्लिम समाज में पनप रहे रोष को समाप्त करावें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा।

भवदीय,

(अजीज दर्द)

सैक्रेटरी

मुस्लिम वक्फ कमेटी, पाली (राज)

Muslim Waqaf Commettee

मुस्लिम वक्फ कमेटी

मुस्लिम मुसाफिर खाना, पाली 306401 (राज.)

क्रमांक वक्फ : 84/98 दिनांक 22-6-68

सेवामें,

श्रीमान जिला कलेक्टर साहब,

पाली (राज.)।

विषय :— कब्रिस्तान बापू नगर से प्याऊ हटाने बाबत।

महोदय जी,

निवेदन है कि कई बार प्याऊ हटाने की मांग की जा चुकी है मगर आज तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। इससे अल्प संख्यक समुदाय में रोष है।

अतः आप मेहरबानी करके प्याऊ हटाने के आदेश प्रदान कर हमें अनुग्रहित करायें।

भवदीय

(अजीज दर्द)

सैक्रेटरी

निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ की पेयजल योजनाएं

96. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ के उपखण्ड एवं ओसियां में वर्ष 1993 से आज तक कितने नलकूप विभिन्न योजनान्तर्गत खोदे गये और कितने खोदे जाने शेष हैं ? क्या खोदे गये नलकूपों को पेयजल हेतु चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में ? बन्द नलकूप अब कब तक चालू कर दिये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में जीरो सर्विस के कितने ग्राम है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र का जल स्तर नीचे जाने के कारण हैण्डपम्प सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन गांवों में नलकूप खोद कर ग्रामीणों को पेयजल मुहैया कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त क्षेत्र में कितनी किलोमीटर पाईप लाइन कहां-कहां बिछाई गयी है तथा कहां-कहां बिछायी जानी शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1993 से 30 जून, 1998 तक स्वीकृत 81 नलकूपों में से 72 नलकूप खोदे जा चुके हैं तथा 9 खोदे जाने शेष हैं । खोदे हुए 72 नलकूपों में से 57 नलकूपों को चालू किया जा चुका है । शेष 15 नलकूपों को इसी वर्ष मार्च, 99 तक चालू किया जाना प्रस्तावित है । सूची परिशिष्ट "अ" पर है ।

(2) वर्तमान में भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में 7 ग्राम जीरो सर्विस लेवल के चिह्नित किये गये थे ।

(3) जी, हां । 35 ग्रामों के 164 हैण्डपंपों में से 64 हैण्डपंप का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण सूख गये हैं । इन ग्रामों में से 12 ग्रामों में नलकूप बनाकर पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है । 2 ग्रामों हेतु योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसे इस वर्ष पूरा किया जाना प्रस्तावित है शेष 21 ग्रामों की योजनाएं बनाने की प्रक्रिया में हैं । योजना बनाकर तकनीकी परीक्षण पश्चात् धन उपलब्धता अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(4) निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ में अब तक लगभग 102 किलोमीटर पाइप लाइन डाली जा चुकी है एवं लगभग 62 किलोमीटर पाइप लाइन डाली जानी शेष है पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ब" एवं "स" पर उपलब्ध है ।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं में उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक

97. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1996 से जून, 1998 तक तक झुन्झुनूं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठकें किन-किन तारीखों में आयोजित की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऐसे आदेश जारी किये गये हैं, कि जिन समितियों में विधायक सदस्य हैं उनकी बैठकें शनिवार को ही आयोजित की जावें ? यदि हां, तो कौन-कौन सी बैठकें शनिवार को आयोजित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त में से किन-किन बैठकों में कौन-कौन से विधायक उपस्थित हुए ?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं में उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की निम्न तारीखों में बैठकें वर्षवार आयोजित की गयी :-

वर्ष 1996 :- 19-3-96, 17-6-96 एवं 18-9-96

वर्ष 1997 :- 16-1 97, 31-5-97, 6-9-97 एवं 19-12-97

वर्ष 1998 :- 27-3-98

(2) जी, हां। दिनांक 31-5-97 व 6-9-97 को आयोजित बैठकें शनिवार को ही आयोजित की गयी है।

(3) आयोजित बैठकों में निम्न विधायक महोदय द्वारा भाग लिया गया :-

19-3-96 :- श्री शीशराम ओला एवं श्री शिवनाथ सिंह

17-6-96 :- श्री श्रवण कुमार

18-9-96 :- श्री शिवनाथ सिंह

6-9-97 :- श्री सुन्दरलाल

आबकारी अनुज्ञा पत्र धारियों का बकाया वसूली प्रकरण

98. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक आबकारी विभाग के अनुज्ञा पत्र धारियों में कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है ? जिलेवार अनुज्ञा पत्र धारी का नाम, बकाया राशि तथा दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तिथि तक कितने अनुज्ञा-पत्र धारियों को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया।

(3) क्या सरकार अनुज्ञा-पत्र धारियों में बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो बकाया राशि अब कब तक वसूल कर ली जाएगी ?

उत्तर

(1) राज्य में 31 मार्च, 1998 को आबकारी विभाग की वर्षवार बकाया राशि

(उप मुख्य [redacted] (आबकारी) मंत्री)

की सूची संलग्न-"अ" तथा जिलेवार लाइसेंसियों का नाम एवं उनकी बकाया राशि का विवरण संलग्नक "ब" में अंकित है ।

(2) वर्ष 1989-90 से वर्ष 1997-98 की अवधि में 68 बैंक आउट निविदादाताओं को राजस्थान आबकारी अधिनियम व इसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र धारण करने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है ।

अनुज्ञाधारियों से बकाया राशि की वसूली हेतु सामान्यतया विभाग के स्तर पर वसूली के पूर्ण प्रयास किये जाते हैं, किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत चल व अचल सम्पत्तियों की कुर्की की जाकर वसूली की जाती है । विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर वसूली के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं एवं समीक्षात्मक बैठकों में इस बिन्दु पर विशेष बल दिया जाता है। बाकीदारों द्वारा कई प्रकरणों में न्यायालयों से स्थगन प्राप्त करने के पश्चात् लम्बी अवधि तक बकाया चलती रहती है तथा अपीलेट कोर्ट्स में पुनः ऐसे प्रकरण चलते रहते हैं । ऐसी स्थिति मे बकाया वसूली हेतु कोई तिथि बताना न तो व्यावहारिक है एवं न ही सम्यक रूप से सम्भव है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चक्रवाती तूफान के पीड़ितों को सहायता

99. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम):** क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चक्रवाती तूफान के पीड़ितों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में वास्तविक पीड़ितों का कोई उल्लेख नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार तूफान प्रभावित क्षेत्रों में पुनः सर्वेक्षण कराकर वास्तविक तूफान पीड़ितों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर मुआवजा/राहत राशि का वितरण कराने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । प्रभावित सभी जिलों में तत्काल सर्वेक्षण कार्य कराया गया है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) आवश्यकता नहीं है । शिकायत आने पर कार्यवाही के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये हुए हैं ।

(4) जी, हां । शिकायत प्राप्त होने एवं जांच में पुष्टि होने पर अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम पंचायत सुकेत (रामगंजमण्डी) में आबादी भूमि पर अतिक्रमण

100. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही हैं कि रामगंज मण्डी तहसील की ग्राम पंचायत सुकेत को खसरा नम्बर 737 की भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो कब और इसका क्षेत्रफल क्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आवंटित की गयी भूमि पर अभी किसी का अधिकार है ? यदि हां, तो किसका ? उक्त भूमि पर कितने गरीब लोगों को आवासीय भू-खण्डों का आवंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस आबादी की भूमि पर ए. एस. आई. कम्पनी की खदान चल रही है ? क्या आबादी भूमि पर खदान चलाने की प्रक्रिया विधि सम्मत है ? यदि हां, तो खदान से जनजीवन को बढ़ते हुए खतरे के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं।

(4) यह यह भी सही है कि ग्रामवासियों की ओर से आपत्ति के बाद यह मामला राजस्व विभाग में विचाराधीन हैं तथा खदान में काम करने पर स्थगन आज्ञा राजस्व मण्डल द्वारा दी हुई हैं ? यदि हां, तो विवादित भूमि पर अभी कार्य कैसे चल रहा है तथा स्थगन की पालना नहीं करवाने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम पंचायत, सुकेत को खसरा नम्बर 737 की 24 बीघा 14 बिस्वा भूमि आबादी विस्तार हेतु दिनांक 7-5-74 को आवंटित की गयी थी।

(2) खसरा नम्बर 737 वर्तमान में बंजड़ सिवाय चक दर्ज है। एवं राजस्व विभाग के अधिकार में है। उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत, सुकेत द्वारा किसी को भी पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में खदान का कार्य नहीं चल रहा है। जन-जीवन को खतरे की सम्भावना नहीं है।

(4) वर्तमान में मामला माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन है, जिस पर यथास्थिति कायम है। कोई खनन कार्य वर्तमान में चालू नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध वाहनों का संचालन

101. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निजी बसों का संचालन होता है ? यदि हां, तो किस आधार पर और क्यों ? क्या उक्त बसों के संचालन के लिए सरकार द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं ?

(2) इस प्रकार के मार्गों पर निजी बस मालिकों को बसें चलाने के लिए परमिट

(श्री हरजीराम बुरडक)

देने के बारे में क्या कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बिना अनुज्ञा-पत्र के उक्त मार्गों पर बसें चल रही हैं ? यदि हाँ, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

(4) राज्य सरकार ने ऐसे मार्गों पर निजी बसें चलाने के लिए कितने अनुज्ञा-पत्र जारी किये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पिछले दिनों जब निरीक्षण अभियान चलाया था, तब उक्त अधिकतर बसें बन्द हो गयी थी ? यदि हां, तो क्यों और अब पुनः चालू होने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1 व 2) जी, हां। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88 (9) के अन्तर्गत पर्यटक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त वाहनों के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालन में कोई बाधा नहीं है। समस्त राजस्थान के संविदा अनुज्ञा-पत्र प्राप्त वाहनों के राष्ट्रीकृत मार्गों पर संचालन पर रोक है किन्तु मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88(8) के अन्तर्गत स्पेशल अस्थायी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित की जा सकती है। इन नियमों की प्रति परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है। अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित मंजिली वाहनों के मार्गों में यदि किसी राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग पड़ता है तो ऐसे मार्गांश के अधिकतम 10 किलोमीटर भाग के प्रतिच्छाद की स्वीकृति जनहित में सवारी न बैठाने व उतारने की शर्त पर दी जाती है।

(3) जी, नहीं। बिना परमिट या परमिट की शर्तों का उल्लंघन वाली बसों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। गत वर्ष (1997-98) के दौरान 13752 बसों के विरुद्ध चालान बनाये जाकर 101·59 लाख रुपये प्रशमन राशि वसूल की गयी है।

(4) आल इण्डिया अथवा आल राजस्थान परमिट की बसें नियमों की परिधि में ही इस प्रकार के संचालन हेतु अधिकृत है। किन्तु मजली वाहनों की तरह इन बसों को किसी मार्ग विशेष का स्थायी परमिट नहीं दिया जाता और न ही ऐसी बसें मार्ग के मध्य सवारियां बिठा व उतार सकती है।

(5) जी नहीं। बिना परमिट अथवा परमिट शर्तों के उल्लंघन में संचालित पायी जाने वाली वाहनों पर चैकिंग से नियंत्रण रहता है। इस तरह की चैकिंग विभाग की नियमित प्रक्रिया का अंग है।

THE MOTOR VEHICLE ACT, 1988

the period for which the issue of the permit has been so restrained; or

(ii) as a result of the suspension by a Court or other competent authority of tha permit of any vehicle in respect of that route or area, there is no transport vehicle of the same class with a valid permit in respect of that route or area, or there is no adequate number of such vehicles in respect of that route or area, for a period not exceeding the period of such suspension:

Provided that the number of transport vehicles in respect of which temporary permits are so granted shall not exceed the numher of vehicles in respect of which the issue of the permits have been restrained or, as the case may be, the permit has been suspended.

88. Validation of permit for use outside region in which granted :—(1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall not be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned:

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State, shall be valid in that area without the counter signature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that—

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette. specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Auhority or the Regional Transport Authority of that other State.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a permit granted or countersigned by a State Transport Authority shall be valid in the whole State or in such regions within the State as may be specified in the permit.

(3) A Regional Trasport Authority when countersigning the permit may attach to the permit any condition which it might have imposed if it had granted the permit and may likewise vary any condition attached to the permit by the authority by which the permit was granted.

(4) The provisions of this Chapter relating to the grant, revocation and suspension of permits shall apply to the grant, revocation and suspension of counter signatures of permits :

Provided that it shall not be necessary to follow the procedure laid down in section 80 for the grant of counter signatures of permits, where the permits granted in any one State are required to be countersigned by the State Transport Authority of another State or by the Regional Transport Autority concerned as a result of any agreemet arrived at between the States after complying with requirements of sub-section (5).

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area, shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language

(170)

circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted,and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of counter signature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regianal language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transpor Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall given effect to it.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a Regional Transport Authority of one region may issue a temporary permit under section 87 to be valid in another region or State with the concurrence, given generally or for the particular occasion, of the Regional Transport Authority of that other region or of the State Transport Authority of that other State as the case may be.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), but subject to any rules that may be made under this Act by the Central Government, the Regional Transport Authority of any one region or, as the case may be, the State Transport Authority, may, for the convenience of the public. [1][grant a special permit to any public service vehicle including any vehicle covered] by a permit issued under section 72 (including a reseons state carriage) or under section 74 or under sub-section 9 of this section for carrying a passenger or passengers for hire or reward under a contract. express or implied. for the use of the vehicle as a whole without stopping to pick up or set down along the line of route passengers not included in the contract and in every case where such special permit is granted the Regional Transport Authority shall assign to the vehicle, for display thereon, a special distinguishing mark in the form and manner specified by the Central Government and such special permit shall be valid in any other region or State without the countersignature of the

1. Subs. by Act 54 of 1984 for grant special permit in relation to a vehicle covered.

Regional Transport Authority of the other region or of the State Transport Authority of the other State, as the case may be.

(9) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) but subject to any rules that may be made by the Central Government under sub-section (14), any State Transport Authority may, for the purpose of promoting tourism, grant. grant permits in respect of tourist vehicles valid for the whole of India or in such contiguous States not being less than three in number including the State in which the permit is issued as may be specified in such permit in accordance with the choice indicated in the application and the provisions of sections 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 [1][clause (d) of sub-section (1) of section 87 and section 89] shall as far as may be apply in relation to such permits.

[2][X X X]

(11) The following shall be conditions of every permit granted under sub-section (9), namely :—

(i) every motor vehicle in respect of which such permit is granted shall conform to such description, requirement regarding the seating capacity, standards of comforts, amenities and other matters as the Central Government may specify in this behalf.

(ii) every such motor vehicle shall be driven by a person having such qualifications and satisfying such conditions as may be specified by the Central Government; and

(iii) such other conditions as may be prescribed by the Central Government.

(12) Notwithstanding anything contained in sub-section (1). but subject to the rules that may be made by the Central Government under sub-section (14) the appropriate authority may, for the purpose of encouraging long distance inter-State road transport. grant in a State, national permits in respect of goods carriages and the provisions of sections 69, 77, 79, 80, 81, 82. 83 84. 85. 86 [3][clause (d)

---

1 Subs. by Act 54 of 1994 for and 89.
2 Sub-section (10) by Act 54 of 1994.
3 Subs. by Act 54 of 1994 for and 89.

of sub-section (1) of section 87 and section 89] shall as for as may be. apply to or in relation to the grant of national permits.

1[X X X]

(14) (a) The Central Government may make rules for carrying out the provisions of this section.

(b) In particular and without prejudice to the generally of the foregoing power. such rules may provide for all or any of the following matters namely :—

(i) the authorisation fee payable for the issue of a permit referred to in sub-sections (9) and (12):

(ii) the fixation of the laden weight of the motor vehicle:

(iii) the distinguishing particulars or marks to be carried or exhibited in or on the motor vehicle:

(iv) the colour or colours in which the motor vehicle is to be painted;

(v) such other matters as the appropriate authority shall consider in granting a national permit.

Explanation in this section.—

(a) "appropriate authority". in relation to a national permit. means the authority which is authorised under this Act to grant a goods carriage permit;

(b) "authorisation fee" means the annual fee. not exceeding one thousand rupees. which may be charged by the appropriate authority of a State to enable a motor vehicle. covered by the permit referred to in sub section (9) and (12) to be used in other States subject to the payment of taxes or fees. if any levied by the States concerned;

(c) "national permit" means a permit granted by the appropriate authority to goods carriages to operate throughout the territory of India or in such contiguous States not being less than four in number. including the State in which the permit

---

1 Omitted by Act 54 of 1994. [14-11-94]

is issued as may be specified in such permit in accordance with the choice indicated in the application.

COMMENTARY

1. Analogous provision :-S 63 of the repealed Act of 1939.

2. Previous provisions ;-Omitted sub-sections (10) and (13) were as under :—

(10) Without prejudice to the provisions of section 74. the State Transport Authority shall. in considering an application for a permit under sub section (9) in respect of tourist vehicles other than motor cabs. have regard to the following matters. namely :—

(a) no such permit shall be issued

(i) to an individual owner so as to exceed ten such valid permits in his own name.

(ii) to a company so as to exceed twenty such valid permits in its own name.

महावीर कालोनी (जयपुर) का नियमन

102. श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) करतारपुरा (बाइस गोदाम) जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों की किस-किस योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित कर नियमित कर दिया गया है और किस-किस योजना को नियमित किया जाना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या महावीर कालोनी (करतार पुरा) का नियमन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कॉलोनी के भू-खण्ड-धारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करतारपुरा (बाइस गोदाम) में सहकारी समितियों की कुल 7 योजनाओं को नियमित किया जा चुका है एवं शेष 34 योजनाओं को नियमित किया जाना है (जिसकी सूची संलग्नानुसार है)।

(2) जी, नहीं। छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की महावीर कालोनी योजना तकनीकी रूप से अनुमोदित कालोनी नहीं है। समिति द्वारा रूपान्तरण/नियमन हेतु आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है। न ही योजना का मानचित्र एवं भू-खण्ड-धारियों की सूची ज. वि. प्रा. में प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त योजना की भूमि ख. नं. 342 से 350 का प्राधिकरण की योजना सैक्टर पार्ट बी के तहत अवाप्त कर दिनांक 19-2-85 को कब्जा लिया है इन विभिन्न कारणों से इस योजना का नियमन नहीं किया गया है। गृ. नि स. स. द्वारा सदस्यों की सूची प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं करने के कारण भू-खण्डधारियों की सूची प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

(174)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जोन–बी 2

करतारपुरा ग्राम में निम्नलिखित सहकारी समितियों की योजनाओं का अनुमोदन किया गया है

क्र. सं.	नाम सहकारी समिति	योजना का नाम
1.	खुदावादी सुनार गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	माधव नगर
2.	मिच्यूअल गृह निर्माण स. स. लि.	स्कीम नं. 17
3.	पथिक भवन गृह निर्माण स. स. लि.	स्कीम नं. 1
4.	राजहंस गृह निर्माण स. स. लि.	सैनी कालोनी
5.	सहकारी मित्र गृह निर्माण स. स. लि.	भगवती नगर
6.	शंकर भवन निर्माण स. स. लि.	चित्रगुप्त नगर
7.	दी कृष्णा गृह निर्माण स. स. लि.	भगवती नगर

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

निम्नलिखित कालोनियां जो राजस्व ग्राम करतारपुरा में स्थित है का नियमित नहीं किया गया है

क्र सं.	नाम सहकारी समिति	योजना का नाम
1.	छत्रपति शिवाजी गृह नि. स. स.	महावीर कालोनी
2.	गुलाबबाड़ी गृ. नि. स. स.	हनुमान कालोनी
3.	गुलाबबाड़ी गृ. नि. स. स.	विजय नगर ए.बी.सी.
4.	गुलाबबाड़ी गृ. नि. स. स.	चित्रकूट नगर II
5.	हथरोई गढ़ी गृ. नि. स. स.	कृष्णा नगर
6.	हथरोई गढ़ी गृ. नि. स. स.	बाल नगर
7.	हथरोई गढ़ी गृ. नि. स. स.	सैनी कालोनी
8.	खुदाबादी गृ. नि. स. स.	चौधरी कालोनी
9.	मिच्यूअल गृ नि. स. स.	गंगाराम नगर

1	2	3
10.	मिच्यूअल गृ. नि. स. स.	बाल नगर
11.	माधवनगर गृ. नि. स. स.	शांति कुंज
12.	माधवनगर गृ. नि. स. स.	रानी कूंज
13.	पथिक भवन गृ. नि. स. स.	स्कीम नं. 1 बी
14.	राजहंस गृह नि. स. स.	बैराठी नगर
15.	संयुक्त गृह नि. स. स.	टैगोर नगर
16.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	करतारपुरा I
17.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	करतारपुरा II
18.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	करतार पुरा III
19.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	चित्रगुप्त नगर III
20	शंकर भवन गृ नि. स. स.	कृष्णा नगर बी.
21.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	करतारपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया
22.	शंकर भवन गृ नि. स. स.	करतारपुरा ई
23.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	किशन नगर
24.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	मुकेश कालोनी
25.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	स्कीम नं. 12
26.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	स्कीम नं. 9
27.	शंकर भवन गृ. नि. स. स.	स्कीम नं. 10
28.	अनुसूचित जाति गृ. नि. स. स.	जे. पी. कालोनी
29.	शंकर भवन गृ. नि. स स.	जैतपुरा
30.	छत्रपति शिवाजी गृ. नि. स. स.	महावीर कालोनी विस्तार
31.	राजहंस गृ. नि. स. स.	सैनी कालोनी II
32.	राजहंस गृ. नि. स. स.	जनकपुरी II
33.	पथिक भवन गृ. नि. स. स.	स्कीम नं. I ए
34.	खुदाबादी गृ. नि. स. स.	बालनगर

(176)

उदयपुर शहर की गैस एजेंसियों द्वारा अनियमितताएं

103. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर शहर में गैस वितरण की कौन-कौन सी गैस एजेंसियां कार्यरत है और गैस वितरण किये जाने की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या उक्त गैस एजेन्सियों द्वारा वितरित की जा रही गैस की टंकियों के वजन और उसमें उपलब्ध गैस के वजन की कमी का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो कब-कब और उसके क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) नये गैस कनेक्शन पर उपभोक्ता द्वारा गैस एजेन्सी को कितनी राशि देनी होती है ? भुवाणा (उदयपुर) स्थित गैस एजेन्सी के सम्बन्ध में अधिक राशि लेने की क्या कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त एजेन्सी पर क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि मीरा गैस एजेन्सी, उदयपुर के विरुद्ध विभागीय स्तर पर जांच की जाकर इसे आगामी आदेश तक बन्द करने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो इसकी गैस वितरण के लिए अन्य एजेन्सी को अधिकार देने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में निम्नांकित 11 गैस एजेन्सियां कार्यरत हैं :–

1. अरावली गैस सर्विस (आई.ओ.सी.)
2. उदयपुर गैस सर्विस (आई.ओ.सी.)
3. शिवशक्ति गैस (आई.ओ.सी.)
4. अम्बामाता गैस (आई.ओ.सी.)
5. पशुपति गैस (आई.ओ.सी.)
6. बाठेडा गैस (एच.पी.सी.)
7. मेवाड़ जावा गैस (एच.पी.सी.)
8. सूर्या गैस सर्विस (एच.पी.सी.)
9. मीरा गैस सर्विस (एच.पी.सी.)
10. नूतन गैस सर्विस (बी.पी.सी.)
11. बाफना गैस सर्विस (बी.पी.सी.)

गैस एजेन्सियों के गोदामों से गैस के भरे सिलेण्डर निर्धारित मापक के अनुसार तौल कर हाकर्स के माध्यम से उपभोक्ता के घर जाकर देने की व्यवस्था है ।

(2) जी हां । गैस एजेन्सियों द्वारा वितरण किये जा रहे गैस सिलेण्डर के वजन में कमी के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रवर्तन स्टाफ द्वारा बाट एवं माप निरीक्षकों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किये जाकर प्रकरण बनाये गये हैं तथा दोषी पाये गये डीलर्स के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी की गयी है । अप्रेल, 1997 से जून, 1998 की अवधि में 9 निरीक्षण किये जाकर 14 गैस सिलेण्डर्स जब्त किये गये । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) नये गैस कनेक्शन पर उपभोक्ता द्वारा गैस एजेन्सी को रुपये 1161.90 की राशि देनी होती है । भुवाणा (उदयपुर) स्थित गैस एजेन्सी द्वारा नये गैस कनेक्शन पर अधिक राशि लेने के सम्बन्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(4) यह सही नहीं है कि मीरा गैस एजेंसी के विरुद्ध जांच की जाकर इसे आगामी आदेश तक के लिए बन्द कर दिया गया है ।

क्र. सं. 1	निरीक्षण तिथि 2	निरीक्षण विवरण 3	परिणाम 4
1.	8-4-97	मै. शिवशक्ति गैस सर्विस, उदयपुर के निरीक्षण के दौरान 3 गैस सिलेण्डर जप्त किये गये ।	मुंसिफ कोर्ट, उदयपुर द्वारा 2,500/- रुपये जुर्माना का दण्डादेश पारित किया ।
2.	21-2-98	मै. बाठेडा गैस, उदयपुर के निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गयी ।	—
3.	21-2-98	मै. अम्बामाता गैस सर्विस, उदयपुर के निरीक्षण के दौरान 6 गैस सिलेण्डर जप्त किये गये ।	मुन्सिफ कोर्ट, उदयपुर द्वारा 3,000/- रुपये के जुर्माने का दण्डादेश पारित किया ।
4.	21-2-98	मै. मीरा गैस सर्विस, उदयपुर के निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गयी ।	—
5.	5-3-98	मै. बापना गैस सर्विस, उदयपुर के निरीक्षण के दौरान 2 गैस सिलेण्डर जब्त किये गये ।	मुन्सिफ कोर्ट, उदयपुर में प्रकरण विचाराधीन है ।

1	2	3	5
6.	5-3-98	मै. बापना गैस सर्विस, उदयपुर के गोदाम का निरीक्षण करने कोई अनियमितता नहीं पाई गयी ।	—
7.	3-6-98	मै. नूतन गैस सर्विस, उदयपुर के निरीक्षण के दौरान एक सिलेण्डर जब्त किया गया ।	मुन्सिफ कोर्ट, उदयपुर में प्रकरण विचाराधीन है ।
8.	3-6-98	मै. उदयपुर गैस सर्विस, उदयपुर के निरीक्षण के दौरान एक सिलेण्डर जब्त किया गया ।	मुन्सिफ कोर्ट, उदयपुर में प्रकरण विचाराधीन है ।
9.	3-6-98	मै. मीरा गैस सर्विस, उदयपुर के निरीक्षण के दौरान एक सिलेण्डर जब्त किया गया ।	मुन्सिफ कोर्ट, उदयपुर में प्रकरण विचाराधीन है ।

राजकीय विभागों पर बकाया कर

104. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर): क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के कतिपय विभागों द्वारा वसूल की जाने वाली कर राशि काफी मात्रा में बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस विभाग की कितनी-कितनी राशि बकाया है ? गत 5 वर्षों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) अब तक सरकार ने उक्त राशि की वसूली हेतु क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वाणिज्यिक कर विभाग एवं भूमि एवं भवन कर विभाग की गत पांच वर्षों की बकाया राशि की सूची परिशिष्ट "1" एवं "2" पर संलग्न है ।

(2) विभाग द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश जारी किये हुए हैं, बिक्री एवं मनोरंजन कर की वसूली के संबंध में समय-समय पर संबंधित अधिकारियों की आवश्यक बैठक बुलाकर वसूली हेतु परिपत्र जारी किये गये एवं विशेष अभियान चलाये गये तथा भूमि एवं भवन कर विभाग द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार कुर्की के माध्यम से वसूली की जाती है ।

बिक्री कर तथा मनोरंजन कर की गत पांच वर्षों की बकाया राशि

(रुपये लाखों में)

वर्ष	बिक्री कर	मनोरंजन कर
1992-93	3208.24	1.88
1993-94	1979.60	3.25
1994-95	4479.65	14.25
1995-96	10713.14	6.34
1996-97	59784.39	51.08
1997-98	85036.12	275.03

वर्ष 1993-94 से वर्ष 1997-98 पांच वर्षों की बकाया का विवरण निम्नानुसार है (रुपये लाखों में)

क्र.	क्षेत्र का नाम	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	योग
1.	अजमेर	0.37	0.85	2.03	2.37	80.67	86.29
2.	भीलवाड़ा	6.18	33.35	9.74	12 02	8.52	69.81
3.	अलवर	1 33	3.11	4.93	5.00	10.89	25.26
4.	भरतपुर	0.75	3.91	5.31	1.86	1.91	13.74
5.	बीकानेर	3.77	3.95	4.40	1.62	11.68	25.42
6.	गंगानगर	2.20	3.23	1.82	1.92	10 18	19.35
7.	जोधपुर	2.50	2.78	6.47	6.14	70.84	88.73
8.	कोटा	6.67	11.54	7.54	3326.08	513.93	3865.76
9.	उदयपुर	1.24	1.98	2.25	52.10	756.62	814.19
10.	चांदपोल जोन जयपुर	21.92	22.58	62.28	131.20	9.88	247.86
11.	सिविल लाइन जयपुर	147.02	14 38	154.32	115.68	218.79	650.19
12.	हवामहल जोन जयपुर	6.27	5.13	9.76	10.11	3.81	35.08
13.	मोतीडूंगरी जोन जयपुर	4 32	1.17	11.61	94 50	28.77	140.37
	योग	204.54	107.96	282.46	3760.60	1726.49	6082.05

यहां इस बकाया राशि में जो राशि दर्शायी गयी है वह केवल इन्हीं वर्षों से सम्बन्धित है।

कुल बकाया राशि जो 1-4-98 को दर्शायी गयी है उसमें वर्ष 1993-94 से पहले की बकाया भी सम्मिलित है। इसी के फलस्वरूप 1-4-98 की कुल बकाया कर राशि 63.84 करोड़ एवं वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक कुल बकाया राशि 60.82 में 3.02 करोड़ राशि का अन्तर है। अन्तर राशि 3.02 करोड़ वर्ष 1993-94 से पूर्व की बकाया है।

कांडला क्षेत्र में कायरत मृतक श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा

105. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गुजरात के कांडला क्षेत्र में आये तूफान से प्रदेश के कितने लोग मरे ? मृतकों की सूची जिलेवार व गांववार मय नामों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार गुजरात के तूफान में मरे व काम करने के लायक नहीं रहे, श्रमिकों को गुजरात सरकार से मुआवजा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र के बालदिया चोरा बज टाडिबी के लोग भी तूफान में मरे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार तूफान में मरे लोगों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना-कितना व कब तक ?

उत्तर

(1) गुजरात के (कांडला) में आये तूफान से प्रदेश के 64 लोग मरे हैं। इनमें से 27 लोगों के शव बरामद हो गये हैं तथा 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा शव बरामद नहीं हुए हैं। इसके अलावा 96 व्यक्ति लापता हैं। मृतकों की सूची जिलेवार, गांववार मय नाम सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) राज्य सरकार द्वारा गुजरात सरकार को यहां के प्रभावित परिवारों को यथा शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है।

(3) जी, हां। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(4) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को 1.00 लाख रुपये की सहायता दिये जाने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये हैं। इस राशि में से 20,000/- रुपये की राशि प्राकृतिक आपदा कोष से 30,000/- रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से तथा 50,000/- रुपये की राशि प्रधानमंत्री सहायता कोष से उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत माण्डल व संतोषपुरा का पुनर्गठन

106. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को माण्डल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माण्डल एवं संतोषपुरा के पुनर्गठन करने हेतु प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या सरकार इस समस्या के समाधान का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(182)

उत्तर

(1) जी, हां। प्राप्त प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से रिपोर्ट चाही गई थी जो दिनांक 10-7-98 को प्राप्त की गई है।

(2) जी, हां। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट पर शीघ्र ही निर्णय लेने की कार्यवाही की जावेगी।

परिवहन निगम डिपो टोंक में वाहनों के रख रखाव पर व्यय

107. श्री बनवारी लाल (निवाई) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निगम डिपो टोंक में अधिकतर वाहन खराब हैं व चलने लायक नहीं है ? यदि हां, तो कितने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डिपो में कुल कितने वाहन चालक एवं परिचालक पदस्थापित हैं एवं उन पर सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है ?

(3) सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में उक्त डिपो की बसों के रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। टोंक आगार में संचालन हेतु कुल 111 वाहनें आवंटित हैं, जिनमें से 10 वाहनें खराब होने के कारण संचालन योग्य नहीं है। खराब वाहनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर अंकित है।

(2) टोंक आगार में 162 चालक एवं 173 परिचालक पदस्थापित है। इन पर वर्ष 1997-98 की अवधि में 255.61 लाख रुपये व्यय किया गया है।

(3) वर्ष 1997-98 की अवधि में उक्त आगार की बसों के रख-रखाव आदि पर 123.68 लाख रुपये व्यय किया गया है।

टोंक आगार की खराब (आफ रोड) वाहनों की सूची

क्र.सं.	वाहन संख्या	आफ रोड दिनांक	स्थान	कारण
1.	आरजे–14–पी–1356	2-5-98	आगार कार्यशाला	गीयर के कारण
2.	आरजे–14–पी–2547	23-5-98	,,	गीयर के कारण
3.	आरजे–14–पी–3258	8-6-98	,,	रीयर व्हील के कारण
4.	आरजे–26–पी–0174	24-6-98	,,	दुर्घटना मरम्मत हेतु
5.	आरजे–26–पी–308	20-6-98	,,	बॉडी रिपेयर हेतु
6.	आरजे–26–पी–263	20-6-98	,,	इंजन कार्य हेतु
7.	आरजे -26–पी–110	25-6-98	,,	गीयर व अन्य मरम्मत हेतु
8.	आरजे–26-पी–252	8-5-98	केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर	दुर्घटनाग्रस्त मरम्मत
9.	आरजे–17–पी–137	2-6-98	,,	दुर्घटनाग्रस्त मरम्मत
10.	आरजे–14–पी–3197	18-6-98	,,	इंजन व मेंटीनेंस कार्य

(184)

जोधपुर शहर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

108. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में गंगलाव तालाब एवं संत अजनेश्वर जी आश्रम के अनधिकृत अतिक्रमण कर लिये है और उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत यह अनधिकृत कब्जे नहीं हटे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन अनधिकृत कब्जों एवं अवैध निर्माण से गंगलाव तालाब का पानी आसपास की बस्तियों में रिस रहा है, जिसके कारण यहां के मकानों को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो इसके निस्तारण के सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय कर रही है ।

(3) क्या उपरोक्त कारणों से गंगलाव तालाब का पानी प्रति वर्ष शहर के भीतरी मार्गों में भरता रहा है जिससे सारे शहर में गन्दगी हो जाती है ? इस वर्ष इस स्थिति को टालने के लिए सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण हटाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि जोधपुर शहर में गंगलाव तालाब एवं संत अजनेश्वर जी आश्रम पर अनधिकृत अतिक्रमण कर लिये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अनधिकृत कब्जों का सर्वे कर उन्हें हटाने के लिए अतिक्रमियों को धारा-203 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं ।

(2) गंगलाव तालाब का पानी आस-पास के कुछ मकानों में उस समय रिसता है जब तालाब का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाता है । उसके निस्तारण के लिए नगर निगम द्वारा 2 लाख रुपये व्यय करके तालाब के अधिक जल की निकासी की व्यवस्था कर दी गयी है ।

(3) यह सही नहीं है कि गंगलाव तालाब का पानी प्रति वर्ष शहर के भीतरी मार्गों में भरता रहा है । जोधपुर शहर में माह अगस्त, 1996 में एक ही रात में लगभग 292 मि.मी. रेकार्ड अतिवृष्टि होने से तालाब का जलस्तर एकाएक बढ़ जाने से कुछ दिनों के लिए यह समस्या आयी थी । तालाब में अतिरिक्त जल की आवक को रोकने के लिए तालाब के पास नई पाइप लाइन डाल दी गयी है तथा होदी का निर्माण करके एवं पाइप लाइन डालकर तालाब के अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था भी कर दी गयी है ।

(4) अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण के प्रकरणों में से कुछ मामलों में न्यायिक कार्यवाही न्यायालय में विचारधीन है । कुछ मकान काफी पुराने हैं उनके द्वारा नियमन की मांग की हुई है । ऐसी स्थिति में अतिक्रमियों को हटाने की विधिक प्रक्रिया में समय लगेगा ।

पाक विस्थापितों के पंजीयन हेतु दिशा-निर्देश

109. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप पंजीयक पूगल ने पाक बिस्थापित कतिपय क्रेताओं की ओर से प्रस्तुत विक्रयनामा के पंजीयन हेतु जिला पंजीयक बीकानेर से मार्ग दर्शन चाहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना भाखरा व गंग नहर क्षेत्र में राज्य से बाहर के निवासियों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध के उद्देश्य से पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले विक्रयनामे के साथ क्रेता की वर्ष 1971 की मतदाता सूची एवं 1971 के पूर्व एवं बाद की मतदाता सूची के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया मूल निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना कानून के अनुसार आवश्यक कर दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पाक विस्थापित वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत आये व इन्हें वर्ष 1978 में नागरिकता मिली थी जिसके कारण वर्ष 1971 की मतदाता सूची में पाक विस्थापितों के नाम अंकित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पंजीयन अधिनियम, 1976 की धारा 22-ए में पुन: संशोधन कर वर्ष 1971 की मतदाता सूची के बदले में पाक विस्थापितों के पंजीयन के मामले में मूल निवास प्रमाण-पत्र के साथ वर्ष 1978 की नागरिकता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक कर पाक विस्थापितों को राहत दिलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। उप पंजीयक, पूगल ने अपने पत्र क्रमांक 321-22 दिनांक 10-6-98 से पाक विस्थापित कतिपय क्रेताओं के सम्बन्ध में जिला पंजीयक, बीकानेर से मार्ग दर्शन चाहा है। (छाया प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ")

(2) जी, हां। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प 2 (3) वित्त/ग्रुप-4/91 दिनांक 30-8-91 के द्वारा पंजीयन अधिनियम 1908 धारा 22 "ए" के तहत राज्य सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर, भाखरा एवं गंग नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि के विक्रय के ऐसे दस्तावेजों को लोकनीति के विरुद्ध घोषित किया है जिसके साथ उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत करते समय क्रेता द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हों :—

1971 की मतदाता सूची जिसमें उसका अथवा उसके माता/पिता/दादा/ससुर का नाम अंकित हो। अथवा

1971 के पूर्व एवं 1971 के बाद की सूची जिसमें उसका नाम अंकित हो। अथवा

1971 में वह बालिग हो तो 1971 के बाद की सूची जिसमें उसका नाम अंकित हो। तथा

(186)

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी क्रेता के राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र।

(3) जी, हां। यदि क्रेता का नाम 1971 की मतदाता सूची में अंकित नहीं हो तो हस्तान्तरण दस्तावेज लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण उसका पंजीयन नहीं हो सकता। वर्तमान में सरकार के पास पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 22 "ए" की उक्त अधिसूचना में पुनः संशोधन करके 1971 की मतदाता सूची के स्थान पर 1981 की मतदाता सूची में नाम की अनिवार्यता बाबत प्रस्ताव विचाराधीन है।

कार्यालय उप पंजीयक, पूगल

क्रमांक :— उप पंजी. पू./98/321-22 दिनांक 10-6-98

श्रीमान् जिला पंजीयक महोदय,
बीकानेर

विषय :— 1971 के दौरान आये पाक शरणार्थियों द्वारा प्रस्तुत बैयनामों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान आये शरणार्थियों को सरकार द्वारा 1978 में नागरिकता प्रदान कर इन लोगों के परिवार के मुखिया के नाम से एक-एक मुरब्बा जमीन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आबंटित करने से ये लोग तहसील पूगल के क्षेत्राधिकार में आबाद हो गये। इन लोगों द्वारा नहरी क्षेत्र में जमीन क्रय की गई। अब उक्त क्रय की गई भूमि के बैयनामें वास्ते पंजीयन इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जाते हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 5-6-98 को श्री ईसरदान पुत्र श्री सांगीदान जाति चारण निवासी पूगल ने एक बैयनामा चक 10 ए. डी. के मु. नं. 54/25 की 25 बीघा भूमि का बहैसियत मु. खास श्री रामदान प्रस्तुत किया है। जिसमें श्रीमती मूल बाई धर्मपत्नि श्री राणीदान जाति चारण निवासी पूगल क्रेता है। जो पाकविस्थापित है। इनके द्वारा 1978 के नागरिकता प्रमाण-पत्र की प्रति पेश की गई है।

जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-प. 2 (3) वित्त/ग्रुप/4/91 दिनांक 30 अगस्त, 1991 से पंजीयन अधिनियम 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 16 सन् 1908) जैसा कि पंजीयन संशोधन अधिनियम 1976 (राजस्थान अधिनियम संख्या 16 सन् 1976) द्वारा संशोधित किया गया है कि धारा 22 "ए" के तहत राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर, भाखरा एवं गंगनहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि के विक्रय के ऐसे दस्तावेजों को लोकनीति के विरुद्ध घोषित करती है, जिनके साथ उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत करते समय क्रेता द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं :—

1. 1971 की मतदाता सूची जिसमें उसका अथवा उसके माता/पिता/दादा/ससुर का नाम अंकित हो अथवा

   1971 के पूर्व एवं 1971 के बाद की सूची जिसमें उसका नाम अंकित हो अथवा

   1971 में वह नामांकित हो तो 1971 के बाद की सूची जिसमें उसका नाम अंकित हो तथा

2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी क्रेता के राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र।

इन पाक विस्थापित क्रेताओं द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति तो प्रस्तुत की जाती है। लेकिन 1971 की मतदाता सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है।

अतः कृपया ऐसे प्रकरणों में क्या कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मार्गदर्शन फरमावें।

भवदीय,

ह०/–

उप पंजीयक, पूगल

(188)

चक्रवाती तूफान से जिला श्री गंगानगर के पीड़ितों को मुआवजा

110. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में जून, 1998 में आए चक्रवाती तूफान के प्रभाव से जिला श्री गंगानगर में अंधड़, ओलावृष्टि तथा भारी वर्षा से कितनी जान-माल की हानि हुई तथा कौन-कौन से क्षेत्रों में किसानों की फसल खराब हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इससे कच्ची बस्तियों में गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और क्या सरकार ने इसका कोई सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में चक्रवती तूफान के प्रभाव से तहसील श्रीगंगानगर में अंधड़/ओलावृष्टि/वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है। कुल 17 चकों के 579 काश्तकार प्रभावित हुए प्रभावित चकों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। प्रभावित काश्तकारों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु 480405/- रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जिसका वितरण कराया जा रहा है।

प्रभावित चकों का विवरण

क्र.सं	नाम चक
1.	1 – के
2.	2 – के
3.	11 ए एफ बड़ा
4.	11 एफ बड़ा
5.	9 एफ बड़ा
6.	10 एफ बड़ा
7.	12 एफ बड़ा
8.	तीन वाई
9.	5 वाई
10.	4 जेड
11.	7 वाई
12.	8 वाई
13.	9 वाई
14.	10 वाई
15.	11 वाई
16.	2 बी छोटी
17.	4 बी छोटी

भीलवाड़ा जिले की पंचायतों में अनियमितताओं के लम्बित प्रकरण

111. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले की किन-किन पंचायतों की वित्तीय अनियमितता तथा राशि एवं पद के दुरुपयोग सम्बन्धी जांच

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कहां-कहां, कब-कब में एवं किन कारणों से लम्बित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पक्षपात तथा अन्य कारणों से कई प्रकरण काफी समय से लम्बित चल रहे हैं ? यदि हां, तो इनके अब तक निस्तारित नहीं होने के क्या कारण रहे एवं इनका निस्तारण अब कब तक हो जाएगा ?

उत्तर

(1) लम्बित जांच प्रकरण कहां एवं कब से लम्बित हैं, के विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी, नहीं । उक्त जांचों के निस्ता- की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर तत्परता से की जा रही है ।

क्र.सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	विभाग के आदेश दिनांक से प्राप्त	वर्तमान स्थिति
	1–उप खण्ड अधिकारी भीलवाड़ा			
1.	श्री रामेश्वरलाल	सांगवा	23-8-79	तकनीकी रिपोर्ट/निर्णय
	2–उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा			
1.	श्री भवानी शंकर मीणा	ऊंचा	21-4-82	प्राप्त नहीं हुई बताया
2.	श्री लादूलाल	ईटून्दा	3-1-87	
	3-उप खण्ड अधिकारी माण्डलगढ़			
1.	श्री बालचन्द खटीक	महुआ	3-3-97	
2.	श्री तुलसी काला	बीगोद	,,	
	4–उपखण्ड अधिकारी गंगापुर			
1.	श्री भैरूलाल जैन	लाखोला	3-3-97	
2.	श्री हीरालाल	खाचला	31-5-97	
	5–लेखाधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा			
1.	श्री सुगनलाल मीणा	दौलतपुरा	5-8-94	अभिलेख प्राप्ती व शहादत पैरवी
2.	श्री सुगनलाल मीणा	,,	27-8-94	,,
3.	श्री हरकचन्द काबरा	बासेड़ा	27-8-94	,,
4.	श्री श्याम सुन्दर सोमाणी	कनेछनकलां	,,	,,
5.	श्री भारतविजय सिंह	डाबला	,,	,,
6.	श्री ईशरदस/कल्याण	दौलतपुरा	5-9-94	,,

(190)

6–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा

1	2	3	4	5
1.	श्री जगदीशचन्द्र पालीवाल	आटूण	23-4-93	अन्तिम बहस
2.	श्री दिलीपसिंह	पान्सल	4-6-93	,,
3.	,,	,,	27-7-93	,,
4.	,,	,,	5-3-94	निर्णय
5.	श्री हरीदास	निम्बाहेड़ा जा.	4-6.93	,,
6.	श्री सोहनलाल सारस्वत	ग्रा. की सरेड़ी	,,	रिकार्ड तलबी/शहादत
7.	,,	,,	5-9-94	निर्णय
8.	श्री गणेललाल	सुवाणा	14-9-93	अन्तिम बहस
9.	श्री नारायणसिंह	अरनिया	1-8-94	,,
10.	श्री तखतसिंह	आटूण	27-7-94	शहादत सिबूत
11.	श्री बालूदास	घुवालाकरेड़ा	1-8-94	निर्णय
12.	श्री विक्रमसिंह	टोकरवाड़ा	,,	,,
13.	श्री गजमल जाट	गढ़वालोंकाखेड़ा	5-9-94	,,
14.	श्री मोतीलाल जैन	रूपपुरा	5-9-94	,,
15.	श्री कालूराम गूजर	ज्ञानगढ़	12-9-94	शहादत पैरवी
16.	श्री जोरावरसिंह	कोचरिया	13-7-96	निर्णय
17.	श्री नारायणलाल बिड़ला	माण्डल	21-12-96	,,
18.	,, ,,	,,	31-5-97	,,
19.	श्री रामसुख खटीक	डोहरिया	3-3-97	,,
20.	श्रीमती दाख कंवर	करेड़ा	4-3-97	,,
21.	श्री भैरूलाल मेड़तवाल	,,	31-5-87	,,
22.	,, ,,	,,	26-6-97	,,
23.	,, ,,	,,	,,	अन्तिम बहस
24.	श्री सोहनलाल धाकड़	डाबला चान्दा	11-9-97	शहादत पैरवी
25.	श्रीमती गायत्री देवी	संग्रामगढ़	,,	,,
26.	श्रीमती सीतादेवी	आमलीगढ़ पाखली	27-1-98	,,
27.	श्री मांसूराम खटीक	बीराणा	24-3-98	,,

मीटर से आटोरिक्शा संचालन प्रकरण

112. श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) एवं श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किन-किन शहरों में आटोरिक्शा मीटर के आधार पर निर्धारित दरों पर चल रहे हैं ?

(2) क्या उक्त शहरों में मीटर के आधार पर ही लिए जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(3) गत एक वर्ष में मीटर के आधार पर किराया नहीं लेने के आरोप में कितने आटोरिक्शा चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश के प्राय: सभी शहरों में आटोरिक्शा मीटर आधार पर निर्धारित दरों पर संचालित हैं ।

(2) आटोरिक्शा मीटर के आधार पर निर्धारित दरों पर चलें इसके लिये समय-समय पर पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा इनकी जांच की जाती है ।

(3) परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना परिशिष्ट "क" पर तथा पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है ।

मीटर के आधार पर किराया न लेने वाले आटोरिक्शाओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	मीटर के आधार पर किराया न लेने के सम्बन्ध में गत एक वर्ष में बनाये गये चालानों की संख्या	वसूल की गयी प्रशामन राशि (रुपयों में)
1.	कोटा	—	—
2.	बूंदी	—	—
3.	झालावाड़	—	—
4.	बारां	—	—
5.	सिरोही	52	20000
6.	जैसलमेर	13	3250
7.	बाड़मेर	16	1250
8.	जोधपुर	—	—

(192)

1	2	3	4
9.	जालौर	—	—
10.	पाली	—	—
11.	अलवर	—	—
12.	भरतपुर	—	—
13.	धौलपुर	—	—
14.	अजमेर	29	13050
15.	भीलवाड़ा	07	1750
16.	टोंक	—	—
17.	नागौर	—	—
18.	बीकानेर	—	—
19.	श्रीगंगानगर	—	—
20.	हनुमानगढ़	—	—
21.	चूरू	—	—
22.	उदयपुर	48	37400
23.	राजसमंद	54	51300
24.	चित्तौड़गढ़	—	—
25.	डूंगरपुर	—	—
26.	बांसवाड़ा	—	—
27.	जयपुर	770	105000
28.	दौसा	13	16000
29.	झुन्झुनूं	41	29000
30.	सीकर	—	—
31.	सवाईमाधोपुर	—	—
32	करौली	—	—
		1043	278000

पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

पुलिस विभाग द्वारा माह अप्रेल, 1997 से मार्च, 1998 तक राज्य में मीटर के आधार पर आटोरिक्शा चालकों द्वारा किराया वसूल नहीं करने के सम्बन्ध में यातायात पुलिस जयपुर शहर द्वारा इस अवधि में 103 आटोरिक्शा जब्त किये हैं व 1594 आटोरिक्शा के चालान किये गये हैं। एवं 798 आटोरिक्शा से 1,26,700/– रुपये की राशि प्रशमन की गयी। इसके अलावा जिला अजमेर में उक्त अवधि में 20 आटोरिक्शा जब्त किये गये एवं 54 आटोरिक्शा का चालान किया गया तथा यातायात शाखा एवं वृत्ताधिकारी अजमेर द्वारा 395 आटोरिक्शों का चालान किया जाकर 56,105.00 रुपये की राशि बतौर जुर्माना प्राप्त की गयी।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 115 की प्रति

SEMINAR ON MOBILIZATION OF FINANCIAL RESOURCES IN RAJASTHAN (June 3-4, 1998)

Recommendations of Group No. II

The second working group was constituted with objective of suggesting Measures for Expenditure Control Management in Rajasthan. The group constituted the following members :

1.	Prof. Om Prakash	Chairman
2.	Prof. C. S. Barla	Convenor
3.	Prof. Dool Singh	
4.	Dr. J. P. Sharma	
5.	Shri S. M. Dharendra	
6	Shri Arun Gupta	
7.	Shri Dharamveer	
8.	Dr. S S. Acharya	
9.	Shri B. L. Bajaj	
10.	Dr. Santosh Kumar	
11.	Shri Subhash Garg	
12.	Dr. R. L. Godara	
13.	Dr. N. K. Kulshrestha	
14.	Dr. Narain Sinha	

20) In the opinion of the group, a lot of money is being spent on the maintenance of motor cars, tours, telephones etc. by senior staff. Presently there are more than 13000 Govt. vehicles and average running and maintenance cost including depreciation and interest comes to around Rs. 23-25 per km. as compared to private taxis available at the rate af Rs. 3 4 per km. This is a colossal of government money and this luxuary of chauffeur driven cars cannot be afforded even in the highly developed countries. In view of this, all government vehicles

should be withdrawn except in case of officers dealing with law and order and order essential services. The vehicles so withdrawn can be given to the drivers on book value under a golden hand-shake scheme where drivers who have completed 20 years of service can seek voluntary retirement and may join taxi pool maintained in each district This would result in saving of recurring expenditure of around Rs. 100-150 crore per annum and would also fetch around Rs. 100 crore from transferring of these vehicles to the drivers. This group recommends the following :—

(a) Proper car allowance commensurate with the status and responsibility (except police and such departments) may be given to all junior and senior officers. The present staff engaged to run these vehicles may be given the benefit of golden handshake, and be motivated to join a taxi pool with the same vehicles. Which can be sold to them on book value/ reserve price.

(b) In view of the advancing communication facilities such as internet, e-Mail etc. tours by Government officers need to be minimized.

(c) Undue expenditure on photostat and telephones be curbed.

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 116 का विवरण

नान–स्पेशियल केटेगरी राज्यों की प्रति व्यक्ति बकाया देनदारियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	जनसंख्या (1991) (करोड़)	बकाया देनदारियां (1996) (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति बकाया देनदारियां (1996) (रुपयों में)		बकाया देनदारियां (1998) (बजट अनुमान) (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति बकाया देनदारियां (1998) (रुपयों में)	
1	2	3	4	5		6	7	
1.	गोआ	0.117	1167	9974.36	(1)	1471	12572.65	(1)
2.	पंजाब	2.0282	13630	6720.24	(2)	17125	8443.45	(2)
3.	हरियाणा	1.6464	5779	3510.08	(3)	8300	5041.30	(3)
4.	केरल	2.9099	10114	3475.72	(4)	13609	4676.79	(4)
5.	उड़ीसा	3.166	9385	2964.31	(5)	12877	4067.28	(5)
6.	राजस्थान	4.4006	12191	2770.30	(6)	16410	3729.04	(6)
7.	गुजरात	4.131	11128	2693.78	(7)	15136	3664.00	(7)

1	2	3	4	5		6	7	
8.	पश्चिमी बंगाल	6.8078	15399	2261.96	(10)	22311	3277.27	(8)
9.	महाराष्ट्र	7.8937	18280	2315.77	(8)	24951	3160.88	(9)
10.	तमिलनाडू	5.5859	12552	2247.09	(11)	16785	3004.89	(10)
11.	आन्ध्र प्रदेश	6.6508	15164	2280.03	(9)	19978	3003.85	(11)
12.	उत्तर प्रदेश	13.9112	29976	2154.81	(13)	41416	2977.17	(12)
13.	कर्नाटक	4.4977	9893	2199.57	(12)	12893	2866.58	(13)
14.	मध्य प्रदेश	6.6181	12318	1861.26	(15)	16223	2451.31	(14)
15.	बिहार	8.6374	16568	1918.17	(14)	20551	2379.30	(15)

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की प्रतियां

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Finance Department
(Rules Division)

NOTIFICATION

No. F. 16 (6) FD (Rules)/98 Jaipur, dated May 4, 1998

Subject : **Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the folowing rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998, namely :—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) (Third Amendment) Rules, 1998.
2. They shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-1998.
3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998 :—
   (i) below the existing enteries appearing under heading "Forest Department" and above notes in Schedule V, the following shall be insterted, namely;

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

(i) **Rajasthan Animal Husbandry Service**

1	2	3	4	5
1	Veterinary Officer (Old designation Veterinary Assistant Surgeon)	6500-10500	8000-13500 (13)	

(ii) Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service

1	2	3	4	5
2	Syce/Cattle Attendant/Bull Attendant/Camel Attendant/ Shepherds	2550-3200	2610-3540 (2)	In future persons possessing minimum qualification of 8th Class plus 2 years experience of handling animals shall only be eligible for recruitment to the post.
3	Livestock Assistant/ Enumerator/ Milk Recorder	3050-4590	4000-6000 (9)	The cadre of Livestock Assistant/ Enumerator/Milk Recorder and the cadre of Junior Livestock Inspector / Poultry Supervisor/Fodder Supervisor shall stand merged in to one cadre. To this extent the recruitment rules shall stand modified.

Note — The cadre of Veterinary Assistant / Sr. Livestock Inspector / Assistant Superintendent (CBF) and the cadre of Fodder Demonstrator shall also stand merged into one cadre. To this extent the recruitment rules shall stand modified.

For fixation of pay in the "pay scale further revised" Notes appearing at the end of the aforesaid Schedule shall be applicable.

(ii) in Schedule IV—Higher Initial Pay / Advance Increments, the existing entries appearing at serial number 3 under heading "Animal Husbandry Department" shall be deleted.

By Order of the Governor,

(Dr. Adarsh Kishore)

Principal Secretary to the Government

200

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Finance Department

(Rules Division)

NOTIFICATION

No. F. 16 (8) FD (Rules)/98 Jaipur, dated May 12, 1998

Subject : **Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998.**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998, namely :—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) (Fourth Amendment) Rules, 1998.

2. They shall be deemed to have come into force with effect from 1-5-1998.

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998 :—

   (i) below the existing entries appearing under heading "Animal Husbandry Department" and above notes in schedule V, the following new heading and entries thereunder shall be inserted, namely :—

AYURVED DEPARTMENT

(i) **Rajasthan Ayurvedic Service**

1	2	3	5	5
1	Ayurved/Unani Chikitsak	6500-10500	8000-13500 (13)	*
2	Homoeopathic Chikitsak	6500-10500	8000-13500 (13)	*

(ii) **Other Posts**

1	Drug Inspector	6500-10500	8000-13500 (13)	

* The posts of Sr. Ayurved/Unani Chikitsak/Homoeopathik Chikitsak created in pay scale 2200-4000 (RPS 1989) but not incorporated in the rules shall stand abolished.

For fixation of pay in the "pay scale further revised" Notes appearing at the end of the aforesaid Schedule shall be applicable.

(ii) in the Schedule IV—Higher Initial Pay / Advance Increments, the existing sub heading (i) Rajasthan Ayurved Service appearing below S. No. 4- "Ayurvedic Department" and entries thereunder shall be deleted.

By Order of the Governor,

Dr. Adarsh Kishore

Principal Secretary to the Government

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 127 का विवरण

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

भूखण्ड संख्या बी–428 से 438 तक मालवीय नगर योजना के आवंटियों का नाम/आवंटन दिनांक/मानचित्र जारी दिनांक आदि का विवरण की सूची

क्रमांक	भूखण्ड संख्या	आवंटी का नाम	आवंटन पत्र जारी दिनांक	मानचित्र स्वीकृत/स्वीकृति पत्र जारी दिनांक	मौके की स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बी–428	श्री शिवचन्द लूथरा	19-2-81	20-7-84	निर्मित	भूखण्ड श्री रघुवीर सिंह शेखावत के नाम दिनांक 1-7-91 को हस्तान्तरण किया है। भू-स्वामी को पीछे के सैट बैक में 10 फीट खाली छोड़े जाने वाली भूमि में 2 फीट भूमि कवर करके ग्राउड फ्लोर व फस्ट फ्लोर पर कमरे का निर्माण किया गया नोटिस धारा 32 का दिनांक 9-7-98 को दिया गया। कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	बी–429	श्री उदयबीर सिंह	19-2-81	19-4-84	निर्मित	सैट-बैक्स में किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस धारा 32 का दिनांक 9-7-98 को दिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
3.	बी–430	श्री जितेन्द्र सिंह	19-2-81	6-8-82	खाली	भू-खण्ड रिक्त होने के कारण धारा 32 का नोटिस नहीं दिया।
4.	बी–431	श्री विश्व दयाल गुप्ता	20-2-81	25-5-88	निर्मित	भू-खण्ड संख्या सी-31 के स्थान पर बी-31 दिनांक 16-8-85 को विनियम में लिया गया। भू-खण्ड के बैक-सैट में $2\frac{1}{2}$ फीट भूमि कवर्ड करके एवं सामने के सैट-बैक में बालकानी व साइट सैट बैक में पोर्च को अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस धारा 32 का दिनांक 9-7-98 को दिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
5.	बी–432	श्री गुलाबचन्द जैन	19-2-81	18-11-85	निर्मित	भूखण्ड के पीछे के सैट-बैक को कवर्ड करके ग्राउण्ड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर पर किये गये कमरों के अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस

203

1	2	3	4	5	6	7
						धारा 32 दिनांक 9-7-88 को दिया गया। कार्यवाही की जा रही।
6.	बी–433	श्री आर. सी. अग्रवाल	19-2-81	3-12-88	निर्मित	पीछे के सेंट-बैक्स को कवर्ड करके टायलेट एवं स्टोर का निर्माण किया गया है तथा साइड सेंट-बैक में पोर्च का निर्माण किया गया है जो अवैध निर्माण है। नोटिस धारा 32 का 9-7-98 को दिया गया। कार्यवाही की जा रही है।
7.	बी–433–ए	श्रीमती पन्कू बाई	19-10-84	6-4-88	निर्मित	श्री खेमराज जैन के नाम दिनांक 5-7-91 को नाम हस्तान्तरण किया है। भू-स्वामी को बेक-सेंट को कवर्ड करके टायलेट का निर्माण कराने साइड सेंट-बेक में पोर्च का निर्माण करने एवं बैक-सेंट में भवन का अधिक निर्माण करने पर नोटिस धारा 32 का मिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
8.	बी–434	श्री गोपीराम चन्दानी	18-2-81	—	निर्मित	साइड सेंट-बैक को कवर्ड करके कमरे एवं पोर्च के अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस

1	2	3	4	5	6	7
						धारा 32 का दिनांक 9–7–98 को दिया गया। कार्यवाही की जा रही है।
9.	बी–435	श्री ललित कुमार शर्मा	1–7–82	—	निर्मित	पीछे के सैट बैक में 10 फीट भूमि कवर्ड करके किये गये अवैध निर्माण के लिए नोटिस धारा 32 का दिनांक 9–7–98 को दिया गया। कार्यवाही की जा रही है।
10.	बी–435–ए	श्री भंवरलाल अजमेरा	31–10–84	6–6–85	निर्मित	भूखण्ड के बैक सैट बैक में किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस धारा 32 का दिनांक 9–7–98 को दिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
11.	बी–436	श्री आर. आर. दास	14–7–82	29–5–84	निर्मित	भूखण्ड के बैक सैट को कवर्ड करके किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस धारा 32 का दिनांक 9–7–98 को दिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
12.	बी–436–ए	श्रीमती प्रमिला मेहता	23–10–84	15–1–86	निर्मित	भूखण्ड के बैक सैट बैक एवं साइड सैट बैक को कवर्ड करके किये गये अवैध निर्माण के

1	2	3	4	5	6	7
						विरुद्ध नोटिस धारा 32 का दिनांक 9-7-98 को दिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
13.	बी–437	श्री कुन्जबिहारी गोयल	1–7–82	30–5–85	निर्मित	भूखण्ड के बैंक सैट बैक एवं साइड सैट बैक को कवर्ड करके किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस धारा 32 का दिनांक 9-7-98 को दिया गया। अग्रिम कार्यवाही जी जा रही है।
14.	बी–437–ए	श्री हरीश नारायण गुप्ता	23–10–84	15–10–88 नियमबद्ध	निर्मित	सैट बैक्स में किये गये वायलेशन के अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस धारा 32 का दिनांक 9-7-98 को दिया गया। कार्यवाही की जा रही है।
15.	बी–438	श्री बिहारीलाल भोजवानी	1–7–82	18–1–84	निर्मित	स्वीकृति के विपरीत भूखण्ड के बैंक सैट बैक में किये अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस धारा 32 का दिनांक 9-7-98 को दिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 131 का विवरण

3 पी पी एम से अधिक फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित ग्रामों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	3 पी पी एम से अधिक फ्लोराइड वाले समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	मकराना	9
2.	परबतसर	49
3.	नावां	2
4.	डीडवाना	16
5.	लाडनूं	20
6.	नागौर	4
7.	मेड़ता शहर	2
8.	डेगाना	58
9.	मुण्डवा	30
10.	जायल	10
	कुल योग :	200

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 132 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र कामां में वर्ष 97–98 एवं 98–99 में स्वीकृत योजनाओं का विवरण

क्र.सं	योजना का नाम	संभावित गांव	कोड नं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृति वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैण्डपम्प से पी. एण्ड टी. जल योजना में परिवर्तित ज. योजना विलौन	1. विलौन	108	10.37 लाख	97–98	1. ट्यूब वैल तथा भूतल जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पाइप लाइन का कार्य बकाया है।
2.	,, ,, कठौल	1. कठौल	33	9.80 ,,	97–98	2. डी.आर.डी.ए. द्वारा बजट आवंटन शेष।
3.	,, ,, सावलेर	1. सावलेर	61	11.00 ,,	97–98	3. नलकूप का निर्माण कार्य हो चुका है तथा भूतल जलाशय तथा पाइप लाइन कार्य शेष।
4.	हैण्डपम्प से पी. एण्ड टी. जल योजना में परिवर्तित जल योजना दांदेड़ा	1. दांदेड़ा	33	5.05 ,,	97–98	4. स्रोत का कार्य पूर्ण कर दिया गया है पाइप लाइन कार्य शेष।

1	2	3	4	5	6	7
5.	आगमेंटेशन जल योजना कठौल गाघानेर	1. दाथेट	2	2.10 लाख	97–98	5. डी सी. वी. का निर्माण कार्य हो चुका है, नलकूप का कार्य बकाया है ।
		2. घोलेट	5			
		3. गाघानेर	4			
		4. सहालपुर	3			
		5. घीसेड़ा	6			
		6. घाटमीका	7			
		7. इन्डीपुर	45			
6.	पुनर्मरण प्रस्ताव जलयोजना जुरहरा	1. जुरहरा	1	1.34 ,,	97–98	6. डी.सी.वी. निर्माण कार्य पूर्ण पाइप लाइन कार्य शेष ।
7.	,, ,, बामनवाड़ी महलवाड़ी	1. सतपुरा	23	1.36 ,,	97–98	7. कार्य प्रगति पर है ।
		2. खेरलीनानू	18			
8.	,, ,, बामनी खेवातान	1. नौनेरा	6	1.34 ,,	97–98	8. कार्य प्रगति पर है ।
		2. नौगांवा	5			
		3. बामनी	7			
		4. समधारा	22			
9.	,, ,, घिलावटी	1. घिलावटी	49	0.51 ,,	97–98	9. पाइप लाइन कार्य पूर्ण हो चुका है ।
10.	,, ,, सुनहैरा	1. सुनहरा	51	0.54 ,,	97–98	10. कार्य पूर्ण हो चुका है ।

209

(210)

1	2	3	4	5	6	7
11.	पुनर्भरण प्रस्ताव जलयोजना करमूका झीलपट्टी	1. करमूका	82	0.88 लाख	97–98	11. कार्य पूर्ण हो चुका है।
12.	,, ,, कैथवाड़ा	1. कैथवाड़ा	122	0.51 ,,	97–98	12. कार्य पूर्ण हो चुका है।
13.	,, ,, इकलैहरा	1. इकलैहरा	135	0.52 ,,	97–98	13. कार्य पूर्ण हो चुका है।
14.	,, ,, सहसन	1. सहसन	32	0.65 ,,	97–98	14. कार्य पूर्ण हो चुका है।
15.	,, ,, कठोल गाधानेर	1. घीसैडा	6	1.81 ,,	97–98	15. कार्य पूर्ण हो चुका है।
16.	,, ,, ईखनका मूगरका	1. ईखनका	67	0.69 ,,	97–98	16. कार्य पूर्ण हो चुका है।
17.	,, ,, ऊधन भूसेपुर	1. ऊधन		1.08 ,,	97–98	17. कार्य पूर्ण हो चुका है।
18.	,, ,, शहरी जलयोजना कामां	1. कामां		1.95 ,,	97–98	18. डी. सी. वी. कार्य पूर्ण हो चुका है।
19.	हैण्डपम्प योजनाएं	1. सतवाड़ी-2	60	0.86 ,,	97–98	19. कार्य कराया जा रहा है।
20.	,, ,,	2. सावलेर-4	61	1.72 ,,	97–98	20. कार्य कराया जा रहा है।
21.	,, ,,	3. विलंग	66	0.44 ,,	97–98	21. मिडल स्कूल कार्य पूर्ण
22.	,, ,,	4. सवलाना	106	0.44 ,,	97–98	22. मिडल स्कूल कार्य करवाया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
23.	आगमेंटेशन जलयोजना सतपुरा घोसिगा	1. घोसिया	19	1.53 लाख	98–99	23. डी. सी. वी. का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है विद्युत सम्बन्ध व पाइप लाइन शेष ।
24.	ऐंचवाडा बसई ढहरा	1. नादादू 2. सहेड़ा 3. बसई ढहरा	8 10 9	1.95 ,,	98–99	24. डी. सी. वी. का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।
25.	आगमेंटेशन जलयोजना लुहेसर	1. बाढ़	131	1.35 ,,	98–99	25. स्रोत निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
26.	,, ,, करमूका झीलपट्टी	1. विरार	107	1.90 ,,	98–99	26. स्रोत निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
27.	,, ,, सतबाड़ी समसलका	1. पथराली	116	1.98 ,,	98–99	27. स्रोत निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
28.	पुनर्भरण प्रस्ताव जलयोजना पहाड़ी	1. पहाड़ी	38	9.98 ,,	98–99	28. कार्य प्रगति पर है ।

211

(212)

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची

ग्राम कठोती (तहसील जायल, जिला नागौर) होकर संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र.सं	मार्ग का नाम	संचालित आगार	सेवा का प्रकार	नागौर से प्रस्थान समय
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर-खेतड़ी	जोधपुर	द्रुतगामी	00.15
2.	नागौर-जयपुर	जयपुर	द्रुतगामी	05.15
3.	नागौर-नावां	नागौर	साधारण	06 00
4.	नागौर-सीकर	नागौर	द्रुतगामी	07.00
5.	नागौर-लाडनूं	नागौर	साधारण	07.30
6.	जोधपुर-दिल्ली	कोटपूतली	द्रुतगामी	08 00
7.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	08.30
8.	जोधपुर-झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	द्रुतगामी	09.15
9.	नागौर-लाडनूं	नागौर	साधारण	09.45
10.	जोधपुर-सालासर	जोधपुर	द्रुतगामी	10.00
11.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	10.30
12.	फलोदी-सीकर	फलोदी	द्रुतगामी	11.00
13.	जोधपुर-सरदारशहर	सरदारशहर	द्रुतगामी	11.30
14.	जालोर-सीकर	सीकर	द्रुतगामी	11.45
15.	नागौर-सालासर	नागौर	साधारण	12.15
16.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	12.45
17.	जोधपुर-खेतड़ी	खेतड़ी	द्रुतगामी	13.00

1	2	3	4	5
18.	फलोदी-जयपुर	फलोदी	द्रुतगामी	13.30
19.	नागौर-सालासर	नागौर	द्रुतगामी	14.00
20.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	14 30
21.	पाली-सीकर	सीकर	द्रुतगामी	14.45
22.	फलोदी-जयपुर	फलोदी	द्रुतगामी	15.00
23.	नागौर-हरिद्वार	नागौर	द्रुतगामी	15.15
24.	नागौर-नावां	नागौर	साधारण	15 30
25.	नागौर-दिल्ली	नागौर	द्रुतगामी	16.00
26.	नागौर-दिल्ली	नागौर	द्रुतगामी	16.30
27.	जोधपुर-बिदासर	जोधपुर	द्रुतगामी	17.00
28.	जोधपुर-सिघाना	नागौर	द्रुतगामी	17.30
29.	जोधपुर-सीकर	सीकर	द्रुतगामी	18.00
30.	नागौर-दिल्ली	नागौर	द्रुतगामी	19.00
31.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	21.30
32.	जालोर-झुन्झुनूं	जालोर	द्रुतगामी	21.45
33.	बाड़मेर-झुन्झुनूं	बाड़मेर	द्रुतगामी	22.45
34.	जोधपुर-पिलानी	झुन्झुनूं	द्रुतगामी	23.30

(214)

ग्राम काठोती (तहसील जायल, जिला नागौर) पर रुकने वाले वाहनों की सू

क्र सं	मार्ग का नाम	संचालित आगार	सेवा का प्रकार	नागौर प्रस्थान , समय
1.	नागौर-जयपुर	जयपुर	द्रुतगामी	05 15
2.	नागौर-नावां	नागौर	साधारण	06.00
3.	नागौर-सीकर	नागौर	द्रुतगामी	07.00
4.	नागौर-लाडनूं	नागौर	साधारण	07.30
5.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	08.30
6.	नागौर-लाडनूं	नागौर	साधारण	09.45
7.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	10.30
8.	नागौर-सालासर	नागौर	साधारण	12.15
9.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	12.45
10.	नागौर-सालासर	नागौर	द्रुतगामी	14.00
11.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	14.30
12.	नागौर-हरिद्वार	नागौर	द्रुतगामी	15.15
13.	नागौर-नावां	नागौर	साधारण	15.3[illegible]
14.	नागौर-दिल्ली	नागौर	द्रुतगामी	16.[illegible]
15.	नागौर-दिल्ली	नागौर	द्रुतगामी	16.30
16.	जोधपुर-सिंघाना	नागौर	द्रुतगामी	17.30
17.	नागौर-दिल्ली	नागौर	द्रुतगामी	19.00
18.	नागौर-जयपुर	नागौर	द्रुतगामी	21.30